



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 686]
No. 686]नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2008/पौष 10, 1930
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2008/PAUSA 10, 1930वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 907(अ).० विस्फोटक नियम, 2006 का प्रारूप, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उप-धारा (1) की यथा अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 6 सितम्बर, 2006 को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 226 के अधीन प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिसको उस राजपत्र में अन्तर्विष्ट प्रतियों की उक्त अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 नवंबर, 2006 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के जनता को प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है; अब केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विस्फोटक नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

विस्फोटक नियम, 2008

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्फोटक नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ०

(1) “अधिनियम” से विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) अभिप्रेत है ;

(2) “अडिखट्टू या काडिना” से ध्वनी पैदा करने वाली ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जो लोहे की ट्यूब से बनाई गई है और जिसका आधार मजबूत होता है नीचे की ओर एक तरफ बंद छिद्र है जिसमें बारुद भरी जाती है और शुष्क खुली बारुद की डोरी के साधन से चलाई जाती है तथा जो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित है ;

(3) “अमोनियम नाइट्रेट फ्युल आयल विस्फोटक (ए.एन. एफ.ओ.)” से फ्युल आयल और अमोनियम नाइट्रेट का कोई मिश्रण अभिप्रेत है जिसमें आच्छद संवेदनशील नहीं है, किंतु जिसके अंतर्गत इमलेशन या स्लेवरी विस्फोटक या साइट मिश्रण विस्फोटक का अनुमोदन मुख्य नियंत्रक द्वारा नहीं किया जाता है ;

(4) “प्राधिकृत विस्फोटक” से ऐसा कोई विस्फोटक अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित प्राधिकृत विस्फोटकों की सूची में सम्मिलित है ;

(5) “प्रपुंज मिश्रित परिदान (बी. एम. डी.)” से वाहन से कोई ऐसा वाहन अभिप्रेत है कि प्रपुंज में अविस्फोटक सामग्रियाँ नोन-आच्छद संवेदनशील विस्फोटकों को मिश्रण करके परिवहन करना और बोर छिद्र से प्रत्यक्षतः लदाई के लिए है ;

(6) “आच्छद संवेदनशील” से ऐसा कोई विस्फोटक अभिप्रेत है जिसमें न्यूनतम संख्या के डोटोनेटर द्वारा आरंभ पर विस्फोट करता है ;

(7) “बाक्स ले जाना” से विस्फोटन विस्फोटकों की सीमित मात्रा को ले जाने के लिए विशेष रूप से विनिर्मित मैटल केस या बोक्स अभिप्रेत है और जो विस्फोटकों को आरंभ करता है ;

(8) “मुख्य नियंत्रक” से मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अभिप्रेत है ;

(9) “सुसंगत समूह” खतरनाक माल संकल्प संख्यांक 645 जी (xxiii) तारीख 26-4-1957 के परिवहन पर निर्यातकों की संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद् समिति में अपने नियत निर्यात से अभिप्रेत करना होगा और संख्यांक 1995/5 तारीख 10-7-1995 का और संकल्प करना है ;

(10) “सक्षम व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे मुख्य नियंत्रक ने सक्षम व्यक्ति होने के लिए मान्यता प्रदान की है या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास उस काम में, जिसके संबंध में सक्षमता अपेक्षित है, मुख्य नियंत्रक द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त संस्था का सक्षमता का प्रमाणपत्र है ;

(11) “कंप्रेसर युक्त मोटर ट्रक और ट्रैक्टर” यांत्रिकी रूप से चालित मोटर या ट्रक या ट्रैक्टर पर युक्त कंप्रेसर से अभिप्रेत है जो विस्फोटकों के यातायात के लिए सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त, कुआं खोदने में उपयोग के लिए विस्फोटन करना, जिसकी डिजाइन का अनुमोदन मुख्य नियंत्रक द्वारा किया गया है ;

(12) “कंजरेक्टर” के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 7 के अधीन पत्तन के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है किसी अधिकारी या व्यक्ति निकाय के प्राधिकार के अधीन कार्यरत है ;

(13) “नियंत्रक” के अंतर्गत संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक और सहायक विस्फोटक नियंत्रक भी है ;

(14) “उद्हन” से ऐसी विस्फोटक प्रतिक्रिया जैसे तीव्र दहन, जो किसी विस्फोटक सामग्री के माध्यम से उस सामग्री में ध्वनि की गति से कम वेग पर फैलती है अभिप्रेत है ;

(15) विभागीय परीक्षण केन्द्र से पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का परीक्षण केन्द्र अभिप्रेत है ;

(16) “विस्फोटक फ्यूज” से प्रधान नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत उच्च विस्फोटक का केन्द्र कोर वाली रस्सी अभिप्रेत है जो उच्च विस्फोटक भरण से दूसरे विस्फोटक भरण तक विस्फोट को पारेषित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ;

(17) “प्रस्फोटक” से निम्नलिखित नलिकार युक्ति अभिप्रेत है, 6

(क) जिसका एक सिरा बंद है और दूसरा 6

(i) नलिका उसके भीतर विस्फोट को चालू करने के प्रयोजन के लिए सुरक्षित फ्यूज के अंतःस्थापन के लिए खुला छोड़ा गया है ;

(ii) उस प्रयोजन के लिए तारों या अन्य युक्ति लगी है और शील्ड ;

(ख) जो विस्फोटक चालू करने के चार्ज (भरण) से भरा हुआ है, भरण (चार्ज) को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे ऐसा विस्फोट उत्पन्न हो सके जो वैसी ही संनिर्मित और भारित या अन्य विस्फोटक भरण (चार्ज) और जिसके अंतर्गत रस्सी रिले संयोजक है, को संसूचित करेगा ;

(18) “प्रदर्श आतिशबाजी” से स्थल पर प्राधिकृत विनिर्मित आतिशबाजी का समूह जो एक मात्र प्रदर्श के प्रयोजन के लिए है, अभिप्रेत है ;

(19) “पायसीकरण विस्फोटक” से पायसीकरण के रूप में ऐसी विस्फोटक सामग्री अभिप्रेत है जिसमें अमिश्रण ईंधन से घेरी हुई जलकणिकाओं में विलिनियत आक्सीकरण की पर्याप्त मात्रा है ;

(20) “विस्फोटक परिचालित युक्ति” से कोई औजार या विशेष यांत्रिक युक्ति या गैस उत्पादक (जनरेटर) प्रणाली अभिप्रेत है जो विस्फोटक के लघु भरण (चार्ज) द्वारा परिचालित की जाती है या जो विस्फोटक प्रभार के माध्यम से कार्य करती है या इसका निदेश देती है ;

(21) “विस्फोटक सीमा” से ऐसे विस्फोटक की अधिकतम मात्रा अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट परिसर में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा भंडारित की जाए या उसका प्रसंस्करण किया जाए ;

(22) “विस्फोटक यान” से भूमार्ग द्वारा विस्फोटक के परिवहन के लिए यांत्रिक रूप से यंत्रनोदित यान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई सड़क यान भी है ;

(23) “आतिशबाजी” से ऐसा कम परिसंकटमय वाला विस्फोटक जिसमें रंजित अग्नि या ज्वाला, प्रकाश प्रभाव, ध्वनि प्रभाव, धूम प्रभाव (रंजित या प्राकृतिक) उत्पन्न करने की दृष्टि से कोई संरचना या विनिर्मित युक्ति समाविष्ट है या ऐसे प्रभावों का संयोजक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कुहरा संकेत, फ्यूज, राकेट गोले, आघात टोपियां भी हैं ;

(24) “आतिशबाजी संरचना” से किसी विस्फोटक या ज्वलनीय पदार्थ का कोई रासायनिक संमिश्रण या यांत्रिकतः मिश्रित निर्मित अभिप्रेत है जो विनिर्मित आतिशबाजियों के निर्माण के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है और विस्फोटक के किसी अन्य वर्ग में सम्मिलित नहीं की जाती है तथा इसके अंतर्गत कोई तारक या कोई रंजित अग्नि संरचना भी है ;

(25) “अग्रणी का प्रमाणपत्र” से किसी व्यक्ति को, नियंत्रक द्वारा जारी किया गया सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, यथास्थिति, जो आतिशबाजी का सुरक्षा फ्यूज विनिर्माण की प्रक्रिया से सुपरिचित है उसके द्वारा ऐसी गतिविधियों के पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए परिसंकरों से सहयुक्त है ;

(26) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है ;

(27) “बारूद” से सामान्यतः तथाकथित बारूद अभिप्रेत है तथा जो ऐसा विस्फोटक है जिसमें अकार्बनिक नाइट्रेट, कारकोल तथा सल्फर का मिश्रण अंतर्विष्ट है ;

(28) “उच्च विस्फोटक” से ऐसा विस्फोटक अभिप्रेत है जो प्रतिक्रिया उच्च दबाव के विकास की अतिउच्च दर तथा विस्फोटक

प्रेरणा लहर की उपस्थिति द्वारा विशेषित है, किंतु इसके अंतर्गत आतिशबाजी तथा सुरक्षा फ्यूज नहीं है;

(29) “अनुज्ञापन प्राधिकारी” से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो अनुसूची 4 के भाग -1 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए सशक्त है;

(30) “विनिमित आतिशबाजी” से कम परिसंकट वालों विस्फोटक प्रयुक्त अभिप्रेत है जिसमें इन नियमों की अनुसूची 1 के भाग 1 में दिए गए विभिन्न वर्गों अर्थात् वर्ग -1 या वर्ग -2 या वर्ग -3 या वर्ग -4 या वर्ग -6 के विस्फोटक या संयोजन या ऐसा कोई विस्फोटक समाविष्ट है जो उक्त भाग के अधीन दिए गए वर्ग 7 के संभाग 2 या संभाग 3 या संभाग 4 के अंतर्गत आता है ;

(31) “मानव सीमा” से विस्फोटकों के विनिर्माण या प्रसंस्करण के लिए किसी विशिष्ट परिसर के भीतर कार्य करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात व्यक्तियों की अधिकतम संख्या अभिप्रेत है;

(32) “चिन्हांकन या गुप्तचारी अभिकर्ता” ऐसा पदार्थ है जिसे वाष्प गुप्तचर तकनीक के माध्यम से गुप्तचारी प्रयोजन के लिए कतिपय न्यूनतम मात्रा में प्लास्टिक विस्फोटक में सन्निविष्ट किया जाता है;

(33) “सूक्ष्म नलिका फ्यूज” से सुरक्षा फ्यूज या शीघ्र जलने वाली दियासलाई से भिन्न कोई फ्यूज अभिप्रेत है जो आतिशबाजी के दहन के लिए प्रयुक्त अग्नि के ज्वलन तथा दृश्य पार्श्विक प्रसार की नियत दर द्वारा विशेषित किया जाता है ;

(34) “गैर विस्फोटक पायसी मैट्रिक्स” से ऐसे तेल पायसी या घोल मैट्रिक्स में जल अभिप्रेत है जिसका न तो आवरण संवेदनशील हो न ही वर्धक संवेदनशील हो;

(35) किसी प्रकार के संबंध में “अटिषता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियंत्रण रखता है और परिसर के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है और किसी विस्फोट के संबंध में इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसके कब्जे में विस्फोटक हो ;

परन्तु :-

(क) स्वत्वधारी, फर्म, प्रोपराइटर; या

(ख) भागीदारी फर्म, सभी भागीदारों द्वारा लिखित में नामनिर्देशित निदेशक, या

(ग) कंपनी, निदेशक बोर्ड द्वारा लिखित में नामनिर्देशित निदेशक, या

(घ) सोसायटी या संगम शासी निकाय द्वारा लिखित में नामनिर्देशित पदाधारी के संबंध में अधिष्ठाता समझा जाएगा ।

(36) “अनुज्ञात विस्फोटक” से ऐसे प्राधिकृत विस्फोटक अभिप्रेत हैं जिनके भूमिगत कोयला खान के प्रयोग के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक ने अनुज्ञा दी है ;

(37) “प्लास्टिक विस्फोटक” से नम्य या लचीली रूप में विनिर्मित शीट में विस्फोटक सामग्री अभिप्रेत है जिसमें ऐसा एक या अधिक उच्च विस्फोटक है जो अपने विशुद्ध रूप में 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 10 से कम वाष्पस दाब रखते हैं और

जिल्दसाज सामग्री से विनिर्मित किया जाता है और मिश्रण के रूप में सामान्य कक्ष तापमान पर आघातवर्धय या नम्य है ;

(38) “अनुज्ञात” से ऐसा अनुज्ञात अभिप्रेत है जो विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है ;

(39) “प्रतिषिद्ध विस्फोट” से ऐसा विस्फोट अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है ;

(40) “नोदक” से ऐसा विस्फोटक अभिप्रेत है जो सामान्यतः उद्दहन द्वारा कृत्य करता है और नोदन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता है;

(41) “ संरक्षित संकर्म” के अंतर्गत हैं, ऐसे भवन, जिनमें व्यक्ति रहते हैं, कार्य करते हैं या जमा होते हैं, और महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल, थियेटर, सिनेमागृह, कारखाने, परिसंकटमय पदार्थों के भण्डारण का स्थान बांध और जलाशय, कोई सार्वजनिक सड़क या रेल लाइन या नाव्य जल मार्ग, शिरोपरि टूंक/उच्च वोल्टता की बिजली की लाइनें किंतु इसके अंतर्गत पैदल पथ, छकड़ा पथ, जो नियमित रूप से प्रयोग में नहीं है, कृषिक कुएं और उनसे लगे हुए पम्प सैट नहीं हैं ;

(42) “संवेदनशील दियासलाई” से आतिशबाजी के स्फोटकों को प्रज्वलित करने के लिए फ्यूज अभिप्रेत है और जो सूत के उत्कृष्टतम से या विभेदित जूट सूत या काले पाउडर (गन पाउडर) सहित निहित है, लपेटा गया है और जिसे बांधी करने वाली सामग्री की सहायता से कागज में बंद किया गया है जो ज्वलनशील है किंतु विस्फोट नहीं करती है और जिसका अपने प्रज्वलन से साधन नहीं है ;

(43) “सुरक्षा कारतुस” से अभिप्रेत है छोटे आयुधों के लिए जो आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 4) या इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथापरिभाषित है, कारतुस जिसका खोल कारतुस दाग देने के बाद ऐसे छोटे आयुध से बाहर निकाला जा सकता है और जो इस प्रकार बंद है कि किसी एक कारतुस में विस्फोटक का संचरण अन्य कारतुसों में नहीं हो सकता है ;

(44) “सुरक्षा फ्यूज” से ऐसा कोई फ्यूज अभिप्रेत है जिसका प्रयोग अन्य विस्फोटकों के चार्ज का ज्वलन करने के लिए किया जाता है और जो जलते तो हैं किंतु विस्फोटित नहीं होता है और जिसमें ज्वलन का अपना कोई साधन नहीं है, और जो ऐसी प्रबलता शक्तिशाली और संरचना का है तथा जिसमें इतनी मात्रा में विस्फोटक है कि ऐसे पलीते का ज्वलन ऐसे ही अन्य पलीतों में बगल से संचरित नहीं होगा ;

(45) “सुरक्षा प्रबंध योजना” से किसी विस्फोटक विनिर्माण कारखाने में सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रबंध करने के लिए व्यापक योजना अभिप्रेत है ;

(46) “सुरक्षा दूरी” से किसी अनुज्ञप्ति कारखाने शेड, मैगजीन भण्डारगृह या अन्य अनुज्ञप्ति परिसरों के बीच इन नियमों के अधीन दूरी रखेगा और अनुसूची 8 में यथा संदर्भित संकर्म संरक्षित होगा ;

(47) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;

48. “आघात ट्यूब” प्लास्टिक ट्यूब से अभिप्रेत है जो प्रधान नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत विस्फोटक भरण अंतर्विष्ट है जिसमें प्रस्फोटक ट्यूब के मध्यम से कार्यवाही शुरू करने पर सिंगल फायरिंग पारेषण करता है ;

(49) “गोला मारक (शाट फर्यर)” से ऐसा सक्षम व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अधीन न आने वाले क्षेत्रों में विस्फोटक का प्रयोग करने वाले विस्फोट सँक्रिया करने के लिए नियंत्रण द्वारा मान्यताप्राप्त और प्रमाणित है ;

(50) “स्थल मिश्रित विस्फोटक (एस.एम.ई.)” से बोर होल में बना हुआ विस्फोटक चार्ज और जिसके अंतर्गत बी.एम.डी. यान का प्रयोग करने वाला ए.एफ.एन.ओ. का विनिर्माण भी है, अभिप्रेत है ;

(51) “गारेदार विस्फोटक” से गारे के रूप में विस्फोटक सामग्री, जिसमें आक्सीडाइजर, ईंधन, बिकनर तथा जल अंतर्विष्ट है अभिप्रेत है ;

(52) “लघु-आयुध नाइट्रो यौगिक” से ऐसा कोई नाइट्रो यौगिक अभिप्रेत है जो केवल छोटे आयुधों के लिए कारतुसों का प्रयोग किए जाने के लिए ही अनुकूलित और आशयित है ;

(53) “भण्डारगृह” से किसी प्रकार के विस्फोटकों को रखने के लिए, मैगजीन से भिन्न भवन अभिप्रेत है जो 5000 किलोग्राम से अधिक आतिशबाजी या 5000 मीटर से अधिक के सुरक्षा फ्यूज पर कब्जा ना हो, विक्रय के लिए नहीं, किंतु स्वयं की अनुज्ञप्ति अंतरण के लिए हो ;

(54) “परीक्षण अधिकारी” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे ;

(55) “अंतरण” से उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित विस्फोटकों भाड़े पर देना, उधार देना या कब्जा छोड़ देना या विस्फोटकों का अंतरण उसी अनुज्ञप्तिधारी की एक मैगजीन या अनुज्ञप्तिधारी के भण्डारगृह से आतिशबाजी के पैकड बाक्स उसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं की दुकान का अंतरण ;

(56) “अनुप्रस्थ या टीला” से विस्फोटक के प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा के प्रदान किए गए विस्फोटकों वाले भवन, या बारूद खाने या चट्टे के चारों तरफ मिट्टी, रेत, कंकरीट या ईट का कार्य अभिप्रेत है ;

(57) “यू.एन. वर्गीकरण” से आई.एस.बी.एन. 92-1-13974-5 में एस.टी./एस.जी./ए.सी. 10/1/आर.ई.वी. 12 द्वारा प्रकाशित खतरनाक माल के परिवहन पर मॉडल विनियम में संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों अभिप्रेत हैं जो परिवहन के लिए खतरनाक माल को वर्गीकृत करते समय समक्ष प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली परीक्षक प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करता है ;

(58) “यू.एन. संख्यांक” से कोई आई.एस.बी.एन. 92-1-13974-5 में एस.टी./एस.जी./ए.सी. 10/1/आर.ई.वी. 12 द्वारा प्रकाशित खतरनाक माल के परिवहन पर मॉडल विनियम में यथाकथित

खतरनाक माल के परिवहन और भंडारण के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अधीन वस्तु पदार्थ को समनुदेशित चार अंकीय पहचान संख्यांक अभिप्रेत है ;

(59) “यू.एन. विनियमन” से कोई आई.एस.बी.एन. 92-1-13974-5 में एस.टी./एस.जी./ए.सी. 10/1/आर.ई.वी. 12 द्वारा प्रकाशित खतरनाक माल के परिवहन पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल विनियम अभिप्रेत है ;

(60) वे सभी अन्य प्रयुक्त शब्द और पद, किन्तु जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. नियमों के लागू होने की परिधि और अपवाद—(1) ये नियम विस्फोटकों के विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन और विक्रय के लिए कब्जा या उपयोग को विनियमन करने के लिए लागू हैं ।

(2) इन नियमों में कोई बात किसी विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जा, उपयोग, परिवहन या आयात को लागू नहीं होगी,—

(क) संघ की कोई सशस्त्र बलों और केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार बलों के लिए स्वयं उपयोग में ऐसे आयुध कारखानों या अन्य संस्थापनों पर ;

(ख) भारतीय रेल जो वाहन के तौर पर कार्य करने वाला ;

(ग) यदि कोई व्यक्ति उस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी शक्ति के प्रयोग से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजित है ।

(3) जब मुख्य नियंत्रक की यह राय है कि कोई विस्फोटक, जो इन नियमों या उनके किसी भाग को लागू करने का प्राधिकार देने के लिए जनता के लिए जोखिम प्रस्तुत करता है या ऐसे विस्फोटकों की प्रकृति या लक्षण, जो इन नियमों को लागू करने का प्राधिकार न देने के बारे में ऐसा अल्पतम तथा सीमित जोखिम प्रस्तुत करते हैं, मुख्य नियंत्रक ऐसी अन्य शर्तों सहित, जो आवश्यक समझी जाए, इन सभी नियमों या इनके किसी भाग के कार्यक्षेत्र से ऐसे विस्फोटक को छूट प्रदान कर सकेगा ।

अध्याय—II

वर्गीकरण, प्रवर्गीकरण और प्राधिकार

4. विस्फोटकों का वर्गीकरण - (1) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए विस्फोटकों को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट रीति में वर्गीकृत किया जाएगा । वर्गीकरण की दोहरी प्रणाली इन नियमों के प्रारम्भ की उस तारीख से पांच वर्ष के लिए रहेगी, उसके पश्चात् केवल यू. एन. का वर्गीकरण लागू होगा ।

(2) यदि कोई विस्फोटक अनुसूची - 1 में यथापरिभाषित एक वर्ग से अधिक की परिसीमाओं के अंतर्गत आता है तो यह समझा जाएगा कि वह ऐसे वर्गों की अंतिम संख्या से अनन्य रूप से संबंधित है ।

(3) आतिशबाजी वांछित प्रतकनीकी प्रभाव पर आधारित निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत की जाती है :-

- (i) ध्वनि उत्सर्जन आतिशबाजी - आतिशबाजी ध्वनि स्तर सहित ध्वस्त होने के बिन्दु से चार मीटर की दूरी पर 125 (डी बी) (ए आई) या 145 डीबी (सी) से अनधिक होगी व्यक्ति के लिए पटाखों की श्रृंखला (संयुक्त पटाखे) उपरोक्त उल्लिखित सीमा को 5 लाग 10 (एन), डी बी तक कम करके सीमित किया जाएगा, जहां एन-क्रेकर की संख्या संयुक्त रूप से साथ हो ।
- (ii) रंग या प्रकाश उत्सर्जन करने वाली आतिशबाजी ऐसी आतिशबाजी जो रंग या प्रकाश और ध्वस्त होने की बिन्दु से 4 मीटर की दूरी पर 90 डीबी(ए I) से अनधिक ध्वनि स्तर पर उत्सर्जन रखता है ।
- (iii) आतिशबाजी का प्रदर्शन :-प्रदर्शन करने के प्रयोजन के लिए स्थल पर संयोजित आतिशबाजी का कोई उत्पाद जिसके अंतर्गत 25 एम.एम. से अधिक व्यास का गोला, बहुपद छर्रे या 25 एनोस से अधिक का कोई व्यास का कोई केक उत्पाद के छर्रे और मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा-अनुमोदित प्रासक्षेप जाली या अन्य उत्पाद सम्मिलित हैं” और
- (iv) निर्यात प्रयोजन के लिए आतिशबाजी :-निर्यात प्रयोजन के लिए अग्नि पटाखे ऐसे साइज और डिजाइन के उच्च ध्वनि स्तर या उत्पाद का निर्माण किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित हो :-
- (क) विनिर्माणकर्ता अपने पास वैध निर्यात आदेश रखेगा ; और
- (ख) इन अग्नि पटाखों की ध्वनि स्तर देश में विहित किए गए ध्वनि स्तर की पुष्टि करेगा जिसमें इसका आशयित निर्यात करना है ।
- 5. विस्फोटकों की सुरक्षा दूरी प्रवर्ग :-**(1) विस्फोटकों को जोखिमों के अनुसार, जब उन्हें आरंभ किया जाता है, विद्यमान, चार प्रवर्गों में विभाजित किया जाता है, अर्थात् :-
- (क) प्रवर्ग एक्स - ऐसे विस्फोटक जिनमें अग्नि की या मामूली विस्फोटक की या दोनों जोखिम हैं, किन्तु जिनका प्रभाव स्थानीय होगा
- (ख) प्रवर्ग वाई - ऐसे विस्फोटक जिनसे बड़ी अग्नि जोखिम या मध्यम विस्फोट जोखिम है, किन्तु बड़े विस्फोट की जोखिम नहीं है ।
- (ग) प्रवर्ग जैड - ऐसे विस्फोटक जिनमें बड़े विस्फोट की जोखिम है और जिनका वृहत् मिसाइल प्रभाव है ।
- (घ) प्रवर्ग जैड जैड - ऐसे विस्फोटक जिनमें बड़े विस्फोट की जोखिम है और जिनका कम मिसाइल प्रभाव है ।
- (2) यदि किसी विस्फोटक के बारे में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई विस्फोटक प्रवर्ग एक्स, प्रवर्ग वाई, प्रवर्ग जैड या प्रवर्ग जैड जैड का है तो इस विषय को मुख्य नियंत्रक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।
- (3) सुरक्षा दूरियों का अनुसूची-8 में विनिर्दिष्ट सारणी के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

6. विस्फोटकों का प्राधिकार :-(1) कोई व्यक्ति किसी विस्फोटक का तब तक विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जाधीन, विक्रय या उपयोग नहीं करेगा जब तक उसे मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा प्राधिकृत विस्फोटक के रूप में घोषित नहीं कर दिया गया है :

परंतु इस नियम की कोई बात परीक्षण और विचारण के प्रयोजनों के लिए और न कि मुख्य नियंत्रक द्वारा इस प्रयोजन के लिए कि निर्दिष्ट रूप से अनुमोदित किसी स्थान पर विकासाधीन किसी नए विस्फोटक की संरचना के विक्रय को लागू होगी ।

(2) प्राधिकृत विस्फोटकों की सूची में किसी विस्फोटक को सम्मिलित करने का इच्छुक कोई व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को कोई आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अनुसार प्रस्तुत किए गए आवेदन के साथ निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :-

(क) विस्फोटकों की प्रकृति और संरचना तथा प्लास्टिक विस्फोटकों की दशा में, चिन्हांकन अभिकर्ता का नाम और प्रतिशतता;

(ख) विस्फोटकों के प्रत्येक अवयव की, जिसके अंतर्गत प्रतिस्थानी, यदि कोई हो, भी है, प्रतिशतता की सीमित रेंज;

(ग) विस्फोटकों के कृत्य की पद्धति, उपयोग का प्रयोजन और लक्षणों का कार्यपालन तथा इसके उपयोग को शासित करने वाले अनुदेश ;

(घ) भारत में विनिर्मित किए जाने वाले किसी नए विस्फोटकों की दशा में, सुरक्षा प्रचालन प्रक्रियाओं और सावधानियों को कथित करते हुए, विनिर्माण की प्रक्रिया;

(ङ) जहां कोई विस्फोटक किसी डिब्बे में बंद है या डिब्बे की विमाओं का अन्य उल्लंघन या उसमें अंतर्विष्ट विस्फोटकों की मात्रा, प्रकृति ब्रांड और उसके चिन्हांकन का अन्य उल्लंघन;

(च) बक्सा, लपेटन की अन्य आधान जिसमें विस्फोटक, हैंडल, उपयोग या प्रदर्शित या अन्यथा वितरित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उन पर के चिन्हांकन सम्मिलित हैं।

(छ) पैकेज जिसमें विस्फोटक का परिवहन और भंडारण किया जाएगा जिसके अंतर्गत उस पर चिन्हांकन भी है;

(ज) विनिर्माता के नाम और पते सहित उद्गम का देश, विस्फोटकों की सं. रा. सं. ; व्ययन की सिफारिश की गई पद्धतियां; विस्फोटकों और सामग्री के लिए सामग्री सुरक्षा आंकड़े पत्र ;

(झ) इन नियमों की अनुसूची 4 के भाग 2 में निर्दिष्ट फीस।

(4) जब मुख्य नियंत्रक की राय में, ऐसा विस्फोटक जिसके संबंध में कोई आवेदन किया जाता है, प्राधिकार के लिए समुचित रूप से विचार किया जायेगा, मुख्य नियंत्रक आवेदक को अपेक्षित नमूनों और उसे विभागीय परीक्षण केन्द्र को अग्रेषित करने या उसके परीक्षण के लिए इस निमित्त मुख्य नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को अग्रेषित करने की, विहित फीस सहित रीति के संबंध में अनुदेश देगा।

(5) कोई व्यक्ति किसी विस्फोटक के किसी नमूने को तब तक नहीं भेजेगा जब तक ऐसे व्यक्ति ने उप-नियम (4) के अधीन निर्दिष्ट अनुदेश पहले प्राप्त न कर लिए हों।

(6) कोई व्यक्ति, किसी विस्फोटक के नमूने उप-नियम (4) के अधीन मुख्य नियंत्रक द्वारा किए गए अनुदेशों के अनुसार से अन्यथा नहीं भेजेगा।

(7) (i) उप नियम (4) के अधीन अप्रेषित नमूने इस उप नियम के खंड (ii) में प्रगणित ऐसे परीक्षणों के अध्यधीन होगा जो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विस्फोटक सुरक्षित रूप से विनिर्मित, उठाई-धराई, भंडारित, परिवहन करने और उपयोग करने के लिए सक्षम है, पेश किए गए विस्फोटक की प्रकृति और किस्म के बारे में आवश्यक हों।

(ii) निम्नलिखित के संबंध में खंड (i) में निर्दिष्ट परीक्षण—

(क) भौतिक गुण जिसके अंतर्गत सघनता, नमी सोखने की अभिक्रिया प्रवृत्ति, परिवहन में पृथक्करण या संघटकों का अन्यथा एकीकरण, उसके रिसन, कम तापक्रम पर व्यवहार, आपेक्षिक घनत्व और ऐसे अन्य भौतिक गुण जो आवश्यक समझे जाएं, सम्मिलित हैं;

(ख) रासायनिक संरचना—विस्फोटक को विरचित करने वाले अवयवों की प्रतिशतता संरचना और इसके विनिर्माण में नियोजित अवयवों की क्वालिटी का अवधारण;

(ग) स्थायित्व—ऐसे परिवर्तनशील पर्यावरणीय शर्तों के, जिससे एकदम ज्वलन या किसी विस्फोटक की संवेदनशीलता में परिवर्तन पैदा होने का रुझान होता है, अध्यधीन रखने के पश्चात् स्थायित्व का अवधारण;

(घ) ज्वलन रक्षण—ज्वलन बिंदु, ज्वलन का व्यवहार, एकदम ज्वलन दायित्व, प्रपुंज में ज्वलन पर व्यवहार;

(ङ) यांत्रिक संवेदनशीलता—घर्षण और समाघात के प्रति संवेदनशीलता का अवधारण;

(च) अधिस्फोटन का वायु अंतर और परेषण;

(छ) अधिस्फोटन की गति;

(ज) प्रबलता का अवधारण;

(झ) विस्फोटक में अंतर्वलित गैसों की संरचना;

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक विस्फोटकों का भाप पहचान तकनीक द्वारा पता लगाया जाता है;

(ट) ऐसे अन्य परीक्षण और क्षेत्र विचारण जो मुख्य नियंत्रक विनिर्दिष्ट करे।

(8) उप-नियम (7) के अनुसार परीक्षण किया गया कोई विस्फोटक, मुख्य नियंत्रक द्वारा किसी प्राधिकृत विस्फोटक के रूप में घोषित किया जाएगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे किसी विस्फोटक को सुरक्षित रूप से विनिर्मित, उठाई-धराई, भंडारित, परिवहन और उपयोग किया जा सकता है।

(9) स्वदेशी विस्फोटकों के संबंध में उप-धारा (8) के अधीन मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार तब तक विधि-मान्य होगा तब तक यहां प्राधिकृत विस्फोटकों की सूची में सम्मिलित है और प्राधिकार जारी करते समय उपदर्शित वर्णन के अनुरूप है।

(10) किसी विदेश में विनिर्मित विस्फोटकों की दशा में और उस देश में पहले से प्राधिकृत विनिर्माणकर्ता उप-नियम (7) के खंड (ii) में कथित परीक्षणों की रिपोर्ट के अतिरिक्त, मूल देश के संबंध में जानकारी, विभिन्न अनुमोदनों की प्रतियां और परीक्षण के लिए अभिप्राप्त अनुज्ञाएं, पैकेजों, विस्फोटकों के प्राधिकार के लिए अपेक्षित चिहनांकन आदि के साथ-साथ विनिर्माण के देश से अन्य देशों को विस्फोटकों के निर्यात और ऐसे अन्य परीक्षणों की रिपोर्ट जो मुख्य नियंत्रक निर्दिष्ट करे, भेजेगा।

(11) किन्हीं आयातित विस्फोटकों के संबंध में उप-नियम (8) के अधीन, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जारी किया गया प्राधि-कार, प्राधिकार की तारीख से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा, यदि विदेशी विनिर्माणकर्ता यह प्रमाणित करता है कि विस्फोटकों की संरचना या किसी अन्य लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(12) मुख्य नियंत्रक, स्वप्रेरणा से वर्ष में एक बार या विनिर्माता या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता या समनुदेशिती के अनुरोध पर ऐसे विस्फोटक को उप-नियम (7) के खंड (ii) में प्रगणित परीक्षणों के अधीन रखते हुए, विभागीय परीक्षण केन्द्र में विस्फोटकों की अनुमोदित संरचना और लक्षणों का सत्यापन करेगा और परीक्षणों के परिणामस्वरूप या अन्यथा यदि मुख्य नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि विस्फोटक विनिर्माण, उठाई-धराई, भंडारण, परिवहन या उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है या प्राधिकार जारी रखने के लिए अनुपयुक्त है तो वह आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे विस्फोटक का प्राधिकृत सूची से लोप कर सकेगा।

(13) उप-नियम (7) या उप-नियम (12) के अधीन परीक्षण के लिए अपेक्षित नमूने और जो नियम 45 के उप-नियम (3) में यथा अपेक्षित हैं, और परीक्षण फीस जो अनुसूची 4 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट है, अनुज्ञप्तिधारी या आवेदक द्वारा पेश किए जाएंगे।

(14) मुख्य नियंत्रक, जो उप-नियम (7) के अनुसरण में किसी विस्फोटक के परीक्षण की समाप्ति पर यह विनिश्चय करेगा कि विस्फोटक को कोई प्राधिकृत घोषित किया जाना चाहिए या नहीं; और

(क) जहां विस्फोटक को किसी प्राधिकृत विस्फोटक के रूप में घोषित किया जाता है, उसको वर्ग का समनुदेशन करेगा जिसके अंतर्गत ऐसे कोई प्रभाग और उप प्रभाग या प्रवर्ग सम्मिलित हैं, जिसके अंतर्गत विस्फोटक आता है;

(ख) जहां विस्फोटक को किसी प्राधिकृत विस्फोटक के रूप में घोषित नहीं किया जाता है, वहां उसे उसके कारणों सहित आवेदक को संसूचित करेगा।

(15) (i) मुख्य नियंत्रक निम्नलिखित को दर्शित करते हुए प्राधिकृत विस्फोटकों की एक सूची बनाएगा—

(क) विस्फोटकों का ब्रांड या व्यापार नाम;

(ख) विनिर्माता के नाम और पते;

(ग) वर्ग, जिसके अंतर्गत उसका कोई प्रभाग और उप-प्रभाग है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विस्फोटक आता है; और

(घ) सुरक्षा दूरी प्रवर्ग और तत्स्थानी सं.रा. वर्गीकरण और स. रा. संख्यांक;

(ii) प्राधिकृत विस्फोटकों की सूची समय-समय पर मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

(16) (i) संरचना में कोई परिवर्तन, अवयवों की प्रतिशतता का सीमित या अवयवों के स्थान पर दूसरे अवयव रखने या विनिर्माण की प्रक्रिया या डिब्बे के वर्णन और सन्निर्माण या उप-नियम (3) के अनुसार पेश किया गया वर्जित माल, मुख्य नियंत्रक की पूर्व अनुमति के बिना आगे नहीं भेजा जाएगा;

(ii) मुख्य नियंत्रक, फिर से किए जाने वाले परीक्षण का आदेश दे सकेगा यदि विस्फोटक के डिब्बे या वर्जित माल की प्रतिशतता में प्रस्तावित परिवर्तन, संरचना, अवयवों की प्रकृति, विनिर्माता या सन्निर्माण की प्रक्रिया में, इन नियमों में विनिर्दिष्ट मूल परीक्षण के परिणामों में परिवर्तन होने की संभावना है।

(17) नई विस्फोटक संरचना के विचारण विनिर्माण या क्षेत्र विचारण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) प्रस्तावों की संवीक्षा पर, मुख्य नियंत्रक प्रयोगशाला की विस्फोटक सीमा से अनधिक प्रयोगशाला में विस्फोटकों के बैचों का विनिर्माण विचारण करने की अनुज्ञा मंजूर कर सकेगा, ऐसे परीक्षण करने का निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

(ii) आवेदक संयंत्र या विनिर्माणकारी एकक में विचारण विनिर्माण के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने वाली परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(iii) परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, मुख्य नियंत्रक विनिर्माणकारी एकक या विचारण आधार पर संयंत्र में विस्फोटकों की सीमित क्वालिटी के विनिर्माण को अनुज्ञात करेगा।

(iv) विद्यमान संयंत्रों या परंपरागत किस्म के विस्फोटकों की दशा में, मुख्य नियंत्रक प्रयोगशाला स्तर पर निर्माण किए बिना विनिर्माणकारी संयंत्र में प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण विनिर्माण को अनुज्ञात कर सकेगा।

(v) परीक्षणों की रिपोर्ट पर समाधान हो जाने पर, जो मुख्य नियंत्रक द्वारा अपेक्षित हो, वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, क्षेत्र परीक्षण अनुज्ञा जारी कर सकेगा।

(vi) क्षेत्र परीक्षण के पश्चात् आवेदक क्षेत्र परीक्षण की रिपोर्टों और इन नियमों के अनुसूची-4 के भाग 2 में निर्दिष्ट आवश्यक फीस मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा।

(vii) अनुज्ञात विस्फोटकों के लिए केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय खान नियोजन और डिजाइन संस्थान से परीक्षण रिपोर्ट और क्षेत्र परीक्षण रिपोर्ट, मुख्य नियंत्रक को पेश किया जाना अपेक्षित है और अननुज्ञात विस्फोटकों की दशा में प्रतिष्ठित खान या सन्निर्माण कंपनी से क्षेत्र परीक्षण रिपोर्ट अपेक्षित है।

(viii) रिपोर्ट की प्राप्ति पर और समाधान होने पर मुख्य-नियंत्रक, विस्फोटकों को प्राधिकृत कर सकेगा और उसके नियमित आधार पर विनिर्माण को अनुज्ञात कर सकेगा।

परंतु यह कि,-

(i) इस उप-नियम की कोई बात आतिशबाजी को लागू नहीं होगी;

(ii) एस एम ई के प्राधिकार की दशा में अविस्फोटक मैट्रिक्स अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट परीक्षणों के अध्वधीन होगा।

अध्याय-III

साधारण उपबंध

7. **विस्फोटकों के विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय या उपयोग के कब्जे पर नियंत्रण.**-कोई व्यक्ति, नियमों के अधीन प्राधिकृत या अनुज्ञात के सिवाय, किसी विस्फोटकों के विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय या उपयोग के लिए कब्जा नहीं रखेगा।

8. **अनुज्ञा देने के लिए पूर्व अपेक्षा.**-कोई अनुज्ञा तब तक अनुदत्त नहीं की जाएगी, जब तक इन नियमों के अधीन अन्यथा अधिकथित सभी सुसंगत उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जाता है, और सभी शर्तों का जो अनुसूची-5 के भाग 3 या भाग 4 के अधीन अनुज्ञाति प्ररूपों में अंतर्विष्ट है, समाधान नहीं हो जाता है।

9. **कतिपय दशाओं में किसी अनुज्ञाति का आवश्यक न होना.**-नियम 7 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित दशाओं में कोई अनुज्ञाति आवश्यक नहीं होगी, अर्थात् :-

(1) मुख्य नियंत्रक इन शर्तों के अधीन जो उसके द्वारा अधि-रोपित की जाएं, पूर्व अनुज्ञा से अनुसंधान और विकास प्रयोजनों के लिए किसी स्थापित प्रयोगशाला में कम मात्रा में विस्फोटक का विनिर्माण;

(2) अनुसूची-5 के भाग 4 में निर्दिष्ट एस ई टी-XVI में उसके द्वारा उपवर्णित शर्तों के अधीन मुख्य नियंत्रक से पूर्व अनुज्ञा सहित रंग या स्टार मैचों का विनिर्माण, कब्जा या विक्रय ;

परंतु यह कि रंग या स्टार मैचों का विनिर्माण, कब्जा और विक्रय मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित कारखाने में किया जाएगा और रंग और/या स्टार मैचों का विनिर्माण और विक्रय करने का इच्छुक कोई व्यक्ति प्रस्तावित निर्माण और बनाए गए स्थल का माप, किए जाने वाले विस्तृत कार्य की प्रक्रिया का वर्णन, विनिर्माण की विस्तृत प्रक्रिया और विनिर्दिष्ट समीक्षा फीस का एक आवेदन, योजना प्रस्तुत करेगा;

(3) कारखाने के भीतर भंडारण के स्थान से उपयोग के स्थान तक, अधिसूचित पत्तन परिसरों के भीतर आयात पत्तन भंडारण स्थल तक यांत्रिक रूप से नोदित यान से भिन्न यान द्वारा विस्फोटकों का परिवहन;

(4) सुरक्षा फ्यूज और आतिशबाजी का परिवहन;

(5) अपने उपयोग के लिए और इनके विक्रय के लिए 100 कि.ग्रा. से अनधिक आतिशबाजी का कब्जा;

(6) बिहार, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्य के सिवाय, पांच किलोग्राम से अनधिक के छोटे आयुध नाइट्रोक्वाण्ड से भिन्न किसी राज्य में पांच किलोग्राम से अनधिक गनपाउडर और पचास मीटर के सुरक्षा फ्यूज के उपयोग और विक्रय के लिए अपने स्वयं के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा;

(7) अपने उपयोग के लिए और न कि किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण द्वारा या अन्यथा द्वारा रेलों, पटरियों, सुरंगों को बनाए रखने के लिए यदि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का अन्यथा

अनुपालन किया जाता है, आंतरिक या अन्य विस्फोटकों का भारतीय रेलों द्वारा कब्जा;

(8) किसी विस्फोटक का जो विक्रय के लिए नहीं है और एक मात्र वायुयान के दिक्चालन के लिए अपेक्षित है जब उसमें उपयोग के लिए या अन्य यानों को वितरण के लिए या हवाई अड्डों के लिए या हवाई अड्डों पर वहां पर उपयोग के लिए वायुयान या हवाई अड्डों के वितरण के लिए रखा जाता है, कब्जा :

परंतु यह कि इस प्रकार कब्जे में रखी गई अधिकतम मात्रा 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी। जब किसी वायुयान में ले जाई जाती है और जब किसी हवाई अड्डे पर रखी जाती है, पचास किलोग्राम से अधिक नहीं होगी;

(9) 100 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में चमकने वाली आतिशबाजी का किसी दुकान से कब्जा और विक्रय;

(10) साधारण निर्बंधन—(1) विनिर्माण पर निर्बंधन—(क) कोई विस्फोटक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित विनिर्माण प्रक्रिया सहित किसी अनुज्ञप्त कारखाने के सिवाय किसी स्थान पर विनिर्मित नहीं किया जाएगा।

(ख) कोई व्यक्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद् के संकल्प संख्या 635 तारीख 14 जून, 1989 और संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण सभा संकल्प 44/29 तारीख 4 दिसंबर, 1989 पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन, संगठन संकल्प ए 27-8 के अनुसार कोई चिन्हांकन अधिकारक मिलाए बिना किसी प्लास्टिक विस्फोटक का निर्माण नहीं करेगा।

(2) आयात या निर्यात पर निर्बंधन—(क) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति, की शर्तों के अधीन और उनके अनुसार किसी विस्फोटक का आयात या निर्यात नहीं करेगा।

(ख) किसी विस्फोटक का केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित उसकी पत्तनों पर के सिवाय आयात या निर्यात नहीं किया जाएगा।

(ग) किसी विस्फोटक के आयात या निर्यात के लिए कोई अनुज्ञप्ति तब तक अनुदत्त नहीं की जाएगी जब तक—

- (i) विस्फोटक कोई प्राधिकृत विस्फोटक नहीं है;
- (ii) विस्फोटक का यदि वह परीक्षण अधिकारी द्वारा प्ररूप मुख्य नियंत्रक द्वारा अधिप्रमाणित वर्ग 3 (नाइट्रोयोगिक वर्ग) या वर्ग-4 (क्लोरेट मिश्रण) नहीं है, अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट परीक्षण नहीं हो जाता है;
- (iii) विस्फोटक ऐसे विश्लेषण या परीक्षा में उत्तीर्ण किया गया अधिप्रमाणित नहीं है, यदि कोई सीमाशुल्क आयुक्त, मुख्य नियंत्रक के परामर्श से लिखित आदेश द्वारा इस संरचना या शर्तों का आदेश करने की अपेक्षा न करें;
- (iv) प्लास्टिक विस्फोटकों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प 635 तारीख 14 जून, 1989 और संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा संकल्प 44/49, 4 दिसंबर, 1989 पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन संकल्प ए 27-28 के अनुसार चिन्हांकन अधिकारक नहीं मिलाए जाते हैं;

(v) निर्यातकर्ता प्ररूप आई-27 जो सम्यक् रूप से भरा गया हो, और उसमें संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण और संयुक्त राष्ट्र संख्यांक विस्फोटकों के लिए सामग्री सुरक्षा आंकड़े पत्र में, जो निर्यात के लिए आशयित हैं, परिवहनों के साधन, आयातकर्ता के विस्तृत पते स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए हस्ताक्षर सहित पेश नहीं किए जाते हैं।

(3) परिवहन पर निर्बंधन :—(क) अग्नि ज्वलन या आरंभ करने वाली युक्तियों वाले श्रेणी-5 फिलामेन्ट के कोई विस्फोटक या डेटोनेटर या श्रेणी-6 (आग्नेय या गोला बारूद) के कोई अन्य विस्फोटक या श्रेणी-7 आतिशबाजी के किसी विस्फोटक का उसी वाहन में या अनुसूची-6 के भाग 3 में यथाउपबोधित के सिवाय उसी यान में परिवहन नहीं किया जाएगा और उसका उसी श्रेणी के और उसी प्रभाग जिससे वह संबंधित है, किसी विस्फोटक के साथ परिवहन या उसकी संभलाई नहीं की जाएगी :

(क) कोई व्यक्ति अनुसूची-1 के भाग 3 के अधीन सारणी-1 के क्रम संख्यांक 10 के सामने निर्दिष्ट समूह T से अनुरूप वाले विस्फोटकों के साथ किसी यान में परिवहन नहीं करेगा।

(ख) कोई व्यक्ति श्रेणी-3 या श्रेणी-2 के विस्फोटकों का डेटोनेटरों के साथ परिवहन नहीं करेगा।

(ग) खंड क और खंड ख की कोई बात, श्रेणी-2 और/या श्रेणी-3 के विस्फोटकों, श्रेणी फ्यूज, डेटोनेटिंग फ्यूज और इन नियमों के अनुसार किसी अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाली मोटर ट्रकों या ट्रैक्टरों पर चढ़े कम्प्रेसरों में डेटोनेटरों के परिवहन में लागू नहीं होंगी।

(4) परिदान पर निर्बंधन: (क) कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से भिन्न किसी को कोई विस्फोटक का परिदान या प्रेषण नहीं करेगा जो:-

(i) विस्फोटक रखे जाने के लिए अनुज्ञप्ति का धारक हैं या इस निमित्त लिखित में उसमें द्वारा सम्यक् रूप जो प्राधिकृत ऐसे अनुज्ञप्ति धारक का अधिकर्ता है; या

(ii) अनुज्ञप्ति के बिना विस्फोटक रखे जाने के लिए इन नियमों के अधीन हकदार है।

(ख) इस प्रकार परिदत्त या प्रेषित विस्फोटक की मात्रा से अनधिक है जो कि उस व्यक्ति जिसमें उन्हें इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति सहित या उससे रहित परिदत्त, प्रेषित या प्राधिकृत किया जाता है।

(ग) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति धारक से भिन्न किसी व्यक्ति से विस्फोटक प्राप्त नहीं करेगा।

(घ) कोई व्यक्ति अस्थायी भंडारण या अनुज्ञात प्राप्त परिसरों में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किसी व्यक्ति से या विस्फोटक प्राप्त नहीं करेगा या अंतरित तब तक नहीं करेगा जब तक अधिभारिता रखने वाले किसी नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं करता।

(5) विस्फोटक की हथलाई पर निर्बंधन: कोई व्यक्ति सूर्यास्त और सूर्योदय के घंटों के बीच किसी विस्फोटक की हथलाई नहीं करेगा या करवाएगा:

परंतु इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, अंधेरे के घंटों में यह नियम लागू होंगे यदि क्षेत्र में प्रकाश का समुचित प्रबंध है और स्थान सुरक्षित हैं।

(6) ऐसे धुम्रपान और वस्तुओं पर निर्बंधन जिसमें अग्नि या खतरनाक पदार्थ कारित हों :—कोई व्यक्ति धुम्रपान नहीं करेगा और कोई अग्नि, प्रकाश या वस्तुएं या ज्वलनशील प्रकृति का पदार्थ या स्वतःज्वलन के लिए दायी होगा या ऐसा कार्य कारित नहीं करेगा जिसमें अग्नि या अम्ल, पेट्रोलियम, कैलशियम, कार्बाइड संपीडित गैस या अन्य परिसंकटमय पदार्थ या रेडियो या सैल या रेडियो बारंबारता की प्रयोजित युक्ति या कोई अन्य ऐसी संसूचना प्रणाली या युक्ति जिसे किसी समय ऐसे स्थान से जहां विस्फोटक भंडारित हैं या किसी ऐसे स्थान पर जहां विस्फोटक की परिवहन के दौरान हथलाई में ऐसी हथलाई के एक घंटे पूर्व की जाती है, पंद्रह मीटर के भीतर किसी समय अनुज्ञात किया जा सकेगा, भारत नहीं करेगा।

(7) बालकों, मंद व्यक्तियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों के नियोजन पर निर्बंधन :—किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा या ऐसे व्यक्ति को लगाया नहीं जाएगा जो—

(क) अठारह वर्ष से कम आयु का है ; या

(ख) मंद अवस्था में है;

(ग) विस्फोटक के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय, लदाई, उतराई, या परिवहन के लिए शारीरिक, या मानसिक रूप से असमर्थ है या इन नियमों के अधीन किसी अनुज्ञापन परिसर में प्रबंध के लिए असमर्थ है।

(8) विषैले, क्षयकारी या ज्वलनशील पदार्थ पर प्रतिबंध:—किसी विषैले, क्षयकारी या ज्वलनशील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ को उस परिसर में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो विस्फोटक के विनिर्माण, आयात-निर्यात-परिवहन, भंडारण, विक्रय या हथलाई के लिए नियत है।

11. सक्षम व्यक्ति का नियोजन—(1) विस्फोटकों की हथलाई से सहबद्ध सभी प्रचालन सक्षम व्यक्ति के अधीक्षक अधीन किए जाएंगे।

(2) कोई भी विस्फोटक अनुज्ञापितधारी द्वारा नियोजित सक्षम व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों सहित सम्बंधित विस्फोटक परिसर पदार्थ के विनिर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है, के अधीक्षण के सिवाय, किसी भवन या उसमें किसी भाग में विनिर्मित नहीं किया जायेगा।

(3) ऐसा वृत्तिक रूप अर्हित व्यक्ति जिसके पास इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा हो या विस्फोटक के विनिर्माण में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव सहित विज्ञान में स्नातक, आवश्यक अर्हता होगी और उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति होने के लिए वैकल्पिक अर्हता के रूप में औद्योगिक सुरक्षा में आवश्यक अर्हता और डिप्लोमा हो, जो अनुज्ञापितधारी द्वारा नियोजित होगा जिसमें एक सौ पचास टन वार्षिक से अधिक क्षमता सहित वर्ग I के विस्फोटक के विनिर्माण या डिटोनिंग, फ्यूज, डिटोनेटर, शाक-ट्यूब, आरंभिक संरचना जैसी विस्फोटक सहायिका के लिए सुरक्षा सनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(4) फोरमैन के प्रमाणपत्र को धारण कर रहा फोरमैन उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति होगा जो अनुज्ञापितधारी द्वारा नियोजित होगा ताकि आतिशबाजी या सुरक्षा फ्यूज के विनिर्माण के लिए कारखानों में सुरक्षा सनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

12. बिजली और झंझावत तूफान से संरक्षण—

(1) प्रत्येक मैगजीन या प्रक्रिया भवन में भारतीय मानक-ब्यूरो द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुसार एक या अधिक प्रमाणित अभिकल्पित और खड़े बिजली कंडक्टर संलग्न किए जाएंगे।

(2) भवन से भू-तक बिजली कंडक्टर टर्मिनल के भू-रोधक के विभिन्न भागों के कनेक्शनों का प्रत्येक वर्ष में एक बार अर्हता प्राप्त इलैक्टिकल इंजीनियर द्वारा किया जाएगा या कोई ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो राज्य सरकार से इस निमित्त सक्षमता का प्रमाणपत्र धारण करता हो, परीक्षण किया जाएगा और ऐसे परीक्षण के परिणामों को दर्शित करने वाला प्रमाणपत्र और अंतिम परीक्षण के परिणामों को दर्शित करने वाले प्रमाणपत्र को स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाएगा।

(3) जब झंझावत तूफान मैगजीन या भंडार-घर या प्रक्रिया भवन से निकटता में प्रमुख रूप से दर्शित हो तो ऐसी मैगजीन या भंडार-घर में लगे या लगने वाले प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मैगजीन और भंडार-घर से सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाएगा और उन्हें तब तक बंद या लॉक में रखा जाएगा जब तक झंझावत तूफान खत्म नहीं हो जाता या इसकी आशंका समाप्त नहीं हो जाती :

परंतु वर्ग 7 के आतिशबाजी, विस्फोटक के विनिर्माण में उपयोग किए गए प्रक्रिया भवन की बिजली, कंडक्टर तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

13. परिसर की मरम्मत और अनुरक्षण :—विस्फोटक के भंडारण के लिए प्रयुक्त प्रत्येक भवन या कक्ष ऐसे अंतरस्थ और ऐसे भवन या कक्ष में बेंच, शोल्व और फिटिंग का इस प्रकार संनिर्मित या पंक्तिबद्ध किया जाएगा ताकि किसी लौह या इस्पात और ऐसे भवन में विस्फोटक के संपर्क में आने वाले वैसे पदार्थों को रोका जा सके और फिटिंग को जहां तक युक्तियुक्त संभाव्य हो, किसी कण से स्वच्छ या मुक्त रखा जा सके।

(1) कम से कम पंद्रह सेंटीमीटर से भी गहरी सीमेंट की ट्रोजिमा को या भंडारघर के प्रत्येक प्रवेश लगाया जाएगा। ऐसी ट्रोजिमा में स्वच्छ जल भरा जाएगा और कोई व्यक्ति ऐसी ट्रोजिमा में ओवर या पैर डुबोए मैगजीन या भंडार-घर में प्रवेश नहीं करेगा ताकि कण या धूल को हटाया जा सके।

(2) तेलीय, सूत, तेलीय लता या तेलीय अपशिष्ट या स्वतः ज्वलन के लिए दायी किसी वस्तु को विस्फोटक के भंडारण के लिए उपयोग किए गए किसी मैगजीन या भंडार-घर में नहीं ले जाया जाएगा।

(3) मरम्मत से पूर्व विस्फोटकों के भंडार-घर का उपयोग करने के उसके किसी भाग या किसी मैगजीन या भंडार-घर की मैगजीन या भंडार-घर या उसके भाग के सभी विस्फोटकों को हटाकर धुलाई के माध्यम से स्वच्छ करेगा।

14. विस्फोटकों की पैकिंग.—(1) कोई व्यक्ति किसी विस्फोटक का आयात, निर्यात, वहन के लिए निविदा, वहन या विक्रय नहीं करेगा यदि—

(क) इसे अनुसूची-2 में निर्दिष्ट रीति में पैक नहीं किया जाता;

(ख) आधानों या पैकेज का चिन्हांकन नियम 15 के अनुसार नहीं किया जाता;

(ग) पैकेज भारतीय मानक ब्यूरो या मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित सुसंगत मानकों के अनुरूप नहीं है;

(घ) विस्फोटकों का पैकेज निर्यात या आयात के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय खतरनाक माल संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् इन नियमों में आई.एम.डी.जी. संहिता कहा गया है) या अन्तर्राष्ट्रीय वायु वहन प्राधिकरण संहिता या खतरनाक माल के वहन पर संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के अधीन विभिन्न वर्गीकरणों के लिए यथा विनिर्दिष्ट परीक्षणों की अपेक्षाओं के अनुरूप तथा मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुज्ञात नहीं है;

परन्तु इस नियम की कोई बात विनिर्माण की प्रक्रिया में होने वाले विस्फोटकों पर लागू नहीं होगी।

(ड.) निर्यात प्रयोजन के लिए पटाखे भिन्न रंग पैकिंग में होंगे और उन पर मुद्रित घोषणा की जाएगी “भारत में विक्रय के लिए नहीं, केवल निर्यात के लिए”

(2) खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यताप्राप्त विभागीय परीक्षण केन्द्र या अन्य परीक्षण केन्द्रों में पात्र या पैकेज का परीक्षण किया जाएगा। विभागीय परीक्षण केन्द्र में परीक्षण के लिए अनुसूची 4 के भाग 2g में यथविनिर्दिष्ट शुल्क संदेय होगा।

(3) किसी विस्फोटक को, जो प्राधिकृत विस्फोटक नहीं है किन्तु जिसे परीक्षण के प्रयोजनों के लिए उसके संबंध में वहन किया जाना अपेक्षित है उस रीति में पैक किया जाएगा जैसा मुख्य नियंत्रक द्वारा निदेशित किया जाए।

15. पैकेजों और विस्फोटकों पर चिन्हांकन (1) पैकेजों पर चिन्हांकन—(i) बाहरी पैकेज सहज दृश्य अमिट प्रकार से मुद्रांकन, समुद्रभरण या मुद्रण द्वारा निम्नलिखित से चिन्हांकित किया जाएगा —

(क) शब्द “विस्फोटक”;

(ख) प्राधिकृत विस्फोटक का नाम;

(ग) संख्या यदि किसी ऐसे वर्ग और खंड की हो जिसमें वह उपखंड भी सम्मिलित हैं जिससे वह संबंधित है;

(घ) विस्फोटक की सुरक्षा दूरी प्रवर्ग;

(ड.) विनिर्माणकर्ता का नाम;

(च) पैकेज की पहचान संख्या;

(छ) विस्फोटकों का शुद्ध भार;

(ज) पैकेज का सकल भार;

(झ) विनिर्माण की तारीख और बैच संख्या;

(ञ) संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण और संयुक्त राष्ट्र पहचान संख्या (निर्यात पैकेजों के लिए);

(ट) प्लास्टिक विस्फोटकों के मामले में नियम 10 के उप-नियम (2) के अधीन खंड (ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट “अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन संकल्प ए 27-8” शब्द; और

(ठ) उपर्युक्त विवरणों सहित एक कागज-पर्ची पैकेज के अन्दर रखी जाएगी;

परन्तु सुरक्षा फ्यूज या पटाखों के मामले में, खंड (क) और खंड (ञ) निरसित किए जा सकते हैं तथा “सुरक्षा फ्यूज” या “पटाखे” चिन्हांकित किए जाएंगे।

(ii) पटाखों की दशा में, मर्दों के नाम, उदाहरण के लिए - यथाअनुरूप लड़ियां, कागज टोपियां, सांप गोली आदि चिन्हांकित किए जाएंगे।

(iii) प्रत्येक विनिर्माता पटाखों के बाक्स पर उसके रसायन परिमाण, ध्वनि स्तर का ब्यौरा वर्णित होगा और वह मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा अधिकथित अपेक्षाओं का समाधान करता है कि निर्यात के लिए पटाखों का अभिप्राय भारत में विक्रय किए गए उस आशयित से भिन्न रंग, पैकिंग में होंगे और स्पष्ट मुद्रण इंगित करता है कि वे भारत में विक्रय नहीं किए जाएंगे।

(2) वर्ग 2 और वर्ग 3 के विस्फोटकों पर चिन्हांकन 6 वर्ग 2 और 3 वर्ग के विस्फोटकों की दशा में, विस्फोटकों के प्रत्येक डिब्बे और आरंभिक आधान को निम्नलिखित से पठन योग्य मुद्रित या समुद्भूत किया जाएगा, 6

(क) शब्द “विस्फोटक”;

(ख) विस्फोटकों का नाम तथा प्लास्टिक विस्फोटकों की दशा में “चिन्हांकन अधिकर्मक मिश्रित” अतिरिक्त शब्द;

(ग) विस्फोटक का भार;

(घ) डिब्बे की चौड़ाई;

(ड.) विनिर्माता का नाम; और

(च) अनुज्ञात विस्फोटकों की दशा में, यथास्थिति अक्षर पी 1, पी 3 या पी 5

(3) वर्ग 6 के विस्फोटकों पर चिन्हांकन 6 वर्ग 6 खंड 2 और खंड 3 के विस्फोटकों की दशा में, यथास्थिति, प्रत्येक मीटर या प्रत्येक हिस्से पर विनिर्माता का नाम पूर्ण या संक्षिप्त रूप में पठन योग्य मुद्रित या समुद्भूत किया जाएगा। संक्षिप्त रूप, यदि प्रयुक्त हो, मुख्य नियंत्रक के पास रजिस्ट्रीकृत होगा।

विस्फोटकों संयोजन ऐसे संयोजन की मात्रा, चाहे पटाखों की ध्वनि उत्सर्जन करना या रंग या ध्वनि स्तर से पटाखों का प्रकाश उत्सर्जित करता है।

(4) आतिशबाजी पर चिन्हांकन 6 आतिशबाजी की दशा में, मद का नाम, विनिर्माता का नाम चलाने की विधि और ली जाने वाली पूर्वावधानियां इंगित करने वाली चेतावनी शब्दों तथा चित्रात्मक रूप दोनों में पटाखों के प्रत्येक हिस्से और बाक्स पर मुद्रित की जाएंगी

और जहां आतिशबाजी पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, ऐसी चेतावनी पृथक लेबल पर मुद्रित की जाएगी तथा सबसे छोटे पैकेट या डिब्बे पर रखी जाएगी।

(5) विस्फोटकों के अन्य वर्गों पर चिन्हांकन उप-नियमों में वर्णित विस्फोटकों के वर्गों से भिन्न वर्गों के विस्फोटक मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा निदेशित चिन्हांकित किए जाएंगे।

(6) प्रतिषिद्ध चिन्हांकन का विरूपण कोई भी व्यक्ति विस्फोटकों या उनके पैकेजों पर मुद्रण या चिन्हांकन को परिवर्तित या विरूपित नहीं करेगा।

16. विस्फोटकों का भार— विस्फोटकों के भार में जब इन नियमों में विनिर्दिष्ट हो, पैकिंग बाक्स का भार सम्मिलित नहीं होगा जिसमें विस्फोटकों को पैक किया गया है।

परन्तु यह कि वर्ग 6 के विस्फोटकों (गोला-बारूद) और वर्ग 7 के विस्फोटकों (पटाखों) की दशा में, भार, उस पेटी या यंत्र सहित जिसमें विस्फोटक रखा है, संपूर्ण वस्तु का भार समझा जाएगा, किन्तु उसमें आंतरिक पैकेज और बाहरी पैकिंग बाक्स का भार सम्मिलित नहीं होगा।

17. विभाजित विस्फोटक का नष्ट किया जाना— यदि कोई विस्फोटक उस पैकेज से, जिसमें इसे रखा गया है, बाहर निकलता है, या विभाजित है, ऐसे विस्फोटक को इन नियमों में यथाउपबोधित सुरक्षित रीति में सावधानीपूर्वक संगृहीत और नष्ट किया जाएगा।

18. जल, ऊष्मा या प्रदूषण से खतरे के विरुद्ध पूर्वावधानी—

(1) किसी विस्फोटक की दशा में, जो जल द्वारा खतरनाक रूप से प्रभावित होने के लिए दायी है, ऐसे विस्फोटक के संपर्क में जल का आना निवारित करने के लिए सभी समयों पर सम्यक् पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

(2) विस्फोटक रखने वाले पैकेजों को धूप में या अत्यधिक ऊष्मा में नहीं रहने दिया जाएगा :

परन्तु उप-नियम (2) की कोई बात गनपाउडर या पटाखों को धूप में सुखाने अथवा विस्फोटकों को नियंत्रित दशाओं में अनुज्ञप्त कारखाने में सुखाने पर लागू नहीं होगी।

(3) जहां तक इन नियमों का संबंध है, यथा उपयोजित प्रदूषण से संबंधित वैधानिक उपबंधों का पालन किया जाएगा।

19. दुर्घटना के विरुद्ध विशेष पूर्वावधानियां—

(1) कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य नहीं करेगा जो किसी स्थान में या उसके निकट अग्नि या विस्फोट कर सके जहां विस्फोटक विनिर्मित, भंडारित या वहन किया जाता है।

(2) विस्फोटकों को कब्जे में रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति और विस्फोटकों के आयात, निर्यात, विनिर्माण, विक्रय वहन तथा उठाई-धराई के लिए भारसाधक या संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति सभी समयों पर इन नियमों के उपबंधों और उनसे संबंधित अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करेगा तथा चोरियां करने और अग्नि या विस्फोट द्वारा दुर्घटनाओं को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् पूर्वावधानियां बरतेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति उप-नियम (1) के अधीन यथा प्रतिषिद्ध ऐसे किसी कृत्य को कारित करने से किसी अन्यव्यक्ति को निवारित करेगा।

20. टीलों का उपबंध— (1) विनिर्माणकर्ता कारखाने के लिए यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अन्यथा छूट न दी जाए तो अनुज्ञप्त कारखाने में विस्फोटकों के उत्पादन, उठाई धराई, भंडारण करने, विस्फोटकों का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रत्येक भवन पर्याप्त टीलों से घिरा होगा जो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किस्म और डिजाइन का होगा :

परन्तु अनुज्ञप्ति प्राधिकारी पर्याप्त टीले के स्थान पर विस्फोट दीवारें अनुज्ञात कर सकेगा यदि इस प्रयोजन के लिए ऐसी विस्फोटन दीवारों की व्यवस्था की जा सके।

(2) मैगजीनों के लिए— मैगजीन के निकट एक पर्याप्त टीले की व्यवस्था की जाएगी, यदि ऐसा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। ऐसा टीला अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रकार का होगा और प्रभावकारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अच्छी दशा में अनुरक्षित रखा जाएगा टीलों के निकट मैगजीन की व्यवस्था की जाएगी और अनुमोदित विनिर्देश के अनुसार निर्मित किया जाएगा तथा प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए रेखाचित्र में दर्शित किया जाएगा।

21. अनाधिकृत व्यक्तियों पर निर्बंधन और रक्षकों के लिए उपबंध— (1) अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वयं के व्यय पर पटाखों से भिन्न विस्फोटकों के भंडारण के लिए कारखाने या मैगजीन की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड प्रदत्त करेगा।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, सुरक्षा गार्डों की संख्या ऐसी होगी जो जिला मजिस्ट्रेट पर्याप्त समझें।

(3) इन नियमों के अधीन विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्त कारखाना कम से कम दो मीटर अधिक ऊंचाई तक दीवार या सुरक्षा बाड़ से ऐसी मजबूती और निर्माण से घिरा होगा जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को प्रभावी रूप से निवारित किया जा सके।

(4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट ऐसी दीवार या बाड़ से घिरा क्षेत्र किन्हीं प्रक्रिया भवनों या शेडों से दूर रखे जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा जोन में सम्मिलित होगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी मैगजीन से कम से कम तीस मीटर दूर किसी उचित स्थान पर मैगजीन के निकट मैगजीन के सुरक्षा गार्डों के लिए आश्रय की व्यवस्था करेगा।

22. विद्युत उपकरण का प्रयोग— (1) मुख्य नियंत्रक की पूर्व अनुमति के सिवाय, कोई भी विद्युत उपकरण उन स्थानों पर प्रयोग नहीं किया जाएगा जहां विस्फोटकों का विनिर्माण, उठाई धराई या भंडारण किया जा रहा है।

(2) विद्युत उपस्कर, मुख्य नियंत्रक को ग्राह्य किस्म का होगा।

23. कतिपय कामों का प्रतिषेध— कोई भी व्यक्ति—

(1) इन नियमों के अधीन दिए गए किसी आवेदन या प्रस्तुत कथन में असत्य या भ्रामक सूचना प्रदत्त नहीं करेगा; या

(2) इन नियमों के अधीन रखे जाने या अनुरक्षण के लिए अपेक्षित किसी लॉग, दस्तावेज या अन्य अभिलेख में किसी प्रविष्टि को असत्य नहीं बनाएगा, नहीं मिटाएगा या प्रवंचना पूर्वक परिवर्तित नहीं करेगा; या

(3) इन नियमों के अधीन जारी किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या अन्य दस्तावेजों को बदलेगा या परिवर्तित नहीं करेगा।

24. अभिलेखों का अनुरक्षण और विवरणियों को प्रस्तुत करना—

(1) इन नियमों के अधीन विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, प्रयोग या वहन के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, अनुसूची 5 के भाग 5 में विनिर्दिष्ट विहित प्ररूप में अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और नियम 128 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को मांग किए जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

(2) विहित प्ररूपों में स्टॉक बहियों का पृष्ठांकन और इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और ऐसे अभिलेख तीन वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे, यदि प्राधिकारी द्वारा अन्यथा विहित न किया जाए।

(3) अनुज्ञप्तिधारी विनिर्मित, प्राप्त, विक्रय किए गए या अन्तरित या प्रयुक्त अथवा नष्ट किए हुए या आयातित या निर्यातित विस्फोटकों (पटाखों से भिन्न) के त्रैमासिक विवरणी नियंत्रक के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट को अनुसूची 5 के भाग 5 में विहित प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जिससे वह उपर्युक्त प्राधिकारी को प्रत्येक आगामी तिमाही के दस दिनों के भीतर पहुंच सके।

(4) यदि जिला मजिस्ट्रेट अनुज्ञापन प्राधिकारी है तो अनुज्ञप्तिधारी त्रैमासिक विवरणी को ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

25. दुर्घटनाओं के अभिलेख⁶ अनुज्ञप्त परिसरों के भीतर होने वाली सभी दुर्घटनाओं के अभिलेख अनुरक्षित किए जाएंगे और निरीक्षण प्राधिकारी को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

अध्याय-IV

विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए विशेष उपबंध

26. विनिर्माण प्रक्रिया का अनुमोदन⁶ (1) प्राधिकृत विस्फोटकों की सूची में सम्मिलित किए जाने के पश्चात् कोई नया विस्फोटक विनिर्मित नहीं किया जाएगा, यदि विनिर्माण की प्रक्रिया अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई हो तथा उसकी अनुज्ञा लिखित में प्राप्त नहीं की गई हो।

(2) प्राधिकृत विस्फोटक विनिर्मित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति प्रत्येक विस्फोटक के लिए एक परियोजना रिपोर्ट दो प्रतियों में पृथक् रूप से मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा, जिसमें अन्य सुसंगत आंकड़े के साथ निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :⁶

(क) संयंत्र और उपकरण, रखने-उठाने वाली सामग्रियों की मात्रा, प्रचालन दशाएं और परिमापी, मल स्राव और बैकार विस्फोटकों का उपचार करने की प्रस्तावित पद्धति में उपबंधित नियंत्रण की प्रकृति तथा सुरक्षापायों का वर्णन करने वाली कच्चे माल से प्रारंभ होकर अंतिम उत्पाद की विस्तृत प्रक्रियां;

(ख) विस्फोटकों की प्रकृति और संरचना;

(ग) विस्फोटकों के प्रत्येक घटक का सीमित प्रतिशतता;

(घ) विनिर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न कच्ची सामग्री के विनिर्देश जिसके अंतर्गत प्रतिस्थापी, यदि कोई हो, भी है;

(ङ) अंतिम उत्पाद की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं;

(च) वाष्प अभिज्ञान तकनीक द्वारा पता लगाने के लिए प्लास्टिक विस्फोटकों में मिलाए जाने वाले चिन्हांकन अभिकर्मक का नाम और प्रतिशतता;

(छ) उच्च विस्फोटक या विस्फोटन उपसाधनों की दशा में कंपनी द्वारा उप-धारा (3) में यथाकथित सुरक्षा प्रबंधन योजना;

(ज) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित कोई अन्य विशिष्टियां;

(झ) विहित संवीक्षा फीस;

(3) नियम (2) के खंड (छ) में निर्दिष्ट सुरक्षा प्रबंधन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :⁶

(क) सौंपा गया उत्तरदायित्व और संगठनात्मक संरचना जिसके अंतर्गत संसाधन निर्धारण भी है ;

(ख) संकट पहचान, जोखिम निर्धारण और नियंत्रण

(ग) सूचना, शिक्षा और कार्यबल के प्रशिक्षण, ठेकेदार और परिदर्शक

(घ) दुर्घटना, रिपोर्ट और अन्वेषण

(ङ) आपातकालीन उत्तरदायी योजना और प्राथमिक उपचार की तैयार, वर्ष में एक बार आपातकालीन योजना की परीक्षा ;

(च) निकास मार्ग की व्यवस्था ;

(छ) शून्यकरण योजना, समुचित आग बुझाने का नियंत्रण, परिणाम न्यूनीकरण कदम जैसे शलाकाओं का नियंत्रण समुचित स्थल से दूर उत्तरदायी योजना इत्यादि ;

(ज) लेखाओं का रखा जाना ;

(झ) संयंत्र और उपस्कर के लिए अनुसूचियों का अनुरक्षण ;

(ञ) मानक प्रचालित प्रक्रियाएं, जहाँ ऐसी प्रक्रिया की अनुपस्थिति में प्रभावित सुरक्षा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हो ;

(ट) सामग्री सुरक्षा आंकड़े पत्र (एम एस डी एम) की उपलब्धता ;

(ठ) विस्फोटकों की सुरक्षा ;

(ड) विस्फोटकों का परिवहन और भंडारण ;

(ढ) सामग्री की उठाई-धराई;

(ण) प्रत्येक भवन और अवस्थान में विस्फोटकों और मानव सीमा;

(त) प्रतिकूल परिस्थिति के विरुद्ध पूर्वावधानी, प्राकृतिक कृत्रिम जैसे कि प्रदीपन, भूम्प, बिजली की कटौती, प्रक्रिया में ट्रिप आदि ;

- (थ) प्रज्वलन के स्रोत के निर्बन्धन;
- (द) असंगत सामग्रियों के वियोजन;
- (ध) बेकार विस्फोटकों और संघटकों का व्ययन जिसके अंतर्गत जलने वाले स्थल की कार्यप्रणालियां भी हैं;
- (न) कार्य के लिए वैयक्तिक सामर्थ्य; और
- (प) सुरक्षा बैठकें निकाय और प्रक्रियाओं की बाह्य सुरक्षा लेखा-परीक्षण और स्वयं लेखा परीक्षा;
- (4) मुख्य नियंत्रक, परियोजना रिपोर्ट की संवीक्षा के पश्चात् सुरक्षा प्रबंधन योजना और जिसे विचार हेतु आवश्यक समझा जाए ऐसी पूछताछ करने के पश्चात् यदि उसका समाधान हो जाता है, पृथकतः रूप में प्रत्येक विस्फोटक के लिए प्रक्रिया का अनुमोदन कर सकता है।
- (5) कोई व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना विस्फोटकों की प्रक्रिया, प्रकृति और संरचना, विनिर्देश और कच्ची सामग्री और संघटकों की प्रतिशतताओं में परिवर्तन नहीं करेगा।
- (6) मुख्य नियंत्रक, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी समय किसी कच्ची सामग्री, संघटकों या विस्फोटकों का परीक्षण कराएगा यदि वे उप-नियम (2) के अधीन दी गई विशिष्टियों के अनुरूप हैं।

27. सुरक्षा प्रबंधन योजना का जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाना आवेदक सुरक्षा प्रबंधन योजना की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।

28. केवल विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भवनों का प्रयोग किया जाना कारखाने में प्रत्येक भवन का, इन नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति में, केवल विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा:

परंतु यह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी सुरक्षित और विनिर्माण की प्रक्रिया के स्थिर प्रचालन के लिए अपना समाधान होने जाने के पश्चात् अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त भवन के प्रयोग के लिए अस्थायी अनुमति दे सकेगा।

29. भवनों के भीतरी भाग का समुचित रूप से परिसज्जित किया जाना कोई भवन जिसमें विस्फोटक या उसके संघटक, वे या तो स्वयं विस्फोटकों के गुण रखते हैं या जब उन्हें किसी अन्य संघटक के साथ या वस्तु के साथ मिश्रित किया जाता है। ऐसे भवन में विद्यमान होंगे, जो किसी विस्फोटक मिश्रण या विस्फोटक यौगिक का भाग बनाने में सक्षम हैं, रखे जाते हैं या विद्यमान हैं विनिर्माण के दौरान रखे जाने या विद्यमान होंगे, के दायी हैं तो, ऐसा भवन खतरनाक भवन होगा; और प्रत्येक ऐसे भवन का भीतरी भाग और ऐसे भवन (मशीनरी से भिन्न) बैंच, शैल्फ और फिटिंगें इस प्रकार सनिर्मित या इस प्रकार लाइन में होंगे या इस प्रकार टुकी होंगी जिससे कि लोहे या इस्पात के अभिदर्शन को निवारित किया जा सके और किसी कंक्रीट की निर्मिति या विलघन को इस प्रकार निवारित किया जाएगा। ऐसे भवन में उसके विस्फोटक या संघटक के संपर्क में आ सके और ऐसी भीतरी बैंच, शैल्फ और फिटिंगें यथासाध्य युक्तियुक्त रूप से बालू रेत से मुक्त और अन्यथा स्वच्छ रखी जाएगी।

30. स्वतः ज्वलन के लिए दायी वस्तुओं का निर्बन्धन 6 किसी भवन में तेलीय सूती, तेलीय टुकड़ा और तेलीय अपशिष्ट और स्वतः जलन के लिए दायी अन्य वस्तुएं जहाँ विस्फोटक रखे हुए हैं नहीं ले जायी जाएंगी, ऐसे भवन में तत्काल प्रयोग अथवा कार्य और तत्काल पूर्ति के उद्देश्य के लिए और ऐसे कार्य या प्रयोग के अवसान पर तुरंत हटा दिया जाएगा।

31. विशेष औजार और उपकरण का उपयोग 6 विनिर्माण की प्रक्रिया में बाहर ले जाने के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रक्रिया भवन कहा गया है) जब तक कि वे लकड़ी तांबा, पीतल या हल्की धातु अथवा सामग्री, या सुरक्षित और समुचित सामग्री के साथ प्रयोग में लाये जाने वाले वर्तमान भवन में कोई औजार या अन्य उपकरण उपयोग में अथवा जारी नहीं किए जाएंगे।

32. विशिष्टतया प्रक्रिया भवन पर प्रदर्शित होना 6 इसके अधीन वर्णित विशिष्टतया प्रत्येक प्रक्रिया भवन में प्रदर्शित अथवा प्रमुख चिन्हित होगा, अर्थात् :6

- (1) भवन के बाहर;
- (क) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित यथा योजनानुसार भवन की पहचान संख्या और नाम; और
- (ख) मानव सीमा और विस्फोटकों की सीमा;
- (2) भवन के अन्दर;
- (क) मानवी सीमा और विस्फोटकों की सीमा;
- (ख) सामान्य सुरक्षा अनुदेशों;
- (ग) प्रचालक अनुदेशों; और
- (घ) सुरक्षा प्रक्रिया विस्तार;

33. संघटकों से बाह्य सामग्री का हटाया जाना 6 किसी विस्फोटक में कोई संघटक नहीं बनाया या मिलाया जाएगा जब तक कि सभी बाह्य वस्तु या सामग्री जिससे खतरा हो, के हटाने या पता लगाने के लिए जांच किए जाने या अन्य प्रभावी साधनों द्वारा इसका उपचार नहीं किया गया हो।

34. विस्फोटकों और सामग्रियों का अविलंब हटाया जाना 6 (1) प्रसंस्करण भवन में सभी संसाधित विस्फोटकों को अनुज्ञप्ति प्राप्त भंडार या गोदाम में तुरंत हटाया जाएगा और किसी प्रसंस्करण भवन में किसी विस्फोटक को संचय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ प्रसंस्करण भवन में विस्फोटक के विनिर्माण में प्रक्रिया पूरी की जा चुकी हो, वे सभी पदार्थ जो भवन में प्रयोग के लिए लाए जा चुके हैं परंतु उपयोग नहीं किया गया है और उसी भवन में किसी अन्य प्रक्रिया में प्रयोग के लिए उनकी तुरंत अपेक्षा नहीं है, उन्हें भवन से तुरंत हटा दिया जाएगा।

35. कार्मिक को प्रशिक्षण 6 विनिर्माण कारखाने में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, विस्फोटकों के भंडारण, परिवहन, उठाई-धराई विनिर्माण के दौरान सक्षम व्यक्ति द्वारा सुरक्षा में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

36. वाहनों का प्रयोग 6 प्रत्येक वाहन और प्रत्येक ट्रॉली या आधान का जिसमें पूर्णतः अथवा भागतः विस्फोटक हैं, अनुज्ञात कारखाना क्षेत्र में परिवहन होता है6

- (क) जब तक कि अन्यथा अनुमोदित न हो, उसके भीतर में किसी लौहे या इस्पात उद्भाषित न हुआ हो;
- (ख) जब विस्फोटक या उसके संघटक परिवहन में हो बंद करके या ढक कर रखा जाएगा।

37. भवन, संयंत्र और उपस्कर का अनुरक्षण और मरम्मत

(1) अनुज्ञप्त परिसर में प्रत्येक भवन, सदैव ठीक दशा में अनुरक्षित होगा। अनुज्ञप्त कारखाने में सभी संयंत्रों और उपस्करों का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उचित और ठीक दशा में नियमित रूप से सर्विस और अनुरक्षण रखेगा।

(2) किसी भवन या उसके किसी भाग में, जिसके अंतर्गत कोई उपस्कर भी है, मरम्मत किए जाने के पहले, हटाने के समुचित सुरक्षा प्रक्रम द्वारा भवन या उपस्कर, विस्फोटकों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे।

(3) यदि, भवन या उसके किसी भाग की मरम्मत के लिए अग्नि के किसी स्रोत का प्रयोग अपेक्षित हो, तो अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा कार्मिक के पर्यवेक्षण के अधीन ऐसी वस्तुओं के प्रयोग को अनुज्ञात करने वाली लिखित अनुज्ञा जारी करेगा और ऐसी प्रत्येक अनुज्ञा की एक प्रति तीन मास की अवधि के लिए संरक्षित की जाएगी और मांग करने पर निरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) यदि, किसी भवन या उसके किसी भाग की मशीनरी सहित बड़ी मरम्मत की जाती है, तो वह भवन या उसका भाग उपयोग में नहीं लिया जाएगा, यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसा अनुज्ञात न किया जाए।

(5) अगली सफाई-धुलाई और अनुरक्षण के समय तक ऐसी सभी सफाई-धुलाई और अनुरक्षण का अभिलेख अनुरक्षित किया जाएगा तथा किसी मशीनरी या उपकरण की बड़ी मरम्मत या उनका बदला जाना, ऐसा अभिलेख ऐसी मशीनरी या उपकरण के बदले अनुरक्षित रखा जाना चाहिए।

38. परीक्षण के लिए सुविधाएँ मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित स्थानों पर अनुज्ञप्त परिसरों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कच्ची सामग्री मध्यवर्तियों और अंतिम उत्पादों की नैतिक भौतिक तथा रासायनिक परीक्षण के लिए उचित परीक्षण सुविधाएँ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त की जाएंगी :

परंतु यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अतिरिक्त सुविधाएँ ऐसे स्थानों पर प्रदत्त कराने का निदेश दे सकेगा जो, उसकी राय में, अनुज्ञप्त कारखाने में विस्फोटकों की वांछित क्वालिटी और सुरक्षित विनिर्माण अनुरक्षित करने के लिए आवश्यक हों।

39. परीक्षण के लिए नमूनों की अपेक्षा जब कभी मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक नियम 6 के उप-नियम (7) और उप-नियम (12) के अधीन विभागीय परीक्षण स्टेशन द्वारा किसी विस्फोटक के परीक्षण की अपेक्षा करता है तो विनिर्माता या आवेदक अपेक्षित मात्राओं में विभागीय परीक्षण स्टेशन को निःशुल्क विस्फोटकों के नमूने प्रस्तुत करेगा :

परंतु यदि आवश्यक हो तो, यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से नमूने मंगा सकेगा।

40. विस्फोटकों के विनिर्माण को रोकना यदि किसी विस्फोटक के विनिर्माण की प्रक्रिया में विस्फोटकों की प्रकृति और संरचना में परिवर्तन के कारण से, या किसी अन्य कारण से, किसी समय कोई प्रचालन सुरक्षित नहीं पाया जाता या भंडारण, परिवहन या उपयोग के दौरान विस्फोटक का व्यवहार सुरक्षित नहीं पाया जाता, तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी लिखित में ऐसे विस्फोटकों का विनिर्माण ऐसे समय तक के लिए तत्काल रोकने के निदेश दे सकेगा जब तक प्रचालन या संरचना में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाने तक सुधार नहीं किया जाता है।

41. प्राधिकृत विस्फोटकों की सूची से अपवर्जन - यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी, नियम 40 के अधीन किसी विस्फोटक के विनिर्माण को बंद कर देता है या कोई विस्फोटक पांच वर्ष की लगातार अवधि के लिए विनिर्मित नहीं किया जाता है तो ऐसे विस्फोटकों को मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत विस्फोटकों की सूची से अपवर्जित किया जा सकेगा।

42. अपशिष्ट विस्फोटकों का व्ययन (1) प्रयोगशालाएं, प्रसंस्करण भवन और उनमें मशीनरी प्रत्येक पारी की समाप्ति या उसके पूर्व, यदि आवश्यक हो तो, झाड़ू लगाया जाएगा तथा अपशिष्ट विस्फोटकों का उचित ढंग से संग्रहण और सुरक्षित स्थान में भंडारण तथा सुरक्षित व्ययन किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन संगृहीत सामग्रियों के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन और परिसर में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुरक्षित विनष्टीकरण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

अध्याय-V

साधारण विस्फोटकों के आयात या निर्यात के लिए विशेष उपबंध

43. भूमि मार्ग से आयात या निर्यात - प्रत्येक मामले में, जहां केन्द्रीय सरकार, मुख्य नियंत्रक की सलाह से शर्तें और निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी भूमि द्वारा विस्फोटकों के आयात या निर्यात के लिए कोई अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अनुदत्त नहीं की जाएगी।

44. पत्तन नियमों का अनुपालन - अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचित पत्तनों पर विस्फोटकों की उठाई-धराई का विनियमन करने वाले नियमों के उपबंध और संबंधित पत्तन नियमों और उप-नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

45. विस्फोटकों का आयात - (1) आयातकर्ता द्वारा उद्घोषणा - इन नियमों के अधीन जारी आयात अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को,

(क) अनुसूची 5 के भाग 5 के अधीन आर. ई. 8 प्ररूप में, जैसे ही विस्फोटक ले जाने वाला जलयान लदान पत्तन से खाना होता है;

(ख) अनुसूची 5 के भाग 5 के अधीन आर. ई. 9 प्ररूप में, जैसे ही विस्फोटकों की किसी खेप की आयात पत्तन से निकासी होती है;

उद्घोषणा प्रस्तुत करेगा ।

(2) पोत के स्वामी द्वारा या पोत के अभिकर्ता द्वारा उद्घोषणा - (क) विस्फोटक ले जाने वाले प्रत्येक पोत स्वामी या ऐसे पोत का अभिकर्ता पत्तन के संरक्षक उसके पत्तन पर आने के आशय की कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व सूचना देगा ।

(ख) विस्फोटक ले जाने वाले प्रत्येक पोत का स्वामी पत्तन पर प्रवेश करने से पूर्व पायलट को अपने हस्ताक्षर सहित प्ररूप सी. ई. -2 में लिखित उद्घोषणा परिदत्त करेगा :

परंतु यदि पोत के आगमन की प्रत्याशा में, ऐसे यान का अभिकर्ता पत्तन के संरक्षक को यथापूर्वोक्त, अपने हस्ताक्षर से लिखित घोषणा परिदत्त करता है तो पोत के स्वामी द्वारा ऐसी घोषणा की जानी आवश्यक नहीं है ।

(ग) उप-नियम (2) के खंड (ख) के अधीन पाइलट को परिदत्त प्रत्येक घोषणा पत्तन संरक्षक को उसके द्वारा बिना विलंब किए दी जाएगी और पत्तन संरक्षक, द्वारा प्राप्त सभी घोषणाएं उसके द्वारा सभी सुविधानुसार शीघ्रता के साथ सीमा-शुल्क आयुक्त को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) आयातित विस्फोटकों से नमूना प्रक्रिया - (क) जब पोत के स्वामी या पोत के अभिकर्ता ने उप-नियम (2) द्वारा अपेक्षित घोषणा की है जैसा कि पत्तन के सीमा-शुल्क आयुक्त द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया जाए, यान पर आरोहण करेगा और ऐसे सभी विस्फोटकों के नमूने प्राप्त करेगा जो पत्तन पर उतारे जाने आशयित हैं तथा इन नियमों के अधीन जांच, विश्लेषित या परीक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

(ख) यथास्थिति, स्वामी या अभिकर्ता, खंड (क) में निर्दिष्ट अधिकारी को प्रभारों के बिना, सभी विस्फोटकों के नमूने जिनके नमूने लिए जाने अपेक्षित है, परिदत्त करेगा । कम से कम दो कारतूसों का बना हुआ एक नमूना समान बैच संख्या और समान विनिर्माण तारीख वाले केशों के समूह से लिया जाएगा । यदि नमूना अधिकारी ऐसी अपेक्षा करे, तो नमूने, उसके द्वारा उपदर्शित किसी विशेष पैकेज से लिए जाएंगे ।

(ग) यदि खंड (ग) के अधीन किसी नमूने को लेने के किसी केस को खोलना अतंवलित है, तो ऐसा केस खोलने से पूर्व, ऐसे स्थान से जहां विस्फोटकों के परेषणों को भंडारित किया जाता है, सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाएगा ।

(4) परीक्षण अधिकारी को नमूनों का प्रेषण - (क) उप-नियम (3) के अधीन किसी विस्फोटक का नमूना लेने वाला अधिकारी, इस पर पोत का नाम, प्रेषिती का नाम, विस्फोट का नाम और अन्य ऐसे विभेदकारी चिन्ह, जैसा वह आवश्यक समझे, चिपकाएगा और उसे परीक्षण अधिकारी को बिना विलंब के अग्रेषित करेगा ।

(ख) नाइट्रो-यौगिक या क्लोरेट-मिश्रण के मामले में नमूने पर तारीख और बैच संख्या भी अंकित की जाएगी ।

(5) नमूनों का परीक्षण - (क) परीक्षण अधिकारी, यथास्थिति, नमूनों का परीक्षण, विश्लेषण या परीक्षा करेगा और अपने हस्ताक्षराधीन दो प्रतियों में यह सत्यापित करते हुए कि क्या

विस्फोटकों ने विहित परीक्षण, विश्लेषण या परीक्षा उत्तीर्ण की है, प्ररूप सी. ई. 1 में परीक्षण प्रमाण-पत्र सीमा-शुल्क आयुक्त को बिना विलंब के भेजेगा ।

(ख) सीमा-शुल्क आयुक्त, यथासाध्य शीघ्र और साधारणतया चौबीस घंटों के भीतर परीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्ररूप सी. ई. 1 में प्रत्येक प्रमाण-पत्र की प्रति, मुख्य नियंत्रक और अधिकारिता रखने वाले नियंत्रक को भेजेगा ।

(6) विस्फोटकों को उतारने की अनुज्ञा - (क) मुख्य नियंत्रक या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, जो ऐसी अनुज्ञा जारी करेगा यदि विस्फोटकों की विहित परीक्षण, विश्लेषण या परीक्षा हो गई है और ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझे, कोई भी आयातित विस्फोटक सीमा-शुल्क आयुक्त द्वारा उतारने के लिए अनुज्ञा नहीं किया जाएगा ।

(ख) यदि सीमाशुल्क आयुक्त का खंड (क) के अधीन अनुज्ञा और इन नियमों के अधीन ऐसे विस्फोटकों के आयात के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् और ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाता है कि विस्फोटकों का विधिपूर्वक आयात किया जा सकता है तो वह उन्हें उतारने की अनुज्ञा देगा ।

(ग) इस नियम की कोई बात, सीमा-शुल्क आयुक्त के तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विस्फोटकों का निरुद्ध करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी ।

(घ) आयातकर्ता द्वारा आयातित विस्फोटक पत्तन परिसर से यथासंभव शीघ्रता से हटाए जाएंगे ।

(7) आयात के लिए वायु पत्तनों पर निर्बंधन-(क) कोई विस्फोटक, इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किसी विमान पत्तन के सिवाय, वायुमार्ग द्वारा आयातित नहीं किया जाएगा ।

(ख) अंतरराष्ट्रीय वायुयान परिवहन प्राधिकरण विनियमों द्वारा या महानिदेशक नागरिक विमानन द्वारा अनुज्ञात कोई विस्फोटक, वायुमार्ग द्वारा आयातित नहीं किया जाएगा ।

(ग) वायुमार्ग द्वारा विस्फोटकों का आयात करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति, महानिदेशक नागरिक विमानन से उतारने की अनुज्ञा प्राप्त करेगा और उसकी एक प्रति अनुज्ञा जारी होने से पूर्व मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा ।

(घ) वायुमार्ग द्वारा विस्फोटकों के आयात के लिए अनुज्ञा धारण करने वाला कोई व्यक्ति या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता आयात के लिए आशयित विस्फोटकों की पूर्ण विशिष्टियां देते हुए विमान पत्तन के भारसाधक अधिकारी, सीमा-शुल्क आयुक्त और मुख्य नियंत्रक को विमान पत्तन पर विस्फोटक लाने से पूर्व, अग्रिम रूप से घोषणा करेगा ।

(ड.) आयातकर्ता द्वारा आयातित विस्फोटकों का प्रत्यक्ष परिदान लेने के लिए और उन्हें विमान पत्तन से यथासंभव शीघ्रता से हटाने के लिए उचित व्यवस्था करेगा ।

46. विस्फोटकों का निर्यात -- (1) निर्यातकर्ता या उसके अभिकर्ता द्वारा घोषणा--

(क) निर्यातकर्ता या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता पत्तन के संरक्षक को अड़तालीस घंटे से अन्यून पूर्व निर्यात के लिए विस्फोटकों को पत्तन पर लाने के अपने आशय की सूचना देगा और उक्त अधिकार से लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना विस्फोटकों को पत्तन के किसी भाग पर नहीं लाएगा।

(ख) निर्यातकर्ता या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता पत्तन के संरक्षक के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा--

(i) प्रश्नगत विस्फोटकों के निर्यात के लिए इन नियमों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति;

(ii) निर्यातकर्ता द्वारा जारी यह दर्शित करने वाला प्रमाण-पत्र कि विस्फोटकों की संयुक्त राष्ट्र विनियमों के अनुसार पैक और चिन्हित किया गया है।

(ग) निर्यातकर्ता या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता मुख्य नियंत्रक को, प्रत्येक परेषण के निर्यात पर और वास्तविक निर्यात की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, प्ररूप आर.ई.-10 में उतराई बिल की प्रति और विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) वायुमार्ग द्वारा विस्फोटकों का निर्यात--(क) किसी भी प्रकार और मात्रा का विस्फोटक, जो कि अंतरराष्ट्रीय वायुयान प्राधिकरण विनियमों में सम्मिलित नहीं है या नागरिक विमानन महानिदेशक द्वारा अनुज्ञात नहीं है, वायुमार्ग द्वारा निर्यात नहीं किया जाएगा।

(ख) वायुमार्ग द्वारा विस्फोटकों के निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता विस्फोटकों को वायुपत्तन पर लाने से पूर्व अग्रिम रूप से वायुपत्तन के भारसाधक अधिकारी या सीमा-शुल्क आयुक्त और मुख्य नियंत्रक को निर्यात किए जाने के लिए आशयित विस्फोटकों की पूर्ण विशिष्टियाँ देते हुए घोषणा करेगा।

(ग) निर्यात के लिए तात्पर्यित विस्फोटक व्यवस्था करने के पश्चात् और केवल विस्फोटकों की लदाई के लिए वायुयान तैयार होने के पश्चात् वायुपत्तन पर लाए जाएंगे तथा इस प्रकार लाए गए विस्फोटक सीधे वायुयान में लादे जाएंगे।

(घ) यदि किसी अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण, विमान पत्तन पर लाए गए विस्फोटक वायुयान में नहीं लादे जा सकते, तो ऐसे विस्फोटक, विमान पत्तन के भारसाधक अधिकारी द्वारा यथानिदेशित पृथक शेड में सुरक्षा के अधीन भंडारित किए जाएंगे और चोरी, अग्नि या विस्फोट के विरुद्ध सभी सम्यक पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी।

(ङ.) वायुमार्ग द्वारा विस्फोटकों के निर्यात के लिए आशयित कोई व्यक्ति नागरिक विमानन महानिदेशक से अनुज्ञा प्राप्त करेगा और उसकी एक प्रति निर्यात अनुज्ञप्ति जारी होने से पूर्व मुख्य नियंत्रक को पेश करेगा।

अध्याय-VI

विस्फोटकों के परिवहन के लिए विशेष उपबंध

साधारणतः

47. परिवहन के दौरान अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया--(1) अनुज्ञपित के अधीन परिवहन किया गया विस्फोटकों का प्रत्येक परेषण अनुसूची 5 के भाग 5 के अधीन प्ररूप आर.ई 12 के परेषक द्वारा जारी पास के साथ संलग्न की जाएगी।

(2) ऐसा पास, यथास्थिति, मार्ग-पत्रक, बीजक या प्रेषण-पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन जारी प्रत्येक पास की एक प्रति परेषक द्वारा निम्नलिखित को तुरंत भेजी जाएगी--

(क) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी जिसने परेषक को अनुज्ञप्ति जारी की;

(ख) नियंत्रक और जिला पुलिस अधीक्षक, जिसकी अधिकारिता में वह स्थान, जिससे परेषण भेजा जाता है, अवस्थित है;

(ग) नियंत्रक और जिला पुलिस अधीक्षक, जिसकी अधिकारिता में वह स्थान, जिसको परेषण भेजा जाता है, अवस्थित है।

48. सुरक्षा प्रमाणपत्र--(1) वर्ग-3 (नाइट्रो-यौगिक) या वर्ग-4 (क्लोरेट मिश्रण) के किसी विस्फोटक के परिवहन के लिए परिवहन या भेजने से पूर्व, परेषक परेषण के साथ परीक्षण अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुसूची 5 के भाग 6 के अधीन प्ररूप सी.ई. 1 में विधिमान्य प्रमाण-पत्र या उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित विद्यमान विशिष्टियों के अनुसार ऐसे विस्फोटकों को यथा लागू अनुसूची-3 में निर्धारित परीक्षण पद्धतियों के अनुसार परीक्षण करने के पश्चात् परीक्षण अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

49. यात्री गाड़ियों और यानों में परिवहन--इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबोधित के सिवाय, कोई भी विस्फोटक भाड़े पर यात्रियों के लिए प्रयोग करने या ले जाने वाली किसी गाड़ी यान या वायुयान में परिवहन नहीं किया जाएगा।

50. परिवहन के दौरान दस्तावेजों का उपलब्ध होना--(1) पटाखों और सुरक्षा फ्यूजों के सिवाय विस्फोटकों के परिवहन के लिए प्रयुक्त यान का प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसका चालक या परिचर परिवहन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज अपने कब्जे में हैं अर्थात् :-

(क) परेषिती द्वारा जारी, अनुसूची 5 के भाग 5 के अधीन प्ररूप आर.ई. - 11 में मांग-पत्र की प्रति;

(ख) परेषिती द्वारा जारी, अनुसूची 5 के भाग 5 के अधीन प्ररूप आर.ई. - 12 में परिवहन पास की प्रति;

(ग) सड़क वैन अनुज्ञप्ति की प्रति;

(घ) परिवहन किए जाने वाले विस्फोटकों के बिल की मूल प्रति।

(2) उपनियम (1) में वर्णित दस्तावेजों को नियम 128 के अधीन सशक्त प्राधिकारी द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

51. अधिकतम अनुज्ञात परेषण--पटाखों और सुरक्षा फ्यूज के सिवाय, परिवहन किए गए विस्फोटकों की मात्रा--

(1) दस टन या रेलवे वैन की वहन क्षमता की आधी, इनमें से जो भी कम हो;

(2) दस टन या सड़क परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात

सड़क वैन की अधिकतम वहन क्षमता, इनमें से जो भी कम हो:

परंतु यदि वहन किया जाने वाला विस्फोटक वर्ग-2 का हो, तो विस्फोटकों की मात्रा पंद्रह टन या वैन की अधिकतम वहन क्षमता,

इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी:

- (3) किसी पशु द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी में एक टन;
- (4) किसी एक नौका में साढ़े बाईस टन या यथा लागू अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय खतरनाक माल संहिता में अनुज्ञात अधिकतम मात्रा, इनमें से जो भी कम हो;
- (5) किसी एक वायुयान में, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण विनियमों में या महानिदेशकों नागरिक विमानन द्वारा निर्दिष्ट मात्रा, इनमें से जो भी कम हो;
- (6) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों के अधीन ट्रेक्टर कम्प्रेसर में पच्चीस किलोग्राम।

52. परिवहन के लिए विस्फोटकों का वाहकों को प्रेषण—(1) कोई व्यक्ति आतिशबाजी के सिवाय किसी विस्फोटक को परिवहन के प्रयोजन के लिए भारतीय रेलों से किसी वाहक को प्रेषण नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, भारतीय रेलवे से भिन्न किसी वाहक को परिवहन के प्रयोजन के लिए किन्हीं विस्फोटकों का तब तक प्रेषण नहीं करेगा जब तक—

- (क) उसने लिखित में स्टेशन मास्टर को—
 - (i) ऐसे विस्फोटक प्रदान करने के अपने आशय;
 - (ii) यह प्रमाणित करते हुए कि विस्फोटकों को नियम 14 और नियम 15 के अनुसार पैक और चिन्हित किया गया है;
 - (iii) परिवहन के लिए जाने वाले विस्फोटकों का सही नाम, वर्णन और मात्रा के कथन; की सूचना नहीं दे दी हो।

(ख) उसने स्टेशन मास्टर से लिखित में यह उत्तर और सूचना प्राप्त न कर ली हो कि वह प्रेषण के लिए विस्फोटक तुरंत प्राप्त करने के लिए तैयार है;

(ग) उसने परेषिती से इन नियमों के अधीन यथाप्राधिकृत विस्फोटक प्राप्त करने की तैयारी से संबंधित पुष्टि प्राप्त की है।

(3) कोई व्यक्ति किसी भी विस्फोटक को, किसी ऐसे रेल मार्ग से नहीं ले जाएगा, नहीं भेजगा; या अप्रेषित नहीं करेगा जिस भारतीय रेल ने तत्समय प्रवृत्त किसी विनियमन की सूचना में अधिसूचित किया है कि वह स्वीकार नहीं करेगी।

53. लदाई और उतराई का स्थान और समय :—(1) प्रत्येक विस्फोटक की स्टेशन भवन, यात्रा प्लेटफार्म, निवास-गृहों कारखानों, लोक भवनों और अन्य भवनों या स्थानों से जहाँ व्यक्ति एकत्रित होते हैं या किसी ज्वलनशील या किसी खतरनाक माल भंडारित या उसकी संभलाई की जाती है सुरक्षित दूरी पर लदाई या उतराई की जाएगी।

(2) सड़क द्वारा परिवहन के लिए आशयित प्रत्येक विस्फोटक, जहाँ अनुज्ञप्ति के अधीन या अन्यथा, केवल अनुज्ञप्ति प्राप्त मैंगजीन, अनुज्ञप्त भंडार गृह या अन्य अनुज्ञप्त परिसर के निकट लादा जाएगा।

(3) मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रदीपक युक्त स्थान पर, सूर्यास्त के पश्चात् विस्फोटकों की लदाई, अनुज्ञप्त कारखाने से 10 बजे रात्रि तक की जा सकेगी।

(4) नियम 10 के उप-नियम (5) और उप-नियम (1) की कोई बात यात्री गाड़ी द्वारा या पिकअपयान या किसी वैन या छोटे परेषणों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली मालगाड़ी में या ब्रेक वैन में विस्फोटकों के परिवहन से संबंधित कामकाज को लागू नहीं होगी।

54. भरण के लिए गाड़ी या यान या वायुयान का तैयारी में होना :—कोई विस्फोटक जब तक गाड़ी या यान या वायुयान के अंदर जिसमें लादा गया है, वह स्थान उसे प्राप्त करने की तैयारी में है किसी भरण के स्थान पर नहीं लाया जाएगा।

55. अभिवहन के मना किए जाने में विलंब :—व्यक्ति या व्यक्तियों के भारसाधक गाड़ी या यान, विस्फोटकों को ले जाने, लंबे समय के लिए किसी स्थान पर बिना किसी विलंब या रोक उचित प्रकार से आवश्यक होने पर जहाँ जनता के खतरे को उचित रूप से रोक हो किसी स्थान पर अनावश्यकतः नहीं रोका जाएगा।

56. हस्तांतरण के लिए मरम्मत :—किसी गाड़ी या यान के किसी भाग में, जिसमें विस्फोटक ले जाया जा रहा है, या परिवहन के लिए ले जाया गया हो, किसी मरम्मत या परिवर्तन के पहले आरंभ हो रहा हो, ऐसे सभी विस्फोटकों अथवा उसके किसी अपशेष को सभी पूर्वावधानी के साथ हटा कर ले जाने और ऐसे गाड़ी या यान के स्थान में वह स्थान जिसमें ऐसे विस्फोटकों को ले जाया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह धोया जाएगा कि उसमें विस्फोटकों के अवशेष नहीं हैं।

57. आतिशबाजी की सूक्ष्म मात्राओं से छूट :—नियम 49 में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्ति के उन कब्जे के हकदार नियम 9 के उप-नियम (5) के अधीन व्यक्ति की अभिरक्षा में विनिर्मित आतिशबाजी के परिवहन पर लागू होगा।

परंतु विनिर्मित आतिशबाजी के 5 किलोग्राम से अनधिक मूल पैकिंग के सुरक्षित पैक में, 6 यात्रियों से अधिक मरम्मत के लिए प्रयुक्त किसी मोटरयान में ले जाया जाएगा।

58. गाड़ियों और नावों के मध्य सुरक्षा दूरियाँ :—जहाँ दो या अधिक गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियों या दो या अधिक नावों के अलावा विस्फोटक अंतरराष्ट्रीय तटवर्ती खतरनाक संहिता या अधिकतम मात्रा समूह में यात्रा या नियम 51 में यथास्थिति, अधिक छोटी होने पर किसी गाड़ी या नाव के लिए, ऐसी गाड़ियों और नावों, एक अन्य की पचास मीटर के भीतर पहुंचमार्ग नहीं होगा।

परंतु यह कि :—

- (1) इस नियम की कोई बात रेल द्वारा विस्फोटकों के परिवहन को लागू होगी;
- (2) बंदरगाह के संरक्षक, बंदरगाह की सीमा के भीतर छोड़ने की अपेक्षा कर सकता है यदि उसकी राय इस नियम के भीतर सुरक्षा के अनुरूप यह असाध्य है।

59. जलमार्ग द्वारा परिवहन :—इन नियमों से संलग्न अनुसूची 6 के भाग 3 में कथित सभी सुरक्षा उपबंधों का भारत के भीतर जलमार्ग द्वारा विस्फोटकों के परिवहन के लिए अनुपालन किया जाएगा।

60. रेलमार्ग द्वारा परिवहन :—इन नियमों से संलग्न अनुसूची 6 के भाग 4 में कथित सभी सुरक्षा उपबंधों का भारत के भीतर रेलमार्ग द्वारा विस्फोटकों के परिवहन के लिए अनुपालन किया जाएगा।

61. सड़क वैन या कम्प्रेसर आरुढ़ मोटर ट्रक या ट्रेक्टर के लिए अनुज्ञप्ति :—(1) कोई व्यक्ति सड़क यान या कम्प्रेसर आरुढ़ मोटर ट्रक या ट्रेक्टर में किसी विस्फोटक का परिवहन नहीं करेगा या करवाएगा जब तक कि परिवहन विस्फोटकों के इन नियमों के अधीन ऐसी गाड़ी अनुज्ञप्ति प्राप्त न हो। सड़क वैन को अनुसूची 7 के भाग 5 में विनिर्दिष्ट अधिकथित, अपेक्षाएं और उसके विनिर्दिष्ट भाग 5 में अधिकथित अपेक्षाओं कम्प्रेसर आरुढ़ मोटर ट्रक या ट्रेक्टर द्वारा पूरी की जाएंगी और मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित होगी।

(2) सड़क वैन का अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची 5 के भाग 5 के अधीन फार्म आर.ई.-6 में सभी संव्यवहनों का अभिलेख रखेगा।

(3) सड़क वैन कम्प्रेसर :—आरुढ़ ट्रक या ट्रेक्टर के अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति केवल ऐसे ड्राइवरों या खलासियों को रखेगा जो पूर्ववर्ती स्थानीय पुलिस द्वारा सत्यापित किए गए हैं। सभी व्यक्तियों की विशिष्टियों के साथ ड्राइवरों और खलासियों की एक सूची स्थानीय पुलिस को सत्यापन कार्यान्वित करने के पहले से ही उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसे कर्मचारीवृन्दों का पुनर्सत्यापन नियमित अन्तराल पर एक वर्ष में एक बार अधिमाम्य रूप से कार्यान्वित होगा।

62. गलियों, लोक स्थानों और अन्य विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर परिवहन का प्रतिषेध :—(1) कोई व्यक्ति छावनी या नगरपालिका की सीमा के भीतर जहाँ विनिर्दिष्ट ऐसी सड़क विस्फोटकों को ले जाने वाले वाहनों के लिए प्रतिषिद्ध है, ऐसी सड़क पर किन्हीं विस्फोटकों का परिवहन नहीं करेगा या करवाएगा।

(2) उप-नियम (1) की कोई बात, निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :

- (क) वर्ग 7 (आतिशबाजी) का कोई विस्फोटक, या सुरक्षा फ्यूज; या
- (ख) कोई अन्य विस्फोटक जिसका भार 5 किलोग्राम से अधिक न हो।

63. सड़क वैन या कम्प्रेसर आरुढ़ मोटर ट्रक या ट्रेक्टर के भिन्न वैनों द्वारा आतिशबाजी और सुरक्षा फ्यूज के परिवहन

पर प्रतिबंध :—आतिशबाजी या सुरक्षा फ्यूज के भिन्न किसी विस्फोटक का किसी सड़क वैन या कम्प्रेसर आरुढ़ मोटर ट्रक या ट्रेक्टर से भिन्न किसी गाड़ी द्वारा परिवहन किया जाएगा, जो कोई सड़क वैन या कम्प्रेसर आरुढ़ मोटर ट्रक या ट्रेक्टर नहीं है :

परंतु कोई गाड़ी जो सड़क वैन या कम्प्रेसर आरुढ़ मोटर ट्रक या ट्रेक्टर नहीं है विस्फोटक का परिवहन कर सकेगी यदि लदाई के स्थान से गंतव्य स्थान की दूरी दस किलोमीटर से अधिक नहीं है और निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाता है :

- (क) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की अवधि विस्फोटकों के परिवहन के लिए निर्बंधित है;
- (ख) विस्फोटक के साथ कम से कम दो हष्ट पुष्ट रक्षक हों;
- (ग) प्रत्येक गाड़ी पर एक लाल झंडी प्रदर्शित हों;
- (घ) विस्फोटकों से अंतर्विष्ट पैकेज, समुचित रूप से तिरपाल द्वारा ढके हों।

64. विस्फोटकों की लदाई :—(1) विस्फोटकों की यान या वायुयान में लदाई का भार साधक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि विस्फोटकों को उस रीति में भरा जाता है कि :—

- (क) परिवहन के सामान्य अनुक्रम के दौरान उसे हटाया नहीं जाएगा और घर्षण और ऊबड़ खाबड़ से बचाया जाएगा; और
- (ख) किसी भी प्रकार के विस्फोटकों की उतरवाई आवश्यक हो तो, उनको यथासंभव कम से कम गड़बड़ के साथ पुनः भरा जा सकता है।

(2) कोई व्यक्ति, अनुज्ञप्तिप्राप्त यान पर या उससे विस्फोटकों की लदाई या उतरवाई नहीं करेगा सिवाय जब यान का इंजन बंद हो जाता है, पहिए जाम हो जाते हैं और हैंडब्रेक लगाए जाते हैं।

65. खींचने वाली गाड़ियों के प्रयोग पर निर्बंधन :—कोई व्यक्ति, आतिशबाजी से भिन्न किसी विस्फोटक का किसी खींचने वाले यान या विस्फोटकों का परिवहन करने वाले यान में परिवहन नहीं करेगा।

66. विस्फोटकों के अन्य पदार्थों के साथ वहन का प्रतिषेध :—किसी अन्य माल का किसी यान में विस्फोटकों के साथ नहीं ले लिया जाएगा :

परंतु यह कि आतिशबाजी के उस हजार किलोग्राम से अधिक को, ऐसे अन्य माल के साथ नहीं ले जाया जाएगा जो ज्वलनशील और परिसंकटमय प्रकृति का नहीं है।

67. सड़क वैन पर लदाई, उतराई अनुरक्षण और प्रचालन :—(1) किसी ऐसे यान में या यान से विस्फोटकों की लदाई या उतराई आरंभ करने के पश्चात्, वह कार्य तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक वह पूरा नहीं हो जाता है और उसे यथासंभवशीघ्र पूरा किया जाएगा।

(2) विस्फोटकों वाले पैकजों की लदाई, उतराई या संभलाई में किसी बेल हुक या अन्य धातु के औजारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा

और न ही विस्फोटकों के किसी पैकेज या आधान को ऐसे कार्य के दौरान फेंका या गिराया जाएगा ।

(3) यान, विस्फोटकों के परिवहन के लिए उपयुक्त सुरक्षा कार्यकरण हालत में बनाए रखा जाएगा ।

(4) किसी विस्फोटक को ले जाने वाले या अंतर्विष्ट यान का चालक या प्रचालक अनावश्यक रूप से उसे नहीं रोकेगा या अपेक्षित युक्तियुक्त अधिक अवधि के लिए नहीं रोकेगा और जहां लोक सुरक्षा का खतरा है, वहां इस प्रकार रुकने या ऐसे स्थानों से बचेगा :

परंतु यह कि जहाँ विस्फोटकों के परिवहन या अंतर्विष्ट वाली किसी वैन को अनुज्ञप्ति या चालक के नियंत्रण के परे के कारणों से रात्रि के दौरान पार्क किया जाता है, वहाँ वे परिसर का जहाँ वैन पार्क की जाती है :—

(क) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जिससे किसी खुली ज्वाला, दियासलाई या किसी पदार्थ की उपस्थिति हो सकती है या जिससे विस्फोटक होने या आग लगने की संभावना हो सकती है;

(ख) ज्वलनशील प्रकृति या अन्य परिसंकटमय माल की वस्तुओं वाले किसी गोदाम से दूर रहेगा:

परंतु यह और कि वैन का स्थान और अस्थायी पार्किंग की बाबत निकटतम पुलिस थाने को सूचित किया जाएगा ।

(5) किसी विस्फोटक को ले जाने वाले या अंतर्विष्ट वाले किसी यान का चालक या प्रचालक उसे किसी खतरनाक या अंधाधुंध रीति से नहीं चलाएगा या उसका संचालन नहीं करेगा ।

(6) यथासंभव घनी आबादी वाले स्थानों से जाने वाले मार्ग से बचा जाएगा ।

(7) विस्फोटकों का परिवहन करते समय सड़क वैन पर अनुज्ञप्तिधारी के खर्चे पर दो सशस्त्र रक्षक हमेशा देखभाल करने वाले होंगे । यदि विस्फोटकों का प्रेषण गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अति संवेदनशील क्षेत्रों के माध्यम से जाने की संभावना है तो जिला पुलिस प्रशासन द्वारा देय सशस्त्र पुलिस मार्गरक्षी या रक्षक द्वारा मार्गरक्षी किया जाएगा ।

(8) विस्फोटकों का परिवहन करने वाले दो या अधिक यानों का कोई कनवॉए, जहां लागू हो, ऐसे यानों के बीच कम से कम 30 मीटर की दूरी बनाए रखेगा ।

(9) विस्फोटकों का परिवहन करने वाली सड़क वैन राजमार्ग या अन्य आर-पार के मार्ग से या उसके निकट किसी भी प्रकार से तेज नहीं चलाई जाएगी ।

(10) विस्फोटकों का परिवहन करते समय सड़क वैन का चालक, बिना कर्मचारी तैनाती वाले रेलवे क्रासिंग से पार करने से पूर्व या किसी मुख्य राजमार्ग को पार करने से पूर्व, सड़क वैन को पूर्णतया रोकेगा और केवल तब आगे बढ़ेगा जब मार्ग सुरक्षित रूप से साफ हो ।

(11) इन नियमों के अधीन दी गई वैन के मूल अनुज्ञप्ति या उसकी अधिप्रमाणित प्रति हमेशा यान में रखी जाएगी ।

68. खड़े यानों की बत्ती जलाए रखना :—जहां विस्फोटकों को ले जाने वाली सड़क वैन किसी सार्वजनिक सड़क पर रात में खड़ी है, अन्यथा यातायात के चलने के विलंब के कारण खड़ी हुई है, वहाँ वैन का चालक या अनुज्ञप्तिधारी रुके रहने के दौरान पार्किंग बत्ती को जलाए रखेगा और यदि आवश्यक हो तो प्रवर्तकों की व्यवस्था भी करेगा या टिमटिमाती बत्ती का ऐसी दशा में उपयोग करेगा जिससे अन्य यानों के चालकों को सड़क वैन की उपस्थिति का प्रभावी रूप से चेतावनी मिलती रहे ।

69. यान की दुर्घटना :—(1) जहां विस्फोटकों का परिवहन करने वाला कोई यान किसी दुर्घटना, अग्नि या किसी अन्य घटना में अंतर्वलित हो जिससे विस्फोटकों के परिदान में काफी विलंब हो या यान या विस्फोटकों को नुकसान हो, वहाँ चालक या यान के साथ जाने वाला कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति :—

(क) सड़क दुर्घटना से संबंधित विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा;

(ख) निकटतम पुलिस थाने को सूचित करेगा;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा जो :—

(i) उस मुख्य नियंत्रक को जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना होती है, ले जाया जाए जो विस्फोटकों के पूरे ब्यौरे देते हुए और दुर्घटना की सूचना देगा;

(ii) विस्फोटकों के सुरक्षित भंडारण और अभिरक्षा की तब तक व्यवस्था करेगा जब तक नियंत्रक द्वारा, यदि अपेक्षित हो, अभिरक्षा की जाती है और तब गंतव्य स्थान या नियंत्रक द्वारा अभिहित स्थान तक परिवहन की व्यवस्था करेगा ।

(2) सड़क वैन के ब्रेकडाउन की दशा में यान का चालक या भारसाधक व्यक्ति :—

(क) छोटी-मोटी मरम्मतें करेगा या करने की अनुज्ञा देगा यदि इन मरम्मतों को बिना खतरे के किया जा सकता हो ।

(ख) जहां बड़ी मरम्मतें अपेक्षित हो, वहां ऐसी मरम्मतों को तब तक नहीं करेगा जब तक विस्फोटकों को अन्य यान में स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता है या उस यान से, हटा नहीं दिया जाता है और राजमार्ग से किसी सुरक्षित दूरी और किन्हीं आवासीय परिसरों से 300 मीटर की दूरी पर समूचित सुरक्षा के अधीन भंडारित नहीं कर दिया जाता है ।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा जो उसके पश्चात् उस मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को जिसकी अधिकारिता में यान ब्रेकडाउन हुआ है, विस्फोटकों के पूरे ब्यौरे देते हुए और ब्रेकडाउन की परिस्थितियों के बारे में सूचित करेगा ।

70. अग्निशामक दमकलों की व्यवस्था किया जाना :—

(1) प्रत्येक सड़क वैन में न्यूनतम दो किलोग्राम क्षमता के दो अग्निशामक दमकल उपलब्ध कराए जाएंगे। अग्निशामक दमकलों में से एक दमकल विद्युत परिपथों से अंतर्वलित अग्नि से निपटने में और दूसरा अन्य ज्वलनशील संघटकों से निपटने में सक्षम होगा।

(2) अग्निशामक सर्वदा अच्छी कार्यकरण की दशा में रखे जाएंगे।

(3) अग्निशामक वहाँ अवस्थित होंगे जहाँ वे तुरंत उपयोग के लिए सुविधाजनक और तैयार हों।

(4) अग्निशामकों को विनिर्माणकर्ताओं की सिफारिशों के अनुसार परीक्षित और रिचार्ज किया जाएगा।

अध्याय VII**विस्फोटकों के कब्जे, विक्रय और उपयोग के लिए विशेष उपबंध**

71. अनुज्ञप्त परिसरों में कब्जा :—(1) इन नियमों के अधीन अनुदत्त विस्फोटकों के कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति विस्फोटकों को केवल अनुज्ञप्तियों में विनिर्दिष्ट परिसरों में भंडारित करेगा।

(2) अनुज्ञप्त मैगज़ीन या भंडारगृह सभी समय पर सुरक्षित रूप से बंद होगा या उस पर ताला लगाया जाएगा, उसके सिवाय जब माल को उसमें रखा जाता है या उससे निकाला जाता है या जब उसे ऐसे परिसरों के प्रबंध के संबंध में कुछ अन्य प्रयोजन के लिए खुला रखा जाना चाहिए।

(3) अनुज्ञप्त मैगज़ीन की चाबियाँ सभी समयों पर अनुज्ञप्तिधारी की स्वयं की या उसके प्राधिकृत भंडारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएंगी और जब कभी निरीक्षण अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो मैगज़ीन या भंडारगृह के खोलने के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।

(4) उस व्यक्ति का नाम और पता, उसके पासपोर्ट आकार की फोटो सहित जिसके पास चाबियाँ रखी जाएंगी। अनुज्ञापन प्राधिकारी और अधिकारिता रखने वाले नियंत्रक को पेश की जाएंगी।

72. पैकेजों को पुनः पैक किया जाना और खोला जाना:—(1) किसी विस्फोटक का, यथासंभव मूल पैकेज में विक्रय किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय की गई मात्रा पैक किए गए विस्फोटकों की मात्रा से कम है, तो ऐसी मात्रा किसी सारवान पैकेज में सुरक्षित और उचित रूप में पैक की जाएगी, जिस पर स्पष्ट रूप से निम्नलिखित चिह्नंकन किए जाएंगे, अर्थात् :—

- (क) विस्फोटक का नाम
- (ख) अनुसूची - 1 के अनुसार वर्ग, प्रभाग और उप-प्रभाग
- (ग) पैक किए गए विस्फोटक की मात्रा
- (घ) अनुज्ञप्ति का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या सहित, जिससे विस्फोटक प्रदाय किया जा रहा है और पैक किया जा रहा है

(ङ) पैकिंग की तारीख

(च) प्रेषिती का नाम और पता

(2) किसी मैगज़ीन या भंडारगृह में उसकी पुनः पैकिंग नहीं की जाएगी।

(3) जहाँ आवश्यक हो विस्फोटकों की पुनः पैकिंग अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथाअनुमोदित किसी दूरी पर चिकनी सज्जित धूल मुक्त फर्श वाले किसी अनुमोदित खुले पार्श्व वाली शैड में की जाएगी।

73. विस्फोटकों को किसी क्षतिग्रस्त बस्ते में न रखा जाना :—प्रत्येक मैगज़ीन या भंडारगृह का अनुज्ञप्तिधारी यह संसूचित करेगा कि विस्फोटक अपने मूल बाह्य पैकेज में ही सर्वदा रखे जाएंगे और यदि बाह्य पैकेज किसी ऐसी रीति में क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उसमें अंतर्विष्ट विस्फोटक भंडारण या परिवहन नहीं किए जा सकते हैं, तो ऐसे विस्फोटक सभी आवश्यक ब्यौरे सहित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले नियंत्रक के अग्रिम में पूर्व संसूचना देने के पश्चात् पुनः पैक किए जाएंगे।

74. अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक विस्फोटकों का भंडारण :—

(1) किसी प्रकार के विस्फोटकों की मात्रा किसी अनुज्ञप्त मैगज़ीन या भंडारगृह में रखी जाएगी जो इस प्रकार के विस्फोटकों की अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट मात्रा से अधिक नहीं होगी।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुसूची 4 के भाग 2 के अधीन यथाविहित ऐसी फीस की प्राप्ति पर, अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक विस्फोटकों की मात्रा के भंडारण के लिए किसी अनुज्ञप्तिधारी को, 15 दिनों से अनधिक की अवधि का परमिट जारी कर सकेगा, जब ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भंडारण की ऐसी अधिक मात्रा आवश्यक है और अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण के परे की परिस्थितियों के कारण अपरिहार्य है :

परंतु यह भंडारण की ऐसी अधिक मात्रा अनुज्ञप्तमात्रा के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी, विस्फोटकों के अधिक भंडारण के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगा यदि ऐसी अधिक मात्रा का भंडारण पुर्नवृत्ति प्रकृति का है।

75. अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक मात्रा में विनिर्मित आतिशबाजी के स्थायी कब्जे के लिए अनुज्ञा :—अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए, अनुसूची—IV के भाग 2 के अधीन यथाविहित फीस की प्राप्ति पर अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक मात्रा में एक तिहाई को कब्जे में रखने के लिए आतिशबाजी की दुकान के लिए किसी अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञा दी जा सकेगी :

परंतु यह कि ऐसी दुकान में अधिक भंडारण को समाहित करने के लिए पर्याप्त फर्श क्षेत्र उपलब्ध है।

76. किसी दी गई समयावधि में क्रय किए जाने वाले विस्फोटकों की मात्रा :—प्ररूप एल-ई में अनुज्ञप्त किसी मैगज़ीन में या मैगज़ीन से विस्फोटकों के कब्जे, विक्रय या उपयोग के लिए

कोई अनुज्ञप्तिधारी विस्फोटकों का केवल ऐसी मात्रा में किसी दी गई अवधि में क्रय करेगा जो अनुज्ञप्ति में विहित की जाए।

77. विस्फोटकों की जवाबदेही और संव्यवहार :—(1) इन नियमों के अधीन मंजूर की गई सभी अनुज्ञप्तियों में अनुज्ञप्तिधारी या अधिभोगी की फोटो होगा।

(2) विस्फोटकों के क्रय और संव्यवहार के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा :—

- (क) अनुसूची - 5 के भाग 5 के अधीन प्ररूप मांगपत्र प्ररूप आर ई -11 अनुज्ञप्तिधारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
 - (ख) अनुज्ञप्तिधारी या अधिभोगी का फोटो या नमूने हस्ताक्षर विस्फोटक के प्रदायकर्ता के पास फाइल किए जाएंगे।
 - (ग) अनुज्ञप्तिधारी की फोटो और नमूने हस्ताक्षर और पता या अधिभोगी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित अनुज्ञप्तिधारी की प्राधिकृत फोटो और नमूने हस्ताक्षर और पता विस्फोटक के प्रदायकर्ता के पास फाइल किए जाएंगे।
 - (घ) विस्फोटक का प्रदायकर्ता करने से पूर्व फोटो और हस्ताक्षर को सत्यापित करेगा।
 - (ङ) खंड ग में उल्लिखित प्राधिकृत प्रतिनिधि इस निमित्त विस्फोटक को प्राप्त करने के लिए केवल एक अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधित्व करेगा।
- परंतु यह कि इस नियम की कोई बात आतिशबाजी और सुरक्षित फ्यूज को लागू नहीं होगी।

78. मैगज़ीन, भंडारगृह या दुकान का भूस्थल पर होना :— किसी मैगज़ीन, भंडारगृह या दुकान को केवल भू-स्थल पर संनिर्मित किया जाएगा। कोई मैगज़ीन या भंडारगृह एकल मंजिल का भवन होगा।

79. पैकेजों का चट्टा लगाना :— पैकेजों का मैगज़ीन या भंडारगृह में ऐसी रीति में चट्टा लगाया जाएगा जिससे कि भंडारकृत सभी पैकेजों की हालत का निरीक्षण और प्रत्येक पैकेज की विशिष्टतियों को चिह्नित करने को अनुसूची-7 के अधीन यथाउपबोधित रीति में सुकर बनाया जा सके।

80. विसंगत विस्फोटकों का भंडारण :—(1) डेटोनेटर्स या गनपाउडर या आतिशबाजी को किसी मैगज़ीन में प्रत्येक के लिए बनाए गए पृथक कक्ष या पृथक भाग में भंडारकृत किए जाएंगे। (2) कागज के ढक्कन या रंग या सितारा दिया सिलाई पृथक भाग में भंडारकृत की जाएंगी।

81. मैगज़ीन के संनिर्माण के लिए विनिर्देश :— विस्फोटकों के भंडारण में उपयोग की जाने वाली मैगज़ीन अनुसूची-7 के विनिर्देश-2 के अनुसार संनिर्मित की जाएगी।

82. आतिशबाजी या सुरक्षित फ्यूज के लिए भंडारगृह :— (1) भंडारगृह को केवल पांच हजार कि.ग्रा. से अधिक की आतिशबाजी

या पांच हजार मीटर से अनधिक के सुरक्षित फ्यूज के कब्जे के लिए और न कि विक्रय के लिए, उपयोग किया जाएगा।

(2) किसी दुकान से आतिशबाजी या सुरक्षित फ्यूज के कब्जे और विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने वाला व्यक्ति एक भंडारगृह, प्रत्येक दुकान के लिए अनुज्ञप्ति का पात्र होगा।

(3) भंडारगृह, अनुसूची-7 के विनिर्देश -3 के अनुसार संनिर्मित किया जाएगा।

83. दुकान से कब्जे और विक्रय के लिए अनुज्ञात विस्फोटक :—(1) आतिशबाजी, गनपाउडर, छोटे पलीते वाले नाइट्रो - यौगिक और सुरक्षित फ्यूज से भिन्न किसी विस्फोटक के अनुज्ञप्ति में अनुज्ञात कब्जे और विक्रय के लिए किसी दुकान में भंडारकृत नहीं किया जाएगा।

(2) **दुकान का संनिर्माण :—**दुकान को ईट, पत्थर, कंक्रीट से संनिर्मित किया जाएगा और दुकान इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगी जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्ति की उसमें पहुंच निवारित की जा सके।

(3) परिसर 9 वर्गमीटर से अन्यून और 25 वर्गमीटर से अनधिक का भंडारण क्षेत्र का होगा।

(4) दुकान

(क) किसी भवन के अन्य भाग से पूर्णतया पृथक, स्वतंत्र प्रवेश वाली सारवान दिवारों वाले भवन से और आपातकालीन प्रवेश वाले और यदि लागू हों, बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजों वाले भवन के भूतल पर, अवस्थित होगी।

(ख) उप स्तर में तहखाने में या नीचे के तल पर अवस्थित नहीं होगी।

(ग) निवास के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊपरी तल के नीचे अवस्थित नहीं होगी।

(घ) किसी जीने या लिफ्ट के नीचे या आसपास अवस्थित नहीं होगी।

(ङ) अग्निशामक के लिए पहुंच योग्य होगी, और

(च) में चिंगारी या ज्वलन पैदा करने में सक्षम कोई विद्युत उपस्कर या बैटरी या तेल वाले लैंप या उसी प्रकार के उपस्कर नहीं होंगे और दुकान में सभी विद्युत वायर फिक्स किए जाएंगे और प्रभावी रूप से सील या पाइप में यांत्रिक रूप से संरक्षित होंगे। मुख्य स्विच या परिपथ ब्रेकर की परिसर के बाहर तुरंत पहुंच स्थिति में व्यवस्था होगी।

84. त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थायी दुकान :— त्यौहारों के दौरान जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अस्थायी दुकान में आतिशबाजी और विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्तियाँ जारी कर सकेगा।

(1) आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शैंड में रखे

जाएंगे जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगा जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को निवारित किया जा सके ।

(2) आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शैड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर और सुरक्षित कार्य से पचास मीटर की दूरी पर होंगे ।

(3) शैड एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे ।

(4) शैड में या शैडों की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंपों, गैस लैंपों या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा । विद्युत बत्तियाँ यदि उपयोग की जाती हैं दीवाल पर या छत पर फिक्स किए जाएंगे । प्रत्येक दुकान के स्विचों को दीवालों पर दृढ़ रूप से फिक्स किया जाएगा और एक मुख्य स्विच की शैडों की प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आतिशबाजी की किसी शैड के पचास मीटर के भीतर प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(6) एक समूह में पचास से अधिक दुकान अनुज्ञात की जाएंगी ।

85. आतिशबाजी के लिए अपनाई जाने वाली विशेष पूर्वावधानियाँ :—(1) इस नियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए आतिशबाजी माल के प्रदर्शन के लिए उपयोग की जाने वाली किसी दुकान की खिड़की में या उस पर नहीं रखी जाएंगी ।

(2) दुकान में आतिशबाजी किसी चिंगारी रोधी पात्र में या मूल बाह्य पैकेट में रखी जाएंगी जिसमें वे प्राप्त की गई थीं यदि वह पैकेज प्रभावी रूप से सीलबंद और अच्छी अवस्था में हैं ।

(3) किसी पात्र या पैकेज वाले आतिशबाजी भीड़-भाड़ वाली दुकान से दूर किसी अवस्था में रखी जाएगी और सभी ज्वलनशील या दहन वाली प्रकृति की वस्तुओं से पृथक होगी ।

(4) जहाँ आतिशबाजी वाले किसी पैकेज को विक्रय के लिए खोला जाता है, वहाँ आतिशबाजी को तुरंत किसी स्वच्छ, धूलरहित और चिंगारी रोधी पात्र में रखा जाएगा ।

86. सुरक्षित दूरियों का रखा जाना :—(1) कारखाना या मैगज़ीन—विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्त कारखाना या विस्फोटकों के कब्जे, विक्रय या उपयोग के लिए अनुज्ञप्त मैगज़ीन, यथास्थिति अनुसूची-3 या अनुज्ञप्ति की शर्तों में विनिर्दिष्ट सुरक्षित दूरी बनाए रखेंगे ।

(2) भंडार-घर आतिशबाजी या सुरक्षा फ्यूज के कब्जे के लिए अनुज्ञप्त भंडार-घर संरक्षित कार्यों से 3 मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा और ऐसे परिसरों या किसी अन्य परिसरों से न्यूनतम 15 मीटर जो समान विस्फोटकों, ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री के भंडार-घर के लिए उपयोग किया गया है ।

(3) **दुकान :—**छोटे सशस्त्र नाइट्रो-यौगिक आतिशबाजी या सुरक्षित फ्यूज के भंडारण और विक्रय के लिए अनुज्ञप्त दुकान ऐसे परिसरों से या उसी प्रकार के विस्फोटकों, ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी अन्य परिसर से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी पर होगी ।

87. अन्य वस्तु के विक्रय का प्रतिषिद्ध होना :—ऐसे परिसरों का जिनमें छोटे आयुध या नाइट्रो-यौगिक या आतिशबाजी या गनपाउडर या सुरक्षित फ्यूज रखे जाते हैं, केवल ऐसे विस्फोटकों के कब्जे या विक्रय के लिए ही उपयोग किया जाएगा और न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए जब ऐसे छोटे आयुध नाइट्रो-यौगिक या गनपाउडर या सुरक्षित फ्यूज भंडारकृत किए जाते हैं ।

परंतु यह कि परिसरों को, ज्वलनशील खतरनाक पदार्थों के सिवाय, अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकेगा जब ऐसे छोटे आयुध नाइट्रो - यौगिक या आतिशबाजी या गनपाउडर या सुरक्षित फ्यूज ऐसे परिसरों में भंडारकृत नहीं किए जाते हैं ।

88. आतिशबाजी का केवल अनुज्ञप्त परिसरों से विक्रय किया जाएगा :—कोई व्यक्ति, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त परिसरों से भिन्न किसी परिसर से आतिशबाजी का विक्रय नहीं करेगा ।

89. चार्ज तैयार करने पर निर्बंधन :—(1) एक प्रकार की किसी विस्फोटक को दूसरे प्रकार के विस्फोटक में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

(2) श्रेणी-2 में या श्रेणी-3 विस्फोटकों का उनके मूल डिब्बे की पैकिंग में उपयोग किया जाएगा और ऐसे डिब्बों को विभिन्न प्रकार के डिब्बे बनाने के लिए विस्फोटकों को हटाने के लिए काटा नहीं जाएगा ।

90. विस्फोटकों को विस्फोटक स्थल पर ले जाने पर निर्बंधन :—(1) विस्फोटकों को केवल स्थल के निकट अनुज्ञप्त भंडारण परिसर से बिना खुले पैकेजों या उस प्रयोजन के लिए एक मात्र रूप से उपयोग किए गए बंद आधानों में या इस प्रकार ताले बंद किए गए आधानों में वहन किया जाएगा । कोई विनिर्माता विस्फोटक स्थल पर विस्फोटक छिद्रों के लिए डिब्बा बंद विस्फोटकों का प्रत्यक्षतः प्रदाय नहीं करेगा ।

(2) विस्फोटकों को, किसी चार्जिंग के लिए तैयार स्थल से 15 मीटर से निकट किसी बिंदु तक नहीं ले जाया जाएगा ।

(3) विस्फोटक किसी अन्य सामग्री या साधित्र के साथ उनसे भिन्न जो विस्फोटक के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं किसी यान में वहन नहीं किया जाएगा ।

(4) दिन के कार्य के पश्चात् ऐसे दूसरे विस्फोटकों को, अनुज्ञप्त परिसर को लौटा दिया जाएगा जहाँ से उसे लिया गया था ।

(5) मूल पैकेज से विस्फोटकों को ले जाने के लिए उपयोग किए गए वाहन बक्से को समग्र रूप से स्वच्छ और सूखा रखा जाएगा तथा उसे जब वह उपयोग में न हो बंद रखा जाएगा । आधानों में पर्याप्त संख्या में जहाँ दो हैंडलों या पट्टियों को ले जाने की व्यवस्था होगी तथा सहज दृश्य स्थान पर “विस्फोटक” शब्द चिह्नित किया जाएगा ।

(6) डेटोनेटरों अधातु या कुचालक सामग्री से निर्मित विशेष आधानों में वहन किया जाएगा और इनका अन्य विस्फोटकों के साथ वहन नहीं किया जाएगा । बैटरियाँ सूखे सैल और विद्युत ऊर्जा के अन्य स्रोत डेटोनेटर ले जाने वाले यान में वहन नहीं किए जाएंगे ।

(7) कोई डेटोनेटर किसी केस या आधान में तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक वह तुरंत उपयोग के लिए अपेक्षित न हो ।

91. उपयोग से पूर्व विस्फोटकों की परीक्षा किया जाना :-(1) उपयोग से पूर्व विस्फोटकों की किसी दृश्यमान त्रुटि के लिए दृश्य रूप से परीक्षा की जाएगी । त्रुटिपूर्ण विस्फोटक का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी प्रकार के अवक्षयन को दर्शित करने वाले चिन्ह के किसी विस्फोटक की अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत रिपोर्ट की जानी चाहिए और ऐसे विस्फोटकों को ऐसे प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के लिए हटा लेना चाहिए ।

(3) ऐसे गन पाउडर का जो नमी के कारण बट्टी रूप में पाया जाता है, उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(4) हिमशीतित नाइट्रो-ग्लिसरीन विस्फोटकों का तब तक उपयोग नहीं किया जाता जब तक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के पर्यवेक्षण में पिघल नहीं जाता है । जहाँ हिमशीतित होने की संभावना हो, वहाँ केवल कम हिमशीति विस्फोटकों का उपयोग किया जाएगा ।

92. स्थल पर बरती जाने वाली पूर्वावधानियाँ :-(1) विस्फोटन स्थल पर विद्युत शक्ति को यथासाध्य विस्फोटकों के चार्ज से पूर्व बंद नहीं कर दिया जाएगा ।

(2) चार्जिंग प्रचालकों के साथ सहज प्रचालकों से भिन्न कोई कार्य छिद्रों के 15 मीटर के भीतर कोई कार्य नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उसके प्रतिकूल विनिर्दिष्ट न किया गया हो ।

(3) जब चार्जिंग पूरा हो जाता है तब कोई अधिशेष विस्फोटक, डेटोनेटर या फ्यूज छिद्र के परिक्षेत्र से नहीं हटाया जाएगा और ऐसी दूरी पर भंडारकृत किया जाएगा जिससे किसी छिद्र में किसी चार्ज डेटोनेटिंग की दशा में सौहार्दपूर्ण डेटोनेशन को निवारित किया जा सके ।

(4) वह छिद्र विस्फोटकों से चार्ज कर दिया गया है तब तक के लिए छोड़ दिया जाएगा जब तक विस्फोटन पूरा नहीं हो जाता है ।

(5) यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि डेटोनेटर से जुड़े फ्यूज या तार स्टैनिंग सामग्री या टैम्पिंग के दौरान नष्ट नहीं हो जाते हैं ।

93. अपनाई जाने वाली समुचित चेतावनी प्रक्रिया :-अनुज्ञापित-धारी या अनुज्ञापितधारी द्वारा स्थल पर विस्फोटकों के उपयोग के भारसाधक रूप में नियुक्त कोई प्राधिकृत व्यक्ति चेतावनी चिन्ह और श्रव्य योग्य संकेतकों से मिलकर बनने वाली एक स्पष्ट चेतावनी प्रक्रिया अधिकथित करेगा और उस क्षेत्र में नियोजित सभी व्यक्तियों को ऐसे चिन्हों और संकेतकों से सुपरीचित किया जाएगा ।

94. फायरिंग के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियाँ :-(1) सुरक्षित फ्यूज के सिरे को आग लगाने से पूर्व काट दिया जाना चाहिए ।

(2) विस्फोटकों की फायरिंग में उपयोग के लिए नियमित रूप से जांच की जाएगी और उन्हें उपयुक्त दशा में रखा जाएगा । किसी विस्फोटक का उसकी दर क्षमता से ऊपर किसी परिपथ का फायरिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(3) विद्युत परिपथ का उसकी फायरिंग से पूर्व निरंतरता के लिए परीक्षण किया जाएगा । शार्ट चलाने वाले और उसके सहायकों, यदि कोई हो, से भिन्न सभी व्यक्तियों को निरंतरता के परीक्षण से पूर्व स्थल से हटा दिया जाएगा ।

(4) जोड़ने के प्रयोजन के लिए सभी तारों और केबलों के सिरो से अधिकतम 5 से.मी. की लम्बाई तक के विद्युत रोधकों को हटा दिया जाना चाहिए और तब न्यूनतम 2.5 से.मी. की लम्बाई के लिए साफ और चमकीला बनाया जाना चाहिए तथा जोड़े जाने वाले सिरो को इस प्रकार मोड़ देना चाहिए जिससे कि उनका सकारात्मक धातु सम्पर्क हो सके ।

95. छूटपुट धाराओं के विरुद्ध सावधानियाँ :-जहाँ विद्युत रूप से प्रचलित उपस्कर के अवस्थान सुचालक भूमि या निरंतर धातु वस्तुओं के हैं, वहाँ परीक्षणों को सुरक्षित रूप से किया जाएगा और छूटपुट धाराओं को इस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्युत फायरिंग को सुरक्षित रूप से अग्रसर किया जा सके ।

96. भारसाधक व्यक्ति का उत्तरदायी होना :-अनुज्ञापित-धारी या विस्फोटक परिचालन के भारसाधक के रूप में उसके द्वारा नियोजित कोई शाटफायर, विस्फोटकों की अग्नि, दुर्घटना, नुकसान, उठाईगिरी आदि के विरुद्ध सभी सावधानियाँ बरतेगा और अधिनियम या उसके नियमों के सुसंगत उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा ।

97. विस्फोटक प्रचालन के लिए नियोजित शाटफायर विस्फोटकों की अग्नि दुर्घटना, नुकसान, उठाईगिरी आदि के विरुद्ध सभी सावधानियाँ बरतेगा और विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उसके नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होगा ।

98. खानों से भिन्न क्षेत्र में शाट फायरों द्वारा विस्फोटक प्रचालन :-(1) विस्फोटक प्रचालन, नियंत्रण द्वारा जारी किया गया विधिमान्य प्रमाणपत्र के धारक किसी शाट फायरर द्वारा किया जाएगा ।

(2) विस्फोटक से प्रचालनों के दौरान शाट फायरर द्वारा प्रमाणपत्र की एक प्रति लाई जाएगी ।

(3) शाट फायरर, विस्फोटक प्रचालनों की हैंडलिंग या चार्जिंग में सभी सम्यक् सावधानियाँ बरतेगा ।

अध्याय VIII

अनापत्ति प्रमाणपत्र, अनुज्ञापित प्रमाणपत्र, संशोधन, अंतरण और नवीकरण का अनुमोदन करना या अनुमोदन से इंकार करना ।

99. अनुज्ञापित और अनुज्ञापन प्राधिकारी :-(1) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापित और प्रमाणपत्र अनुसूची-IV के भाग I में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा अनुदत्त किए जा सकेंगे ।

100. फीस का संदाय :—(1) जब मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक अनुज्ञापन प्राधिकारी को इन नियमों के अधीन संदेय फीस किसी क्रास किए गए बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदत्त की जाएगी और तब अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट पर इन नियमों के अधीन संदेय फीस रीति में संदत्त की जाएगी, जो उसके द्वारा विहित की जाए ।

(2) इन नियमों के अधीन संदेय फीस कतिपय किस्मों की रकम वह होगी, जो अनुसूची के भाग 2 में दी गई है ।

(3) जब कोई अनुज्ञप्ति एक वित्तीय वर्ष से अधिक के लिए इप्सित हो तब अपेक्षित वित्तीय वर्षों की संख्या के लिए फीस अनुसूची-4 के भाग 2 में विहित दर से संदेय होगी ।

101. सन्निर्माण से पहले पूर्व अनुमोदन :—(1) इन नियमों के अधीन निर्माण, विक्रय, उपयोग के कब्जे विस्फोटकों के परिवहन के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को अभिप्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से नियम 113 में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करके पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट पूर्व अनुमोदन करते समय आवेदक को, योजना और प्ररूप डीई-2, यदि अपेक्षित हो, के साथ अनुमोदन का एक सैट, अपेक्षित दूरियों को दर्शित करते हुए, जो परिसरों में या उनके आस-पास साफ रखा जाना है, देगा ।

(3) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक पूर्व अनुमोदन अनुदत्त करने के दौरान आवेदक को, योजनाओं और प्ररूप डी ई-2 सहित, यदि अपेक्षित हो, अनुमोदन का एक सैट, अपेक्षित दूरियाँ प्रदर्शित करते हुए, जिन्हें परिसर में या उसके आसपास साफ रखा जाना है, आवेदक को लौटा देगा और आवेदक को उसे प्रस्तुत करने के लिए समर्थ बनाने हेतु उक्त दस्तावेजों का एक अतिरिक्त सैट नियम 102 और 103 के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकारी को देगा ।

(4) उप नियम (1) के अधीन पूर्व अनुमोदन, एडीवरटस के विनिर्माण, कम्प्रेसर में विस्फोटक के परिवहन, दुकान में कब्जे, आतिशबाजी का लोक प्रदर्शन और विस्फोटकों के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्तियों की दशा में आवश्यक नहीं होगा ।

102. सन्निर्माण से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र :—(1) नियम 101 के अधीन अनुमोदन के पश्चात् विस्फोटकों के विनिर्माण, विक्रय या उपयोग के कब्जे के लिए कोई अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति, परिसरों के सन्निर्माण को प्रारंभ करने से पूर्व, यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या सुरक्षा महानिदेशक से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा ।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा, यदि —

(क) विस्फोटकों में विनिर्माण के लिए और आवेदक के नियंत्रणाधीन अपेक्षित सुरक्षित दूरियों के लिए अनुज्ञप्ति कारखाने के भीतर परिसरों को अनुज्ञप्तियाँ देने का प्रस्ताव है ।

(ख) वह परिसर जिनके लिए कोई नई अनुज्ञप्ति अपेक्षित है उसी सर्वेक्षण संख्या के भीतर अवस्थित है, जहाँ आवेदक का कोई विद्यमान परिसर है और उसके लिए कोई विधिमान्य अनुज्ञप्तियाँ हैं ।

(ग) विद्यमान अनुज्ञप्तियों में कोई अन्य संशोधन किया जाता है, अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए कोई नई जांच अपेक्षित नहीं होगी ।

103. अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना और अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :—

(1) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक से कोई अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने का इच्छुक, आवेदक, जिला मजिस्ट्रेट या महानिदेशक, खान सुरक्षा को इस आशय का कोई प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कि प्रस्तावित स्थल के लिए अनुज्ञप्तियाँ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कोई आपत्ति नहीं है, अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए प्रस्तावित परिसरों की अवस्थिति दर्शित करते हुए, स्थल योजनाओं की प्रतियाँ सहित आवेदन करेगा ।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्राधिकारी होगा, यदि प्रस्तावित स्थल का क्षेत्र भारतीय खान सुरक्षा अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अंतर्गत नहीं आता है और महानिदेशक खान सुरक्षा ऐसा अधिकारी होगा यदि ए एन एफ ओ के लिए प्रस्तावित स्थल का कोई क्षेत्र, द्रवीकृत आक्सीजन विस्फोटक एस एम ई और भारतीय खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आता है ।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, उप नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदक के पूर्ववृत्त, स्थल के कब्जे, प्रयोजनों की वास्तविकता, लोकहित का सत्यापन और किसी अन्य सत्यापन या जांच को, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से की जानी, यदि कोई हो, अपेक्षित हो, और किसी अन्य विषय का, जो आवश्यक समझा जाए, सत्यापन करेगा ।

(क) लोकहित के सत्यापन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट, जनता से आक्षेपों की, यदि कोई हो, उनके कारणों सहित मांग करते हुए प्रकाशित किए जाने के लिए, सूचना को तुरंत प्रकाशित कराएगा जिसमें सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर ऐसे आक्षेपों की अपेक्षा करते हुए और वह तारीख, समय और स्थान जहाँ पर उसके द्वारा दिए गए आक्षेपों पर विचार किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा । जहाँ प्रस्तावित परिसर किसी नगर योजना नगर पालिका प्राधिकरण या पत्तन या वायु पत्तन या सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान प्रमोचन केन्द्र या उसी प्रकार के राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की अधिकारिता की सीमाओं के 1.5 किलोमीटर के भीतर आता है वहाँ जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे प्राधिकरण या स्थापन को सूचना की तामील कराएगा । आक्षेपों पर विचार की सुनवाई का दिन सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक मास की अवधि के अवसान के पश्चात् यथासम्भवशीघ्र नियत

किया जाएगा। आक्षेप की प्राप्ति पर, जिला मजिस्ट्रेट, आक्षेप करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को और आवेदक को भी, आक्षेप पर विचार के लिए सुनवाई के लिए नियत दिन से पूर्व स्पष्ट सात दिन से अन्यून का समय देते हुए बुलाएगा। सुनवाई के लिए नियत दिन को या किसी अन्य दिन को जिसको ऐसी सुनवाई समय-समय पर आस्थगित की जाए, जिला मजिस्ट्रेट, अनापत्ति प्रमाणपत्र के प्रयोजन से सम्बन्धित किसी आक्षेप की सुनवाई करेगा और ऐसी जांच करेगा जो ऐसे आक्षेप के औचित्य को निर्धारित करने के लिए आवश्यक समझा जाए।

(ख) यदि विस्फोटक की मात्रा या ए एन एफ ओ या द्रवीकृत आक्सीजन विस्फोटक या एस एम ई या सडक वैन में विस्फोटकों के परिवहन की दशा में 100 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होती है तो ऊपर खंड क में अधिकथित आक्षेप लोक सूचना के लिए अनिवार्य नहीं होगी।

(4) महानिदेशक, खान सुरक्षा उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, स्थल के विधिमान्य कब्जे, प्रयोजन की वास्तविकता का सत्यापन कोई अन्य सत्यापन या जांच, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा, यदि कोई है, की जानी विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित हो, और किसी अन्य विषय पर जो आवश्यक समझा जाए, सत्यापन करेगा।

(5) उप-नियम (3) या उप-नियम (4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, जांच को तीन मास की अवधि के भीतर पूरी करेगा और ऐसा प्राधिकारी अपना समाधान होने पर, सम्यक् रूप से ऐसे प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सीलबंद सहित अनापत्ति प्रमाणपत्र मंजूर करेगा।

(6) यदि उप-नियम (3) या उप-नियम (4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, अनापत्ति प्रमाणपत्र के प्रयोजन से सम्बन्धित किसी आधार पर कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र मंजूर करने का विरोध करता है तो ऐसी अनुज्ञप्ति किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के सिवाय मंजूर नहीं की जाएगी।

(7) उप-धारा (3) या उप-धारा (4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, अनुसूची-5 के भाग 2 में निर्दिष्ट प्ररूप में अनापत्ति प्रमाणपत्र मंजूर करेगा या ऐसा अनापत्ति प्रमाणपत्र मंजूर करने से, उसके लिखित कारणों सहित आवेदक को, यथासंभवशीघ्र किंतु आवेदक से ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह मास अपश्चात् नाममंजूर करने की सूचना देगा।

(8) द्रवीकृत आक्सीजन विस्फोटक से भिन्न विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए कोई अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को उसके कारखाने के लिए या किसी खान के लिए, जो यथास्थिति, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) या खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अंतर्गत नहीं आता है, तब तक मंजूर या नवीकृत नहीं की जाएगी जब तक वह कारखाना या खान में किसी दुर्घटना की दशा में किसी आहत व्यक्ति या मृतक कर्मकार के आश्रितों की क्षतिपूर्ति करते हुए, 15 कि.ग्रा. तक के गनपाउडर या आतिशबाजी के

विनिर्माण करने वाले कारखानों के लिए 10,000 रु. की रकम या किसी समय 200 कि.ग्रा. के गन पाउडर या आतिशबाजी के किसी समय में विनिर्माण करने वाले कारखानों के लिए 25,000 रुपए की रकम और कारखाने या खानों के सम्बन्ध में प्रत्येक अन्य मामले में 50 हजार रुपए की रकम का प्ररूप सी ई-3 में एक बंध-पत्र निष्पादित नहीं कर देता है।

104. परिसरों के निर्माण का प्रारम्भ—नियम 103 के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर आवेदक परिसरों के निर्माण या सुविधाओं का प्रतिस्थापन का कार्य आरम्भ करेगा। परंतु यह कि दुकानों या भंडारगृहों या अन्य परिसरों की दशा में जो पहले से निर्मित हैं कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

105. अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए आवेदन—परिसरों के निर्माण के पूरे होने के पश्चात् आवेदक, नियम 113 में अधिकथित दस्तावेजों के साथ अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए आवेदन करेगा।

106. अनुज्ञप्ति अधिप्रमाणित की अवधि—अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी अवधि के लिए जो आवश्यक समझी जाए किंतु निम्नलिखित से अनधिक के लिए नहीं, कोई अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा—

- (1) विस्फोटकों के आयात या निर्यात के लिए छह मास
- (2) आतिशबाजी के लोक प्रदर्शन के लिए एक मास
- (3) विस्फोटकों के विनिर्माण या मैगजीन के भंडारण की दशा में पांच वित्तीय वर्ष या उसके भाग
- (4) अस्थायी आतिशबाजी दुकान के लिए 30 दिन
- (5) सभी अन्य दशाओं के लिए 10 वित्तीय वर्ष या उसका भाग।

107. किसी अनुज्ञप्ति और प्रमाणपत्र का मंजूर किया जाना—(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजों पर समाधान हो जाने पर और ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाए, इस अधिनियम के उपबंधों और इन नियमों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा या तो अनुज्ञप्ति मंजूर करेगा या उसे मंजूर करने से इंकार करेगा।

(2) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा मंजूर किए गए विस्फोटकों के आयात या निर्यात से भिन्न प्रत्येक अनुज्ञप्ति की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को और जिले के पुलिस अधीक्षक को और उस नियंत्रक को जिसकी अधिकारिता में ऐसे परिसर अवस्थित हैं, भेजेगा।

(3) जब अनुज्ञापन प्राधिकारी, इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का परिसरों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परिसरों का अनुरक्षण करने के पश्चात्, विस्फोटकों के निर्यात या आयात से भिन्न कोई अनुज्ञप्ति मंजूर करता है तब ऐसा प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति का पृष्ठांकन करेगा और ऐसे पृष्ठांकन की तारीख से अनुज्ञप्ति प्रवृत्त होगी :

परंतु यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी पूर्व निरीक्षण किए बिना कोई अनुज्ञप्ति मंजूर करता है तो ऐसा प्राधिकारी ऐसी अवधि के लिए जो

अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञापन पृष्ठांकन के लिए परिसरों का निरीक्षण करने के लिए अपेक्षित करे, अनुज्ञप्त परिसरों का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति का पृष्ठांकन लम्बित रहने के दौरान अनंतिम अनुज्ञा जारी कर सकेगा।

(4) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी निरीक्षण पर यह संप्रेक्षित करता है कि परिसर इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं है और पृष्ठांकन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह निम्नलिखित अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित के सम्बन्ध में संसूचित करेगा,

- (i) कमियों के परिशोधन के लिए उसका निदेश ;
- (ii) अनुज्ञप्ति के नियमित पृष्ठांकन न करने के लिए कारण ;
या
- (iii) अनुज्ञप्ति के, यथास्थिति, निलम्बन या प्रतिसंहरण के कारण।

(5) शाट फायरर प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए आवेदन की दशा में, नियंत्रक, नियम 113 की मद संख्या 24 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति पर, ऐसी परीक्षा और जांच करेगा जो शाटफायरर प्रमाणपत्र मंजूर करने से पूर्व आवश्यक समझी जाए। अपना यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक के पास विस्फोटकों की संभलाई और विस्फोटन से सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव है, वह प्ररूप एल ई-10 में, उसमें प्राधिकृत क्षेत्र और विस्फोटन प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट करते हुए शाटफायरर प्रमाणपत्र मंजूर करेगा। ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा। प्रमाणपत्र की प्रक्रिया पूरी करने पर पश्चात्पूर्ती पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनः विधिमान्यकृत किया जा सकेगा जैसा नई मंजूरी में होता है।

स्पष्टीकरण :—इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए विस्फोटन के निम्नलिखित प्रवर्ग होंगे, अर्थात् :—

वर्ग	प्रवर्ग	अनुज्ञात विस्फोटन की किस्म
क	असीमित	विस्फोटन की सभी किस्में
ख	साधारण भूमि से ऊपर	भूमि के ऊपर विस्फोटन के प्रचालन के सभी चरण
ग	साधारण भूमिगत	भूमिगत विस्फोटन प्रचालन के सभी चरण
घ	ढाहना	ढाहने की परियोजनाओं में विस्फोटन के सभी चरण
ङ	भूकंपी	भूकंपी पूर्वक्षण या उत्पादन में विस्फोटन के सभी चरण
च	कृषि	कृषि में विस्फोटन और कुंआ धंसने के सभी चरण
छ	विशेष	ऊपर प्रवर्गों के अंतर्गत न आने वाले विशेष प्रयोजन के लिए विस्फोटन।

(6) फोरमैन प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए आवेदन की दशा में, नियंत्रक, नियम 113 की मद संख्या 25 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति पर, ऐसी परीक्षा और जांच करेगा जो शाट-फायरर प्रमाणपत्र मंजूर करने से पूर्व आवश्यक समझी जाए। उसका यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक के पास विस्फोटकों की संभलाई और विस्फोटन से संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव है, तो वह विनिर्माण के प्राधिकृत क्षेत्र में यह विनिर्दिष्ट करते हुए, प्ररूप एल ई-11 में फोरमैन प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा। ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा। प्रमाणपत्र को प्रक्रिया के पूरे करने पर जैसा कि नया प्रमाणपत्र मंजूर करने पर होता है, पश्चात्पूर्ती पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनः विधिमान्यकृत किया जा सकेगा।

(7) जिला प्राधिकारी उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले नियंत्रक को प्ररूप एल.ई.-1, एल.ई.-2, एल.ई.-3, एल.ई.-4, और एल.ई.-5, में अपने द्वारा अनुदत्त किए गए प्रत्येक अनुक्षति की प्रति अग्रनीत करेगा।

(8) जहां कहीं अनुज्ञप्ति जिला प्राधिकारी द्वारा आतिशबाजी का विनिर्माण करने के लिए प्ररूप एल.ई.-1 में अनुदत्त किए गए हैं वह, सुनिश्चित करेगा कि ऐसी अनुज्ञप्ति केवल ऐसे आतिशबाजी मद के विनिर्माण करने के लिए जारी की गई है जो मुख्य नियंत्रक द्वारा।

108. अनुज्ञप्ति का अंतरण :—(1) इन नियमों के अधीन अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा अंतरित की जा सकेगी।

(2) कोई आवेदक, जो अनुज्ञप्ति को अपने पक्ष में अंतरित कराने का इच्छुक है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :—

- (क) अनुज्ञप्ति को मंजूर करने के लिए समुचित प्ररूप में कोई आवेदन;
- (ख) आवेदक या उसके प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर;
- (ग) आवेदक के पक्ष में अनुज्ञप्ति के अंतरण या किसी अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में जो कोई व्यष्टि है किसी सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का अनुरोध करते हुए किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी से कोई पत्र;
- (घ) विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी को जारी मूल अनुज्ञप्ति;
- (ङ) आवेदक के पक्ष में परिसरों के कर्तव्यों के अंतरण की बाबत समर्थनकारी दस्तावेजों की प्रतियां;
- (च) अध्यपेक्षित संवीक्षा फीस और अंतरण फीस;
- (छ) आवेदक के नाम में सभी अनुमोदित आरेखनों की प्रतियां;
- (ज) आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्तिगत या स्वामित्वधारी फर्म, भागीदारी फर्म, कंपनी संगम या सोसायटी या अन्यथा है—दस्तावेजी साक्ष्य, उसके साथ स्वामी या भागीदारों या निदेशकों या सदस्यों के नाम और पते, तथा अधिभोगी के फोटो पेश किए जाएंगे।

(झ) आवेदक के पक्ष में अनुज्ञप्ति के अंतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र :

परंतु कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा यदि आवेदक के पास ऐसी अनुज्ञप्ति है, जिसके लिए कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र पहले से ही मंजूर कर दिया गया है ।

109. परिसरों, या अनुज्ञप्तियों क्षमताओं में परिवर्धन या परिवर्तन की बाबत अनुज्ञप्ति का संशोधन किंतु जिसमें अनुज्ञप्ति-धारी या भागीदारों या निदेशकों या सदस्यों के नाम में परिवर्तन अंतर्वलित नहीं हैं :—(1) इन नियमों के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति को, अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा संशोधित किया जा सकेगा, यदि संशोधन इन नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।

(2) कोई अनुज्ञप्तिधारी जो अपनी अनुज्ञप्ति को संशोधित किए जाने का इच्छुक है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को निम्नलिखित विशिष्टियों को प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :—

- (क) संशोधन की प्रकृति और उसके लिए कारणों को कथित करते हुए कोई आवेदन;
- (ख) इसके अनुलग्नकों सहित मूल अनुज्ञप्ति;
- (ग) प्रस्तावित संशोधन के ब्यौरों को दर्शित करते हुए योजनाएं, यदि ऐसी योजनाएं संशोधन के प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हों;
- (घ) विहित संवीक्षा फीस;
- (ङ) विहित संशोधन फीस;

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी, उप-धारा (2) के अधीन पेश किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् तथा ऐसी कार्रवाई करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाए, अनुज्ञप्ति का संशोधन करने के लिए समुचित कार्रवाई कर सकेगा ।

110. अनुज्ञप्तिधारी (फर्म या कंपनी या संगम या सोसायटी) के नाम में परिवर्तन के कारण अनुज्ञप्ति का संशोधन :—(1) जहां कहीं अनुज्ञप्तिधारी के नाम में, जैसे फर्म या कंपनी या संगम या सोसायटी में परिवर्तन प्रस्तावित है, वहाँ अनुज्ञप्ति-धारी निम्नलिखित सहित नए नाम के पक्ष में अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा :—

- (क) अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए समुचित प्ररूप में आवेदन;
- (ख) नाम में परिवर्तन की बाबत समर्थनकारी दस्तावेजों सहित दस्तावेजी साक्ष्य;
- (ग) अनुज्ञप्तिधारी के नए नाम में सभी अनुमोदित आरेखनों की प्रतियाँ;
- (घ) अनुज्ञप्तिधारी के नाम में परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट से कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र;

(ङ) अपेक्षित समीक्षा फीस और संशोधन फीस ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी के नाम में परिवर्तन की दशा में, जो विस्फोटकों का विनिर्माण करता है, अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा विनिर्मित विस्फोटकों की बाबत प्राधिकृत विस्फोटकों की सूची में तत्समान संशोधनों के लिए आवेदन करेगा ।

111. भागीदारों या निदेशकों या सदस्यों या अधिभोगी के परिवर्तन की प्रक्रिया :—जहाँ कहीं कोई नया भागीदार या सदस्य या निदेशक, यथास्थिति, भागीदार फर्म या सोसायटी या संगम या कंपनी में अनुज्ञप्तिधारी फर्म या सोसायटी या संगम या कंपनी के नाम में किसी परिवर्तन के बिना, सम्मिलित किया जाता है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी नए सम्मिलित किए गए भागीदारों या सदस्यों या निदेशकों के प्रतिग्रहण के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारियों को निम्नलिखित सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा, —

- (क) नए सम्मिलित किए गए, यथास्थिति, भागीदारों या निदेशकों या सदस्यों के नाम और पते तथा अधिभोगी बदल जाता है, तो नए अधिभोगी की फोटो;
- (ख) यथास्थिति, नए सम्मिलित किए गए भागीदारों, सदस्यों, निदेशकों या अधिभोगियों के जिला मजिस्ट्रेट से जीवन वृत्त के सत्यापन का प्रमाणपत्र;
- (ग) अपेक्षित संवीक्षा फीस;
- (घ) कोई अन्य दस्तावेज जिसकी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मांग की जाए ।

112. अनुज्ञप्ति का नवीकरण :—(1) एक वर्ष से अनधिक की किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों के सिवाय, प्रत्येक अनुज्ञप्ति 31 मार्च को समाप्त होने वाले पांच वित्तीय वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए नवीकरणीय होगी ।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगे होंगे :—

- (क) प्ररूप आर ई-1 में आवेदन;
- (ख) मूल अनुज्ञप्ति;
- (ग) विहित नवीकरण फीस ।

(3) कोई अनुज्ञप्ति ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा नवीकृत की जा सकेगी :

परंतु यह कि ऐसी कोई अनुज्ञप्ति, जो मुख्य नियंत्रक द्वारा मंजूर की गई है, इस निमित्त मुख्य नियंत्रक द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी नियंत्रक द्वारा परिवर्धन किए बिना नवीकृत की जा सकेगी :

परंतु यह और कि ऐसी अनुज्ञप्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर की गई है, किसी सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कोई परिवर्धन किए बिना नवीकृत की जा सकेगी ।

(4) किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी या

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए सशक्त प्राधिकारी को, अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख को या उससे पूर्व पहुंच सके।

(5) यदि नवीकरण के लिए कोई आवेदन अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख को या उससे पूर्व नवीकरण या अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास पहुंचता है तो अनुज्ञप्ति को, उस तारीख तक, जब तक अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करता है या अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से इंकार करने की संसूचना आवेदक को संसूचित की जाती है, तब तक प्रवृत्त समझी जाएगी।

(6) वही फीस प्रत्येक वर्ष या किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए जो उसके मंजूर करने के लिए है, प्रभारित की जाएगी :

परंतु यह कि यदि पूरे दस्तावेजों सहित नवीकरण का आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अवसान की तारीख के पश्चात् किंतु अवसान की तारीख से तीन मास के पश्चात्, किंतु अवसान की तारीख के छह मास अपश्चात् प्राप्त होता है यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विलंब अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण के परे के कारणों से है तो अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस निमित्त की जा सकेगी, शास्ती फीस के संदाय पर जो एक वर्ष की अनुज्ञप्ति फीस के बराबर होगी नवीकृत की जा सकेगी।

(7) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किसी आवेदन की दशा में उप-नियम (6) के परंतुक के अधीन विहित फीस, यदि संदेय हो, नवीकरण के पहले वित्तीय वर्ष के लिए संदत्त की जाएगी।

(8) इन नियमों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्ति से भिन्न पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए नवीकरणीय होगी, जहाँ इस

अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए इन नियमों के या इस प्रकार नवीकृत अनुज्ञप्तियों की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है।

(9) एक वित्तीय वर्ष से अधिक के लिए नवीकृत कोई अनुज्ञप्ति इसके अवसान से पूर्व अभ्यर्पित की जाती है, वहाँ अनुज्ञप्ति की अनवसित भाग की अवधि के लिए नवीकृत फीस अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिदाय की जाएगी :

परंतु नवीकरण फीस का प्रतिदाय किसी ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए की गई फीस के लिए किया जाएगा, जिसके दौरान :—

(क) अनुज्ञापन प्राधिकारी अभ्यर्पण के लिए नवीकृत अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है;

(ख) कोई विस्फोटक अनुज्ञप्ति के प्राधिकारी से प्राप्त करता है या भंडारकृत करता है।

(10) कोई अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं की जाएगी, यदि नवीकरण के लिए आवेदन इसके अवसान की तारीख से तीन मास के पश्चात् अनुज्ञापन या नवीकरण प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है। अनुज्ञप्ति के अवसान के तीन मास पश्चात् प्राप्त पुनः विधिमान्यकरण के लिए प्राप्त किसी आवेदन पर इस प्रकार विचार किया जाएगा मानो यह किसी नई अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन होगा।

(11) जब कोई अनुज्ञप्ति मुख्य नियंत्रक या किसी नियंत्रक द्वारा नवीकृत की जाती है, तब उस आशय की सूचना, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और तब कोई अनुज्ञप्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नवीकृत की जाती है, तब उस आशय की सूचना अधिकारिता रखने वाले नियंत्रक को भेजी जाएगी।

113. अनुज्ञप्ति का अनुमोदन और प्रदत्त करने के लिए दस्तावेज :—निम्नलिखित दस्तावेज अनुज्ञप्ति के अनुमोदन और अनुदत्त करने के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित होंगे :

क्रम संख्यांक	अनुज्ञप्ति का प्रयोजन	अनुसूची 4 के भाग 1 के अनुसार वस्तु सं.	अनुज्ञप्ति प्ररूप	अनुमोदन के लिए अपेक्षित दस्तावेज	अनुज्ञप्ति देने के लिए अपेक्षित दस्तावेज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	किसी एक समय में 15 कि.ग्रा. से अनधिक आतिशबाजी या गन पाउडर के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति	1(क)	एलई-1	(i) प्ररूप ए ई-1 (ii) प्रस्तावित भवनों या शैडों की रेखांक तथा कारखाना, सभी भवनों में उसके आस-पास तक पहुंच सड़क दर्शित करने वाला स्थल और रखी जाने वाली सुरक्षा दूरियाँ ; (iii) सक्षम व्यक्तियों की विशिष्टियाँ और सम्बन्धित क्षेत्रों में उनके अनुभव; (iv) नियम 2 के अनुसार अधिभागी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी	(i) प्ररूप ए ई-1 (ii) प्रस्तावित भवनों या शैडों की रेखांक तथा कारखाना, सभी भवनों में और उसके आस पास तक पहुंच सड़क दर्शित करने वाला स्थल और रखी जाने वाली सुरक्षा दूरियाँ ; (iii) सक्षम व्यक्तियों की विशिष्टियाँ और सम्बन्धित क्षेत्रों में उनके अनुभव ; (iv) नियम 2 के अनुसार अधिभागी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य सहित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				साक्षय सहित अधिभोगी का पासपोर्ट आकार के फोटो (v) अनुसूची-4 के भाग 2 के अनुसार संवीक्षा फीस	अधिभोगी का पासपोर्ट आकार के फोटो (v) समाप्ति प्रमाणपत्र (vi) सी ई-3 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र (vii) भाग 2 के अनुसूची-4 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
2.	किसी एक समय में 15 कि.ग्रा. से अधिक किंतु 500 कि.ग्रा. से अनधिक आतिशबाजी या गन पाउडर के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति ।	1(ख)	एल ई-1	(i) प्ररूप ए ई-1 और प्रक्रिया के ब्यौरे जैसे अतिरिक्त जानकारी ; (ii) प्रस्तावित भवनों और कारखाने या परिसरों के नैटवर्क तक पहुंच मार्ग को दर्शित करने वाले स्थल के रेखांक, सभी भवन, विस्फोटन दीवार, सुरक्षा दूरियां संयंत्र, उपस्कर, विस्फोटक सीमा, मनुष्य की सीमा दूरी सहित प्ररूप ए ई-1 और रखी जाने वाली सुरक्षा दूरियाँ ; (iii) सक्षम तकनीकी व्यक्तियों या फोरमैन की विशिष्टियां और सम्बन्धित क्षेत्रों में उनके अनुभव ; (iv) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्षय सहित अधिभोगी का पासपोर्ट आकार के फोटो ; (v) अनुसूची-4 के भाग 2 के अनुसार सक्षम फीस ।	(i) प्ररूप ए ई-1 और प्रक्रिया के ब्यौरे जैसे अतिरिक्त जानकारी ; (ii) पूरे भवनों और कारखाने या परिसरों के नैटवर्क तक पहुंच मार्ग को दर्शित करने वाला स्थल के रेखांक, सभी भवन, विस्फोटन दीवार, सुरक्षा दूरियाँ संयंत्र, उपस्कर, विस्फोटक सीमा, मनुष्य की सीमा दूरी सहित प्ररूप डी ई-1 दूरी सहित ; (iii) सक्षम तकनीकी व्यक्तियों या फोरमैन की विशिष्टियां और सम्बन्धित क्षेत्रों में उनके अनुभव ; (iv) सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी से रेखांक अनुमोदन सहित अनापत्ति प्रमाणपत्र ; (v) समाप्ति प्रमाणपत्र (vi) सी ई-3 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र (vii) भाग 2 के अनुसूची-4 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
3.	किसी एक समय में 500 कि.ग्रा. से अधिक आतिशबाजी या गन पाउडर या दोनों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति ।	1(ग)	एल ई-1	(i) प्ररूप ए ई-1 और प्रक्रिया के ब्यौरे जैसे अतिरिक्त जानकारी ; (ii) प्रस्तावित भवनों और कारखाने या परिसरों के नैटवर्क तक पहुंच मार्ग को दर्शित करने वाले स्थल के रेखांक, सभी भवन, विस्फोटन दीवार, सुरक्षा दूरियां संयंत्र, उपस्कर, विस्फोटन सीमा, मनुष्य की सीमा दूरी सहित प्ररूप ए ई-1 और रखी जाने वाली सुरक्षा दूरियाँ ; (iii) सक्षम तकनीकी	(i) प्ररूप ए ई-1 और प्रक्रिया के ब्यौरे जैसे अतिरिक्त जानकारी ; (ii) पूरे भवनों और कारखाने या परिसरों के नैटवर्क तक पहुंच मार्ग को दर्शित करने वाला स्थल के रेखांक, सभी भवन, विस्फोटन दीवार, सुरक्षा दूरियाँ संयंत्र, उपस्कर, विस्फोटन सीमा, मनुष्य की सीमा दूरी सहित प्ररूप डी ई-1 दूरी सहित ; (iii) सक्षम तकनीकी व्यक्तियों या फोरमैन की विशिष्टियां और सम्बन्धित क्षेत्रों में उनके अनुभव ; (iv) सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				व्यक्तियों या फोरमैन की विशिष्टियां और सम्बन्धित क्षेत्रों में उनके अनुभव ; (iv) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य सहित अधिभोगी का पासपोर्ट आकार के फोटो ; (v) अनुसूची-4 के भाग 2 के अनुसार सक्षम फीस ।	से रेखांक अनुमोदन सहित अनापत्ति प्रमाणपत्र ; (v) समाप्ति प्रमाणपत्र ; (vi) सी ई-3 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र ; (vii) भाग 2 के अनुसूची-4 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
7.	आतिशबाजी, बारूद, एनएफओ, एलओएक्स, एसएमई से भिन्न विस्फोटकों का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति	1(जी)	एलई --1	(i) एई 1 प्ररूप और विनिर्माण प्रक्रिया के ब्यौरों जैसी अन्य अतिरिक्त सूचना; (ii) कारखाने/या परिसरों को पहुंच मार्गों का पूरा नेटवर्क; सभी भवन; टीले, सुरक्षा दूरियां, संयंत्र, उपस्कर विस्फोटकों की सीमा, व्यक्तियों की सीमा और वार्षिक क्षमता, को उपदर्शित करते हुए प्रस्तावित भवन और स्थल की योजनाएं ; (iii) डी ई-1 से दूरी के साथ; (iv) कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्तियों और तैयार उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण योजना और प्रक्रिया ; (v) सुरक्षा प्रबंधन योजना, (vi) सक्षम तकनीकी व्यक्तियों या फोरमैन के ब्यौरे और संबंधित क्षेत्रों में उनका अनुभव ; (vii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ;	(i) एई प्ररूप 1 और विनिर्माण प्रक्रिया के ब्यौरों जैसी अन्य अतिरिक्त सूचना; (ii) कारखाने/या परिसरों को पहुंच मार्गों का पूरा नेटवर्क; सभी भवन; टीले, सुरक्षादूरियां,संयंत्र,उपस्कर विस्फोटकों की सीमा, व्यक्तियों की सीमा और वार्षिक क्षमता, को उपदर्शित करते हुए प्रस्तावित भवन और स्थल की योजनाएं ; (iii) डी ई-1 से दूरी के साथ; (iv) सुरक्ष प्रबंधन योजना, (v) सक्षम तकनीकी व्यक्तियों या फोरमैन के ब्यौरे और संबंधित क्षेत्रों में उनका अनुभव ; (vi) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (vii) सक्षम जारी करने वाले प्राधिकारी से अनुमोदित योजना के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र ; (viii) सीई -3 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र (ix) समापन प्रमाण पत्र (x) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(viii) एस एम ई संयंत्र की दशा में बी एम डी यानों के ब्यौरे ; (ix) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार संवीक्षा फीस ।	
8.	एडिर्वर्टस के विनिर्माण के लिए किसी एक समय में 15 किलोग्राम से अनधिक बारूद कब्जे में रखने और किसी एक समय 200 से अधिक एडिर्वर्टस कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति ।	2	एलई-2	नियम 101 के उप-नियम (4) के अनुसार आवश्यक नहीं है ।	(i) प्ररूप एई-2 (ii) बारूद के भंडारण के स्थान, एडिर्वर्टस की भराई और गोलाबारी तथा सभी तरफ 100 मीटर के भीतर संरक्षित संकर्म को उपदर्शित करते हुए योजना । (iii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (iv) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस । (v) लोक दायित्व बीमा ।
9.	कृषि प्रयोजन के लिए या छोटी खदान में उपयोग के लिए वर्ग 1 या 2 या 3 के 25 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटक 1500 विस्फोट प्रेरक ; और 1500 मीटर विस्फोट प्रेरक फ्यूज या किसी भी समय मैगजीन में सुरक्षा फ्यूज कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति ।	3(क)	एलई-3	(i) प्ररूप एई-3 (कब्जे में रखने और उपयोग के लिए) ; (ii) पहुंच मार्ग ; सुरक्षा दूरी ; अनुज्ञप्त क्षमता उपदर्शित करते हुए प्रस्तावित मैगजीन और स्थल की योजना ; (iii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नाम-निर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (iv) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार संवीक्षा फीस ।	(i) प्ररूप एई-3 (कब्जे में रखने और उपयोग के लिए) ; (ii) पहुंच मार्ग ; सुरक्षा दूरी ; अनुज्ञप्त क्षमता उपदर्शित करते हुए प्रस्तावित मैगजीन और स्थल की योजना ; (iii) समापन प्रमाण पत्र ; (iv) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (v) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
10.	मैगजीन में वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 के विस्फोटकों के बिक्री के लिए कब्जे की अनुज्ञप्ति ।	3(ख)	एलई-3	(i) प्ररूप एई-3 ; (ii) पहुंच मार्ग ; टीले ; सुरक्षा दूरी ; अनुज्ञप्त क्षमता उपदर्शित करते हुए प्रस्तावित मैगजीन और स्थल की योजना ; (iii) डी ई-1 से दूरी ; (iv) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी	(i) प्ररूप एई-3 ; (ii) पहुंच मार्ग ; टीले ; सुरक्षा दूरी ; अनुज्ञप्त क्षमता उपदर्शित करते हुए प्रस्तावित मैगजीन और स्थल की योजना ; (iii) डी ई-1 से दूरी ; (iv) समापन प्रमाण पत्र ; (v) अनुमोदित योजना के साथ जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (v) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार संवीक्षा फीस ।	(vi) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
11.	मैगजीन में वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 के विस्फोटकों के उपयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति ।	3(ग)	एलई-3	(i) प्ररूप एई-3 ; (ii) पहुंच मार्ग ; टीले ; सुरक्षा दूरी ; अनुज्ञप्त क्षमता उपदर्शित करते हुए प्रस्तावित मैगजीन और स्थल की योजना ; (iii) डी ई-1 से दूरी ; (iv) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (v) अनुसार iv, भाग 2 के अनुसार संवीक्षा फीस ।	(i) प्ररूप एई-3 ; (ii) पहुंच मार्ग ; टीले ; सुरक्षा दूरी ; अनुज्ञप्त क्षमता उपदर्शित करते हुए प्रस्तावित मैगजीन और स्थल की योजना ; (iii) डी ई-1 से दूरी ; (iv) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (v) समापन प्रमाण पत्र ; (vi) अनुमोदित योजना के साथ जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र ; (vii) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
12.	किसी भंडारगृह में 5000 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाजी या 50000 मीटर से अनधिक सुरक्षा प्यूज को स्वयं की अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकान में अंतरण के लिए परंतु बिक्री के लिए नहीं, कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति ।	3(घ)	एलई-3	(i) प्ररूप एई-3 ; (ii) पहुंच मार्ग ; सुरक्षा दूरी ; अनुज्ञप्त क्षमता उपदर्शित करते हुए स्थल के प्रस्तावित भंडार गृह की योजना ; (iii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (iv) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार संवीक्षा फीस ।	(i) प्ररूप एई-3 ; (ii) पहुंच मार्ग ; सुरक्षा दूरी ; अनुज्ञप्त क्षमता उपदर्शित करते हुए स्थल के प्रस्तावित भंडार गृह की योजना ; (iii) समापन प्रमाण पत्र ; (iv) अनुमोदित योजना के साथ जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र ; (v) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (vi) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
13.	वर्ग 2 या 3 के विस्फोटकों के 25 किलोग्राम से अनधिक, 200 से अनधिक विद्युत या सामान्य विस्फोट प्रेरक, 100 से अनधिक विस्फोटक प्रेरक प्यूज और संपीडक माउंटेंड मोटर ट्रक या	4	एलई-4	नियम 101 के उप-नियम (4) के अनुसार आवश्यक नहीं है (मुख्य नियंत्रक से टंकित अनुमोदन का अभिप्राप्त किया जाना) ।	(i) प्ररूप एई-4 (ii) विनिर्देश 5 के अनुसार ट्रैक्टर संपीडक की योजना ; (iii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (iv) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ट्रेक्टर से कुएं में उपयोग के लिए 200 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज परिवहन के लिए कब्जे में रखने की अनुज्ञप्ति ।				
14.	किसी एक समय 25 किलोग्राम से अनधिक छोटे आयुध नाइट्रो-कंपाउंडों के कब्जे और दुकान से बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति ।	5(क)	एलई-5	नियम 101 के उप-नियम (4) के अनुसार आवश्यक नहीं है ।	(i) प्ररूप एई-5; (ii) नियम 86 के उप-नियम (3) का विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन दर्शाते हुए भंडारण क्षमता, पहुंच मार्ग, आसपास की सुविधाएं उप-दर्शित करते हुए दुकान की योजनाएं ; (iii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (iv) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
15.	किसी एक समय वर्ग 7, खंड 2, उप-खंड 2 के 100 किलोग्राम से अनधिक विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम चीनी पटाखे या स्पार्कलर्स के कब्जे और दुकान से बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति ।	5(ख)	एलई-5	नियम 101 के उप-नियम (4) के अनुसार आवश्यक नहीं है ।	(i) प्ररूप एई-5 ; (ii) नियम 86 के उप-नियम (3) का विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन दर्शाते हुए भंडारण क्षमता, पहुंच मार्ग, आसपास की सुविधाएं उप-दर्शित करते हुए दुकान की योजनाएं ; (iii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (iv) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
16.	किसी एक समय वर्ग 6, प्रभाग 1 के 2000 से अनधिक आतिशबाजी युक्त विस्फोटकों के कब्जे और दुकान से बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति ।	5(ग)	एलई-5	नियम 101 के उप-नियम (4) के अनुसार आवश्यक नहीं है ।	(i) प्ररूप एई-5 ; (ii) नियम 86 के उप-नियम (3) का विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन दर्शाते हुए भंडारण क्षमता, पहुंच मार्ग, आसपास की सुविधाएं उप-दर्शित करते हुए दुकान की योजनाएं ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(iii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (iv) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
17.	बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु राज्यों में 5 किलोग्राम से अनधिक बारूद्ध और 50 मीटर से अनधिक सुरक्षा प्यूज उपयोग के लिए कब्जे में रखने की अनुज्ञप्ति ।	5(घ)	एलई-5	नियम 101 के उप-नियम (4) के अनुसार आवश्यक नहीं है ।	(i) प्ररूप एई-5 ; (ii) नियम 86 के उप-नियम (3) का विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन दर्शाते हुए भंडारण क्षमता, पहुंच मार्ग, आसपास की सुविधाएं उप-दर्शित करते हुए दुकान की योजनाएं ; (iii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (iv) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
18.	केरल राज्य में 5 किलोग्राम से अनधिक छोटे हथियार, नाइट्रो-कंपाउंड उपयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति ।	5(ङ)	एलई-5	नियम 101 के उप-नियम (4) के अनुसार आवश्यक नहीं है ।	(i) प्ररूप एई-5 ; (ii) नियम 86 के उप-नियम (3) का विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन दर्शाते हुए भंडारण क्षमता, पहुंच मार्ग, आसपास की सुविधाएं उप-दर्शित करते हुए दुकान की योजनाएं ; (iii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ; (iv) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
19.	100 किलोग्राम से अधिक परन्तु 300 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 7, प्रभाग 2, उप-प्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम से अधिक परन्तु 1200 किलोग्राम से अनधिक चीनी पटाखे या स्पार्कलर्स के कब्जे और किसी दुकान से	5(च)	एलई-5	नियम 101 के उप-नियम (4) के अनुसार आवश्यक नहीं है ।	(i) प्ररूप एई-5 ; (ii) विनिर्देश 86 के उप-नियम (3) का विनिर्दिष्ट रूप से अनुपालन दर्शाते हुए भंडारण क्षमता, पहुंच मार्ग, आसपास की सुविधाएं उप-दर्शित करते हुए दुकान की योजनाएं ; (iii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति ।				(iv) अनुमोदित योजना के साथ जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र; (v) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
20.	लोक प्रदर्शन के लिए आतिशबाजी के कब्जे और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति ।	6	एलई-6	नियम 101 के उप-नियम (4) के अनुसार आवश्यक नहीं है ।	(i) प्ररूप एई-6; (ii) आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए स्थल योजना; (iii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो; (iv) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस; (v) लोक दायित्व बीमा;
21.	रोड वैन में विस्फोटकों के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति ।	7	एलई-7	(i) प्ररूप एई-7; (ii) विनिर्देश 4 के अनुसार प्रस्तावित विस्फोटक वैन की योगजाएं; (iii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो; (iv) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार संवीक्षा फीस ।	(i) प्ररूप एई-7; (ii) विनिर्देश 4 के अनुसार प्रस्तावित विस्फोटक वैन की योजना; (iii) समापन प्रमाण पत्र ; (iv) यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति; (v) जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहां आवेदक बिक्री या उपयोग के लिए विस्फोटकों के कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति का धारक है वहां उपरोक्त अनुज्ञप्ति की प्रति जमा की जानी है ।); (vi) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो; (vii) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
22.	भू-मार्ग से भिन्न विस्फोटकों के आयात या निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति ।	8	एलई-8	नियम 101 के उप-नियम (4) के अनुसार आवश्यक नहीं है ।	(i) प्ररूप एई-8; (ii) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी या निर्यातकर्ता के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो; (iii) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
23.	अनुसूची iv के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 8 में उपबंधित नहीं किए गए विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, बिक्री,	9	एलई-9 (विशेष)	(i) प्ररूप एई-1; (ii) कारखाने या परिसरों को पहुंच मार्गों का पूरा नेटवर्क यथास्थिति सभी भवन; टीले, सुरक्षा दूरियां, संयंत्र, उपस्कर, विस्फोटकों की	(i) प्ररूप एई-9; (ii) कारखाने/या परिसरों को पहुंच मार्गों का पूरा नेटवर्क यथास्थिति सभी भवन; टीले, सुरक्षा दूरियां, संयंत्र, उपस्कर, विस्फोटकों की

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	उपयोग आदि के लिए अनुज्ञप्ति ।			सीमा, व्यक्तियों की सीमा और वार्षिक क्षमता, उपदर्शित करते हुए प्रस्तावित भवन और स्थल की योजनाएं; (iii) मुख्य नियंत्रक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज; (iv) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नाम-निर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो; (v) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार संवीक्षा फीस ।	सीमा, व्यक्तियों की सीमा और वार्षिक क्षमता, उपदर्शित करते हुए प्रस्तावित भवन और स्थल की योजनाएं; (iii) मुख्य नियंत्रक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज; (iv) अनुमोदित योजना के साथ जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र; (v) समापन प्रमाण पत्र ; (vi) नियम 2 के अनुसार अधिभोगी के रूप में नामनिर्देशन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधिभोगी के पासपोर्ट आकार के फोटो; (vii) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस ।
24.	शार्ट फायर करने वाले का प्रमाण पत्र	10	एलई-10	आवश्यकता नहीं	(i) प्ररूप एई-10; (ii) पासपोर्ट आकार के दो फोटो; (iii) जन्म की तारीख का सबूत; (iv) शैक्षिक योग्यता और अनुभव का प्रमाण पत्र; (v) चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता का प्रमाण पत्र; (vi) पुलिस स्टेशन के प्रभारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (उन मामलों में अपेक्षित नहीं है जहां फैक्टरी या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में विस्फोटकों के परीक्षण के सम्बन्ध में विस्फोटन के लिए केवल सक्षमता अपेक्षित है); (vii) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार फीस ।
25.	फोरमैन का प्रमाण पत्र		एलई-11	अपेक्षित नहीं	(i) प्ररूप एई-11; (ii) पासपोर्ट आकार के दो फोटो; (iii) जन्म की तारीख का सबूत; (iv) शैक्षिक योग्यता और अनुभव का प्रमाण पत्र; (v) चिकित्सा दृष्ट्या योग्यता का प्रमाण पत्र; (vi) अनुसूची iv, भाग 2 के अनुसार फीस ।

114. अनुज्ञप्ति या अनुमोदन प्रदान करने से इंकार : अनुमोदन या अनुज्ञप्ति जिसमें संशोधन या नवीकरण भी है, से इंकार करने वाला प्राधिकारी ऐसे इंकार के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा और उसकी आवेदक को संसूचना देगा। इंकार करने से पहले आवेदक को सुने जाने का एक अवसर दिया जाएगा।

115. अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करना : (1) नियम 103 के अधीन अनुदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र उसे जारी करने वाले प्राधिकारी या उससे वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकेगा, यदि ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि,—

- (क) अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्त परिसरों के विधिपूर्ण कब्जे का अधिकार समाप्त हो गया है।
- (ख) अनुज्ञप्तिधारी किसी दंडिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दंडित किया गया है या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1973 का 2) के अध्याय 8 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए शांति कायम रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए उसे आदेश दिया गया है।
- (ग) अनापत्ति प्रमाण पत्र का रद्दकरण लोक शांति और सुरक्षा के लिए नितांत आवश्यक है:

परंतु अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्दकरण से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का एक युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(2) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार जो अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर रहे हों ऐसे रद्द करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेंगे और तुरंत अनुज्ञप्तिधारी और सम्बद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश की प्रति और ऐसे रद्द करने के कारण प्रस्तुत करेंगे।

(3) यदि ऐसे अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करने के विरुद्ध कोई अपील की जाती है तो अपील प्राधिकरण, यदि वांछा करे तो मुख्य नियंत्रक से परामर्श कर सकेगा।

116. किसी अनुज्ञप्ति के संशोधन या नवीकरण से इंकार :

(1) किसी अनुज्ञप्ति के संशोधन या नवीकरण से इंकार करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे इंकार करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार करेगा यदि ऐसी अनुज्ञप्ति अधिनियम या इन नियमों के अनुसार प्रतिसंहत की जा सकती है।

(3) किसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार करने के कारणों का संक्षिप्त कथन मांग किए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी को दिया जाएगा किंतु ऐसे मामले में नहीं जबकि अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसे कथन का प्रस्तुत किया जाना लोकहित में नहीं होगा।

(4) जहां अनुज्ञप्तिधारी के नवीकरण से इंकार कर दिया जाता है वहीं नवीकरण के लिए संदत्त फीस अनुज्ञप्तिधारी को उस अवधि के लिए अनुपातिक फीस काट देने के पश्चात् लौटा दी जाएगी जो उस तारीख तक की है जिसको उसके नवीकरण से इंकार किया गया है।

(5) नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का एक अवसर दिया जाएगा।

117. मात्रा या अवधि पर निर्बंधन : यदि कोई प्राधिकारी किसी आवेदक द्वारा आवेदित मात्रा या अवधि से कम किसी मात्रा या अवधि के लिए किसी अनुज्ञप्ति का अनुदान, संशोधन या नवीकरण करता है तो प्राधिकारी अनुज्ञप्ति मात्रा में ऐसी कमी करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और मांग पर आवेदक को संसूचित करेगा।

118. अनुज्ञप्ति का निलंबन और प्रतिसंहरण या रद्दकरण :

(1) इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति,—

(I) रद्द हो जाएगी, यदि,—

(क) किसी अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्त परिसरों पर विधिपूर्ण कब्जे का कोई अधिकार समाप्त हो चुका है।

(ख) कोई अनुज्ञप्तिधारी किन्ही दंडिक अपराधों के अधीन सिद्धदोष या दंडादिष्ट किया गया है या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए परिशांति कायम रखने के लिए किसी बंधपत्र का निष्पादन करने के लिए आदेशित किया गया हो।

(II) रद्द हो जाएगी, यदि कोई निराक्षेप प्रमाण पत्र नियम 115 के अनुसार ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसने उसे जारी किया था, या जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा रद्द किया गया है।

(III) इस अधिनियम या इन नियमों या ऐसी अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट किसी शर्त के किसी उल्लंघन पर अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा या केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए समुचित आधार है तो निलंबन या रद्दकरण किए जाने के लिए दायी होगी :

परंतु इस नियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण किए जाने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का एक अवसर दिया जाएगा।

(2) कोई निलंबन या रद्दकरण उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से ही प्रभावी होगा।

(3) किसी अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के किसी आदेश का तामील होना समझा जाएगा यदि वह अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट अनुज्ञप्तिधारी के पते पर डाक द्वारा भेजा गया है।

(4) किसी अनुज्ञप्ति का निलंबन ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक को नवीकरण के लिए आवेदन करने से वर्जित नहीं करेगा।

(5) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्द किए जाने के पूर्व निम्नलिखित मामलों में सुने जाने का अवसर नहीं दिया जा सकेगा,—

- (i) जहां किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम या इन नियमों के किन्ही उपबंधों का या ऐसी अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट किसी शर्त के अतिक्रमण के लिए किसी अंतरिम के रूप में अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है और उसकी राय में ऐसे अतिक्रमण से जनता के लिए आसन्न संकट कारित होने की संभावना हो :

परन्तु जहाँ कोई अनुज्ञप्ति ऐसे निलंबित की गई है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, निलंबन के आदेश की पुष्टि किए जाने से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का एक अवसर प्रदान करेगा; या

(ii) जहाँ अनुज्ञप्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा निलंबित या रद्द की गई है, यदि वह सरकार मानती है कि लोकहित में या राज्य की सुरक्षा के हित में, ऐसा अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

(6) कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार किसी अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण करते समय ऐसा करने के लिए इसके कारणों को लेखबद्ध करेगी।

119. अनुज्ञप्ति की समाप्ति, निलंबन या प्रतिसंहरण या रद्दकरण पर प्रक्रिया : (1) यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति समाप्त, निलंबित या प्रतिसंहत या रद्द हो जाती है तो वह उन विस्फोटकों का वर्णन और मात्रा जो उसके कब्जे में है, अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत सूचित करेगा और ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे विस्फोटकों के निपटान के संबंध में उसे दे।

(2) यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रतिसंहत या रद्द की गई है तो उस अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अपर्यवसित भाग के लिए फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

120. शाट फायरकर्ता के प्रमाण-पत्र से इंकार या उसका वापस लिया जाना :

(1) विस्फोटक के उपयोग के लिए किसी शाट फायरकर्ता प्रमाण-पत्र से निम्नलिखित कारणों में से किसी कारण से इंकार किया जा सकेगा या उसे वापिस लिया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) ऐसे आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी करने वाले प्राधिकारी के किसी आदेश का अननुपालन;
- (ख) कोई आवेदक या धारक, स्वापक या अनिष्टकर मादक द्रव्यों का विधिविरुद्ध उपयोक्ता या आदी है;
- (ग) कोई आवेदक या धारक जो किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक विनाश या हिंसात्मक कार्रवाई का समर्थन करता है या जानते हुए, ऐसा समर्थन करने वाले किसी संगठन या समूह का अंग है;
- (घ) कोई आवेदक या धारक किसी ऐसी मानसिक या शारीरिक त्रुटि से ग्रस्त हो जिससे विस्फोटकों के सुरक्षित हैंडलिंग में बाधा होती हो;
- (ङ) किसी आवेदक या धारक द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध का अतिक्रमण किया गया है या प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए कोई मिथ्या जानकारी दी गई थी या कोई दुर्व्यपदेशन किया गया था;
- (च) आवेदक किसी विधिविरुद्ध या वर्जित संगठन का अंग है।

(2) यदि किसी मामले में जहाँ जारी करने वाला प्राधिकारी किसी प्रमाण-पत्र से इंकार करता है या उसको वापस लेता है तो जारी करने वाला प्राधिकारी, प्रमाण-पत्र के आवेदक या धारक को इसकी संसूचना देगा और ऐसी संसूचना में उस प्रमाण-पत्र से इंकार करने या वापिस लेने का कारण विनिर्दिष्ट करेगा और आवेदक या प्रमाण-पत्र

के धारक की लिखित प्रार्थना पर कथन करेगा, कि जारी करने वाले प्राधिकारी के सामने ऐसी सुनवाई, प्रार्थना किए जाने की तारीख के पश्चात् इक्कीस दिन के भीतर की जाएगी।

(3) किसी प्रमाण-पत्र के प्रतिसंहरण की सूचना प्रमाण-पत्र धारक उस प्रतिसंहत प्रमाण-पत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत अभ्यर्पित करेगा।

121. अपील के लिए उपबंध : (1) कोई प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण से इंकार कर देता है या अनुज्ञप्ति या प्रमाण-पत्र को निलंबित या प्रतिसंहत कर देता है या उसकी शर्तों में परिवर्तन कर देता है तो ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध अपील, यदि आदेश—

- (क) मुख्य नियंत्रक द्वारा किया गया है तो, केन्द्रीय सरकार को होगी;
- (ख) नियंत्रक द्वारा किया गया है तो, मुख्य नियंत्रक को होगी;
- (ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है तो, ऐसे प्राधिकारी के अव्यवहित प्राधिकारी को होगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपील अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और वह ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर उपस्थापित कर दी जाएगी।

(3) प्रत्येक अपील के साथ इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट फीस होगी और उस दशा में ऐसी फीस अपीलार्थी को लौटा दी जाएगी, जबकि अपील, अपील प्राधिकारी द्वारा मंजूर कर ली जाती है।

(4) ऐसे अपील प्राधिकारी द्वारा की गई कोई कार्रवाई अधिनियम की धारा 6च की पुष्टि में होगी।

122. अपील प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया : (1) अपील प्राप्त होने पर और यदि अपील, अधिनियम के अनुसार ग्रहण की जा सकती है तो, अपील प्राधिकारी उस प्राधिकारी से मामले के अभिलेख मंगवा सकता है जिसने अपीलाधीन आदेश पारित किया है और ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकता है जैसी वह आवश्यक समझे और अपीलार्थी को सुनवाई का कोई व्यक्तिगत अवसर देने के पश्चात् अंतिम आदेश पारित कर सकता है।

(2) जब कोई राज्य सरकार, कोई अपील प्राधिकारी है और यदि वह वांछा करती है तो तकनीकी विषय के संबंध में मुख्य नियंत्रक से परामर्श कर सकेगी।

123. अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु या निर्योग्य हो जाने पर प्रक्रिया : (1) यदि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाता है या अन्यथा निर्योग्य हो जात है तो इन नियमों के अधीन उसे अनुदत्त अनुज्ञप्ति उस तारीख को रद्द हो जाएगी जिसको, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु होती है या वह मानसिक रूप से असमर्थ या दिवालिया या निर्योग्य हो जाता है।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारी के विधिक वारिस या प्रतिनिधि, यथाशक्य, शीघ्र, अनुज्ञापन प्राधिकारी को,—

(क) अनुज्ञप्तिधारी की यथास्थिति मृत्यु होने, दिवालिया होने, मानसिक असमर्थता या अन्य निरयोग्यता की तारीख अधिसूचित करेगा; और

(ख) अनुज्ञप्त परिसरों में रखे गये सभी विस्फोटकों के व्ययन के बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्देशों की प्रतीक्षा करेगा।

124. अनुज्ञप्ति की हानि :- यदि इन नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति या अनुदत्त उसकी कोई अधिप्रमाणित प्रति खो जाती है या संयोगवश नष्ट हो जाती है तो अनुसूची 4 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट फीस के संदत्त कर दिए जाने पर, उसकी दूसरी प्रति अनुदत्त की जा सकती है।

अध्याय IX

प्राधिकारियों में निहित शक्तियां

125. अनुज्ञप्ति या पास मांगने की अधिकारियों की शक्ति : (1) प्रत्येक व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति का धारक है, या ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति, नियम 128 में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा मांग की जाने पर, ऐसी अनुज्ञप्ति या उसकी अधिप्रमाणित प्रति ऐसे समय और स्थान पर प्रस्तुत करेगा जो ऐसा अधिकारी निर्दिष्ट करे।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन जारी किए गए किसी पास के अंतर्गत अभिवहन में विस्फोटक के किसी परेषण का भारसाधक है, उसे नियम 128 में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा, ऐसा करने के लिए कहे जाने पर, प्रस्तुत करेगा।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए किसी अनुज्ञप्ति की प्रतियों को उस प्राधिकारी द्वारा, जिसने अनुज्ञप्ति अनुदत्त की है, निःशुल्क अधिप्रमाणित किया जा सकता है।

126. प्राधिकारियों पर कार्यपालक नियंत्रण :- केन्द्रीय सरकार से भिन्न प्रत्येक प्राधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन कार्य कर रहा है, केन्द्रीय सरकार के निदेशन और नियंत्रण के अधीन होगा:

परंतु इस नियम की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह मुख्य नियंत्रक की उन कार्यपालक शक्तियों पर प्रभाव डालती है जिनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर करता है।

127. खतरनाक पद्धतियों का निवारण करने के लिए अधिकारियों की शक्तियां : (1) यदि किसी विषय में जिसके लिए उपबंध इन नियमों के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा या इन नियमों के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त द्वारा नहीं किया गया है और नियंत्रक या जिला मजिस्ट्रेट यह पाता है कि कोई कारखाना, मेगेजीन या स्थान, जहा किसी विस्फोटक का विनिर्माण या प्रयोग किया जा रहा है अथवा उसका कोई भाग या उसमें की या उससे सम्बद्ध कोई वस्तु या पद्धति या विस्फोटकों की धरा-उठाई या परिवहन से सम्बद्ध कोई वस्तु या पद्धति, अनावश्यक रूप में इस प्रकार खतरनाक या त्रुटिपूर्ण है कि वह, उसकी राय में, सार्वजनिक सुरक्षा या किसी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली है तो ऐसी नियंत्रक या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा, ऐसे कारखाने, मेगेजीन, भंडारगृह या स्थान के अधिभोगी से या ऐसे विस्फोटक के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे

समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, उसका उपचार कर दे।

(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश पर अधिभोगी या स्वामी आक्षेप करता है वहां वह, नियम 121 के अनुसार अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

128. तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां : (1) नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उस अधिकारिता के भीतर, जो ऐसी सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है,--

(क) किसी ऐसे स्थान, वायुयान, रेल, गाड़ी, यान या किसी प्रकार के परिवहन में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है, जिसमें कोई विस्फोटक इन नियमों के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित किया जा रहा है, कब्जे में रखा जा रहा है, प्रयुक्त किया जा रहा है, विक्रय किया जा रहा है, परिवहित, निर्यात या आयात किया जा रहा है अथवा जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि वहां अधिनियम या इन नियमों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण किया गया है या किया जा रहा है अथवा उसे कब्जे में रखा गया है या रखा जा रहा है अथवा उसका प्रयोग, विक्रय, परिवहन, निर्यात या आयात किया गया है या किया जा रहा है;

(ख) विस्फोटकों अथवा उनके संघटकों के लिए तलाशी ले सकता है;

(ग) वहां पाए गए किसी विस्फोटक या उसके संघटकों के नमूने, उसके मूल्य के संदाय पर, यदि ऐसे संदाय की, नमूना लिए जाने के समय मांग की गई है तो ले सकता है;

(घ) ऐसे किसी विस्फोटक या उसके संघटकों और उनसे संबंधित ऐसे दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकता है, उन्हें प्रतिधृत कर सकता है या उन्हें हटा सकता है जो वहां पाए जाएं और जिनके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम के या इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है।

सारणी

अधिकारी	क्षेत्र
मुख्य नियंत्रक और नियंत्रक	भारत के सभी भाग
सभी जिला मजिस्ट्रेट	उनकी अपनी-अपनी अधि-कारिता
जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट	उनकी अपनी-अपनी अधि-कारिता
सभी पुलिस आयुक्त या पुलिस	उनकी अपनी-अपनी अधि-कारिता
उप निरीक्षक से अग्रिम पंक्ति के पुलिस अधिकारी	
खान महा निदेशक, और उसके अधीनस्थ अधिकारी	उनकी अपनी-अपनी अधि-कारिता

(2) जब कभी मुख्या नियंत्रक से भिन्न कोई अधिकारी इन नियमों के

अधीन किसी विस्फोटक या उसके संघटकों का अथवा उनसे सम्बद्ध दस्तावेजों का अभिग्रहण या प्रतिधारण करता है या उन्हें हटाता है तब इस बात की सूचना वह तार द्वारा मुख्य नियंत्रक को और ऐसे नियंत्रक को देगा जिसकी अधिकारिता में ऐसा क्षेत्र है जहां विस्फोटकों का अभिग्रहण किया गया है और जब जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई अधिकारी किन्हीं विस्फोटकों का अभिग्रहण करता है या उनका प्रतिधारण करता है या उन्हें हटाता है अथवा इन नियमों के अधीन उनसे सम्बद्ध किन्हीं दस्तावेजों का अभिग्रहण करता है तब वह इस बात की रिपोर्ट, तार द्वारा, संबन्धित जिला प्राधिकारी को तुरंत देगा।

(3) जब कभी किन्हीं विस्फोटकों का अभिग्रहण किया जाता है, उन्हें ऐसे किसी पृथक स्थान में जहां पर्याप्त पहरा तैनात हो, तब तक भंडारित किया जाएगा जब तक कि उनकी परीक्षा मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक नहीं कर लेता और उनके व्ययन के संबंध में उससे अनुदेश प्राप्त नहीं हो जाते।

(4) उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी सारणी में प्राधिकृत कार्यपालक दंडनायक या पुलिस अधिकारी आदेश में यह अभिनिश्चित करने के लिए 6 मास में एक बार अपनी अधिकारिता के भीतर उपस्थित मैगजीनों का निरीक्षण कार्यान्वित करेगा, यदि अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है तो नियम 21(2) के अनुसार मैगजीनों पर अनुज्ञापितधारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा रक्षक की पर्याप्तता के संबंध में कोई निर्धारण ऐसे निरीक्षण के दौरान किया जाना चाहिए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट को अनुज्ञापन प्राधिकारी की प्रति सहित संबंधित जिला दंडनायक या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

129. विस्फोटकों और उनके संघटकों को नष्ट करने की शक्ति : (1) मुख्य नियंत्रक या कोई नियंत्रक -

(क) भारतीय या विदेश मूल के सैनिक संबंधी गोला बारूद से भिन्न किसी विस्फोटक को नष्ट करेगा, जहां कहीं पाया गया है।

(i) जिसका विनिर्माण, कब्जा या आयात अधिनियम की धारा 6 के अधीन पूर्णतः प्रतिषिद्ध है; या

(ii) जो विस्फोटक वर्ग 5 (फिल्मनेट) का है और इन नियमों के अधीन किसी अनुज्ञापित के बिना अवैध रूप से उसका विनिर्माण किया जा रहा है, उसे कब्जे में रखा जा रहा है, उसका प्रयोग, विक्रय, परिवहन, निर्यात या आयात किया जा रहा है;

(ख) ऐसे किसी अन्य विस्फोटक, जो इन नियमों के क्षेत्रों में आते हैं या उसके संघटक को नष्ट कर सकता है या हानिरहित बना सकता है जिसके संबंध में मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम या इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है अथवा जो उसकी राय में भंडारित, परिवहित या प्रयुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है और नियंत्रक को वह मामला अर्जेंट प्रतीत होता है तथा जनता को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना है ;

(2) जब कभी मुख्य नियंत्रक या कोई नियंत्रक उप नियम (1) के अधीन किसी विस्फोटक या उसके संघटक को नष्ट करता है या हानिरहित बताता है तो वह उसका नमूना लेगा और उसे रखेगा:

परंतु यदि उसकी राय है कि ऐसा नमूना लिया जा सकता है, उसका परिवहन किया जा सकता है और उसके अपेक्षित अवधि के लिए और जीवन या संपत्ति को कोई खतरा पहुंचाए बिना, सुरक्षित रूप में रखा जा सकता है तो वह अपेक्षा की जाने पर ऐसे व्यक्ति को नमूने का एक भाग दे सकता है जो अभिग्रहण के समय ऐसे विस्फोटक का स्वामी है या ऐसा विस्फोटक उसके नियंत्रण में है।

(3) जब कभी कोई नियंत्रक किसी विस्फोटक या उसके किसी संघटक को नष्ट करता है तो वह समस्त तथ्यों की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक को करेगा। इस नियम के अधीन उपबंधित रूप में विस्फोटकों को, कारखाने, मैगजीन, भंडारगृह के अधिभोगी के अथवा विस्फोटकों के स्वामी के व्यय पर नष्ट किया जाएगा या उसे हानिरहित बनाया जाएगा।

130. अतिलंघन पर रिपोर्ट की प्रक्रिया: जब कभी मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक जिला मजिस्ट्रेट को इस बाबत कोई रिपोर्ट करता है कि अधिनियम या इन नियमों का कोई अतिलंघन किया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट तुरंत कार्यवाही करेगा और वह, यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को इस बाबत सूचित करेगा कि उसने ऐसी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है।

अध्याय X

दुर्घटनाएं, जांच और रिपोर्टें

131. दुर्घटना की सूचना : (1) किसी दुर्घटना की सूचना जो अधिनियम की धारा 8 के अधीन दी जानी अपेक्षित है, दुर्घटना होने के चौबीस घंटे के भीतर, टेलीफोन, टेलीग्राम, ई-मेल, फैक्स या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक रीति द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा, जिसके साथ उन्हीं प्राधिकारियों को अधिभोगी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई कोई हस्ताक्षरित लिखित रिपोर्ट हो, जिसमें दुर्घटना, मानव जीवन की हानि, व्यक्तियों को क्षति, संपत्ति को नुकसान, की गई आपात कार्रवाई आदि हो, निम्नलिखित को दी जाएगी :-

(क) मुख्य नियंत्रक;

(ख) नियंत्रक, जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई है;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट; और

(घ) निकटतम पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी।

(2) मुख्य नियंत्रक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के आने तक या मुख्य नियंत्रक या उसके प्रतिनिधि से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने तक कि वह यह नहीं चाहता है कि मामले में आगे कोई और अन्वेषण या जांच की जाए, सभी मलबे और टूटे-फूटे सामान को अछूता रखा जाएगा और केवल ऐसी ही वस्तुओं को हटाया जाएगा जो हताहत व्यक्तियों के बचाव के लिए तथा दुर्घटना के कारण मृत व्यक्तियों के शवों को निकालने के लिए आवश्यक है अथवा हवाई अड्डों या रेलों के मामले में, सार्वजनिक संचार के पुनःस्थापन के लिए आवश्यक है।

(3) मुख्य नियंत्रक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को यदि उसके द्वारा ऐसा अपेक्षित है तो निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी द्वारा सभी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

132. जांच न्यायालयों में प्रक्रिया : (1) नियंत्रक सशस्त्र बलों या आर्डिनेंस कारखानों या ऐसे बलों के अन्य स्थापनों के प्रधानों

से संपर्क स्थापित करके न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करने की, जहां वह ऐसा चाहता हो, व्यवस्था करेगा। मुख्य नियंत्रक को उन न्यायालयों की कार्यवाही की प्रतियां उपलब्ध की जाएंगी जहां उसका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। यथास्थिति सशस्त्र बलों या आर्डिनेंस कारखानों या ऐसे बलों के अन्य स्थापनों के प्रधान, मुख्य नियंत्रक से सहयोग करने के लिए उसे उन घटनाओं को तुरंत सूचना देंगे जिनके कारण जांच न्यायालयों के मुख्य नियंत्रक के हित संबंधी विषयों के लिए, जैसे कि मुख्य नियंत्रक ने उपदर्शित किए हों, बुलाया जाना हो।

(2) मुख्य नियंत्रक या तो स्वयं हाजिर हो सकता है या अपना कोई प्रतिनिधि वहां भेज सकता है और दोनों ही दशाओं में, यदि वह चाहता है तो, साक्षी की परीक्षा कर सकता है।

133. दुर्घटनाओं की जांच :—(1) जब कभी कोई जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम की धारा 9 (क) की उप-धारा (1) के अधीन कोई जांच करता है तो ऐसी जांच को उस समय तक के लिए स्थगित रखेगा जब तक कि मुख्य नियंत्रक या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी कार्यवाहियों को देखने के लिए उपस्थित नहीं हो जाता अथवा मजिस्ट्रेट को मुख्य नियंत्रक से यह सूचना नहीं मिल जाती कि वह अधिकारी अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजना चाहता है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, कोई स्थगित जांच करने से कम से कम 21 दिन पूर्व, मुख्य नियंत्रक को स्थगित जांच पुनः प्रारंभ करने के समय और स्थान की लिखित सूचना देगा।

(3) जहां किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वहां जिला मजिस्ट्रेट स्थगन करने के पूर्व, किन्हीं शवों की पहचान के लिए साक्ष्य ले सकता है और ऐसे शवों के व्ययन के लिए आदेश कर सकता है।

(4) मुख्य नियंत्रक या उसका प्रतिनिधि ऐसी किसी जांच में, विधि के प्रश्न पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन रहते हुए किन्हीं साक्षियों की परीक्षा करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(5) जहां किसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली किसी जांच में मुख्य नियंत्रक या उसका प्रतिनिधित्व उपस्थित नहीं है वहीं उसकी कार्यवाही की रिपोर्ट की एक प्रति उसे भेजी जाएगी।

134. अधिक गंभीर दुर्घटनाओं की जांच:—(1) जब कभी अधिनियम की धारा 9 क के अधीन कोई जांच की जाती है तो ऐसी जांच करने वाले व्यक्ति ऐसी जांच खुले न्यायालय में ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए करेंगे, जो वे दुर्घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए अधिकतम प्रभावकारी समझें और इस नियम के अधीन अपनी रिपोर्ट करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए अधिकतम प्रभावकारी लगे :

परंतु जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा निदेश दे, ऐसी जांच बंद कम्परे में भी की जा सकती है।

(2) जब कभी कोई जांच उप-नियम (1) के अधीन मुख्य नियंत्रक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी व्यवस्था करेगा कि ऐसी जांच के समय, जिसके अंतर्गत उसका स्थगन भी है, मुख्य नियंत्रक का प्रतिनिधित्व हो सके। जांच करने वाला व्यक्ति कोई जांच या कोई स्थगित जांच करने से कम से कम 21 दिन पर मुख्य नियंत्रक को ऐसी जांच किए जाने के समय और स्थान की बाबत एक लिखित सूचना भेजेगा। मुख्य नियंत्रक स्वयं

उपस्थित हो सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है और दोनों ही दशाओं में उसे जब वह चाहे, साक्षियों की परीक्षा करने की शक्ति होगी।

अध्याय XI

प्रशासनिक और शास्तिक कार्रवाईयां

135. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :—

अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों या जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या सरकार का अन्य कर्मचारी या इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन गठित किसी प्राधिकरण के विरुद्ध नहीं होगी।

136. अतिक्रमण के लिए निरीक्षण के पश्चात् प्रशासनिक कार्रवाई का किया जाना :—

(1) किन्हीं परिसरों के निरीक्षण पर निरीक्षण प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी को, अपने संप्रेक्षण, फर्कों या अतिक्रमणों को, यदि किसी नियम या अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन हो तो, लिखित रूप से संसूचित करेगा और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति अग्रिम आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को पृष्ठांकित करेगा।

137. अनुज्ञप्ति के अनुदान पर प्रशासनिक कार्रवाई की संसूचना :—(1) इन नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की प्रति, अनुज्ञप्ति और अनुमोदित रेखाचित्रों, यदि लागू हों, की प्रति के साथ जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाएगी।

(2) अनुसूची 4 के भाग 1 में यथावर्णित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति, यथास्थिति मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को, अनुज्ञप्ति और अनुमोदित रेखाचित्रों, यदि लागू हों, की प्रति के साथ संसूचित की जाएगी।

138. अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण पर प्रशासनिक कार्रवाई की संसूचना :—(1) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई यथास्थिति मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को संसूचित की जाएगी।

(2) अनुज्ञप्ति के निलंबन और रद्दकरण के लिए, यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा की गई प्रशासनिक कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट को संसूचित की जाएगी।

139. निरसन और व्यावृत्ति :—(1) विस्फोटक नियम, 1983 निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, —

(क) उक्त नियमों के अधीन अनुदत्त या नवीकृत सभी अनुज्ञप्तियां या उनकी द्वितीय प्रतियां और अधिरोपित की गई या उद्गृहीत सभी फीसों, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, अनुदत्त, नवीकृत अधिरोपित या उद्गृहीत की गई समझी जाएंगी; और

(ख) किसी अधिसूचना या नियम द्वारा या उसके अधीन दिए गए सभी अनुमोदन और प्रदत्त सभी शक्तियां, जहां तक कि वे अधिनियम और इन नियमों से संगत हैं, इन नियमों द्वारा या उनके अधीन दी गई या प्रदत्त की गई समझी जाएंगी।

अनुसूची I**भाग-1****विस्फोटकों के वर्गीकरण****(नियम 4 देखिए)**

विस्फोटकों को निम्नलिखित आठ वर्गों में विभाजित किया गया है :-

वर्ग 1	:	बारूद वर्ग
वर्ग 2	:	नाइट्रेट-मिश्रण वर्ग
वर्ग 3	:	नाइट्रो-योगिक वर्ग
वर्ग 4	:	क्लोराइड-मिश्रण वर्ग
वर्ग 5	:	फल्मिनेट वर्ग
वर्ग 6	:	गोलाबारूद वर्ग
वर्ग 7	:	आतिशबाजी वर्ग
वर्ग 8	:	द्रव आक्सीजन विस्फोटक वर्ग

वर्ग 1—बारूद वर्ग

“बारूद” से साधारणता कहा जाने वाला बारूद अभिप्रेत है।

वर्ग 2—नाइट्रेट मिश्रण वर्ग

“नाइट्रेट मिश्रण” से बारूद से भिन्न ऐसी कोई विनिर्मित अभिप्रेत है जो किसी नाइट्रेट के मिश्रण को कोयले के किसी रूप के साथ या किसी ऐसे कार्बनयुक्त पदार्थ के साथ, जिसमें विस्फोटक गुण नहीं हैं, यंत्रमिश्रण द्वारा तैयार किया जाता है और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी निर्मित में गंधक भी मिलाई जाए और यह भी आवश्यक नहीं है कि ऐसी निर्मित को यंत्र द्वारा किसी अन्य अविस्फोटी पदार्थ के साथ मिलाया जाए और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई विस्फोटक भी है जिसमें परक्लोरेट मिश्रित है और जो इस अनुसूची में यथा परिभाषित कोई क्लोरेट मिश्रण, फुल्मिनेट या नाइट्रो योगिक नहीं है।

वर्ग 3—नाइट्रो-योगिक वर्ग

(1) “नाइट्रो-योगिक” से ऐसा कोई रासायनिक योगिक अभिप्रेत है जिसमें विस्फोटकगण है अथवा जो किसी विस्फोटक योगिक को बनाने के लिए धातुओं में मिलाया जा सकता है और जो नाइट्रिक अम्ल (चाहे उसमें गंधक अम्ल मिला है या नहीं) या गंधक अम्ल मिश्रित किसी नाइट्रेट के साथ किसी कार्बनमय पदार्थ पर रासायनिक क्रिया द्वारा उत्पादित किया गया है, चाहे ऐसा योगिक, यंत्र द्वारा किसी अन्य पदार्थ में मिश्रित किया गया है या नहीं।

(2) नाइट्रो-योगिक के दो प्रभाग हैं, अर्थात् प्रभाग 1 और प्रभाग 2।

(3) प्रभाग 1—यह प्रभाग किसी रासायनिक योगिक या ऐसी यंत्र मिश्रित निर्मित से मिलकर बना है जिसमें पूर्णतः या भागतः नाइट्रो ग्लिसरीन या कोई अन्य द्रव नाइट्रो-योगिक मिला हुआ है।

(4) प्रभाग 2—कोई नाइट्रो-योगिक मिश्रित वस्तु है जो प्रभाग 1 में सम्मिलित नहीं है, ट्राइनाइट्रो-टॉल्यन (टी. एन. टी.) आदि जैसे विस्फोटक।

वर्ग 4—क्लोरेट मिश्रण वर्ग

(1) “क्लोरेट मिश्रण” से ऐसा कोई विस्फोटक अभिप्रेत है जिसमें क्लोरेट है।

(2) क्लोरेट मिश्रण वर्ग के दो प्रभाग हैं, अर्थात् प्रभाग 1 और प्रभाग 2।

(3) प्रभाग 1 के अंतर्गत ऐसी कोई क्लोरेट निर्मित है जिसमें भागतः नाइट्रो ग्लिसरीन या कुछ अन्य द्रव नाइट्रो योगिक समाविष्ट है।

(4) प्रभाग 2 के अंतर्गत ऐसा कोई क्लोरेट मिश्रण है जो प्रभाग 1 में समाविष्ट नहीं है।

वर्ग 3—फल्मिनेट वर्ग

(1) “फल्मिनेट” से कोई रासायनिक योगिक या किसी भी प्रकार का यंत्र मिश्रण अभिप्रेत है जो विस्फोट प्रेरण के लिए अपनी सुप्रभाव्यता के कारण, आघाती टोपी या ऐसी किसी भी उपकरण के प्रयोग के लिए उपयुक्त है जिससे विस्फोट प्रेरण हो सकता है या जो विस्फोटन के लिए अपनी अति सुप्रभाव्यता तथा अत्यधिक अस्थिरता (अर्थात्, जिनमें किंचित उत्प्रेरक कारणों से ही अपघटन हो सकता है) के कारण विशिष्टतः खतरनाक है।

(2) फल्मिनेट वर्ग के दो प्रभाग हैं, अर्थात्, प्रभाग 1 और प्रभाग 2।

(3) प्रभाग 1 में रजत और पारे के फल्मिनेट जैसे योगिक हैं और उन पदार्थों की निर्मितियां हैं जो आघाती टोपी के काम आती हैं और उसके अन्तर्गत फासफोरस के साथ क्लोरेट मिश्रित निर्मितियां या कार्बनयुक्त या रहित किसी प्रकार के फासफोरस योगिक तथा ऐसी निर्मित भी हैं जिसमें गन्धक या सल्फेट के साथ, जिसमें कार्बनयुक्त पदार्थ मिला है या नहीं, किसी क्लोरेट का मिश्रण समाविष्ट है।

(4) प्रभाग 2 के अंतर्गत ऐसे पदार्थ हैं, जैसे क्लोराइड और नाइट्रोजन आयोडाइड, फल्मिनेटिक स्वर्ण और रजत, डियाजोबेनजाल और डियाजोबेनजाल का नाइट्रेट, लेडएजाइड और टेट्राआइन।

वर्ग 6—गोला बारूद वर्ग

(1) “गोला बारूद” से किसी भी वर्ग का कोई विस्फोटक अभिप्रेत है किंतु यह तब जब वह किसी केस या प्रयुक्ति में बंद है या उसे ऐसा बना दिया गया है या इस रूप में तैयार कर दिया गया है कि उससे, (क) कारतूस या छोटे आयुधों, तोपों या किसी अन्य हथियार के लिए चार्ज बनता है, या (ख) विस्फोटन अथवा शैलों के लिए सुरक्षा या अन्य फ्यूज बनते हैं, या (ग) विस्फोटक फायर करने के लिए ट्यूब बनती है, या (घ) आघाती टोपी, विस्फोट प्रेरक, कोहरा संकेत, शैल टारपीडो, युद्ध राकेट या आतिशबाजी से भिन्न कोई अन्य प्रयुक्ति बनती है।

(2) गोला बारूद वर्ग के तीन प्रभाग हैं, अर्थात् प्रभाग 1, प्रभाग 2 और प्रभाग 3।

(3) प्रभाग 1 के अन्तर्गत केवल (i) सुरक्षा कारतूस (ii) विस्फोटन के लिए सुरक्षा फ्यूज (iii) रेल कोहरा सिगनल और (iv) आघाती टोपी हैं।

(4) प्रभाग 2 के अन्तर्गत ऐसा कोई गोला बारूद है जिसमें अपने स्वयं के साधनों द्वारा प्रज्वलन नहीं हो सकता है और जो

प्रभाग 1 के अन्तर्गत नहीं है। उदाहरणार्थ, सुरक्षा कारतूसों से भिन्न छोटे आयुधों के लिए कारतूस, तोप शैलों और टारपीडो के लिए कारतूस और चार्ज जिनमें कोई विस्फोटक समाविष्ट हैं, विस्फोटकों के फायर करने के लिए ट्यूब और युद्ध राकेट जिनमें स्वयं प्रज्वलन का कोई साधन नहीं है।

(5) प्रभाग 3 के अन्तर्गत ऐसा कोई गोला बारूद है जिसमें स्वयं प्रज्वलन का साधन मौजूद है और जो प्रभाग 1 में सम्मिलित नहीं है। उदाहरणार्थ, विस्फोट प्रेरक, विस्फोटन के लिए पलीते किन्तु सुरक्षा पलीते इसके अन्तर्गत नहीं हैं, विस्फोटकों के फायर करने लिए नलियों, ट्यूब जिनमें स्वयं प्रज्वलन के साधन मौजूद हैं।

टिप्पण : “स्वयं प्रज्वलन के साधनों वाला गोला बारूद” से ऐसा गोला बारूद अभिप्रेत है जिसमें, चाहे वह गोला बारूद से संबद्ध है या उसका भागरूप है, जो घर्षण या आघात द्वारा गोला बारूद का विस्फोट या फायर करने की व्यवस्था की गई है। “आघाती टोपी” के अंतर्गत विस्फोट प्रेरक नहीं है।

वर्ग 7—आतिशबाजी वर्ग

(1) आतिशबाजी वर्ग के चार प्रभाग हैं, अर्थात् प्रभाग 1, प्रभाग 2, प्रभाग 3 और प्रभाग 4।

(2) प्रभाग 1 के अंतर्गत आतिशबाजी की संरचना है, अर्थात् कोई रासायनिक, यौगिक या किसी विस्फोटक या ज्वलनशील प्रकृति की कोई यंत्र मिश्रित निर्मित, जो विनिर्मित आतिशबाजी बनाने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है और जो वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 का कोई विस्फोटक या कोई तारा और रंगीन फायर संरचना नहीं है :

परन्तु कोई सारतः निर्मित हवाबंद धातु केस, जिसमें ऐसी प्रकृति की कोई रंगीन फायर संरचना 500 ग्राम से अधिक नहीं है जो स्वयं प्रज्वलनशील नहीं है, “एक विनिर्मित आतिशबाजी” समझी जाएगी न कि “सरचित आतिशबाजी।

(3) प्रभाग 2 आतिशबाजियों के अंतर्गत कोई विनिर्मित आतिशबाजी है, अर्थात् वर्ग 1, 2, 3, 4, 5 या 6 का कोई विस्फोटक और कोई आतिशबाजी की संरचना जब कि ऐसा विस्फोटक या संरचना किसी ऐसे केस या प्रयुक्ति या अन्य वस्तु में बन्द है, जिसे पाइरोटेक्नीक संकेत या ध्वनि संकेत के लिए पाइरोटेक्नीक प्रभाव के उत्पादन के लिए तैयार किया गया है।

(4) प्रभाग 2 आतिशबाजी के तीन उप प्रभाग हैं, अर्थात् उप प्रभाग 1, उप प्रभाग 2, उप प्रभाग 3।

(5) प्रभाग 2 के उप प्रभाग 1 की आतिशबाजी के अंतर्गत कम परिसंकटमय आतिशबाजी है जो मुख्य नियंत्रक की राय में स्वयं अनुपाततः कम खतरनाक है और जिनमें तेजी से विस्फोटक नहीं हो सकता है या जो तुरन्त विस्फोट उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, अर्थात् जो स्पार्कलर चीन में निर्मित पटाखे, सर्पिल आदि हैं।

(6) प्रभाग 2 के उप प्रभाग 2 की आतिशबाजी के अंतर्गत अधिक परिसंकटमय आतिशबाजी है जो मुख्य नियंत्रक की राय में किसी व्यक्ति के लिए विशेष परिसंकट पैदा कर सकते हैं, उदाहरणार्थ राकेट, शैल, मारून, चक्री, गोला-बारी, फुव्वारे, प्रदीपन, की चीजें, संकट संकेत, पाइरोटेक्नीक साधन आदि।

(7) प्रभाग 2 के उप प्रभाग 3 की आतिशबाजी में ऐसी

आतिशबाजियां हैं जो स्थल पर तैयार की जाती हैं और पूर्णतः प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए हैं।

(8) प्रभाग 3 के अंतर्गत विनिर्मित आतिशबाजी के विनिर्माण के लिए अपेक्षित प्रयुक्त कोई विस्फोटक है, अर्थात् त्वरित दियासलाई प्यूज, सुक्ष्म कॉर्ड प्यूज आदि।

(9) प्रभाग 4 के अंतर्गत संघ के सशस्त्र बल के उपयोग के लिए विनिर्मित आतिशबाजी है।

वर्ग 8—द्रव आक्सीजन विस्फोट वर्ग

“द्रव आक्सीजन विस्फोटक” से कोई अवशोषी कार्बनयुक्त सामग्री अभिप्रेत है, उदाहरणार्थ, लकड़ी का छीलन, कोयले का चूरा, धातु बुरादा, कोयले की धूल आदि, जिसमें द्रव वायु या द्रव आक्सीजन मिलाया गया है, और चाहे कोई अन्य पदार्थ मिलाया गया है या नहीं।

भाग-2

विस्फोटकों के यू एन वर्गीकरण

खतरनाक माल के परिवहन पर आदर्श विनियम में संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशें जो एस टी/ एस जी/ ए एल 10/1/ आर ई वी 12 इन आई एस बी एन 92-1-13974-इ, के अनुसार खतरनाक माल का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार किया जा चुका है, यू एन वर्ग 1 (विस्फोटक), वर्ग 2 (गैसों), वर्ग 3 (ज्वलनशील द्रव), वर्ग 4 (ज्वलनशील ठोस, स्वतः दहन वाले पदार्थ और ऐसे पदार्थ जो जल के संस्पर्श से ज्वलनशील गैसों में उत्सर्जित होते हैं), वर्ग 5 (आक्सीडाइजिंग पदार्थ; आरगेनिक पैरोक्साइड), वर्ग 6 (विषैले और संक्रामक पदार्थ), वर्ग 7 (रेडियो एक्टिव सामग्रियां), वर्ग 8 (संक्षारक पदार्थ) और वर्ग 9 (प्रकीर्ण खतरनाक पदार्थ)।

अतः ऐसे विस्फोटक जो विस्फोटक नियमों के कार्यक्षेत्र के भीतर आते हैं वे यू एन वर्ग 1 के परिसंकटमय हैं।

यू एन वर्ग 1 अर्थात् विस्फोटकों को निम्नलिखित 6 प्रभागों में और विभाजित किया गया है, अर्थतः—

प्रभाग 1.1 : ऐसे पदार्थ और वस्तु जो सामूहिक (यू एन वर्ग 1 प्रभाग 1) परिसंकटमय विस्फोट करते हों जैसे बारूद, वर्ग 3 के विस्फोटक, विस्फोट प्रेरक (साधारण या इलैक्ट्रिक), विस्फोट प्रेरित करने वाले प्यूज, शेफ्ड चार्ज, डिमोलिशन चार्ज बूस्टर, ट्रेटिल, धूमहीन चूर्ण, आतिशबाजी सम्मिश्रण आदि,

प्रभाग 1.2 : ऐसे पदार्थ और वस्तुएं जो प्रक्षेपण, (यू एन वर्ग 1 प्रभाग 2) परिसंकटमय हों किन्तु सामूहिक परिसंकटमय विस्फोट न करने वाली हो,

प्रभाग 1.3 : ऐसे पदार्थ और वस्तुएं जो एक फायर (यू एन वर्ग 1 प्रभाग 3) परिसंकटमय हों और या तो एक परिसंकटमय लघु विस्फोट या परिसंकटमय लघु प्रक्षेपण या दोनों हों किन्तु सामूहिक परिसंकटमय विस्फोट न करने वाली हों,

- प्रभाग 1.4 : ऐसे पदार्थ और वस्तुएं जिनमें कोई परिसंकट (यू एन वर्ग 1 प्रभाग 4) उपस्थित नहीं है, जैसे अभ्यास ग्रिनेड, सुरक्षा फ्यूज, आतिशबाजी,
- प्रभाग 1.5 : अत्यधिक असंवेदनशील पदार्थ जो सामूहिक (यू एन वर्ग 1 प्रभाग 5) परिसंकटमय विस्फोट वाले हैं, जैसे वर्ग 2 के बिना के संवेदनशील विस्फोटक,
- प्रभाग 1.6 : अत्यंत असंवेदनशील पदार्थ, जो सामूहिक (यू एन वर्ग 1 प्रभाग 6) परिसंकटमय विस्फोट वाले नहीं हैं ।

टिप्पण : (1) विनिर्माता कारखानों और मैगजीनों के लिए यथा लागू सुरक्षा दूरियों के प्रयोजन के लिए,

(क) "एक्स" प्रवर्ग के विस्फोटकों को (स्पार्कलरों के सिवाय), यू एन वर्ग 1.4 के विस्फोटकों के रूप में माना जा सकेगा ;

(ख) "वाई" प्रवर्ग के विस्फोटकों तो, यू एन वर्ग 1.3 के विस्फोटकों के रूप में ;

(ग) "जेड जेड" प्रवर्ग विस्फोटकों यू एन वर्ग 1.1 और 1.5 के विस्फोटकों के रूप में ;

(2) अत्यधिक निम्न परिसंकटमय आतिशबाजी जैसे स्पार्कलरों के लिए सुरक्षा दूरियों की पृथक सारणियां, विनिर्माण या भंडारकरण के प्रयोजन के लिए विहित की गई हैं ।

भाग 3

सारणी-1

विस्फोटकों के यू एन वर्गीकरण से संबंधित संगतता समूह :-

परिसंकटमय मालों के यू एन वर्गीकरण संकेतकी से संबंधित संगतता समूह, पैकेजिंग के लिए, परिवहन, आयात और निर्यात के लिए, निम्नलिखित होंगे :-

क्रम संख्यांक	संगतता समूह	वर्गीकृत किए जाने वाले पदार्थ या वस्तु का विवरण
1	2	3
1.	क	प्राथमिक विस्फोटक पदार्थ ।
2.	ख	ऐसी वस्तु जिसमें प्राथमिक विस्फोटक अंतर्विष्ट हो और दो या अधिक पृथक सुरक्षा विशिष्टियां अंतर्विष्ट न हों ।
3.	ग	नोदक विस्फोटक पदार्थ या अन्य उद्वहनकारी विस्फोटक पदार्थ या वस्तु जिसमें ऐसा विस्फोटक पदार्थ अंतर्विष्ट है ।
4.	घ	द्वितीय विस्फोटक - प्रेरक विस्फोटक पदार्थ या काला चूर्ण या वस्तु जिसमें द्वितीय विस्फोटक प्रेरक विस्फोटक पदार्थ अंतर्विष्ट है, जो प्रत्येक दशा में, समारंभन के साधनों के बिना और किसी नोदन

1	2	3
		चार्ज के बिना है या वस्तु जो किसी प्राथमिक विस्फोटक पदार्थ से अंतर्विष्ट है और जो दो या अधिक पृथक सुरक्षा विशिष्टता से अंतर्विष्ट है ।
5.	ड.	ऐसी वस्तु जो द्वितीय विस्फोट - प्रेरक विस्फोटक से अंतर्विष्ट है, समारंभन के साधनों के बिना, नोदन चार्ज सहित (उससे भिन्न जिसमें कोई ज्वलनशील या हाइपरगोलिक द्रव अंतर्विष्ट है) ।
6.	च	ऐसी वस्तु जो द्वितीय विस्फोट - प्रेरक विस्फोटक से अंतर्विष्ट है, समारंभन के साधनों के बिना, नोदन चार्ज सहित (उससे भिन्न जिसमें कोई ज्वलनशील या हाइपरगोलिक द्रव अंतर्विष्ट है) या नोदन चार्ज के बिना ।
7.	छ	आतिशबाजी पदार्थ या वस्तु जिसमें कोई आतिशबाजी पदार्थ अंतर्विष्ट है या ऐसी वस्तु जिसमें दोनों, विस्फोटक पदार्थ और कोई प्रदीपन, उतेजक अश्रुजनक या धूम उत्पादक पदार्थ (जल सक्रियित वस्तु या सफेद फासफोरस, फास्फिड या ज्वलनशील द्रव या जैल से भिन्न), अंतर्विष्ट है ।
8.	ज	वस्तु जिसमें दोनों, विस्फोटक पदार्थ और सफेद फास्फोरस अंतर्विष्ट है ।
9.	झ	वस्तु जिसमें दोनों, विस्फोटक पदार्थ और ज्वलनशील द्रव या जैल अंतर्विष्ट है ।
10.	ट	वस्तु जिसमें दोनों, विस्फोटक पदार्थ और अविषालु रासायनिक कर्मक अंतर्विष्ट है ।
11.	ठ	ऐसे विस्फोटक पदार्थ या वस्तु जिसमें कोई विस्फोटक पदार्थ अंतर्विष्ट है, और जिसमें विशेष जोखिम है तथा प्रत्येक प्रकार के विलगन की आवश्यकता है ।
12.	ध	इस प्रकार पैक या डिजाइन किया गया कोई पदार्थ या वस्तु जिसमें किसी आकस्मिक कृत्य से उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय प्रभाव पैकेज के भीतर ही संस्तम्भित किया गया हो जब तक कि पैकेज, आग द्वारा विकृत न कर दिया गया हो, उस दशा में, सभी विस्फोट या प्रेक्षपण प्रभाव उस विस्तार तक सीमित किए गए हों जहां तक पैकेज के तात्कालिक सामीप्य में महत्वपूर्ण रूप से अग्निशमन या अन्य आपात प्रतिक्रिया प्रयासों में, बाधा न डालते हों या प्रतिषिद्ध न करते हों ।

टिप्पण : विस्फोटक नियमों के अनुसार भारत में परिवहन के लिए विस्फोटकों की पैकेजिंग की रीति, अनुसूची 2 के भाग 1 के अनुसार हो सकेगी किन्तु विस्फोटकों के आयात और निर्यात के लिए विस्फोटकों की पैकेजिंग की रीति, अनुसूची 2 के भाग 2 के अनुसार होगी ।

सारणी-2

वर्ग 1 के माल के वर्गीकरण की स्कीम

संगतता समूह परिसंकटमय प्रभाग	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	ञ	ट	ठ	ध
1.1	1.1क	1.1ख	1.1ग	1.1घ	1.1ङ	1.1च	1.1छ		1.1ज		1.1ठ	
1.2		1.2ख	1.2ग	1.2घ	1.2ङ	1.2च	1.2छ	1.2ज	1.2ञ	1.2ट	1.2ठ	
1.3			1.3ग			1.3च	1.3छ	1.3ज	1.3ञ	1.3ट	1.3ठ	
1.4		1.4ख	1.4ग	1.4घ	1.4ङ	1.4च	1.4छ					1.4ध
1.5				1.5घ								

सारणी-3

संगतता समूह	क	ख	ग	घ	ङ	छ	ध
क	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ख	नहीं	हां	नहीं*	नहीं*	नहीं*	नहीं*	हां
ग	नहीं	नहीं*	हां	हां	हां	नहीं	हां
घ	नहीं	नहीं*	हां	हां	हां	नहीं	हां
ङ	नहीं	नहीं*	हां	हां	हां	नहीं	हां
छ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां
ध	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां

अनुसूची-2

भाग - 1

अंतर्देशीय परिवहन के लिए विस्फोटकों का पैक किया जाना ।

(नियम 14 और नियम 15 देखिए)

(1) इस अनुसूची में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “बाह्या पैकेज” पद से अभिप्रेत है कोई बक्स, बेरल, केस, या सिलेण्डर जो लकड़ी, धातु या वलीयित बक्स या अन्य ठोस सामग्री का बना हुआ है और ऐसी सामर्थ्य, संरचना और स्वरूप का है कि वह टूट न सकता हो या अचानक खुल न सकता हो अथवा वह दोषपूर्ण या असुरक्षित न हो सकता हो या विस्फोटक को बाहर निकलने न दे सकता हो;
- (ख) “आंतरिक पैकेज” पद से अभिप्रेत है कोई मजबूत केस, थैला, कनस्तर, कॉर्ड बोर्ड या अन्य आधान जो इस प्रकार बनाया गया है और बन्द किया गया है कि उसमें से कोई विस्फोटक बाहर न निकल सके;
- (ग) “नोदक” पद से अभिप्रेत है वर्ग 3 का कोई प्राधिकृत विस्फोटक जो तोप या छोटे आयुध में नोदक चार्ज के रूप में अन्यतः प्रयोग के लिए अनुकूलित और आशियत है ।

(2) जब कभी किसी विस्फोटक को किसी विशिष्ट वर्ग या किसी वर्ग के प्रभाग का बताया जाता है तो निर्देश अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट वर्ग के प्रति होता है ।

(3) विस्फोटकों के पैकेज भारतीय मानक ब्यूरो के सुसंगत मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे ।

सारणी

मद सं.	वर्ग	पैक करने की पद्धति	किसी एक बाह्य पैकेज में मात्रा	किसी एक आन्तरिक पैकेज में मात्रा
1	2	3	4	5
1.	वर्ग-1	जब किसी एक परेषण में मात्रा 2.5 किलोग्राम से अधिक नहीं है, इकहरा बाहरी पैकेज । जब कि मात्रा 2.5 किलोग्राम से अधिक है, दोहरा पैकेज, जब कि आन्तरिक और बाह्य पैकेज इस अतुसूची के खण्ड (1) में परिभाषित रूप में हो । यदि आंतरिक पैकेज धातु का बना हुआ है तो उसे गद्देदार सामग्री से सुरक्षित रखा जाएगा ।	50 किलोग्राम परंतु तब गोला बारूद और नोदकों को एक साथ पैक किया जाए तो मात्रा निम्न-लिखित से अधिक नहीं होगी । 2.5 किलोग्राम	2.5 किलोग्राम
2.	वर्ग-2	स्थल मिश्रित अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल विस्फोटक से भिन्न सामग्री को वेष्टन के उपयुक्त कारतूसों में रखा जाएगा जो उपयुक्त प्लास्टिक की सामग्री या कागज के बने होंगे जिससे कि वे बाहर न रिस सकें और उनमें नमी न पहुंच सके । शेष पैकिंग वर्ग 1 के अनुसार ।	25 किलोग्राम	2.5 किलोग्राम
3.	स्थल मिश्रित अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल मिश्रण (ए.एन.एफ.ओ.)	जैसा मुख्य नियंत्रक अनुमोदित करे ।	—	—
4.	नोदकों से भिन्न वर्ग 3, प्रभाग 1	सामग्री को ऐसे वेष्टन में कारतूस के रूप में पैक किया जाएगा जो कागज या पालीथीन के बने होंगे जिससे कि वे बाहर न रिस सकें । वेष्टन ऐसे हों कि वे सामग्री में नमी न आने दें । शेष पैकिंग वर्ग 1 के अनुसार होगी : परंतु या तो बाह्य या फिर आन्तरिक पैकेज पूर्णतया जलसह (वाटर प्रूफ) होगा और किसी धातु का प्रयोग ऐसे पैकेजों के सन्निर्माण में नहीं किया जाएगा, किन्तु (1) बाह्य पैकेज को बांधने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कीलें, तांबे जस्त या अन्य मृदु धातु की या ऐसी ही धातु से लेपित हो सकती है और (2) आन्तरिक पैकेज को बांधने के लिए तार की रस्सियों को प्रयोग किया जा सकता है किन्तु यह तब जब कि मजबूत कार्ड बोर्ड की चादर या अन्यथा द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गई हो कि तार अंदर रखी हुई वस्तु के संपर्क में न आ सके ।	25 किलोग्राम	2.5 किलोग्राम

1	2	3	4	5
5.	वर्ग 3, प्रभाग 1 नोदक	जैसा वर्ग 1 के लिए है	25 किलोग्राम	2.5 किलोग्राम
6.	वर्ग 3, प्रभाग 2, पिकरिक अम्ल, अद्रिगन काटन, पैटैरिथ्रिटाल टेट्राहाइड्रेट आर.डी.एक्स.टेरीनाइट्रो। रेसोसिनाल (स्टिफनिक अम्ल) से भिन्न।	जैसा वर्ग 1 के लिए है	25 किलोग्राम	2.5 किलोग्राम
7.	पिकरिक अम्ल	जैसा वर्ग 1 के लिए है	असीमित	असीमित
8.	पानी से भीगी ऐसी गनकाटन कि वह पूर्णतः अज्वलनशील हो	जैसा वर्ग 1 के लिए है, परंतु आंतरिक या बाह्य पैकेज या दोनों पैकेज ऐसे स्वरूप के होंगे और इस प्रकार बंद होंगे कि आर्द्रता में कोई सारभूत कमी न हो पाए।	असीमित	असीमित
9.	पैटै-एरिथ्रिटाल टेट्राहाइड्रेट (पी.ई.टी.एन. पैथराइट) जिसमें 25 प्रतिशत आर्द्रता है	दोहरे पैकेज में, आन्तरिक पैकेज पालीथीन का होगा जिसका मुंह ट्रिवन डोरे से बंधा होगा और किसी चमकदार टिन के डिब्बे में रखा जाएगा। थैला और टिन का डिब्बा इस प्रकार बन्द होगा जिससे कि आर्द्रता में कोई सारभूत कमी न हो पाए। बाह्य पैकेज अनुसूची के खंड 1 में परिभाषित रूप में होगा और इस प्रकार बन्द होगा कि आर्द्रता में कोई सारभूत कमी न हो पाए।	22.5 किलोग्राम (शुष्क आधार)	11.25 किलोग्राम (शुष्क आधार)
10.	आर. डी. एक्स	जैसा कि पी.ई.टी.एन. के लिए है।	22.5 किलोग्राम (शुष्क आधार)	11.25 किलोग्राम (शुष्क आधार)
11.	टाई-नाइट्रोसोसिनाल (स्टिफनिक अम्ल)	जैसा कि वर्ग 1 के लिए है, परन्तु ट्राई-नाइट्रोसोसिनाल (स्टिफनिक अम्ल) को कम से कम 20 प्रतिशत पानी से आर्द्र किया जाएगा जिसकी गणना आर्द्र विस्फोटकों के अनुसार की जाएगी और यह कि आन्तरिक पैकेज एक मजबूत थैला, केस या कनस्तर होगा जो इस प्रकार का बना हुआ और बन्द होगा कि उससे आर्द्रता में कोई कमी न हो पाए या विस्फोटक बाहर न निकल सके।	गीले विस्फोटक का 25 किलोग्राम	गीले विस्फोटक का 25 किलोग्राम
12.	वर्ग 4 प्रभाग 1	जैसा नादकों से भिन्न, वर्ग 3, प्रभाग 1 के लिए है।	25 किलोग्राम	2.5 किलोग्राम
13.	वर्ग 4 प्रभाग 2	जैसा वर्ग 1 के लिए है	25 किलोग्राम	2.5 किलोग्राम
14.	वर्ग 5	विस्फोटक को आर्द्र रूप में पैक किया जाएगा जिसमें कम से कम 25 प्रतिशत जल होगा और इस दशा में उसे तिहरे पैकेज में बन्द किया जाएगा, सबसे भीतरी पैकेज, जिसमें आर्द्र विस्फोटक है, मोटे सूती कपड़े का अथवा किसी अन्य उपयुक्त	100 किलोग्राम	12.5 किलोग्राम

1	2	3	4	5
		<p>सामग्री का महीन जाली वाला एक थैला होगा किन्तु जल के लिए पारगम्य होगा मध्य वाले पैकेज में सभी अलग-अलग पैकेज होंगे और उसमें विस्फोटक को निरन्तर आर्द्र रखने के लिए पर्याप्त जल होगा तथा सम्पूर्ण पैकेज की सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप, वह एक रबड़ के थैले के रूप में होगा अथवा केस या ऐसे बाह्य पैकेज में विशिष्ट अस्तर वाला एक थैला होगा जो इस उद्देश्य की दक्षतापूर्वक पूर्ति करता हो और उसके चारों ओर निरन्तर जल होगा या वह जल में भीगा हुआ होगा और केस के चारों ओर निरन्तर पर्याप्त जल होगा : मध्यवर्ती और बाह्य पैकेज की संरचना ऐसी होगी और सामग्री ऐसी होगी जिससे जल बाहर न निकल सकता हो ।</p>		
15.	पिस्तौलों के लिए पिन फायर कारतूसों से भिन्न वर्ग 6, प्रभाग 1	<p>इकहरा बाह्य पैकेज: परन्तु इस अनुसूची का खंड 3 इस प्रभाग के विस्फोटकों को लागू नहीं होगा ।</p> <p>परन्तु यह भी गोली वाले कारतूसों को, जिनका अधिव्यास 1.27 सेंटीमीटर से अधिक है और जो इस प्रभाग के हैं, ऐसी रीति से पैक किया जाएगा कि किसी भी गोली का कोई बिन्दु किसी अन्य कारतूस की टोपी के संपर्क में न आ सकता हो ।</p>	असीमित	
16.	पिस्तौलों के लिए पिन फायर कारतूस	<p>(क) किसी एक परेषण में संख्या में 50 से अधिक नहीं—इन्हें इकहरी पैकेज में इस प्रकार पैक किया जाएगा कि उनके आधार एकांतरत : विरोधी दिशाओं में हों । आधार और पिन मिल बोर्ड के छिद्रों में इस प्रकार फिट जाएंगे अथवा अन्य उपयुक्त सामग्री में इस प्रकार रखे जाएंगे कि उक्त कारतूसों में से किसी कारतूस में कोई विस्फोटक होने की दशा में उक्त कारतूसों में से किसी अन्य कारतूस को आग न लग सके ।</p> <p>(ख) 50 नग से अधिक—किसी आन्तरिक और बाह्य पैकेज में कारतूसों को आन्तरिक पैकेज में मिल बोर्ड के साथ ऊपर यथा अपेक्षित रूप में पैक किया जाएगा ।</p>	संख्या में 2500 नग	50 नग
17.	वर्ग 6, प्रभाग 2	<p>तोपों शैलों, तारपीड़ों, खानों, विस्फोटन या अन्य तत्समान प्रयोजनों के लिए कारतूसों या चार्ज के रूप में बनाए गए विस्फोटक, ऐसी रीति से और ऐसी मात्रा में पैक किए जाएंगे जो उस दशा में अपेक्षित है जब ऐसे विस्फोटक को ऐसे तैयार न किया गया हो।</p>	संख्या में 2500 नग	50 नग

1	2	3	4	5
		परंतु जहां दोहरे पैकेज अपेक्षित हैं वहां, ऐसे कारतूसों या चार्ज का आवरक केस, उस दशा में जब वह किसी आन्तरिक पैकेज के लिए अपेक्षित शर्तों की पूर्ति करता हो, ऐसा आन्तरिक पैकेज समझा जाएगा। इस प्रभाग के अन्य गोलाबारूद-इकहरा बाह्य पैकेज।		
18.	विस्फोटक प्रेरक और विद्युत विस्फोटक प्रेरक से भिन्न वर्ग 6, प्रभाग 3	जैसा वर्ग 1 के लिए है परन्तु ऐसे गोली वाले कारतूस जिनका अधिव्यास 1.27 सेंटीमीटर से अधिक है और जो इस प्रभाग के हैं, ऐसी रीति से पैक किए जाएंगे कि किसी भी गोली को कोई सिरि किसी अन्य कारतूस की टोपी के संपर्क में न आ सकता हो।	संख्या में 10,000 नग	संख्या में 1000 नग
19.	विस्फोटक प्रेरक	(क) किसी एक परेषण में एक हजार से अधिक नहीं : जैसा वर्ग 1 के लिए है : परन्तु विस्फोटक प्रेरकों के बीच और उनमें तथा आन्तरिक पैकेज की साइडों के बीच स्थान को यथासाध्य महीन बुरादे से या तत्समान अन्य सामग्री से भर दिया जाएगा, नमदे या अन्य मृदु सामग्री की एक परत सभी विस्फोटक प्रेरकों के दोनों सिरों के बीच रखी जाएगी और ऐसे आन्तरिक पैकेज के भीतरी भाग को जिसमें उन्हें रखा गया है, इस रीति से और ऐसे सुरक्षित किया जाएगा कि विस्फोट प्रेरकों के दोनों सिरों, उक्त रूई या अन्य सामग्री पर रखे हों। प्रत्येक आन्तरिक पैकेज को यदि वह धातु का है, सम्पूर्ण स्थानों पर कागज का या अन्य मृदु धातु से आन्तरिक कर दिया जाए। (ख) एक हजार से अधिक विस्फोटक प्रेरक-विस्फोटक प्रेरकों को आन्तरिक पैकेजों में, ऊपर बताए गए रूप में बुरादे और रूई में पैक कर दिया जाएगा। ऐसे आन्तरिक पैकेजों को लकड़ी या धातु के किसी मजबूत ऐसे केस में रखा जाएगा जो इस प्रकार से बनाया और बन्द किया गया हो कि कोई भी आन्तरिक पैकेज उसके बाहर न निकल सके और ऐसा केस किसी बाह्य पैकेज के भीतर इस प्रकार से रखा जाएगा और उसे ऐसे सुरक्षित किया जाएगा कि केस और उक्त बाह्य पैकेजों के प्रत्येक भीतरी भाग के बीच इस बात के होते हुए भी कम से कम 7.5 सेंटीमीटर स्थान होगा कि ऐसे स्थान को, यदि चाहे तो बुरादे, घासफूस या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री से भर दिया जाएगा अथवा उसमें हल्का फ्रेमवर्क		

1	2	3	4	5
		कर दिया जाएगा या लकड़ी का आप्यायन लगा दिया जाएगा जिससे कि पूर्वोक्त केस को बाह्य पैकेज में निश्चित स्थिति में रखा जा सके । (ग) जहां विस्फोट प्रेरकों की संख्या 5 हजार से अधिक है वहां ऐसे बाह्य पैकेजों में हैंडल या अन्य प्रयुक्ति लगाई जाएंगी जिसके द्वारा उसे सुरक्षा पूर्वक और सुविधा पूर्वक लाया जा ले जाया जा सके।		
20.	विद्युत विस्फोट प्रेरक	जैसा वर्ग 1 के लिए है परन्तु किसी बाह्य पैकेज में उनकी संख्या 2000 से अधिक नहीं होगी ।	2000 नग	100 नग
21.	वर्ग 7, प्रभाग 1	दोहरा पैकेज आन्तरिक पैकेज हवाबन्द होगा और वह ऊपर यथा परिनिश्चित किसी बाह्य पैकेज में रखा होगा ।	10 किलोग्राम	0.5 किलोग्राम
22.	वर्ग 7, प्रभाग 2, उप प्रभाग 1, 2 और 3 सिवाय सर्पिल और पेपरकैप या अमर्स के	दोहरा पैकेज आन्तरिक और बाह्य पैकेज लकड़ी का ऐसा बना हो जैसा इस अनुसूची के खंड (1) में यथा परिनिश्चित हो । आन्तरिक पैकेज कार्ड बोर्ड का बना हो ।	50 किलोग्राम	—
23.	वर्ग 7, प्रभाग 2, उप प्रभाग 1, 2 और 3 सिवाय सर्पिल और पेपर कैप या अमर्स के	दोहरा पैकेज आन्तरिक और बाह्य पैकेज ऐसा हो जैसा इस अनुसूची के खंड (1) में यथा परिनिश्चित हो । आन्तरिक पैकेज कार्ड बोर्ड का बना हो ।	20 किलोग्राम	—
24.	वर्ग 7, प्रभाग 2, उप प्रभाग 1 सर्पिल के लिए	दोहरा पैकेज आन्तरिक और बाह्य पैकेज ऐसा हो जैसा इस अनुसूची के खंड (1) में यथा परिनिश्चित हो । आन्तरिक पैकेज, सर्पिल फ्लेटों की टूट-फूट से संरक्षा करने के लिये रुई या उपयुक्त पदार्थ से भरा जाएगा ।	15 किलोग्राम	—
25.	वर्ग 7, प्रभाग 2, उप प्रभाग 2 पेपर कैप या अमर्स के लिए	दोहरा पैकेज आन्तरिक और बाह्य पैकेज लकड़ी का ऐसा बना हो जैसा इस अनुसूची के खंड (1) में यथा परिनिश्चित हो । आन्तरिक पैकेज नियम 34 के अनुसार बनाया जाएगा ।	2.8 किलोग्राम	—
26.	वर्ग 7, प्रभाग 2, उप प्रभाग 2 पेपर कैप या अमर्स के लिए	दोहरा पैकेज आन्तरिक और बाह्य पैकेज नालीदार बाक्स ऐसे हों जैसे इस अनुसूची के खंड (1) में यथा परिनिश्चित हो । आन्तरिक पैकेज नियम 34 के अनुसार बनाया जाएगा ।	1.4 किलोग्राम	—
27.	वर्ग 7, प्रभाग 3	एकल बाहरी पैकेज और बाहरी बाक्स का भीतरी हिस्सा गुदगदे पदार्थ द्वारा सुरक्षित किया जाएगा ।	25 किलोग्राम	—
28.	वर्ग 7, प्रभाग 4	एकल बाहरी पैकेज, परन्तु इस अनुसूची का खंड 3 लागू नहीं होगा ।	50 किलोग्राम या संघ के सशक्त बल द्वारा यथा अनुमोदित	—
29.	वर्ग 8, (द्रव आक्सीजन विस्फोटक) एल. ओ. एक्स	कारतुसों के तुरंत प्रयोग के लिए उन्हें विद्युत रोधी पैकिंग बक्सों में पैक और परिवहित किया जाएगा । ये बक्से मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित डिजाइन के होंगे ।		

भाग-2			विनिदेश	पैटर्न सं.	वस्तु	
आयात और निर्यात के लिए विस्फोटकों का पैक किया जाना (नियम 14 और नियम 15 देखिए)				(xiv)	एल्युमीनियम कीप	1
(1) आयात और निर्यात के लिये विस्फोटकों की पैकिंग की रीतियों का, यू एन वर्ग 1 (अर्थात्, विस्फोटक) के खतरनाक माल के वर्गीकरण की स्कीम के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'खतरनाक माल के परिवहन' के रूप में परिसंकटमय प्रभाग और संगतता समूह में अभिकल्पित और खतरनाक माल के परिवहन के विभिन्न रीतियों को नियंत्रित करने के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित विश्वव्यापी रूप में स्वीकृत सुमेलित अंतरराष्ट्रीय विनियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।			ग.	(xv)	शीशे की कीप ग्लिसरीन 28.4 सी.सी. की बोतल	1
				(xvi)	काडाईट चाकू	1
				(xvii)	जल उलष्मक टक्कन	1
				(xviii)	काडाईट मिल	1
				(xix)	चुभाने के लिए सुई, ऊष्मा परीक्षण पत्र	1
			घ.	(xx)	जल चूल्हा फिल्टर पत्र	1 पर्याप्त
					फिल्टर पत्र, 5.5 से.मी.	प्रदाय
					फिल्टर पत्र	प्रदाय
				(xxi)	मानक रंजक पत्र	पर्याप्त
			ङ.		परीक्षण पत्र	प्रदाय
				(xxii)	बैजवुड ब्रांड, पैस्टिल और मार्टर	1
				(xxiii)	ग्लास प्लेट, ऊष्मा परीक्षण पत्र पर संतुलित जब चुबाया जाए	1
				(xxiv)	रबड़ के रिंग, परीक्षण नली	पर्याप्त
				(xxv)	ग्लास मांड चपटे शीर्ष वाली	1
				(xxvi)	ग्लास राड, प्लेटिनम तार हुक	6
				(xxvii)	एल्युमीनियम कलछी	1
				(xxviii)	जल ऊष्मक के लिए स्क्रीन बर्नर	1
				(xxix)	छलनी, चौकोर, कलईदार पीतल के तार वाली	1
				(xxx)	ढक्कन और आधार वाली पीतल की गोल छलनी	एक सेट
				(xxxii)	हार्न स्पैक्चुला	1
				(xxxiii)	ऊष्मा परीक्षण नली, स्टैंड	1
				(xxxiv)	जल ऊष्मक स्टैंड	1
				(xxxv)	रबड़ डाट, छिद्र वाली	पर्याप्त
				(xxxvi)	ग्लास थर्मोमीटर और लकड़ी का केस	2
				(xxxvii)	एल्युमीनियम ट्रे	6
				(xxxviii)	काडाईट चाकू ट्रे	1
				(xxxix)	ऊष्मा परीक्षण	पर्याप्त
				(xl)	मानक रंजक पत्र, नलियां	1
			ख.	(xli)	रबड़ नलिका, अरगंड गैस बर्नर	पर्याप्त
					बक्स में ग्राम बांट और फार्सिस,	एक सेट
					फार्सिस	प्रदाय

*जहां गर्म जल उपलब्ध हैं वहां प्रयोग के लिए विकल्प पैटर्न।

*उपयोग के लिए आनुकल्पिक पैटर्न जहां गर्म जल उपलब्ध है।

टिप्पण—साधित्र और सामग्री, सभी दृष्टियों से विनिर्देश और मानक पैटर्न के अनुरूप होगी।

विनिर्देश—एसिटिक अम्ल

एसिटिक अम्ल, स्वच्छ, रंगहीन और सभी अशुद्धियों से मुक्त होगा और उसमें कम से कम 96 प्रतिशत सी.एच.₃सी.एच.ओ.ओ.एच. (CH₃COOH) होगी। जब एन./10 पोटेशियम परमेगमेट गोल का 1 सी.सी. 15° सेंटीग्रेड पर एसिटिक अम्ल की 100 सी.सी. में मिलाया जाए तो विशिष्ट रंग कम से कम पन्द्रह मिनट तक बना रहना चाहिए।

तनुकृत एसिटिक अम्ल की बूंद एसिटिक अम्ल की एक मात्रा को आसुत जल की चार मात्राओं में तनुकृत करके—किसी ग्लास राड की सहायता से तुरन्त तैयार किए गए पोटेशियम आयोडाइट स्टार्च कागज पर रखा जाए तो कोई रंग प्रकट नहीं होना चाहिए।

विनिर्देश—फ्रेंच चाक

फ्रेंच चाक का रंग इकसार होना चाहिए और वह मानक नमूने के अनुरूप होना चाहिए और उसमें 0.5 प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए।

फ्रेंच चाक का प्रपुंज ऐसा होगा कि 50 सी.सी. आयतन का भार 23.5±1.0 ग्राम हो। इसका अवधारण निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :-

एक ग्लास कीप को, जिसका तना लम्बाई में 11 सेंटीमीटर हो अन्दर से यह तना शीर्ष पर, 8 मिलीमीटर से अन्त में 5 मिलीमीटर शुण्डाकार हो, 50 सी.सी. वाले सिलेंडर के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप में क्लैम्प किया जाएगा जिससे कि पश्चात्कथित का मुख कीप के निम्नतम बिन्दु के नीचे 7 सेंटीमीटर पर हों। सिलेंडर का आन्तरिक व्यास 2.5 सेंटीमीटर होगा और उसकी ग्राउंड एज होगी। फ्रेंच चाक को कीप में धीरे-धीरे डाला जाएगा और सिलेंडर में उसे तब तक भरने दिया जाएगा जब तक कि वह सिलेंडर में से बह कर निकलने नहीं लगता। इस क्रिया को एक मिनट तक करना चाहिए। तत्पश्चात् चाक की सतह को लेबिल किया जाएगा किन्तु सिलेंडर को थपथपाया या हिलाया नहीं जाएगा। यह कार्य सिलेंडर के मुख के ऊपर एक सीधी एज खींच कर किया जाएगा। तत्पश्चात् सिलेंडर और उसकी अन्तर्वस्तु को तोला जाएगा।

फ्रेंच चाक की सूक्ष्मता ऐसी हो कि वह बिना रगड़े 0.075 मिलीमीटर तार की छलनी में जिसके प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 6.400 जाली हों, निकल जाए।

फ्रेंच चाक में, सी.ए.सी.ओ. के रूप में संगणित घुलनशील क्षारीय लवण 0.4 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका अवधारण निम्नलिखित रूप में किया जाएगा, अर्थात् :-

10 ग्राम चाक को 250 सी.सी. जल में एक मिनट तक उबाला जाएगा। तत्पश्चात् उसे फिल्टर किया जाएगा, धोया जाएगा और फिल्टरेट को एन/10 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ टाइट्रेट किया जाएगा।

फ्रेंच चाक में से जब उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गरम किया जाए तो, कार्बोनिक अम्ल गैस 1 प्रतिशत से अधिक और 0.25 प्रतिशत से कम नहीं निकलनी चाहिए।

फ्रेंच चाक को 100° सेंटीग्रेड पर निरन्तर समान भार होते हुए, सुखाए जाने के पश्चात् उसे 0.5 प्रतिशत से अधिक आर्द्रता ग्रहण नहीं

करनी चाहिए और फिर उसे एक बेल-जार के नीचे 15° से 20° सेंटीग्रेड संतृप्त वायुमंडल में 24 घंटे के लिए खुला रखा जाएगा।

टिप्पण—ऊष्मा परीक्षण प्रयोगों के लिए प्रयोग करने के पूर्व फ्रेंच चाक को आसुत जल से सावधानीपूर्वक धो ले। जल चूल्हे में 65-70° सेंटीग्रेड में सुखाया जाय, और 24 घंटे के लिए संतृप्त वायुमंडल में खुला रखा जाए। उसे भली प्रकार डाट लगी बोतल में रखा जाय।

विनिर्देश—ग्लीसरीन

ग्लीसरीन सभी प्रकार ब्रिटिश भेषजकोष विनिर्देश के अन्तिमतम संस्करण के अनुरूप होनी चाहिए।

विनिर्देश—फिल्टर पत्र

ऊष्मा परीक्षण पत्र बनाने के लिए ऐसे शुद्ध पत्र सामान्य सूत सेल्यूलोज का बना हुआ होगा जिसमें अधिक प्रतिरोधी क्वालिटी हो और जो भारण या चिकनाई से मुक्त हो।

विनिर्माण के दौरान पत्र किसी भी प्रकार के कृत्रिम तापन के अधीन नहीं किया जाएगा।

पत्र की सतह चिकनी श्वेत होगी और दोनों तरफ यथासंभव एक सी होगी।

तन्तुओं की औसत लम्बाई 2±0.5 किलोमीटर होगी जब पत्रों की माप साइसेरी स्मिथ पेटेन्ट लगे दाव सूक्ष्म मापी से की जाए तो उसकी मोटाई 1.8±0.2 मिलीमीटर होगी।

उसकी तैयारी के लिए अंतिम परीक्षण यह होगा कि उसे शुद्ध जल से पूर्णतः धोया जाएगा और उसे तत्पश्चात् शुद्ध वायुमंडल में वायु से सुखाया जाएगा।

पत्र रासायनिक या अन्य अशुद्धियों से, विशेषतः अम्ल, क्लोरीन और पैरीआक्साइड से पूर्णतः मुक्त होंगे।

3 प्रतिशत कार्बिक सोडा गोल के साथ 60 मिनट तक उबाले जाने पर पत्र भार में 7.5 प्रतिशत से अधिक की कमी नहीं होगी।

जब उसे दुगुनी मात्रा के उबलते हुए जल से तनुकृत व्हेलिंग विलयन में सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक गरम किया जाएगा तब उसके भार के अनुसार कुपरस आक्साइड 1.25 प्रतिशत से अधिक नहीं निकलेगा।

उसका प्रदाय 50 सेंटीमीटर लम्बी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी शीटों में किया जाएगा और प्रत्येक सौ शीटों को ऐसे संमुद्रित बन्द टिन के केसों में अलग-अलग पैक किया जाएगा, जिसे ऐसे पट्टी से बांधा गया हो जो फाड़कर हटाई जा सकती हो।

डायनामाइट से नाइट्रो-ग्लीसरीन के कर्षण में प्रयोग के लिए उसका प्रदाय 5.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तों के रूप में किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक 100 पत्रों को अलग-अलग पैक किया जाएगा।

विनिर्देश—परीक्षण पत्र

पत्रों की तैयारी और परीक्षण ऐसी रीति से किया जाएगा जो परिशिष्ट 2 में अधिकथित है।

प्रत्येक बैच के पत्रों का परीक्षण दो दिनों में से प्रत्येक दिन को चार पत्रों के क्रमिक परीक्षण कर के किया जाएगा औसत परीक्षण 18.5±0.75 मिनट होगा। यदि औसत से परीक्षण का फर्क दो मिनट से अधिक है तो उसे असाधारण समझा जाएगा और उसे निकाल दिया जाएगा किन्तु यह तब जब कि परीक्षित 32 पत्रों में से ऐसे असाधारण

परीक्षण एक से अधिक नहीं है जिस दशा में बैच को ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

विनिर्देश-मानक रंजक पत्र

मानक रंजक पत्रों को परिशिष्ट 1 में किए गए वर्णन के अनुसार और उसमें अधिकथित शर्तों के अनुरूप बनाया जाएगा।

II.—परीक्षण के लिए नमूनों का तैयार किया जाना :-

परीक्षण के लिए किसी नमूने के तैयार किए जाने के लिए की जाने वाली सभी सँक्रियाएं यथासंभव, शीघ्रता से की जाएंगी तथा यथासंभव प्रकाश में उनके उच्छन्न होने से बचा जाएगा और जैसे ही नमूना तैयार हो जाए वैसे ही यथाशीघ्र परीक्षण किया जाएगा।

ऊष्मा परीक्षण मात्राओं को तोलकर निकालने के लिए ± 0.5 ग्राम की शुद्धता पर्याप्त है। इन मात्राओं को तोल कर परीक्षण नलियों में रखा जाएगा जिन पर ऐसी रबड़ की रिंगों को फिट किया गया हो जिनकी निम्न सतह, परीक्षण नली पर रसायन उत्कीर्ण तल रेखा के साथ मिलता हो।

(1) चूर्णशील नाइ-ट्रोग्लीसरीन विनिर्मितियां, जिनमें से नाइट्रो-ग्लीसरीन या द्रव-नाइट्रो योगिक सुविधापूर्वक जल के साथ निष्कर्षित नहीं किए जा सकते हैं—

(क) परीक्षण के लिए नमूने वाले कारतूस का एक सिरा खोला जाएगा और उसे एक हाथ से घुमाया जाएगा तथा दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से दबाव डालकर, कारतूस की अन्तर्वस्तु को ढीला कर दिया जाएगा। इस प्रकार ढीले किए गए नमूने के प्रथम 12.7 मिलीमीटर को रद्द कर दिया जाएगा।

(ख) तत्पश्चात् कारतूस को करछी पर उठा लिया जाएगा और तब तक उसे ढीला किया जाता रहेगा जब तक विस्फोटक का एक भाग करछी पर नहीं आ जाता।

(ग) जब करछी पर प्राप्त नमूने का भार 3.2 ग्राम तक हो जाए तब नमूने को अल्युमीनियम कीप की सहायता से ऊष्मा परीक्षण नली में अन्तरित किया जाएगा और यह कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि नली की साइडों को धीरे-धीरे थपथपाकर उनकी तली में नमूना जमा कर लिया जाएगा और उस नमूने को चपटे शीर्ष वाले ग्लास राड से दबाव डालकर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कर दिया जाएगा। इस प्रकार नमूना ऊष्मा परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा।

2. विस्फोटन जलेटीन और सदृश निर्मितियों—

(क) कारतूस का आवरण खोल दिया जाएगा और नमूने के 12.7 मिलीमीटर भाग को स्पैचुला की सहायता से निकाल लिया जाएगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा तत्पश्चात् यथासंभव 3.2 ग्राम का एक टुकड़ा परीक्षण के लिए काट लिया जाएगा। इन सँक्रियाओं के दौरान नमूना अपने ही आवरण पर रखा रहेगा और इस बात का प्रयत्न किया जाएगा कि सँक्रियाकर्ता का हाथ सीधे नमूने के संपर्क में न आए।

(ख) इस प्रकार रद्द किए गए नमूने के भाग को करछी पर तोला जाएगा और तोलने के लिए टुकड़ों को उस पर तब तक रखा या उससे हटाया जाता रहेगा जब तक कि

नमूना 3.2 ग्राम नहीं हो जाता। इस मात्रा को खरल में डाल दिया जाएगा। 6.5 ग्राम फ्रेंच चौक को स्पैचुला और करछी की सहायता से तोला जाएगा और उसे भी खरल में डाल दिया जाएगा।

(ग) नमूने को तथा फ्रेंच चौक को मूसली के एक सिरे से आपस में भली प्रकार मिला दिया जाएगा और उसे ऐसी स्थिति में ले जाया जाएगा कि तत्पश्चात् उसे पीसा जा सके। सामान्य नमूनों के लिए समय साधारणतया निम्नलिखित रूप में होगा :-

विस्फोटन जैलेटीन	1-1/2 मिनट
जैलेटीन डायनामाइट	1 मिनट
जैलिग्नाइट और ऐसे ही अन्य विस्फोटक	1/2 मिनट

जिनमें 63 प्रतिशत से कम नाइट्रोग्लोसरीन हो

तत्पश्चात् मिश्रण को, आधा मिनट तक करछी को गोलाई में घुमाकर, पीसा जाएगा और एकसार रूप में कर दिया जाएगा।

(घ) मिश्रण को हार्न स्पैचुला और अल्युमीनियम कीप की सहायता से एक परीक्षण नली में डाल दिया जाएगा और उसमें उसे चपटे शीर्ष के ग्लास राड से दबाव डालकर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक रहने दिया जाएगा। तत्पश्चात् यह नमूना ऊष्मा परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा।

(ङ) प्रत्येक पिसाई के पश्चात् मूसली और खरल को नल के पानी से भली प्रकार धोया जाएगा और तत्पश्चात् आसुत जल से उसे खंगाला जाएगा और सूखी तौलिया से पोंछा जाएगा और अंत में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक तापन-पात्र में उसे सुखाया जाएगा। मूसली और खरल पुनः प्रयोग में लाए जाने से पूर्व, साधारण तापमान पर ठंडे किए जाएंगे।

3. वर्ग 3, प्रभाग 1 के कारडाइट, बैलिस्टाइट और अन्य नोदक :-

(i) स्टिक या नलियों के रूप में विस्फोटक—

(क) सँक्रियाकर्ता को अपने हाथ भली प्रकार सावधानीपूर्वक धोना है और आसुत जल में खंगालना है तथा एक साफ तौलिए से उन्हें पोंछना है।

(ख) परीक्षण के लिए स्टिकों या नलियों को फिल्टर पेपर से पोंछा जाना है।

(ग) नमूने को ऐसी स्थिति में लाया जाएगा कि वह कारडाइट मिल में पीसे जाने के उपयुक्त हो जाए। यह कार्य कारडाइट चाकू से नमूने के 3.175 मिलीमीटर के लगभग छोटे टुकड़े काटकर किया जाएगा। प्रत्येक स्टिक या नली के दोनों सिरों से 12.7 मिलीमीटर भाग रद्द कर दिया जाएगा।

(घ) मिल के नीचे छलनियों का एक सेट, जिस पर से ढक्कन हटा दिया गया हो, रखा जाएगा जिससे कि पिसी हुई सामग्री सीधे शीर्ष छलनी पर गिरे।

- (ड) काटे हुए नमूने को कारडाइट ट्रे से मिल पर डाला जाएगा और वहां उसे पीसा जाएगा। मिल से निकलने वाले पहले भाग को रद्द कर दिया जाएगा। नमूने की इतनी मात्रा को यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाएगा कि मिल में रखी गई संपूर्ण मात्रा को पीसे बिना द्वितीय छलनी पर पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो सके।
- (च) ढक्कन को छलनियों के सेट पर लगा दिया जाएगा और नमूने को एक मिनट तक छाना जाएगा। जो सामग्री द्वितीय छलनी पर रह जाती है उसे ऊष्मा परीक्षण के लिए दे दिया जाएगा और ऐसी स्टिकों या नलियों में पाउडर होने की दशा में को छोड़कर जिसका प्रसामान्य व्यास 0.762 मिलीमीटर है, सबसे नीचे के कंपार्टमेंट में जो सामग्री है उसे ऊष्मा परीक्षण के लिए ले लिया जाएगा।
- (छ) पिसे और छाने गए नमूने का 1.6 ग्राम तोलकर करछी में से लिया जाएगा और तत्पश्चात् उसे ऊष्मा परीक्षण नली में एलुमिनियम कीप की सहायता से अंतरित कर दिया जाएगा तथा उसे नली की साइडों को उंगलियों से धीरे-धीरे थपथपाकर, इकट्ठा कर लिया जाएगा। इस प्रकार की तीन मात्राओं को तोल कर निकाल लिया जाएगा और नमूना ऊष्मा परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा।
- (ज) छलनियों के सेट और कारडाइट मिल को, प्रत्येक नमूने की तैयारी के पूर्व और पश्चात् सफाई ब्रुश से साफ कर दिया जाएगा।
- (ii) छोटे आयुद्धों के लिए दोनों के रूप में विस्फोटक :

ऊपर बताए गए रूप में नमूने के 1.6 ग्राम को तोल कर करछी में ले लिया जाएगा और उसे एल्युमिनियम कीप की सहायता से ऊष्मा परीक्षण नली में अंतरित कर दिया जाएगा और उसे तली से नली की साइडों को उंगलियों से धीरे-धीरे थपथपाकर इकट्ठा कर लिया जाएगा। इस प्रकार की तीन परीक्षण मात्राओं को तोल लिया जाएगा और नमूना ऊष्मा परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा।

वर्ग 3, प्रभाग 2 के विस्फोटक

- (1) नाइट्रो सेल्यूलोसी लुगदी :
- (क) आपरेटर को अपने हाथ सावधानीपूर्वक धोकर जल से प्रक्षालित कर लेना चाहिए और उन्हें साफ तौलिए से शुष्क कर लेना चाहिए।
- (ख) छः फिल्टर पत्रों को एक के ऊपर एक रख लिया जाएगा। अंतिम रूप से दबाने के पश्चात् 5.6 ग्राम प्रस्तुत करने के लिए, परीक्षित किए जाने वाले नमूने की पर्याप्त मात्रा को सबसे ऊपर वाले पत्र पर फैला दिया जाएगा। इसी प्रकार से छः अन्य फिल्टर पत्र नमूने के ऊपर रखे जाएंगे। इस संपूर्ण सामग्री को एक दाब के नीचे, उदाहरणार्थ हस्त स्क्रू प्रेस के नीचे रख लिया जाएगा और तीन मिनट तक उसे दाबे रखा जाएगा। दाब

हटा लेने के बाद नमूने को फिल्टर पत्र पर हाथ से रगड़ा जाएगा और नए फिल्टर पत्र पर तीन मिनट तक उस पर पुनः दबाव डाला जाएगा। तत्पश्चात् नमूने को चौकोर छलनी में डाल दिया जाएगा और उसे हाथ से रगड़ कर छलनी से निकाल दिया जाएगा।

- (ग) नमूने के छने हुए भाग में से 5 ग्राम तोल कर करछी पर रख दिया जाएगा और एल्युमिनियम की ट्रे पर उसे समान रूप में फैला दिया जाएगा।
- (घ) एक चूल्हा लाया जाएगा जिसका तापमान 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड (120 डिग्री फा.हा.) पर बनाए रखा जाएगा और ट्रे को चूल्हे में रख दिया जाएगा और उसका दरवाजा बंद करके उसे उसमें 15 मिनट तक रहने दिया जाएगा।
- (ड) ट्रे को चूल्हे में से निकाल दिया जाएगा और नमूने को छलनियों के सेट में सबसे ऊपर वाली छलनी में रख दिया जाएगा। ढक्कन बंद कर दिया जाएगा और नमूने को 2 मिनट तक छाना जाएगा। इस क्रिया के लिए द्वितीय छलनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (च) नमूने का वह भाग जो सबसे ऊपर की छलनी में से होकर निकला है, एक एल्युमिनियम की ट्रे पर समान रूप से फैला दिया जाएगा और चार घंटे तक उसे कमरे की वायु में खुला छोड़ दिया जाएगा।
- (छ) खुले रखे गए इस नमूने में से 1.3 सामग्री को तोल कर करछी में कर दिया जाएगा और उसे एल्युमिनियम कीप की सहायता से ऊष्मा परीक्षण नली में अंतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार दो परीक्षण मात्राओं की तोल की जाएगी। प्रत्येक मामले में सामग्री को एक चपटे शीर्ष वाली शीशे की राड से दाब डालकर तीन सेंटीमीटर की ऊंचाई तक रहने दिया जाएगा और तत्पश्चात् नमूना ऊष्मा परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा।
- (ज) तार वाली छलनी और छलनियों के सेट को, प्रत्येक नमूने के छाने जाने के पूर्व और उसके पश्चात् सफाई ब्रुश से साफ कर दिया जाएगा।
- (2) संपीडित काटन :
- (क) प्राइमर या स्लैब के केन्द्र से लगभग 10 ग्राम गन काटन, एक हार्न स्पैचुला की सहायता से खुरच लिया जाएगा।
- (ख) इस प्रकार प्राप्त की गई खुरचन ऐसे शीशे के बीकर में रख दी जाएगी जिसका दो तिहाई भाग आसुत जल से भरा हो। इस नमूने को पानी में एक चपटे शीर्ष वाली शीशे की राड से 15 मिनट तक बार-बार हिलाते रहा जाएगा और तत्पश्चात् उसे स्थिर होने दिया जाएगा। पानी को बाहर उड़ेल दिया जाएगा और पुनः बीकर में उतना ही आसुत जल भर दिया जाएगा और नमूना नए आसुत जल में 15 मिनट तक पुनः बार-बार हिलाया जाएगा। स्थिर हो जाने पर द्वितीय बार वाले जल को बाहर उड़ेल दिया जाएगा।

- (ग) आपरेटर को अपने हाथ सावधानीपूर्वक धोकर आसुत जल से भली प्रकार प्रक्षालित करना होगा और अतिरिक्त जल को हाथ से निचोड़कर नमूना ले लिया जाएगा।
- (घ) छः फिल्टर पत्रों को एक के ऊपर एक रखा जाएगा। सबसे ऊपर के पत्र पर घुली हुई गन काटन को फैला दिया जाएगा। इस नमूने पर इसी प्रकार छः फिल्टर पत्र रख दिए जाएंगे। तत्पश्चात् इस सामग्री को हस्तस्क्र प्रेस जैसे दाबक के नीचे 3 मिनट तक दबाए रखा जाएगा। दबाव हटा लेने पर नमूने को हाथ से फिल्टर पत्र पर रगड़ा जाएगा और पुनः नए फिल्टर पत्र पर उसे 3 मिनट तक दबाए रखा जाएगा। तत्पश्चात् नमूने को एक चौकोर छलनी में अंतरित कर दिया जाएगा और उसे हाथ से रगड़कर उसे उसमें से निकाल दिया जाएगा।
- (ङ) छने हुए नमूने का 5 ग्राम करछी में तोल लिया जाएगा और उसे एक अल्यूमीनियम की ट्रे पर समान रूप में फैला दिया जाएगा।
- (च) एक चूल्हा लाया जाएगा जिसका तापमान 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड (120 डिग्री फा.हा.) पर बनाए रखा जाएगा और ट्रे को चूल्हे में रख दिया जाएगा और उसका दरवाजा बंद करके उसे उसमें 15 मिनट तक रहने दिया जाएगा।
- (छ) ट्रे को चूल्हे में से निकाल लिया जाएगा और नमूने को छलनियों के सेट की सबसे ऊपर वाली छलनी में रख दिया जाएगा। ढक्कन को बंद कर दिया जाएगा और नमूने को 2 मिनट तक छाना जाएगा। उस क्रिया के लिए द्वितीय छलनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (ज) नमूने का वह भाग जो सबसे ऊपर की छलनी में से होकर निकला है, एक अल्यूमीनियम की ट्रे पर समान रूप में फैला दिया जाएगा और चार घंटे तक उसे कमरे की वायु में खुला छोड़ दिया जाएगा।
- (झ) खुले रखे गए इस नमूने में से 1.3 ग्राम सामग्री को तोल कर करछी में ले लिया जाएगा और उसे अल्यूमीनियम की कीप की सहायता से ऊष्मा परीक्षण नली में अंतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार दो परीक्षण मात्राओं की तोल की जाएगी। प्रत्येक मामले में सामग्री को एक चपटे शीर्ष वाली शीशे की राड से दबाव डालकर तीन सेंटीमीटर की ऊंचाई तक रहने दिया जाएगा और तत्पश्चात् नमूना ऊष्मा परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा।
- (ञ) ताल वाली छलनी और छलनियों के सेट को, प्रत्येक नमूने के छाने जाने के पूर्व और उसके पश्चात् सफाई ब्रुश से साफ कर दिया जाएगा।
- (3) नाइट्रो सेल्यूलोसी नोदक :
- (i) स्टिकों या नालियों के रूप में विस्फोटक :-
- (क) आपरेटर को अपने हाथ सावधानीपूर्वक धोकर आसुत जल से प्रक्षालित कर लेना चाहिए और उन्हें साफ तौलिए से शुष्क कर लेना चाहिए।
- (ख) परीक्षण की जाने वाली स्टिकों या नालियों का साफ फिल्टर पत्र से पोंछ दिया जाएगा।
- (ग) नमूने को ऐसी स्थिति में ला दिया जाएगा कि उसे कार्डाइट मिल में पीसा जा सके। यह कार्य उसके लगभग 3.175 मिलीमीटर लंबे छोटे-छोटे टुकड़े काटकर किया जाएगा और इसके लिए कार्डाइट चाकू का प्रयोग किया जाएगा। परीक्षण की जाने वाली ऐसे स्टिकों या नालियों के दोनों सिरे से 12.7 मिलीमीटर लंबा भाग अलग कर दिया जाएगा।
- (घ) छलनियों के सेट को, जिस पर से ढक्कन हटा दिया गया हो, मिल के नीचे इस प्रकार रखा जाना है कि पिसी हुई सामग्री सबसे ऊपर की छलनी पर सीधे गिरे।
- (ङ) कटे हुए नमूनों को कार्डाइट ट्रे से मिल में अंतरित किया जाएगा और वहां उसे पीसा जाएगा। मिल से होकर निकलने वाले प्रथम भाग को हटा दिया जाएगा। नमूने की इतनी मात्रा को यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाएगा कि मिल में रखी गई संपूर्ण मात्रा को पीसे बिना ही द्वितीय छलनी पर पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो सके।
- (च) ढक्कन को छलनियों के सेट पर रख दिया जाएगा और नमूने को एक मिनट तक छाना जाएगा। जो सामग्री द्वितीय छलनी पर शेष रह जाती है उसे ऊष्मा परीक्षण के लिए ले लिया जाएगा। किन्तु स्टिकों या नालियों, जिसका अंतिम व्यास 0.762 मिलीमीटर से कम है, में पाउडर होने की दशा में के सिवाय, सबसे नीचे के कंपार्टमेंट में जो सामग्री है। उसे उष्मा परीक्षण के लिए ले लिया जाएगा।
- (छ) पिसे और छाने गए नमूने का 1.6 ग्राम तोलकर करछी में ले लिया जाएगा और एल्यूमिनियम कीप के द्वारा उसे ऊष्मा परीक्षण नली में अंतरित कर दिया जाएगा तथा उसे नली की तली में, अंगुलियों से ऐसी नली की साइडों को धीरे-धीरे थपथपाकर, इकट्ठा कर लिया जाएगा। ऐसी तीन परीक्षण मात्राओं को तोलकर अलग कर लिया जाएगा। अब नमूना ऊष्मा परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा।
- (ज) छलनियों के सेट और कार्डाइट मिल को, प्रत्येक नमूने की तैयारी के पूर्व और पश्चात्, सफाई ब्रुश से साफ किया जाएगा।
- (ii) छोटे आयुधों के लिए दानों के रूप में विस्फोटक :
- (क) अपेक्षित परीक्षण के लिए नमूने की पर्याप्त मात्रा को एक एल्यूमीनियम ट्रे पर समान रूप में फैला दिया जाएगा।
- (ख) चूल्हे को लाया जाएगा और उसे 48.0 सेंटीग्रेड (120 फारेनहाइट) तापमान पर बनाए रखा जाएगा।

- (ग) ट्रे को चूल्हे से बाहर निकाल लिया जाएगा और उसे चार घंटे तक कमरे की हवा में खुला रखा जाएगा ।
- (घ) खुले रखे नमूने का 1.3 ग्राम करछी में तोल लिया जाएगा और उसे एल्यूमीनियम कीप की सहायता से ऊष्मा परीक्षण नली को अंतरित कर दिया जाएगा । इस प्रकार की तीन परीक्षण मात्राओं को तोल लिया जाएगा और नमूना ऊष्मा परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगा ।

III—परीक्षण करना

- (क) जब ऊष्मक को फिट किया जाएगा और उसे जल से इतना भर दिया जाएगा कि उसमें से पानी बाहर निकलने लगे । तत्पश्चात् उसे एक सुविधाजनक ऊंचाई वाली मेज पर ऐसी स्थिति में रख दिया जाएगा कि ऊष्मा परीक्षण रंग का परावर्तित प्रकाश द्वारा, शीघ्र देखा जा सके । साधित्र का कोई भी भाग सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं रखा जाएगा ।
- (ख) रबड़ की डाट में लगाए गए थर्मामीटर को उस तार की जाली में 7.6 सेंटीमीटर तक डाल दिया जाएगा जो जल ऊष्मक की निचली साइड में इस प्रयोजन के लिए उपबन्धित है । तत्पश्चात् जल को अपेक्षित तापमान तक गरम किया जाएगा और उसे स्थिर तापमान और गहराई पर बनाए रखा जाएगा । विभिन्न विस्फोटकों के लिए तापमान, सारणी-1 में दिए गए हैं ।
- (ग) प्लेटिनम तार हुक वाली ग्लास राड को रबड़ की डाट में घुसा दिया जाएगा । तत्पश्चात् एक परीक्षण पत्र को, ग्लास प्लेट पर रखे गए फोरसिप्स की सहायता से एक ब्राउन ग्लास बोतल से इस प्रकार हटाया जाएगा कि उसके किनारे प्लेट पर की रेखाओं पर पड़े और सुई को पेपर तथा प्लेट छिद्र में से होकर घुसाया जाएगा । तत्पश्चात् परीक्षण पत्र को फोरसिप्स की सहायता से लटका दिया जाएगा और आसुत जल और ग्लिसरीन के समभाग मिश्रण को टपकन बोतल की ग्लास राड की सहायता से परीक्षण पत्र के ऊपरी किनारे पर, परीक्षण पूर्ण होने के समय तक परीक्षण पत्र के ऊपरी अर्धभाग को भिगोने के लिए, पर्याप्त मात्रा में लगा दिया जाएगा । ग्लास रोड का प्लेटिनम तार वाला हुक तत्पश्चात् पत्र के छिद्र में से होकर डाला जाएगा । आपरेटर किसी भी समय अपनी अंगुली से पत्र का स्पर्श नहीं करेगा ।
- (घ) ग्लास रोड और परीक्षण पत्र वाहक रबड़ की डाट को उस परीक्षण नली में दृढ़तापूर्वक लगा दिया जाएगा जिसमें परीक्षण के लिए विस्फोटक भरे हों । यह डाट इस प्रकार लगाई जाएगी कि वह परीक्षण नली के रसायन उत्कीर्ण शीर्ष रेखा पर पड़े और ग्लास रोड की स्थिति को इस प्रकार समायोजित किया जाएगा कि परीक्षण पत्र के भीगे भाग का निचला किनारा जो लगभग क्षैतिज होगा परीक्षण नली पर मध्य रसायन उत्कीर्ण रेखा पर पड़े । तत्पश्चात् परीक्षण नली को,

जल अष्मक के ढक्कन के तार की जालियों में से एक प्रकार घुसा दिया जाएगा कि परीक्षण नली पर रसायन उत्कीर्ण तल रेखा ढक्कन की ऊपरी सतह पर पड़े । रबड़ की रिंग को अष्मक पर से नीचे दबा दिया जाएगा और नली के ऊपर टोपी यथास्थान लगा दी जाएगी ।

परीक्षण नली में विभिन्न विस्फोटकों की रखी जाने वाली मात्राओं को सारणी 1 में दिखाया गया है ।

परीक्षण पत्र का, कैप उठाकर निरीक्षण तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सारणी 1 में दिए गए रूप में विस्फोटक का परीक्षण पूर्ण होने का समय समाप्त होने वाला न हो ।

- (ङ) परीक्षण पत्र तब पूर्ण होगा जब हल्की ब्राउन रेखा, जो कुछ समय बाद परीक्षण पत्र की आर्द्र और शुष्क स्थितियों के बीच पार्श्व में प्रकट होती है, मानक रैचक पत्र पर रंजक की गहराई के बराबर नहीं हो जाती ।

परीक्षण में उत्तीर्ण होने के लिए दिए गए किन्हीं विस्फोटकों के लिए नली को अष्मक में डालने और मानक के बराबर रंग उत्पन्न होने के बीच का समय नीचे दी गई सारणी में दिए गए समय से कम नहीं होना चाहिए :

वर्ग	प्रभाग	विस्फोटक प्रकृति	ऊष्मा परीक्षण ऊष्मक का तापमान	ऊष्मा परीक्षण परीक्षित तक विस्फोटक की किया जाएगा मात्रा	समय, जब
1	2	3	4	5	6
3	1	चूर्ण शील नाइट्रो ग्लिस-(160 फा.) रीन निर्मितियां जिनमें से नाइट्रो ग्लिसरीन जल द्वारा सुविधापूर्वक निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है ।	71.1 से	3.2 ग्राम	7 मिनट
		विस्फोटन जैलेटीन और सद्दश निर्मितियां कारडाइट, बैलिस्टिक और अन्य नोदक जो वर्ग 3, प्रभाग 1 के	71.1 से	3.2 ग्राम + 6.5 ग्राम फा.) फ्रेंच चाक	10
			71.1 से	1.6 ग्राम	10

1	2	3	4	5	6
		हैं।			
3	2	नाइट्रो-सेल्यु-76.7 से. 1.3 ग्राम लोसी लुगदी (170 संपीडित गन फा.) काटन नाइट्रो.सेल्यु- 76.7 से 1.3 ग्राम लोसी नोदक (170 फा.)			10

परीक्षण समाप्त हो जाने के पश्चात् विस्फोटक को नलियों में से सावधानीपूर्वक हटा लिया जाएगा और नलियों को नल के पानी से, परीक्षण नली ब्रुश की सहायता से भली प्रकार धो लिया जाएगा तत्पश्चात् उन्हें प्रक्षालित कर लिया जाएगा और कुछ मिनटों तक उनमें से पानी निकलने दिया जाएगा। यह धुलाई आसुत जल से पुनः की जाएगी, नलियों को प्रक्षालित किया जाएगा, उनमें से अपवाहन होने दिया जाएगा और अंततः अष्मक से 100 सेंटीग्रेट के तापमान पर सुखा लिया जाएगा। नलियों को पुनः प्रयोग में लाने से पूर्व साधारण तापमान तक उन्हें ठंडा होने दिया जाएगा।

IV- विस्फोटन जैनेटीन और सदृश निर्मितियों के लिए निःस्रवण और द्रवण परीक्षण

परीक्षण किए जाने वाले कारतूस से विस्फोटक जैलेटीन का एक सिलेंडर काट लिया जाएगा और उस सिलेंडर की लंबाई उसके व्यास के बराबर होगी तथा उसके सिरे चपटे काटे जाएंगे।

सिलेंडर को उसके सिरों पर एक चपटी सतह पर बिना किसी आवरण को रखा जाएगा तथा उसके केन्द्र से उर्ध्वाधर रूप में एक पिन लगाकर उसे फिट का दिया जाएगा।

उस दशा में सिलेंडर को लगातार 144 घंटे तक (छह दिन और छह रात तक) 29.4 सेंटीग्रेड से 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान पर खुला रखा जाएगा और खुले रखे जाने के दौरान सिलेंडर की ऊंचाई, उसकी मूल ऊंचाई के चौथाई भाग से अधिक कम नहीं होगी और ऊपरी कटी हुई सतह चपटी बनी रहेगी और उसके किनारे तीक्ष्ण।

टिप्पण- यदि परीक्षण की जाने वाली विस्फोटन जैलेटीन और जैनेटीन डायनामाइट को सिलेंडर के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता है तो परीक्षण में आवश्यक संशोधन कर लिया जाना चाहिए।

विस्फोटन जैलेटीन या जैलेटीन डायनामाइट के साधारण द्रव्यमान के भंडाकरण, परिवहन या प्रयोग की दशा में या जब सामग्री को क्रमशः तीन बार बारी-बारी से शीतन और द्रवण किया जाना है अथवा इसमें पहले

बताए गए रूप में द्रवण परीक्षण किया जाता है तो इंट्रोग्लीसरीन या द्रवित नाइट्रो-यौगिक का उससे पृथक्करण नहीं होगा।

निःस्रवण परीक्षण

(शीतन और द्रवण परीक्षण)

विस्फोटन जैलेटीन या जैलेटीन डायनामाइट के साधारण द्रव्यमान के भंडाकरण, परिवहन या प्रयोग की दशा में या जब सामग्री को इसमें पहले बताए गए रूप में द्रवण परीक्षण किया जाता है या जब क्रमशः तीन बार बारी-बारी से शीतन और द्रवण अर्थात् 3 से 6 से. पर सोलह घंटे (शीतन) तथा कमरे के तापमान पर 8 घंटे द्रवण परीक्षण किया जाता है तो किसी नाइट्रोग्लीसरीन या द्रवित-नाइट्रो-यौगिक का उससे पृथक्करण नहीं होगा। चक्र तीन बार (तीन दिन) पुनरावृत्त किया जाता है और विस्फोटकों का नाइट्रोग्लीसरीन में से जैल पृथक्करण या निस्पंदन के संबंध में किसी अप्रसामान्यता के लिए परीक्षण किया जाता है।

V-पिक्रिक अम्ल

- (1) 71.1 डिग्री सेंटीग्रेड (160 फा.) पर सुखाई गई सामग्री, तौल के अनुसार, 100 भागों में खनिज या अदाह्य पदार्थ 0.3 भाग से अधिक नहीं होगा।
- (2) इसमें शीशा, एक सूक्ष्म परिमाण से अधिक नहीं होगा।
- (3) शुष्क सामग्री के एक सौ भाग में 0.3 भाग से अधिक (मुक्त या संयुक्त) गंधक अम्ल नहीं होगा जिसमें से मुक्त गंधक अम्ल 0.1 भाग से अधिक नहीं होगा।
- (4) उसका गलनांक 120 डिग्री सें. और 122.8 डिग्री सें. के बीच होना चाहिए।

VI- परीक्षण क्लोरेट मिश्रण

सामग्री अत्यधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए और रखे जाने पर उसकी संवेदनशीलता में वृद्धि लक्षित नहीं होना चाहिए।

सामग्री में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो क्लोरेट को कम कर सके।

पोटाशियम क्लोराईड के रूप में संगणित क्लोराईड 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सामग्री में कोई मुक्त अम्ल या ऐसा कोई पदार्थ नहीं होना चाहिए जो मुक्त अम्ल उत्पन्न कर सकता हो।

नाइट्रो-यौगिक वाले इस वर्ग के विस्फोटकों की उसी प्रकार ऊष्मा परीक्षण किया जाएगा मानों वे वर्ग 3 के हों।

टिप्पणी:- विस्फोटकों को अत्यधिक संवेदनशील माना जाएगा यदि किसी मृदु लकड़ी पर झाड़ू की डंडी से मुष्टि प्रहार जैसे किसी संस्पर्श प्रहार द्वारा उसका विस्फोटन, चाहे

कितने ही आंशिक रूप में किया जा सकता है ।

VII-पी. ई. टी. एन. (पेंटा एरिथ्रिटाल टेट्रानाइड्रेट)

क. ऊष्मा परीक्षण

यदि नमूना शुष्क मिलता है तो उसे कागज के स्वच्छ पत्र पर अंतरित कर दिया जाएगा और ऐसे वायुमंडल में भली प्रकार मिश्रित किया जाएगा जिसमें धूल न हो । ऊष्मा परीक्षण से पूर्व आई. पी. ई. टी. एन. के नमूने को टेयरित चपटी तली वाली प्लेट में रखकर सुखाया जाएगा और इस प्लेट को तथा उस पर की सामग्री को एक चूल्हे में 60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर तब तक खुला रखा जाएगा जब तक कि उसका भार स्थिर बना रहता है ।

शुष्क नमूने के 1.3 ग्राम को, एल्यूमीनियम कीप की सहायता से ऊष्मा परीक्षण नली में अंतरित कर दिया जाएगा । कीप हटाने के पश्चात् नमूने को उक्त नली की तली में, उंगलियों से नली को थपथपाकर, इक्टा किया जाएगा । तत्पश्चात् उसका 76.6 सेंटीग्रेड तापमान पर ऊष्मा परीक्षण किया जाएगा और विस्फोटक को कम से कम दस मिनट तक के परीक्षण में खरा उतरना चाहिए ।

(ख) अन्य परीक्षण और अपेक्षाएं :-

- (1) पी.ई.टी.एन. सफेद क्रिस्टल के रूप में होना चाहिए ।
- (2) वह शैकत कणों, दृश्य अशुद्धियों और बाहरी पदार्थों से मुक्त होना चाहिए ।
- (3) गलनांक पी.ई.टी.एन. का गलनांक 139 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 142 डिग्री सें. तक होना चाहिए ।
- (4) अविलेय पदार्थ—एसीटोन में कुल अविलेय पदार्थ 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- (5) वाष्पशील पदार्थ—वाष्पशील पदार्थ 0.15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- (6) अम्लता—एच.एन.ओ. 3 के रूप में संगणित अम्लता 0.01 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- (7) क्षारीयता—एन.ए.2सी.ओ.3 के रूप में संगणित क्षारियता 0.01 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- (8) नाइट्रोजन तत्व—नाइट्रोजन तत्व 17.40 प्रतिशत से कम और 17.80 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

अनुसूची III का परिशिष्ट 1

मानक रंजन पत्र की तैयारी

पीला गेरू 0.48 ग्राम, प्राकृतिक अम्बर 0.2 ग्राम, और सफेद अरबी गोंद 5 ग्राम तौलकर एक एगट खरल में खूब महीन पीस लिया जाएगा और उसे 150 सी.सी. धारिता वाली शीशे की डाट कर लगी बोतल में डालकर उसमें 100 सी.सी. जल मिला दिया जाएगा । समस्त वस्तु को ठंडे रूप में ही अच्छी प्रकार तब तक हिलाया जाएगा तब तक कि गोंद घुल नहीं जाता । तत्पश्चात् घोल को भली प्रकार हिलाया

जाएगा और फिर उसे एक घंटे तक स्थिर रखा जाएगा ।

स्टइलोग्राफीय लेखनी को उक्त घोल के केन्द्र में से भरा जाएगा और एक रूलर की सहायता से विनिर्देश 'घ' के अनुसार फिल्टर पत्र की एक शीट के एक ओर समान अन्तर से लाइनें खींची जाएंगी । तत्पश्चात् शीट में से आयताकार पट्टियां काट ली जाएंगी जो एक सेंटीमीटर चौड़ी और दो सेंटीमीटर लम्बी होंगी । प्रत्येक पट्टी की लम्बाई में उसके बीच में लम्ब से एक तरफ से दूसरी तरफ तक एक लाइन खींची जाएगी । इस लाइन की चौड़ाई 0.5 मिलीमीटर से कम और 1 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी ।

रंजक की गहराई के बारे में निरन्तरता बनाए रखने के लिए जिन पट्टियों में रंजक सीलबंद पैटर्न के अनुरूप नहीं होता है उन्हें रद्द कर दिया जाएगा ।

अनुसूची III का परिशिष्ट 2

उष्मा पत्रों की तैयारी और परीक्षण

तैयारी

पोटाशियम आयोडाइड :

वाणिज्यिक रूप में प्राप्त शुद्धतम पोटाशियम आयोडाइड को शुद्ध एथिल एल्कोहल से, जिसे उसके आयतन के 1/20 भाग के बराबर आसुत जल मिलाकर विरल कर लिया गया हो, पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध किया जाएगा । क्रिस्टलों को यथासम्भव लघुतम रखा जाएगा और उन्हें स्वच्छ फिल्टर पत्र पर फैलाया जाएगा । यह फिल्टर पत्र एक शीशे की प्लेट पर रखा होगा और सामग्री को अंधरे में सूखने दिया जाएगा । सूख जाने पर सामग्री को एक प्लेटीनम क्रूसीबिल की तली पर एक पतली परत के रूप में, रखा जाएगा और तत्पश्चात् एल्कोहल से जलने वाली एक स्पिरिट लैम्प पर एक मिनट तक उसे मन्द लाल ताप पर गरम किया जाएगा । ठंडा होने पर क्रिस्टलों को एक ब्राउन शीशे की डाट वाली बोतल में रख दिया जाएगा जिसमें से अपेक्षित मात्रा में सामग्री को तोलकर निकाल लिया जाएगा ।

फिल्टर पत्र के प्रत्येक बैच के लिए प्रयुक्त पोटाशियम आयोडाइड प्रयोग से ठीक पूर्व तैयार किया जाएगा ।

स्टार्च :

प्रयोग किया जाने वाला स्टार्च कार्न फ्लोर के रूप में सर्वोत्तम मक्के का स्टार्च होगा । उसे प्रयोग से ठीक पूर्व ताजे आसुत जल से निस्सारण द्वारा छह बार धोकर शुद्ध किया जाएगा । तत्पश्चात् उसे ग्लेज न की गई पोर्सलीन की छिद्रीत प्लेट पर रखा जाएगा और उस अंधरे में गरम वायुमंडल में सूखने दिया जाएगा तथा उसे ब्राउन शीशे की बोतल में रख दिया जाएगा जिसमें से अपेक्षित मात्रा में सामग्री तोल कर निकाल ली जाएगी ।

डिपिंग घोल की तैयारी

220 सी.सी. ताजे आसुत जल को जैना ग्लास फ्लास्क में रखा जाएगा और उसे शुद्ध स्पिरिट से जलने वाले लैम्प पर उबाल बिन्दु तक गरम किया जाएगा । उपरोक्त रूप में तैयार किए गए स्टार्च में से 3 ग्राम स्टार्च को 30 सी.सी. आसुत जल में निलम्बित कर दिया जाएगा और इस मिश्रण को 220 सी.सी. उबलते हुए जल में लौट दिया जाएगा तथा लौटते समय इस जल को निरन्तर हिलाया जाता रहेगा । इस

सम्पूर्ण मिश्रण को धीरे-धीरे उबलते रहने दिया जाएगा और रुक-रुक कर पांच मिनट तक हिलाया जाता रहेगा। इस प्रकार तैयार किए गए स्टार्च के घोल को 250 सी.सी. ताजे आसुत जल में शुद्ध किए गए पोटेशियम आयोडाइड के एक ग्राम घोल में मिला दिया जाएगा। इस मिश्रण को एक अंधेरे कमरे में एक रात भर रखा जाएगा। अगले दिन स्वच्छ अधिप्लावी द्रव को सावधानीपूर्वक साईफन द्वारा निकाला जाएगा और कागज के डिपिंग के लिए उसे तुरन्त प्रयोग किया जाएगा।

यदि कागजों के किसी बैच को डिप किया जाना है तो पर्याप्त घोल प्राप्त करने के लिए पूर्वोक्त मात्राओं को कई गुने तक बढ़ाया जा सकता है।

पत्रों को डिप किया जाना

स्वच्छ पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च के घोल को एक पोर्सलीन ट्रे में लौटा जाएगा। इस ट्रे को अनन्यतया इस संक्रिया के लिए रखा जाएगा। विनिर्देश घ वाले फिल्टर पत्रों की शीटों को उसमें से होकर एक बार इस प्रकार निकाला जाएगा जिससे कि समस्त पत्र ऐसे पत्र की पट्टी के सिरे पर 3 सेंटीमीटर को छोड़कर, द्रव की सतह के नीचे से होकर निकले।

तत्पश्चात् पत्र की पट्टी को ट्रे के ऊपर, शुष्क भाग में पकड़ कर लटकाया जाएगा और एक ग्लास की राड को, अतिरिक्त घोल को हटाने के लिए, ऐसे पत्र के दोनों ओर नीचे की ओर फेरा जाएगा। तत्पश्चात् उसे डिप न किए गए भाग से पकड़ कर एक गरम अंधेरे कमरे में या कपबोर्ड में या भवन में लटकाया जाएगा और जब तक वह सूखता नहीं है उसे इस प्रकार लटकाए रखा जाएगा।

पश्चात्कर्तन में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में गीले और शुष्क भाग के बीच सीमा रेखा पर प्रत्येक शीट के किनारे में से एक छोटा टुकड़ा काटना उपयुक्त है।

टेस्ट पेपर का कर्तन और झलाई :

उष्म टेस्ट पेपर के कर्तन और झलाई में प्रचालक को स्वच्छ सूती दस्ताने पहनने होंगे।

जब शीटें शुष्क हों तब उन्हें 0.5 सें.मी. बिना डूबे हुए भाग के किनारे से नीचे लगभग 0.5 सें.मी. बिना क्लिप के छोर पर कर्तन करके झलाई किया जाना होगा। पट्टियां भी अन्य तीनों छोरों से काटी जानी हैं। तब शीटों को अंधेरे में रखे अंबर रंग के शीशे के मर्तबानों में भंडारित किया जाना होता है।

जब पेपर का कोई बैच जारी किए जाने के लिए पास कर दिया गया हो तो शीटों को 1 सें.मी. से 2 सें.मी. तक आयताकार टुकड़ों में काटा जाएगा।

उपरोक्त सभी संक्रियाएं इस कार्य के लिए विशेष रूप से आरक्षित भवन में की जाएंगी। इस भवन को सूर्य की किरणों की सीधी पहुंच से सुरक्षित रखा जाएगा, और जहां तक संभव हो, अंधकार में रखा जाएगा।

विश्रण परीक्षण द्वारा ऊष्म टेस्ट पेपर का परीक्षण

अपेक्षित उपकरण और सामग्रियां :

सं.			
1.	एचेसन ग्रेफाइट	टुकड़े	1
2.	एसिड सलफ्यूरिक, सामान्य घोल	पर्याप्त प्रदाय	
3.	एनूलस, एल्यूमिनियम		2
4.	ढक्कन, प्रकाश, टाइट पेस्ट कार्ड		1
5.	सिलेंडर, कांच, रबड़ अवरोध सहित		1
6.	सिलेंडर, 100 घन से.मी. माप वाला		1
7.	लौहमय अमोनियम सल्फेट	पर्याप्त प्रदाय	
8.	जार, सिलेंडरीकृत, भूरा सीसा		1
9.	पीपैट, 10 घन सें.मी.		1
10.	छड़ स्टियरिंग, सीसा		1
11.	सोडियम नाइट्रेट, जिसमें 1.7 ग्राम	पर्याप्त प्रदाय	
	घोल 1 लीटर में है		
12.	अवरोध, रबड़, 4 प्लैटिनम हुक सहित		1

परीक्षण किया जाना :

घोल को उपयोग करने से पूर्व 15 सैल्सियस में लाया जाएगा। 2 ग्राम लौहमय अमोनियम सल्फेट का भार किया जाएगा और शीशे के जार में रखा जाएगा, 90 घन सें.मी. सामान्य सलफ्यूरिक एसिड मिलाकर घोल को शीशे में छड़ी से हिलाया जाएगा। तब जार को 15 सैल्सियस पर जल में डुबोकर रखा जाएगा और 15 सैल्सियस से 17 सैल्सियस तक वायु के तापमान पर रखा जाना चाहिए। 10 घन सें.मी. सोडियम नाइट्रिक घोल को पिपेट द्वारा मिलाया जाता है और अच्छी तरह हिलाया जाएगा। जार के मुख पर बीच में एक एल्यूमीनियम अनूलस रखा जाता है और ग्रेफाइट सलैब से छेद को ढक दिया जाता है। उसके ऊपर एक दूसरा एनूलस रखा जाता है। हल्के दवाब और घुमाने की क्रिया से सतह के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित किया जाना होता है।

रबड़ अवरोध वाले सीसे के सिलेंडर और हल्के टाइट कैप को तब दूसरे एनूलस पर रख दिया जाता है और संभाजित उपकरण को बीस मिनट के लिए खड़ा रहने दिया जाता है। बीस मिनट की समाप्ति के पश्चात् हल्के टाइट कैप और शीशे के सिलेंडर को हटा लिया जाता है, सिलेंडर को कई बार हवा में हिलाकर रबड़ अवरोध को निकाल लिया जाता है। जहां तक संभव हो, परीक्षण किए जाने वाले चार ऊष्म टेस्ट पेपरों को अवरोध के प्लैटिनम हुकों पर रखे ग्लिसरीन घोल से भिगोया जाता है, सिलेंडर में घुसाए गए अवरोध और सिलेंडर तथा हल्के टाइट कैप को पुनः दूसरे एनूलस में स्थिति में रखा जाता है और समय नोट किया जाता है।

जब प्रतिबिंबित प्रकाश से निकला पेपर मानक रंग में आ जाता है तो पुनः समय नोट किया जाता है; अंतर परीक्षण का समय बताया है। प्रतिबिंबित प्रकाश से निकलने वाले मानक रंग के पेपर को मिलान के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

सिलेंडर से तब कार्क हटाई जाती है, वायु में अनेक बार हिलाया जाता है और पेपर का एक नया सैट परीक्षण के लिए तुरंत रखा जाता है। परीक्षण के 4 सेटों के पश्चात् ग्रेफाइट स्लैब को रिक्त किए गए शोसित्र में ठंडे होने के लिए एक घंटे तक 200 सैल्सियस

पर पोटस से कम से कम 16 घंटे के लिए पुनः उपयोग किए जाने से पूर्व गर्म किया जाना चाहिए।

पेपर के किसी बैच का, दो दिन में से प्रत्येक में चार पेपरों के चार क्रमवर्ती परीक्षण करके परीक्षण किया जाएगा।

अनुसूची-IV

भाग 1

(नियम 99 देखिए)

अनुच्छेद सं.	प्रयोजन, जिसके लिए प्रदान किया गया	अनुज्ञप्ति प्ररूप	अनुज्ञापन प्राधिकारी
1	2	3	4
1. (क)	किसी एक समय पर 15 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाजी या बारूद या दोनों का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 1	जिला मजिस्ट्रेट
(ख)	किसी एक समय पर 15 किलोग्राम से अधिक, किन्तु 500 कि.ग्रा. से अनधिक आतिशबाजी या बारूद का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 1	विस्फोटक नियंत्रक
(ग)	किसी एक समय पर 500 किलोग्राम से अधिक आतिशबाजी या बारूद का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 1	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत विस्फोटक नियंत्रक
(घ)	किसी एक समय पर 200 किलोग्राम से अनधिक ए.एन.एफ.ओ. विस्फोटक का स्थल पर विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 1	विस्फोटक नियंत्रक
(ङ)	द्रवित आक्सीजन विस्फोटक (एल.ओ.एक्स.) का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 1	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत विस्फोटक नियंत्रक
(च)	स्थल मिश्रित विस्फोटक (एस.एम.ई.) का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 1	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत विस्फोटक नियंत्रक
(छ)	आतिशबाजी, बारूद, ए.एन.एफ.ओ. एल.ओ.एक्स. और एस.एम.ई. से भिन्न विस्फोटक का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 1	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत विस्फोटक नियंत्रक
2.	एडिरवर्ट्स के विनिर्माण के लिए किसी एक समय में 15 किलोग्राम से अनधिक बारूद कब्जे में रखने और किसी एक समय में 200 से अधिक संख्या में एडिरवर्ट्स का कब्जा रखने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 2	जिला मजिस्ट्रेट
3. (क)	कृषि प्रयोजन के या छोटे खदान में प्रयोग के लिए किसी एक समय में मैगजीन में श्रेणी 1 या 2 या 3 के 25 कि.ग्रा. से अनधिक विस्फोटक और 15 संख्या में विस्फोटक प्रेरक या 1500 मीटर विस्फोटकारी फ्यूज या सुरक्षा फ्यूज को कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 3	जिला मजिस्ट्रेट
(ख)	विक्रय के लिए मैगजीन में श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5, 6, या 7 के विस्फोटक कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 3	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत विस्फोटक नियंत्रक
(ग)	उपयोग के लिए किसी एक समय में मैगजीन में श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5, 6, या 7 के विस्फोटक और/या श्रेणी 6 के विस्फोटक कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 3	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत विस्फोटक नियंत्रक

1	2	3	4
	(घ) किसी भंडारगृह में, विक्रय के लिए नहीं, बल्कि अपनी अनुज्ञप्त दुकान में अंतरण के लिए 5000 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाजी या 50000 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज रखने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 3	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत विस्फोटक नियंत्रक
4.	25 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 2 और/या वर्ग 3 के विस्फोटक, 200 से अनधिक इलैक्ट्रिक और/या साधारण विस्फोट प्रेरक, 100 मीटर से अनधिक विस्फोटकारी फ्यूज और 200 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज रखने और कुएं को तोड़ने में प्रयोग के लिए कम्प्रेसर आधारित मोटर ट्रक या ट्रेक्टर पर परिवहन करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 4	जिला मजिस्ट्रेट
5. (क)	किसी एक समय में, 25 किलोग्राम से अनधिक लघुशस्त्र नाइट्रो-कंपाउंड रखने या दुकान से विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 5	जिला मजिस्ट्रेट
	(ख) किसी एक समय में, 100 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 7, प्रभाग 2, उप प्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम चीन पटाखे या फुलझड़ियां रखने या दुकान से विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 5	जिला मजिस्ट्रेट
	(ग) किसी एक समय में, 2000 से अनधिक वर्ग 6, प्रभाग 1, की आतिशबाजी युक्त विस्फोटक रखने और दुकान से विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 5	जिला मजिस्ट्रेट
	(घ) बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल और तमिलनाडु राज्यों में, 5 किलोग्राम से अनधिक बारूद और 50 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज उपयोग के लिए रखने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 5	जिला मजिस्ट्रेट
	(ङ) केरल राज्य में, 5 किलोग्राम से अनधिक लघु-शस्त्र नाइट्रो-कम्पाउण्ड उपयोग के लिए रखने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 5	जिला मजिस्ट्रेट
	(च) 100 किलोग्राम से अधिक, किंतु 300 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 7, प्रभाग 2, उप प्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम से अधिक, किंतु 1200 किलोग्राम से अनधिक चीनी पटाखे या फुलझड़ियां रखने या दुकान से विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 5	जिला मजिस्ट्रेट
6.	सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आतिशबाजी रखने या प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 6	जिला मजिस्ट्रेट
7.	किसी सड़क वेन में विस्फोटक का परिवहन करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 7	विस्फोटक नियंत्रक
8.	विस्फोटकों का भूमि से अन्यथा आयात या निर्यात करने के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 8	मुख्य नियंत्रक
9.	अनुच्छेद 1 से 8 में नहीं दिए गए विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे में रखने, विक्रय, प्रयोग, आदि के लिए अनुज्ञप्ति	एल.ई. 9 (विशेष)	मुख्य नियंत्रक
10.	आतिशबाजी का प्रमाणपत्र	एल.ई. 10	विस्फोटक नियंत्रक
11.	फोरमैन का प्रमाणपत्र	एल.ई. 11	विस्फोटक नियंत्रक

भाग 2

(नियम 100 और नियम 113 देखिए)

क. अनुज्ञप्ति फीस और विभागीय परीक्षण केंद्र में परीक्षण के लिए फीस से भिन्न फीस : अनुज्ञप्ति फीस और विभागीय परीक्षण केंद्र में परीक्षण के लिए फीसों से भिन्न निम्नलिखित फीस संदेय होगी :

- | | | |
|------|--|--|
| (1) | विस्फोटकों की प्राधिकृत सूची में किसी विस्फोटक को सम्मिलित करने संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव के लिए संवीक्षा फीस | 500.00 रुपए |
| (2) | आयातित विस्फोटकों के प्रत्येक नमूने के परीक्षण के लिए फीस | 100.00 रुपए |
| (3) | (i) सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रत्येक नमूने का परीक्षण करने के लिए फीस
(ii) ऊपर (i) के अधीन जारी प्रत्येक प्रमाणपत्र का नए परीक्षण के बिना फीस नवीकरण करने के लिए फीस
(iii) ऊपर (i) के अधीन जारी प्रत्येक प्रमाणपत्र को नए परीक्षण के बिना नवीकृत करने के लिए प्रत्येक नमूने के परीक्षण के लिए फीस
(iv) किसी नए विस्फोटक हेतु विनिर्माण प्रक्रिया के अनुमोदन के लिए संवीक्षा फीस | 100.00 रुपए
50.00 रुपए
500.00 रुपए
2000.00 रुपए |
| (4) | प्रत्येक अवसर पर अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक मात्रा में विस्फोटक के भंडारण के लिए फीस | पहले पन्द्रह दिन के लिए 500 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए 200.00 रुपए |
| (5) | अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक मात्रा में आतिशबाजी के अस्थायी कब्जे हेतु परमिट के लिए फीस | 200.00 रुपए |
| (6) | निम्नलिखित के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी से पूर्व-अनुमोदन हेतु आवेदन के लिए संवीक्षा फीस-
(i) नीचे (2), (3) और (4) के अधीन वर्णित विस्फोटकों से भिन्न अन्य विस्फोटक
(ii) स्थल मिश्रित एन एफ ओ विस्फोटक
(iii) द्रवित आक्सीजन विस्फोटक
(iv) (क) एक समय में, 15 किलोग्राम से अधिक मात्रा में आतिशबाजी या बारूद
(ख) एक समय में, 15 किलोग्राम से अधिक किन्तु 200 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में आतिशबाजी या बारूद
(ग) एक समय में, 200 किलोग्राम से अधिक मात्रा में आतिशबाजी या बारूद | 2000.00 रुपए
500.00 रुपए
500.00 रुपए
50.00 रुपए
500.00 रुपए
500.00 रुपए |
| (7) | रंगमंचों का विनिर्माण करने हेतु अनुमोदन की मंजूरी के लिए संवीक्षा फीस | 1000.00 रुपए |
| (8) | निम्नलिखित में विस्फोटक रखने के लिए अनुज्ञप्ति के अनुदान से पूर्व अनुमोदन हेतु आवेदन के लिए संवीक्षा फीस
(क) मैगजीन और भंडारगृह में
(ख) दुकानों में | 500.00 रुपए
200.00 रुपए |
| (9) | विस्फोटकों के आयात या निर्यात के लिए प्रत्येक अनुज्ञप्ति के अनुदान हेतु आवेदन के लिए संवीक्षा फीस | 500.00 रुपए |
| (10) | विस्फोटकों के परिवहन के लिए प्रत्येक अनुज्ञप्ति के अनुदान हेतु आवेदन के लिए संवीक्षा फीस | 100.00 रुपए |
| (11) | किसी सड़क वेन कम्प्रेसर आधारित मोटर ट्रक या ट्रेक्टर के लिए अनुज्ञप्ति के अनुदान हेतु आवेदन के लिए संवीक्षा फीस | 200.00 रुपए |
| (12) | आतिशबाज के प्रमाणपत्र के अनुदान हेतु प्रत्येक आवेदन के लिए संवीक्षा फीस | 300.00 रुपए |
| (13) | (क) प्रत्येक अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र के संशोधन या अंतरण हेतु आवेदन के लिए संवीक्षा फीस
(i) बड़े विस्फोटकों और वर्ग 6 के तथा नीचे वर्णित न किए गए अन्य विस्फोटकों का विनिर्माण करने के लिए; | 1500.00 रुपए |

(ii)	एक समय में, 15 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में आतिशबाजी या बारूद का विनिर्माण करने के लिए;	50.00 रुपए
(iii)	एक समय में, 15 किलोग्राम से अधिक, किंतु 200 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में आतिशबाजी या बारूद का विनिर्माण करने के लिए;	50.00 रुपए
(iv)	एक समय में, 200 किलोग्राम से अधिक, मात्रा में आतिशबाजी या बारूद का विनिर्माण करने के लिए;	300.00 रुपए
(v)	स्थल मिश्रित ए.एन.एफ.ओ. विस्फोटक का विनिर्माण करने के लिए;	300.00 रुपए
(vi)	द्रवित आक्सीजन विस्फोटक का विनिर्माण करने के लिए;	300.00 रुपए
(vii)	विक्रय या प्रयोग के लिए मैगजीन में या भंडारगृह में विस्फोट रखने के लिए;	300.00 रुपए
(viii)	विक्रय के लिए किसी दुकान में आतिशबाजी रखने के लिए;	300.00 रुपए
(ix)	विस्फोटक वैन में विस्फोटकों का परिवहन करने के लिए;	300.00 रुपए
(x)	प्रारूप एल.इ. 3 में;	50.00 रुपए
(xi)	आतिशबाज या फोरमैन का प्रमाणपत्र;	100.00 रुपए
(ख)	प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए संशोधन या अंतरण फीस	
(i)	बड़े विस्फोटकों और वर्ग 6 के तथा नीचे वर्णित न किए गए अन्य विस्फोटकों का विनिर्माण करने के लिए;	200.00 रुपए
(ii)	एक समय में, 15 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में आतिशबाजी या बारूद का विनिर्माण करने के लिए;	50.00 रुपए
(iii)	एक समय में, 15 किलोग्राम से अधिक, किंतु 200 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में आतिशबाजी या बारूद का विनिर्माण करने के लिए;	200.00 रुपए
(iv)	एक समय में, 200 किलोग्राम से अधिक, मात्रा में आतिशबाजी या बारूद का विनिर्माण करने के लिए;	200.00 रुपए
(v)	स्थल मिश्रित ए.एन.एफ.ओ. विस्फोटक का विनिर्माण करने के लिए;	200.00 रुपए
(vi)	द्रवित आक्सीजन विस्फोटक का विनिर्माण करने के लिए;	200.00 रुपए
(vii)	विक्रय या प्रयोग के लिए मैगजीन में या भंडारगृह में विस्फोटक रखने के लिए;	200.00 रुपए
(viii)	विक्रय के लिए किसी दुकान में आतिशबाजी रखने के लिए;	200.00 रुपए
(ix)	विस्फोटक वैन में विस्फोटकों का परिवहन करने के लिए;	200.00 रुपए
(x)	प्ररूप एल.इ. 3 में;	50.00 रुपए
(xi)	आतिशबाज या फोरमैन के प्रमाणपत्र;	100.00 रुपए
(ग)	विस्फोटकों की विनिर्माण प्रक्रिया में किसी परिवर्तन हेतु प्रस्ताव के लिए संवीक्षा फीस	100.00 रुपए
(घ)	किसी प्राधिकृत विस्फोटक के संयोजन में किसी परिवर्तन हेतु प्रस्ताव के लिए संवीक्षा फीस	500.00 रुपए
(14)	किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के लिए, 6	
(i)	यदि ऐसी अपील केंद्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक को की गई है;	1000.00 रुपए
(ii)	यदि ऐसी अपील जिला मजिस्ट्रेट के अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को की गई है;	200.00 रुपए
(15)	अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए	200.00 रुपए
(16)	निम्नलिखित के अनुमोदन के लिए, 6	

(क)	पैकिंग बक्सा या आद्यान	1000.00 रुपए
(ख)	विस्फोटक के विनिर्माण और परिवहन के लिए प्रयुक्त उपस्कर, मशीनरी या संयुक्त यान का नया डिजाइन	1000.00 रुपए
(ग)	मैगजीन "मोड ख"	1000.00 रुपए
(घ)	बी.एम.डी. यान	1000.00 रुपए
(17)	विभागीय प्राधिकारी द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षण के लिए प्रकाश संचालक परीक्षण फीस	500.00 रुपए
ख.	अनुज्ञप्ति फीस-(1) इन नियमों के अधीन निम्नलिखित फीस सदेय होगी :	
(1)	विस्फोटक के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति फीस	
(क)	स्थल मिश्रित अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल विस्फोटक से भिन्न वर्ग 2, 3, 4 और 5 के	प्रत्येक विस्फोटक के लिए अधिष्ठापित वार्षिक संयंत्र क्षमता के प्रति 1000 टन या उसके भाग के लिए, अधिकतम 20000 रुपए के अधीन रहते हुए, 1000.00 रुपए ।
(ख)	वर्ग 6 के	प्रत्येक विस्फोटक के लिए अधिष्ठापित वार्षिक संयंत्र क्षमता के प्रति 1000 टन या संख्यांक या उसके भाग के लिए, अधिकतम 20000 रुपए के अधीन रहते हुए, 1000.00 रुपए ।
(ग)	वर्ग 1 या वर्ग 7 के	
(i)	एक समय में, 15 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में	200.00 रुपए
(ii)	एक समय में, 15 किलोग्राम से अधिक किंतु 200 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में	2000.00 रुपए
(iii)	एक समय में, 200 किलोग्राम से अधिक मात्रा में	प्रथम 200 किलोग्राम के लिए 2000.00 रुपए धन एक समय में प्रत्येक अतिरिक्त 50 किलोग्राम या उसके भाग के लिए, अधिकतम 15000 रुपए के अधीन रहते हुए, 500.00 रुपए ।
(घ)	वर्ग 8 में (द्रवित आक्सीजन विस्फोटक)	500.00 रुपए
(ङ)	स्थल मिश्रित ए.एन.एफ.ओ. विस्फोटक के)	100.00 रुपए
(II)	मैगजीन में विस्फोटक रखने या उसके विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति फीस	(क) वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 7 या 8 के प्रत्येक विस्फोटक की अनुज्ञप्ति क्षमता के प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए, अधिकतम 15000 रुपए के अधीन रहते हुए, 1000.00 रुपए । (ख) वर्ग 6 के प्रत्येक विस्फोटक के प्रत्येक 10000 किलोग्राम या उसके भाग के

			लिए, अधिकतम 15000 रुपए के अधीन रहते हुए, 500.00 रुपए ।
(III)	प्रयोग के लिए मैगजीन में विस्फोटक रखने के लिए अनुज्ञप्ति फीस		(क) वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 7 या 8 के प्रत्येक विस्फोटक की अनुज्ञप्ति क्षमता के प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए, अधिकतम 15000 रुपए के अधीन रहते हुए, 1000.00 रुपए । (ख) वर्ग 6 के प्रत्येक विस्फोटक के प्रत्येक 10000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए, अधिकतम 15000 रुपए के अधीन रहते हुए, 500.00 रुपए ।
(IV)	आतिशबाजी या बारूद या लघु-शस्त्र नाइट्रो कंपाउंड रखने या किसी दुकान से उसका विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति फीस		
(क)	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञप्त		500.00 रुपए
(ख)	विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुज्ञप्त		1000.00 रुपए
(V)	भंडारगृह में आतिशबाजी के रखे जाने के लिए अनुज्ञप्ति फीस		3000.00 रुपए
(VI)	सड़क वेन के लिए अनुज्ञप्ति फीस		2000.00 रुपए
(VII)	कम्प्रेसर आधारित मोटर ट्रक के लिए अनुज्ञप्ति फीस		1000.00 रुपए
(VIII)	एडिवेट्स के विनिर्माण के लिए बारूद रखने के लिए अनुज्ञप्ति फीस		500.00 रुपए
(IX)	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्ररूप एल.इ.-3 में प्रयोग के लिए (कृषि प्रयोजनों से भिन्न) विस्फोटक रखने के लिए अनुज्ञप्ति फीस		1000.00 रुपए
(2)	इन नियमों के अधीन जारी की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए निम्नलिखित फीस (एक बार) संदेय होगी :		
	निम्नलिखित के लिए अनुज्ञप्ति फीस-		
(i)	विस्फोटक का आयात		1500.00 रुपए
(ii)	विस्फोटक का निर्यात		1000.00 रुपए
(iii)	आतिशबाजी को रखना और सार्वजनिक प्रदर्शन		1500.00 रुपए
(iv)	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एल.इ.-3 प्ररूप में कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु विस्फोटक रखना ।		1000.00 रुपए

ग. परीक्षण फीस--विभागीय परीक्षण केंद्र में परीक्षण के लिए निम्नलिखित फीस संदेय होगी,-

क्रम सं.	विस्फोटक का नाम या प्रकार	वर्ग और प्रभाग	संचालित किए जाने वाले परीक्षण	फीस (रुपए में)	
1.	बारूद	1	1.1	भौतिक गुणधर्म अर्थात् आर्द्रता, भार सघनता	200
			1.2	रसायन संघटक	
			1.2.1	गुण संबंधी विश्लेषण	500
			1.2.2	मात्रा संबंधी विश्लेषण	1000
			1.3*	बी.आई.एस. विनिर्देश, यदि कोई हो, के अनुसार परीक्षण	500
2.	पतला मसाला, या जेल या इमल्सन	2	2.1	भौतिक गुणधर्म	

विस्फोटक या ए.एन.एफ.ओ. या अनविस्फोटक इमल्सन सांचा या एस.एम.इ.	2.1.1	भौतिक परीक्षण आंतरिक पैकेज का परिमाण चिन्हांकन या स्वरूप	200	
	2.1.2	आर्द्रता	300	
	2.1.3	गाढ़ापन (जेल या पतले मसाले या इमल्शन) की क्वालिटी का परीक्षण)	200	
	2.1.4	वियोजन (परिवहन में संघटकों का वियोजन)	500	
	2.1.5	निम्न और उच्च तापमान पर आचरण	1000	
	2.1.6	आर्द्रता अवशोषण के प्रति प्रवृत्ति	500	
	2.2	रासायनिक संयोजनों का मात्रा संबंधी विश्लेषण	5000	
	2.3	स्थिरता परीक्षण (ऐसी भिन्न होती पर्यावरणीय दशाओं के अधीन रहने के पश्चात् स्थिरता का अवधारण, जिसकी प्रवृत्ति किसी विस्फोटक की संवेदनशीलता में स्वतः ज्वलन या भिन्नता पैदा करने की होगी ।)	1000	
	2.4	ज्वलन विशेषताएं (ज्वलन संबंधी आचरण, स्वतः ज्वलन के लिए दायित्व, ढेर में ज्वलन संबंधी आचरण)	1000	
	2.5	निम्नलिखित के प्रति यांत्रिकी संवेदनशीलता		
	2.5.1	संघर्षण	1500	
	2.5.2	प्रतिघात	1500	
	2.6	वायु शून्यता संवेदनशीलता	2000	
	2.7	विस्फोटन का जारी रहना	2000	
	2.8	विस्फोटन का वेग	2000	
	2.9	कैप संवेदनशीलता	1500	
	2.10	बूस्टर संवेदनशीलता	2000	
	2.11	प्रक्षेपिक कण की प्रबलता	5000	
	3.	नाइट्रो-ग्लिसरीन विस्फोटक	3	
		3.1	भौतिक गुणधर्म :	
		3.1.1	भौतिक परीक्षा (आंतरिक पैकेज के परिमाणों, चिन्हांकों या स्वरूप की परीक्षा)	200
		3.1.2	रूष्मा परीक्षण (विनिर्दिष्ट तापमान पर विस्फोटक की स्थिरता का परीक्षण करना)	500
		3.1.3	सघनता	300
		3.1.4	संगतता (जेल की क्वालिटी की परीक्षा)	500
	3.1.5	रिसाव	500	
	3.1.6	आर्द्रता अवशोषण के प्रति प्रवृत्ति	500	
	3.2	रासायनिक संयोजनों का मात्रा संबंधी विश्लेषण	5000	
	3.3	स्थिरता परीक्षण (ऐसी भिन्न होती पर्यावरणीय दशाओं के अधीन रहने के पश्चात् स्थिरता का अवधारण, जिसकी प्रवृत्ति किसी विस्फोटक की संवेदनशीलता में स्वतः ज्वलन या भिन्नता पैदा करने की होगी ।)	1000	

			3.4	ज्वलन विशेषताएं (ज्वलन संबंधी आचरण, स्वतः ज्वलन के लिए दायित्व, ढेर में ज्वलन संबंधी आचरण)	1000
			3.5	निम्नलिखित के प्रति यांत्रिकी संवेदनशीलता	
			3.5.1	संघर्षण	1500
			3.5.2	प्रतिघात	1500
			3.6	वायु शून्यता संवेदनशीलता	2000
			3.7	विस्फोटन का जारी रहना	2000
			3.8	विस्फोटन का वेग	2000
			3.9	कैप संवेदनशीलता	1500
			3.10	प्रक्षेपिक कण की प्रबलता	5000
			3.11	हिमकारी और हिमद्रवण परीक्षण	1000
			3.12	द्रवण परीक्षण	1000
4.	बूस्टर या ढालित बूस्टर	3(2)	4.1	भौतिक गुणधर्म :	
			4.1.1	भौतिक परीक्षण (आंतरिक पैकेज के परिमाणों, चिन्हांकों या स्वरूप की परीक्षा)	200
			4.1.2	सघनता	300
			4.1.3	संगतता (जेल या इमल्शन या पतले मसाले या ढलाई की परीक्षा)	200
			4.1.4	वियोजन (परिवहन में संघटकों का वियोजन)	500
			4.1.5	निम्न और उच्च तापमान पर आचरण	1000
			4.1.6	आर्द्रता अवशोषण के प्रति प्रवृत्ति	500
			4.1.7	गलन बिंदु (ढालित बूस्टर के लिए)	200
			4.2	रासायनिक संयोजनों का मात्रा संबंधी विश्लेषण	3000
			4.3	स्थिरता परीक्षण (ऐसी भिन्न होती पर्यावरणीय दशाओं के अधीन रहने के पश्चात् स्थिरता का अवधारण, जिसकी प्रवृत्ति किसी विस्फोटक की संवेदनशीलता में स्वतः ज्वलन या भिन्नता पैदा करने की होगी ।)	1000
			4.4	ज्वलन विशेषताएं (ज्वलन संबंधी आचरण, स्वतः ज्वलन के लिए दायित्व, ढेर में ज्वलन संबंधी आचरण)	1000
			4.5	निम्नलिखित के प्रति यांत्रिकी संवेदनशीलता	
			4.5.1	संघर्षण	1500
			4.5.2	प्रतिघात	1500
			4.6	प्रक्षेपिक कण की प्रबलता का अवधारण	5000
			4.7	कैप संवेदनशीलता	1500
			4.8	निष्पादन परीक्षण	2000
5.	सुरक्षा फ्यूज/सूक्ष्म तार	6(1)	5.1	भौतिक गुणधर्म (परिमाण, सहजता आदि)	200
			5.2	क्रोड भार का मात्रा संबंधी रासायनिक विश्लेषण	500
			5.3	स्थिरता परीक्षण (ऐसी भिन्न होती पर्यावरणीय दशाओं के अधीन रहने के पश्चात् स्थिरता का	500

			अवधारण जिसके पूर्ववर्ती किसी विस्फोटक की संवेदनशीलता में स्वतः ज्वलन या भिन्नता पैदा करने की होगी)	
		5.4	दहन दर	200
		5.5	जल निमज्जन परीक्षण	200
		5.6	पश्चात्पूर्व प्रेषण परीक्षण	500
		5.7	बी.आई.एस., यदि कोई हो, के अधीन परीक्षण*	500
6.	प्रेक्षपकारी फ्यूज	6(2)	6.1 भौतिक गुणधर्म (बाह्य सामग्री, पिन छिद्रों आदि के परिमाण, सहजता, परिसज्जा, निरीक्षण आदि)	200
		6.1.1	पी.ई.टी.एन. का अवधारण	1000
		6.2	स्थिरता परीक्षण (ऐसी भिन्न होती पर्यावरणीय दशाओं के अधीन रहने के पश्चात् स्थिरता का अवधारण जिसके पूर्ववर्ती किसी विस्फोटक की संवेदनशीलता में स्वतः ज्वलन या भिन्नता पैदा करने की होगी)	1000
		6.3	निम्न और उच्च तापमान पर नम्यता परीक्षण	500
		6.4	जल रोधिता परीक्षण	1000
		6.5	प्रेक्षपक का वेग	2000
		6.6	प्रेक्षपक का पारेषण	1000
		6.7	क्रोड भार का अवधारण	1000
		6.8	खंडनभार परीक्षण	1000
		6.9	छोर शीर्णन शक्ति परीक्षण	1000
7.	नोनल (शॉक ट्यूब)	6(2)	7.1 भौतिक परीक्षा (परिमाण, परिसज्जा, पिन्नछिद्र आदि)	200
		7.2	प्रेक्षपक संवेदनशीलता परीक्षण	1000
		7.3	प्रेक्षपकारी फ्यूज संवेदनशीलता में परीक्षण	1000
		7.4	श्रृंखला परीक्षण	1000
		7.5	सामानान्तर परीक्षण	1000
		7.6	निक और नोट परीक्षण	1000
		7.7	180 बैंड परीक्षण	1000
		7.8	पार्श्व प्रवर्तन परीक्षण	
		7.8.1	दूसरी नेत्र ट्यूब से	500
		7.8.2	प्रेक्षपकारी ट्यूब से	500
		7.9	टनन प्रबलता परीक्षण	1000
		7.10	विलंब समय परीक्षण	
		7.10.1	सतह ट्रंक लाइन	500
		7.10.2	विवद लाइन के नीचे	500
		7.10.3	प्रेक्षपक का वेग	2000

क्रम	विस्फोटक का	वर्ग/प्रभाग	संचालित किए जाने वाले परीक्षण इलैक्ट्रिक विलंब नाम/प्रकार	प्रेक्षपक	प्रेक्षपक	साधारण सं. प्रेक्षपक
8.	प्रेक्षपक	6(3)	8.1 भौतिक परीक्षा (परिमाण, परिसज्जा, आदि)	200	200	200
			8.2 जल अवरोध	--	500	500
			8.3 ड्रॉप परीक्षण	500	500	500
			8.4 धारक परीक्षण	--	500	500
			8.5 कंपन परीक्षण	500	500	500
			8.6 प्रबलता परीक्षण	2000	2000	2000
			8.7 विद्युत अवरोधता	--	500	500
			8.8 अनग्नि प्रवाह परीक्षण	--	1000	1000
			8.9 विलम्ब समय परीक्षण	--	--	1000
			8.10 न्यूनतम श्रृंखला फायरिंग प्रवाह परीक्षण	--	1000	1000

क्रम सं.	विस्फोटक का नाम/प्रकार	वर्ग और	संचालित किए जाने वाले परीक्षण	फीस (रुपयों में)
9.	आतिशबाजी	7(2)	9.1 भौतिक गुणधर्म --	200
		7(3) या	बाहरी और आंतरिक शैल के निर्माण और	
		7(4)	तैयार उत्पाद पर चिन्हांकन की भौतिक परीक्षा	
			9.2 स्टैंड की स्थिरता	200
			9.3 क्वालिटी संबंधी रासायनिक संयोजन विश्लेषण	500
			9.4 तीव्र मिलान की दहन दर	200
			9.5 निष्पादन परीक्षण	500
			9.6 ध्वनि स्तर के लिए परीक्षण	1000
			9.7 बी.आई.एस., यदि कोई हो, के अधीन परीक्षण*	500

*परीक्षण वैकल्पिक है ।

घ. विस्फोटक परीक्षण केंद्र में विस्फोटकों के पैकेजों के परीक्षण के लिए निम्नलिखित फीस संदेय होगी :

क्रम सं.	संचालित किए जाने वाले परीक्षण	फीस (रुपयों में)
1	2	3
1.	पेपर या पेपर बोर्ड की इस्फोटन प्रबलता	325
2.	इस्फोट कारक	400
3.	संपीडन प्रबलता	650
4.	ड्रॉप परीक्षण	650
5.	निःश्रवण परीक्षण (बिटुमैन/पैच कोलतार संसेचित पेपर के लिए)	350
6.	पेपर का ग्रामेज	300
	3 परत के लिए ग्रामेज	350
	5 परत के लिए ग्रामेज	400
	7 परत के लिए ग्रामेज	550

1	2	3
7.	प्रभावित संघनता परीक्षण	550
8.	सी.एफ.बी. बाक्स स्टाइल, परतों की संख्या, जोड़ों की संख्या और बाहरी दोष संबंधी संप्रेक्षण	325
9.	डिब्बे/बाक्स का परिमाण, प्रति परिमाण	300
10.	पंक्चर अवरोधता	325
11.	वर्षा परीक्षण	550
12.	स्कफ रोधता	400
13.	चट्टामार परीक्षण	550
14.	कोब परीक्षण	350
15.	पैकेज (नमूना) भरने पर आर्द्रता और तापमान के प्रभाव संबंधी अध्ययन	5000
16.	पेपर और पेपर बोर्ड के लिए तनन प्रबलता और % दीर्घीकरण	400
17.	दरार कारक	400
18.	आई. एम. डी. जी. कोड के अनुसार परीक्षण	
	1. आई. एम. डी. जी. परीक्षण (ड्रॉप परीक्षण और चट्टामार परीक्षण)	2350
	2. परिमाण (3)	600
	3. स्फोटन प्रबलता	325
	4. कोष परीक्षण	350
	5. स्कफ रोधता परीक्षण	400
19.	वर्गीकरण के लिए खतरनाक माल के परिवहन संबंधी संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के अनुसार परीक्षण	
	शृंखला 1 और 2	
	1. सं. रा. शून्यता परीक्षण	5,000
	2. कोइनन परीक्षण	5,000
	3. समय/दाब परीक्षण	5,000
	4. आंतरिक ज्वलन परीक्षण	5,000
	शृंखला 3	
	1. प्रभावित संवेदनशीलता परीक्षण	5,000
	2. आंशिक संवेदनशीलता परीक्षण	5,000
	3. तापीय स्थिरता परीक्षण	20,000
	4. लघु ज्वलन परीक्षण	5,000
	शृंखला 4	
	1. 75 सें. पर तापीय स्थिरता परीक्षण	20,000
	2. ड्रॉप परीक्षण	10,000
	शृंखला 5	
	1. कैप संवेदनशीलता परीक्षण	5,000
	2. विस्फोटक प्रेरक परीक्षण	10,000
	3. प्रभाग 1.5 के लिए ब्राह्म अग्नि परीक्षण	45,000
	शृंखला 6	
	1. एकल पैकेज परीक्षण	10,000
	2. चट्टा परीक्षण	10,000
	3. बाह्य अग्नि (उत्सावग्नि) परीक्षण	45,000

अनुसूची V
(नियम 113 देखिए)

भाग-1

आवेदन प्ररूप

प्ररूप ए. ई.-1

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन मैं, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ।

1. प्रयोजन : (अनुसूची 4, भाग 1 के अनुसार विशिष्ट अनुच्छेद का तत्स्थानी प्रयोजन लिखिए)

.....
.....
.....

2. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम और डाक पते पर अपेक्षित है :

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदात्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)

.....
.....

(ख) प्रास्थिति ⁽²⁾

(ग) आयु ⁽³⁾

(घ) डाक पता :

.....
.....
.....

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फैक्स

3. प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है :

.....
.....
..... पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फैक्स

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की अर्हताएं और अनुभव (पृथक ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो पृथक शीट संलग्न करें)

5. विनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित विस्फोटक

(क) वर्ग

- (ख) प्रभाग
- (ग) नाम और विवरण
- (घ) यू. एन वर्गीकरण और संख्यांक
- (ङ.) विनिर्माण संयंत्र की वार्षिक क्षमता
- (च) विनिर्माण संयंत्र के प्रत्येक शेड में किसी एक समय पर उपलब्ध विस्फोटकों की मात्रा
- (छ) एक दिन में विनिर्माण किए जाने के लिए प्रस्तावित विस्फोटकों की मात्रा
- (ज) अनुमोदित बी.एम.डी. यानों के ब्यौरे
- (झ) प्रस्तावित संशोधन या अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, के ब्यौरे
6. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें ।
7. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां, यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित कोई धारित की गई हो ।हां नहीं
- (ख) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीकृत नहीं की गई थी
- (ग) यदि हां, ब्यौरे दें

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं ।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
- (2) अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
- (4) आवेदक के व्यष्टि होने की दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध का गठन करेगा ।

प्ररूप ए.ई.-2

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

एडिवट्टुस के विनिर्माण के लिए एक समय में 15 किलोग्राम से अनधिक बारूद रखने और एक समय में 200 से अनधिक एडिवट्टुस को रखने की अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन

मैं, की ओर से एडिवट्टुस के विनिर्माण के लिए बारूद रखने और एडिवट्टुस को रखने के लिए अनुज्ञप्ति के अनुदान/अनुज्ञप्ति सं. के संशोधन के लिए आवेदन करता हूँ।

1. नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)
2. प्रास्थिति (व्यष्टि, कंपनी या सोसायटी)
3. आयु (नीचे टिप्पण देखिए)
4. डाक का पता :

पिन कोड नं.

तार का पता

टेलेक्स/फैक्स

ई.मेल

5. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की अर्हताएं और अनुभव (पृथक ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो पृथक शीट सलग्न करें)

6. परिसर की अवस्थिति

	राज्य
	जिला
	नगर या ग्राम
	सर्वेक्षण सं.
	पुलिस थाना

रेल स्टेशन या स्टीमर घाट

6. (क) एक समय में रखे जाने के लिए प्रस्तावित बारूद की मात्रा
- (ख) एक समय में विनिर्मित और रखे जाने के लिए प्रस्तावित एडिवट्टुस की मात्रा

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त विशिष्टियां सही हैं।

तारीख आवेदक के हस्ताक्षर

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
- (2) अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
- (4) आवेदक के व्यष्टि होने की दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध का गठन करेगा ।

प्ररूप ए.ई.-3

(विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 देखिए)

विस्फोटक अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन या विस्फोटकों को कब्जे में रखने और उनके विक्रय या विस्फोटक रखने एवं उनके प्रयोग के लिए या किसी भंडारगृह में आतिशबाजी या सुरक्षा फ्यूज रखने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

मैं, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ ।

1. प्रयोजन : (अनुसूची 4, भाग 1 के अनुसार विशिष्ट वस्तु का तत्स्थानी प्रयोजन लिखिए)

.....

2. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम और डाक पते पर अपेक्षित है :

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)

(ख) प्रास्थिति ⁽²⁾

(ग) आयु ⁽³⁾

(घ) डाक पता :

.....

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फैक्स

3. प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है :

.....

 पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फैक्स

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की
अर्हताएं और अनुभव (पृथक ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो
पृथक शीट संलग्न करें)
5. (क) रखे जाने और विक्रीत किए जाने के लिए प्रस्तावित
विस्फोटक

	नाम और वर्णन	वर्ग	प्रभाग, यदि कोई हो	मात्रा	
				एक समय पर	एक मास में
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
(v)					
(vi)					

(ख) क्या परिसर, विस्फोटक के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्त किसी
कारखाने से संलग्न है ? यदि हां, तो कृपया अनुज्ञप्ति संख्यांक दें ।

6. (क) कब्जे में रखने और प्रयोग किए जाने वाले प्रस्तावित विस्फोटक

	नाम और वर्णन	वर्ग	प्रभाग, यदि कोई हो	मात्रा		
				एक समय में रखे जाने वाला	प्रतिदिन प्रयुक्त किए जाने वाला	एक मास में प्रयुक्त किए जाने वाला
(i)						
(ii)						
(iii)						
(iv)						
(v)						
(vi)						

(ख) उस स्थल का ब्यौरा, जहां विस्फोटक प्रयुक्त किए जाएंगे

(ग) क्या स्थल खान अधिनियम, 1952 के अधीन आता है ?

(यदि हां, तो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं यदि नहीं,
तो प्रस्तावित क्रियाकलाप, दस्तावेजी साक्ष्य और नियोजित
किए जाने वाले आतिशबाज की विशिष्टियां दी जाएं ।)

(घ) ऊपर खंड (ग) के संबंध में संलग्न दस्तावेजों की सूची :

(i)

(ii)

(iii)

- (ड) मद 6 में उल्लिखित भंडागार से उस स्थल
की दूरी, जहां विस्फोटक प्रयुक्त किए जाएंगे
- (च) विस्फोटक के परिवहन का ढंग
- (छ) सड़क वहन, यदि प्रयुक्त की गई हो, की
अनुज्ञप्ति विशिष्टियां
7. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया
संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध
के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित
करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा
दें ।
8. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य
अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां, यदि आवेदक द्वारा पिछले
10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों । हां नहीं
- (ख) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था
या नवीकृत नहीं की गई थी ?
- (ग) यदि हां, ब्यौरे दें

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई
विशिष्टियां सही हैं ।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
- (2) अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
- (4) आवेदक के व्यष्टि होने की दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध का गठन करेगा ।

प्ररूप ए ई-4

(विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 देखिए)

ट्रेक्टर कम्प्रेसर के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन

मैं, की

ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ ।

1. प्रयोजन : (अनुसूची 4, भाग 1 के अनुसार विशिष्ट वस्तु का तत्स्थानी प्रयोजन लिखिए)

.....
.....
.....

2. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम और डाक पते पर अपेक्षित है :

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की
अपेक्षा की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)

(ख) प्रास्थिति ⁽¹⁾

(ग) आयु ⁽²⁾

(घ) डाक पता :

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फ़ैक्स

3. आवेदक की अर्हता और अनुभव तथा उसके द्वारा
नियोजित अतिशबाज की विशिष्टियां (पृथक ब्यौरा दें
और यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट संलग्न करें)

4. विस्फोटकों की संभलाई और विस्फोटन में आवेदक
का अनुभव

5. उस परिसर का पता, जहां कंप्रेसर आधारित मोटर ट्रक या
ट्रेक्टर, जब प्रयोग में न हो, सामान्यता खड़ा किया है :

6. उस क्षेत्र की विशिष्टियां, जहां कंप्रेसर आधारित मोटर
ट्रक या ट्रेक्टर को लिकिंग प्रयोजन के लिए प्रयोग
किया जाना है :

7. कब्जे में रखने और परिवहन किए जाने वाले विस्फोटक-

अधिकतम अनुज्ञात क्षमता

(i)	वर्ग 2 और/या वर्ग 3 के विस्फोटक कि.ग्राम के	25 किलो ग्राम
(ii)	विस्फोट प्रेरक साधारण या विद्युत संख्या	200 संख्या
(iii)	विस्फोटकारी फ्यूज मीटर	100 मीटर
(iv)	सुरक्षा फ्यूज मीटर	200 मीटर

8. आवेदक के कंप्रेसर आधारित मोटर ट्रक या ट्रेक्टर का वर्णन :6

मैक

रजिस्ट्रीकरण संख्या

चेसीस संख्या

यान पर अन्य फिटिंगों का विवरण

9. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन
किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है
या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया
है ? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें ।

10. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य
 अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां, यदि आवेदक द्वारा पिछले 10
 वर्षों के दौरान धारित की गई हों।हां नहीं

(ख) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या
 नवीकृत नहीं की गई थी

(ग) यदि हां, ब्यौरे दें

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख आवेदक के हस्ताक्षर
 (कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं।
- (2) अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी।
- (4) आवेदक के व्यष्टि होने की दशा में आयु दी जानी है।

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध का गठन करेगा।

प्ररूप ए ई-5

(विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 देखिए)

अनुसूची IV के भाग 1 के अनुच्छेद 5(क) से (च) के अनुसार प्ररूप एल.ई. 5 में अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन

मैं, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ।

1. प्रयोजन : (अनुसूची IV, भाग 1 के अनुसार विशिष्ट वस्तु का तत्स्थानी प्रयोजन लिखिए)

.....

2. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम और डाक पते पर अपेक्षित है :

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदान किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)

(ख) प्रास्थिति ⁽¹⁾

(ग) आयु ⁽²⁾

(घ) डाक पता :

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फ़ैक्स

3. प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है :

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फ़ैक्स

4. कब्जा रखे जाने के लिए प्रस्तावित विस्फोटक :

नाम और वर्णन	वर्ग	प्रभाग, यदि कोई हो	एक समय में मात्र
(i)			
(ii)			
(iii)			

5. यदि विस्फोटक प्रयुक्त किए जाने हैं तो प्रयोग के प्रयोजन से संबद्ध विशिष्टियां दें ।

6. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो कृपया ब्यौरे दें ।

7. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां, यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों ।

(ख) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीकृत नहीं की गई थी

(ग) यदि हां, ब्यौरे दें

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं ।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
- (2) अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
- (4) आवेदक के व्यक्ति होने की दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध का गठन करेगा ।

प्ररूप ए.ई.-6

(विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 देखिए)

आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान के लिए आवेदन

मैं, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ ।

1. प्रयोजन : (अनुसूची IV, भाग 1 के अनुसार विशिष्ट अनुच्छेद का तत्स्थानी प्रयोजन लिखिए)

.....

2. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम और पते पर अपेक्षित है :

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)

(ख) प्रास्थिति ⁽¹⁾

(ग) आयु ⁽²⁾

(घ) डाक पता :

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फ़ैक्स

3. प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है :

.....

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फ़ैक्स

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की अर्हताएं और अनुभव (पृथक ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित हो पृथक शीट संलग्न करें)

5. प्रदर्शन का अधीक्षण करने वाले व्यक्तियों के नाम, अर्हता और अनुभव
6. प्रयोग की जाने वाली आतिशबाजी का वर्णन और मात्रा
7. (क) उस व्यक्ति का नाम, जिससे आतिशबाजी प्राप्त की जाएगी
- नाम
- पता
- (उसके द्वारा धारित अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां (अनुज्ञप्ति संख्या और प्ररूप, जारीकर्ता प्राधिकारी और विधिमान्यता)
- (ख) उस स्थान की अवस्थिति, जहां प्रदर्शन से पूर्व आतिशबाजी को भंडारित किया जाएगा
8. (क) प्रदर्शित की जाने वाली आतिशबाजी का वर्णन और मात्रा
- (ख) प्रदर्शन और तारीख और समय
- (ग) उस स्थान की अवस्थिति, जहां आतिशबाजी रखी जाएगी
9. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें ।
10. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां, यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों ।
- हां नहीं
- (ख) क्या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया था या नवीकृत नहीं की गई थी
- (ग) यदि हां, ब्यौरे दें

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं ।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
- (2) अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
- (4) आवेदक के व्यष्टि होने की दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध का गठन करेगा ।

प्ररूप ए.ई.-7

(विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 देखिए)

सड़क वैन में विस्फोटकों के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन मैं, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूं ।

1. प्रयोजन : (अनुसूची IV, भाग 1 के अनुसार विशिष्ट अनुच्छेद का तत्स्थानी प्रयोजन लिखिए)

.....

2. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम और डाक पते पर अपेक्षित है :

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)

(ख) प्रास्थिति ⁽¹⁾

(ग) आयु ⁽²⁾

(घ) डाक पता :

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फैक्स

3. उस परिसर का पता, जहां यान सामान्यतः खड़ा किया जाना है

4. वहन किए जाने वाले विस्फोटकों का प्रकार और मात्रा

5. स्थान (राज्य और जिले) जहां वैन सामान्यतः चलाई जाएगी

6. यान का विवरण

मैक

पंजीकरण संख्या

इंजन संख्या
चेसिस संख्या
सकल यान भार कि.ग्रा.
खाली भार कि.ग्रा.
7. यान पर अन्य फिटिंगों का विवरण
8. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा वहन क्षमता
9. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया ब्यौरे दें ।
10. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां, यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक द्वारा कोई धारित किया गया है । हां नहीं
(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई है । या नवीकृत नहीं की गई है ।
(ग) यदि हां, ब्यौरे दें	

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं ।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर
(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
- (2) अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
- (4) आवेदक के व्यष्टि होने की दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

प्ररूप ए ई-8

(विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 देखिए)

विस्फोटकों के आयात या निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान के लिए आवेदन

मैं, की

ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति अनुमोदन या अनुदान या संशोधन⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ।

1. प्रयोजन : (अनुसूची IV, भाग 1 के अनुसार विशिष्ट अनुच्छेद का तत्स्थानी प्रयोजन लिखिए)

.....

.....

.....

2. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम और डाक पते पर अपेक्षित है :

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की
अपेक्षा की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)

.....

.....

(ख) प्रास्थिति ⁽¹⁾(ग) आयु ⁽²⁾

(घ) डाक पता :

.....

.....

.....

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फ़ैक्स

3. (क) (आयात की दशा में) एक समय में आयातित किए जाने के लिए प्रस्तावित विस्फोटक :6

(i) नाम और विवरण	वर्ग	प्रभाग, यदि कोई हो	मात्रा
(ii) क्या आयात किए जाने वाले विस्फोटक हां नहीं			
प्राधिकृत विस्फोटक है			
(iii) आयात किए जाने वाले विस्फोटकों के विनिर्माता का नाम और पता	
(iv) उस परिसर की अनुज्ञप्ति विशिष्टियां, जहां विस्फोटक
भंडारित किए जाएंगे :	
(v) आयात का पत्तन या स्थान	
(vi) आयात का ढंग	
3. (ख) (निर्यात की दशा में) निर्यात किए जाने वाले विस्फोटक की मात्रा	

(i) नाम और विवरण	वर्ग	प्रभाग, यदि कोई हो	मात्रा
(ii) प्रेषिती नाम और पता	
(iii) स्थान या पत्तन, जहां से विस्फोटक निर्यात किए जाएंगे	

- (iv) विस्फोटक वहन करने वाले पोत का नाम और नौचालन की तारीख :
- (v) निर्यात का ढंग
- (vi) पोत पर ढलाई किए जाने वाले प्रत्येक विस्फोटक की मात्रा
4. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें ।
5. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां, यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक द्वारा कोई धरित किया गया है । हां नहीं
- (ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई है या नवीकृत नहीं की गई है
- (ग) यदि हां, ब्यौरे दें

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं ।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
- (2) अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
- (4) आवेदक के व्यष्टि होने की दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

प्ररूप ए. ई.-9

(विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 देखिए)

प्ररूप एल.ई. 9 (विशेष) में अनुज्ञप्ति के अनुदान या संशोधन या अंतरण के लिए आवेदन

मैं, की

ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ ।

1. प्रयोजन : (अनुसूची IV, भाग 1 के अनुसार विशिष्ट अनुच्छेद का तत्स्थानी प्रयोजन लिखिए)

.....

.....

.....

2. नाम : मुझे अनुज्ञप्ति निम्नलिखित नाम और डाक पते पर अपेक्षित है :

(क) नाम, जिसमें अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने की
अपेक्षा की गई है (नीचे टिप्पण देखिए)

(ख) प्रास्थिति ⁽¹⁾

(ग) आयु ⁽²⁾

(घ) डाक पता :

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फ़ैक्स

3. प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है :

पुलिस थाना

जिला राज्य पिन कोड

फोन ई.मेल फ़ैक्स

4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की
अर्हताएं और अनुभव (पृथक ब्यौरा दें और यदि अपेक्षित
हो पृथक शीट सलग्न करें)

5. विनिर्मित या रखे जाने के लिए प्रस्तावित विस्फोटक

(क) वर्ग

(ख) प्रभाग (यदि कोई हो)

(ग) नाम और विवरण

(घ) यू.एन. वर्गीकरण और संख्यांक

(ङ) विनिर्माण संयंत्र की वार्षिक क्षमता

(च) विनिर्माण संयंत्र के प्रत्येक शेड में किसी
एक समय पर मौजूद विस्फोटकों की मात्रा

(छ) एक दिन में विनिर्माण किए जाने के लिए
प्रस्तावित विस्फोटकों की मात्रा

(ज) प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा या अतिरिक्त
सूचना, यदि कोई हो

6. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन
किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है
या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया
है ? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें ।

7. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अन्य
 अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां, यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान
 आवेदक द्वारा कोई धारित किया गया है।

(ख) क्या कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गई है हां नहीं
 या नवीकृत नहीं की गई है।

(ग) यदि हां, ब्यौरे दें

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख आवेदक के हस्ताक्षर
 (कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और, यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं।
- (2) अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी।
- (4) आवेदक के व्यक्ति होने की दशा में आयु दी जानी है।

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों की गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा।

प्ररूप ए.ई.-10

(विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 देखिए)

खान अधिनियम, 1952 के अधीन न आने वाले क्षेत्र में विस्फोटकों का विस्फोटन करने के लिए आतिशबाज प्रमाणपत्र के अनुदान या संशोधन के लिए आवेदन

मैं,आतिशबाज प्रमाणपत्र के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन ⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ।

1. (क) नाम, जिसमें प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है
 (नीचे टिप्पण देखिए)
 - (ख) आयु
 - (ग) डाक पता :
- पुलिस थाना.....
- जिला.....राज्य.....पिन कोड
- फोन.....ई. मेल.....फैक्स.....
- (घ) क्या आवेदक नियोजित है; यदि हां, तो नियोजक का नाम और पता.....
2. आवेदक की अर्हता और अनुभव
 (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)
 3. विशेषज्ञता का क्षेत्र
 4. अनापत्ति प्रमाणपत्र की विशिष्टियांसंख्यांक.....तारीख.....
द्वारा जारी किया गया

5. उस प्रवर्ग और किस्म की विशिष्टियां, जिसके लिए प्रमाणपत्र
अपेक्षित है (नीचे टिप्पण देखिए) :
6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि
(i) उपरोक्त विशिष्टियां सही और शुद्ध हैं ।
(ii) मुझे यह जानकारी है कि विस्फोटक संचालित करने से पूर्व मेरे द्वारा स्थानीय प्राधिकारी से विस्फोटन संचालन करने हेतु अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है ।
(iii) मुझे यह जानकारी है कि विस्फोटक को मेरे द्वारा किसी अप्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को अविधिमानीय रूप से अंतरित किया जाता है, तो यह आतंकवादी क्रियाकलाप होगा, जो दंडनीय अपराध का दायी होगा ।
तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

- टिप्पण :-** (1) कृपया जन्म-तिथि, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव दर्शाने वाले प्रमाणपत्र और चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।
(2) नियम 107 के अनुसार विस्फोटन का प्रवर्ग और किस्म :

वर्ग	प्रवर्ग	अनुज्ञात विस्फोटन की किस्म
अ	असीमित	सभी प्रकार के विस्फोटन
आ	साधारण भूमि के ऊपर	भूमि के ऊपर विस्फोटन संचालन के सभी चरण
इ	साधारण भूमि के नीचे	भूमि के नीचे विस्फोटन संचालन के सभी चरण
ई	ढहाना	भंजन परियोजनाओं में विस्फोटन के सभी चरण
उ	भूकंप	भूकंपीय पूर्वोक्षण या उत्पादन में विस्फोटन के सभी चरण
ऊ	कृषि	कृषि और कुआं खुदाई में विस्फोटन के सभी चरण
ए	विशेष	उपरोक्त प्रवर्गों के अंतर्गत न आने वाले विशेष प्रयोजन के लिए विस्फोटन

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों की गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

प्ररूप ए.ई.-11

(विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 देखिए)

मैं,आतिशबाज/सुरक्षा फ्यूज (जो असंगत हो, उसे काट दें) के विनिर्माण का अधीक्षण करने हेतु फोनमैन के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता हूँ ।

आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं और अपेक्षित दस्तावेज संलग्न हैं ।

- आवेदक का पूरा नाम :
- आवेदक की आयु :
- पिता का नाम :
- डाक पता :
- पिन कोड :
- टेलीफोन नं. :
- ई. मेल :
- आवेदक की अर्हताएं और अनुभव :
- विशेषज्ञता का क्षेत्र :
- (क) उस कारखाने का नाम और पता जहां आवेदक ने अनुभव अर्जित किया है :
- (ख) प्रक्रिया या संचालन की विशिष्टियां, जिसमें आवेदक ने अनुभव प्राप्त किया है :

8. (क) उस कारखाने का नाम और पता जहां आवेदक
वर्तमान में कार्य कर रहा है
- (ख) हैसियत जिसमें आवेदक इस समय कार्य कर
रहा है
9. अन्य कोई सूचना

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

टिप्पण : कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न करें :

- (1) पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की दो प्रतियां।
- (2) अनुभव प्रमाणपत्र।
- (3) आयु सबूत का प्रमाणपत्र।
- (4) यह कथन करने वाला अपेक्षित प्रमाणपत्र कि आवेदक विकलांग नहीं है और अच्छे स्वास्थ्य वाला है।

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों की गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा।

प्ररूप ए.ई.-12

(विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 देखिए)

विस्फोटक नियम 2008 के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन का प्ररूप
सेवा में

(अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता)

विषय : विस्फोटक नियम 2008 के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन
मैं

की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति के अनुदान हेतु अपेक्षित विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता हूँ।

1. प्रयोजन : (अनुसूची 4 भाग 1 के अनुसार विशिष्ट अनुच्छेद का तत्स्थानी प्रयोजन लिखिए)

.....
.....
.....

2. (क) नाम जिसमें अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति
अपेक्षित है (नीचे टिप्पण देखिए)
- (ख) आयु ⁽²⁾
- (ग) डाक पता :

पुलिस थाना

3. परिसर की स्थिति : प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है

.....पुलिस थाना.....

जिला.....राज्य.....पिन कोड.....

फोन.....ई. मेल.....फैक्स.....

4. ऊपर क्रम सं. 1 में कथित प्रयोजन के लिए विनिर्मित/रखे जाने के लिए प्रस्तावित विस्फोटकों की मात्रा :

नाम और विवरण	वर्ग	प्रभाग, यदि कोई हो	मात्रा	
			एक समय पर	एक मास में

- (i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

5. उस स्थल का ब्यौरा जहां विस्फोटक का प्रयोग किया जाना
है और भाण्डागार परिसर से प्रयोग के स्थल की दूरी (प्रयोग
के लिए अनुज्ञप्ति की दशा में)
6. उस विस्फोटक सड़क वैन का ब्यौरा जिसे विस्फोटकों के परिवहन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा (सड़क वैन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र
की दशा में)

7. अतिरिक्त सूचना :

- (i) मुझे या हमें पिछले 10 वर्षों के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया
गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश नहीं दिया गया है। यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें।)

- (ii) अन्य अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियां : मैं/हम विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन धारित करते हैं (टिप्पण : कृपया अनुज्ञप्ति
संख्यांक लिखें, यदि कोई हो).....
- (iii) मैंने/हमने नियम 101 के अधीन यथा अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है (टिप्पण : कृपया अनुमोदन पत्र,
अनुमोदित आरेखन, अन्य संलग्नक, यदि कोई हों, संलग्न करें)

- (iv) अन्य कोई सुसंगत सूचना :

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं, उसमें कुछ छिपाया नहीं गया है और प्रस्तावित
परिसर के स्थल के संबंध में हक संबंधी कोई विवाद नहीं है।

अतः, विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची 5 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 103 के अनुसार
मुझे/हमें अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता

टिप्पण : कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

- (1) उस दशा में, जहां आवेदन किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति,
निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं।
- (2) अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है।
- (3) उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरंत अनुज्ञापन प्राधिकारी या अनुज्ञप्ति नवीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी।
- (4) कंपनी की प्रास्थिति का सबूत संलग्न किया जाना है।
- (5) आवेदक के व्यक्ति होने की दशा में आयु दी जानी है।

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों की गलत ढंग से संभलाई और उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा।

भाग-2

अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्रारूप

विषय : विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन अनापत्ति प्रमाणपत्र ।

सं. तारीख :

द्वारा.....तारीख को प्ररूप ए.ई. 9 में प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में और विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 102 और नियम 103 के अनुसरण में, श्री/मैसर्स..... के लिए सम्यक् रूप से पृष्ठांकित और इससे संलग्न स्थल नक्शे में दर्शित किए गए सर्वेक्षण सं./गैट सं./खसरा सं.....ग्राम....., तालुक..... जिला.....राज्य.....पर परिसर में निम्नलिखित प्रयोजन, प्रकार और मात्रा के लिए विस्फोटकों की अनुज्ञप्ति देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है ।

1. प्रयोजन (टिप्पण : विस्फोटक नियम, 200 से उपाबद्ध अनुसूची 4 के भाग 1 के प्रयोजनों और प्राधिकार की सारणी में यथावर्णित में अनुच्छेद संख्या का तत्स्थानी केवल एक प्रयोजन लिखिए) :

.....

2. विस्फोटकों की किस्म और मात्रा :

नाम और विवरण	वर्ग	प्रभाग	मात्रा
(क)			
(ख)			

अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुद्रा

(जिला मैजिस्ट्रेट या खान सुरक्षा महानिदेशालय)

निम्नलिखित विशिष्टियां इस अनापत्ति प्रमाणपत्र को जारी करते समय सत्यापित/विचारित कर ली गई हैं ।

- (क) (व्यष्टि या स्वामित्व फर्म की दशा में) आवेदक/(भागीदारी फर्म की दशा में) भागीदार या (लिमिटेड कंपनी की दशा में) निदेशक या (सोसाइटी या संगम की दशा में) पदधारियों के और परिसर के अधिभोगी का भी पूर्ववृत्त
- (ख) आवेदक द्वारा स्थल का विधिपूर्ण कब्जा
- (ग) लोकहित
- (घ) विस्फोटकों की खान या खदानों (आवेदक के कब्जे वाली) या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रों में प्रयोग के लिए अपेक्षा पर विचार कर लिया गया है ।
- (ङ) प्रयोजन की शुद्धता

टिप्पण :

- (1) प्रयोजन की शुद्धता से विनिर्माण के संबंध में अभिप्रेत है--क्या विस्फोटक के विनिर्माण के क्षेत्र या राज्य या देश में विधिपूर्ण रचनात्मक प्रयोग के लिए या नियत प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
- (2) पूर्ववृत्त और क्रम सं. 1 और 2 में यथावर्णित आवेदक द्वारा स्थल की विधिपूर्ण स्थिति का सत्यापन खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा अनुदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की दशा में लागू नहीं होंगे ।

भाग 3

अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र का प्ररूप

अनुज्ञप्ति प्ररूप एल.ई.-1

[विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची 4 के भाग 1 के अनुच्छेद 1 (क) से (छ) देखिए]

निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति :

- (क) एक समय में 15 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाज या बारूद या दोनों; या
 (ख) एक समय में 15 किलोग्राम से अधिक किंतु 500 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाज या बारूद या दोनों; या
 (ग) एक समय में 500 किलोग्राम से अधिक आतिशबाज या बारूद या दोनों; या
 (घ) एक समय में 200 किलोग्राम से अनधिक स्थल पर ए.एन.एफ.ओ. विस्फोटक; या
 (ङ) द्रवित आक्सीजन विस्फोटक (एल.ओ.एक्स.) ; या
 (च) स्थल मिश्रित विस्फोटक (एस.एम.ई.); या
 (छ) आतिशबाज, बारूद, ए.एन.एफ.ओ., एल.ओ.एक्स. और एस.एम.ई. से भिन्न विस्फोटक

अनुज्ञप्ति सं

वार्षिक फीस रुपए

अनुज्ञप्तिधारी या
अधिभोगी के हस्ताक्षर
सहित फोटोग्राफ के
लिए स्थान

1. एतद्द्वारा (नाम)
 (पता)
 को अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है ।
 2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति.....
 3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित प्रयोजन के लिए विधिमान्य है : निम्नलिखित का विनिर्माण

 4. अनुज्ञप्ति विस्फोटकों की निम्नलिखित किस्मों, प्रकार और मात्रा के लिए विधिमान्य है :
 (नाम, विवरण, वर्ग, प्रभाग, उपप्रभाग, एक समय में मात्रा और वार्षिक क्षमता) :

विस्फोटक का नाम	विवरण	वर्ग, प्रभाग, उपप्रभाग	एक समय में मात्रा	मात्रा वार्षिक क्षमता (केवल अनुच्छेद 1 (छ) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए)

5. अनुज्ञप्ति परिसर की निम्नलिखित रेखाचित्र (रेखाचित्रों) द्वारा की जाएगी :
 रेखाचित्र सं. तारीख.....
 रेखाचित्र सं. तारीख.....
 रेखाचित्र सं. तारीख.....
 रेखाचित्र सं. तारीख.....
 रेखाचित्र सं. तारीख.....

6. अनुज्ञप्त परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित हैं :

 पुलिस थाना.....
 जिला राज्यपिनकोड
 दूरभाष ईमेलफैक्स
7. अनुज्ञप्त परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं समाविष्ट हैं :

8. समय-समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उनके अधीन विरचित विस्फोटक नियम, 2008 के उपबंधों और शर्तों, अतिरिक्त शर्तों और उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है ।
 (1) उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यथा कथित रेखाचित्र (स्थान, सन्निर्माण और अन्य विवरण दर्शित करते हुए) ।
 (2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुज्ञप्ति की शर्तों और अतिरिक्त शर्तों ।
 (3)से पूर्व
 (4)
9. यह अनुज्ञप्ति तारीख 31 मार्च 20 तक विधिमान्य रहेगी ।
 यह अनुज्ञप्ति, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या अनुसूची 5 के भाग 4 के प्रति निर्दिष्ट एसईटी-1 से एसईटी-6 के अधीन यथा उपवर्णित इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का अधिक्रमण करने या यदि अनुज्ञप्त परिसर योजना या उससे संलग्न उपबंध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित या प्रतिसंहत की जा सकती है, जहां वह लागू हो ।
 तारीख.....20.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा

[अनुच्छेद 1(क) के लिए जिला मजिस्ट्रेट]

[अनुच्छेद 1(ख) से (झ) के लिए मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक या नियंत्रक विस्फोटक या मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत]

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर दांडिक अपराध होगा ।

प्ररूप एल.ई. 2

एडिवेटर्स के विनिर्माण के लिए किसी एक समय में 15 किलोग्राम से अनधिक बारूद के कब्जे में रखने और किसी एक समय में 200 से अनधिक एडिवेटर्स के कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति
 (विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची 4 के भाग 1 का अनुच्छेद 2 देखें)

अनुज्ञप्ति सं.....

वार्षिक फीस रुपए.....

अनुज्ञप्तिधारी या
 अधिभोगी के हस्ताक्षर
 सहित फोटोग्राफ के
 लिए स्थान

1. (नाम) (पता)

को अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है ।

2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति :

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित प्रयोजन के लिए विधिमान्य होगी :
.....
4. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित विस्फोटकों के प्रकारों और मात्रा के लिए विधिमान्य होगी :
किसी एक समय में एडिवेटर्स के विनिर्माण के लिए किलोग्राम बारूद का कब्जा और किसी एक समय से अनधिक एडिवेटर्स का कब्जा ।
5. अनुज्ञप्ति परिसर की पुष्टि निम्नलिखित रेखाचित्र (रेखाचित्रों) द्वारा की जाएगी :
रेखाचित्र सं. तारीख
रेखाचित्र सं. तारीख
रेखाचित्र सं. तारीख
रेखाचित्र सं. तारीख
रेखाचित्र सं. तारीख
-
(हस्ताक्षर के लिए स्थान).
6. अनुज्ञप्त परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित हैं :
.....
पुलिस थाना
जिला राज्य पिनकोड
दूरभाष ईमेल फ़ैक्स
7. अनुज्ञप्त परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं समाविष्ट हैं :
.....
.....
8. अनुज्ञप्ति, समय-समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उनके अधीन विरचित विस्फोटक नियम, 2008 के उपबंध और शर्तों, अतिरिक्त शर्तों और निम्नलिखित उपाबद्धों के अधीन रहते हुए प्रदान की जाती है :
(1) उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यथा कथित रेखाचित्र (स्थान, सन्निर्माण संबंधी और अन्य विवरण दर्शित करते हुए) ।
(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुज्ञप्ति की शर्तों और अतिरिक्त शर्तों ।
9. यह अनुज्ञप्ति तारीख 31 मार्च 20 तक विधिमान्य रहेगी ।
यह अनुज्ञप्ति, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई अधिक्रमण करने या यदि अनुज्ञप्त परिसर योजना या उससे संलग्न उपाबद्ध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निर्लंबित या प्रतिसंहत की जा सकती है ।
तारीख 20

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा

[जिला मजिस्ट्रेट]

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर दांडिक अपराध होगा ।

शर्तें

1. अनुज्ञप्त परिसर पर किसी एक समय पर रखी जाने वाली बारूद की अधिकतम मात्रा 15 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी ।

2. बारूद या एडिक्टोर्स ऐसे मजबूत भवन में, जिसका सन्निर्माण अज्वलनशील सामग्री से किया गया हो, किसी ऐसे अग्निसह बक्से में, जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया हो, रखा जाएगा, जो अग्निसह दीवार द्वारा किसी ऐसे भवन से, जिसका उपयोग विस्फोटकों के भंडारण के लिए होता है या इस नियम के अधीन किसी अन्य अनुज्ञप्त परिसर से या ज्वलनशील पदार्थ या अन्य परिसंकटमय सामग्री का भंडारण से अलग होगा ।
3. एडिक्टोर्स बनाने के लिए ट्यूब की कुल संख्या को अनुज्ञप्त ट्यूब के रूप में अनुज्ञप्ति में अभिलिखित होंगे ।
4. ऐसे ट्यूबों का उपयोग नहीं किया जाएगा जो खराब हो गए हैं या बुरी तरह से जंग खाए हुए हैं अथवा प्रत्यक्ष रूप से दोषपूर्ण हैं ।
5. ट्यूबों का आंतरिक व्यास 40 मिलीमीटर से कम नहीं होगा और उसकी मोटाई 10 मिलीमीटर से कम नहीं होगी ।
6. प्रत्येक ट्यूब में 50 ग्राम से अधिक बारूद का उपयोग नहीं किया जाएगा और किसी भी ट्यूब को उसकी कुल लंबाई के 1/4 भाग से अधिक नहीं भरा जाएगा ।
7. ट्यूब में लोहे के छड़ से बारूद नहीं भरा जाएगा । केवल काष्ठ उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा ।
8. ट्यूब सुरक्षित रूप से चिपकी होनी चाहिए और किसी अन्य उपयुक्त लकड़ी के लट्टे के आधार से जुड़ी होनी चाहिए ।
9. एडिक्टोर्स के विनिर्माण में 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को और किसी ऐसे व्यक्ति को, जो नशे की, हालत में हो या विकृत चित्त या शारीरिक रूप से निःशक्त हो, नियोजित नहीं किया जाएगा ।
10. ट्यूब अनुज्ञापन प्राधिकारी को या अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके पश्चात् ऐसे अंतराल के पश्चात् किए जाएंगे जैसा अनुज्ञापन प्राधिकारी निदेश करें ।
11. यथास्थिति, भंडारण शेड या बक्से का भीतरी भाग और उसमें की गई सभी फिटिंग इस प्रकार सन्निर्मित, आवरित अस्तरित की जाएगी कि कोई लोहा या इस्पात या कोई कठोर या कंकरीली सतह खुली न रहे या कोई ग्रिल्ट, लोहा इस्पात या तत्समान पदार्थ उसमें प्रविष्ट न हो सके ।
12. संवातन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और भवन या बक्से के भीतरी भाग को पूर्णतः स्वच्छ रखा जाएगा ।
13. भंडारण शेड या बक्से के दरवाजे बाहर की ओर खुलेंगे और उसे पूर्णतः बंद रखा जाएगा या उसमें ताला डाल दिया जाएगा किन्तु विस्फोटकों को उसमें रखने या उसमें से निकालने के लिए या किन्हीं अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिए खोला जा सकता है ।
14. विस्फोटक या उच्च ज्वलनशील प्रकृति की सभी वस्तुओं या पदार्थों को विस्फोटकों से सुरक्षित दूरी पर रखा जाएगा । उन्हें किसी कमरे या भवन के किसी भाग से या अग्निसह बाक्स से, जिसमें विस्फोटक है, भी सुरक्षित दूरी पर रखा जाएगा और किसी व्यक्ति के ऐसे कमरे या भवन के किसी भाग में प्रवेश करते समय या ऐसे सेफ को खोलते समय उसके कब्जे में या उसके जूतों या बूटों में कोई लोहा या इस्पात नहीं लगा होगा ।
15. लोहे या इस्पात से बने कोई औजार, उपकरण, तराजू, बाट आदि परिसर में किसी समय भी नहीं रखे जाएंगे ।
16. अनुज्ञप्तिधारी बारूद के क्रय का, प्रदायकर्ता का नाम, पता और उसकी अनुज्ञप्ति विशिष्टियों सहित अभिलेख रखेगा और दैनिक स्टॉक और बारूद, एडिक्टोर्स विनिर्माण और उपयोग और उसके फायर करने का भी अभिलेख रखेगा और उसे निरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
17. इस अनुज्ञप्ति के बल पर खरीदा गया बारूद किसी अन्य व्यक्ति को विक्रीत या अंतरित नहीं किया जाएगा ।
18. एडिक्टोर्स विनिर्माण और फायर करने के लिए अनुभवी व्यक्ति रखे जाएंगे ।
19. अनुज्ञप्तिधारी विनिर्माण करने वाले शेड में भर कर एडिक्टोर्स का विनिर्माण कर सकेगा ।
20. अनुज्ञप्त परिसर में, जिसके अंतर्गत ऐसा विनिर्माण परिसर भी है, जिसमें ऐसा अनुकूलन या तैयारी होती है, एडिक्टोर्स की कुल मात्रा, उस मात्रा से अधिक नहीं होगा जिसे अनुज्ञप्तिधारी रखने के लिए प्राधिकृत है ।
21. विनिर्माण शेड में ऐसा अनुकूलन या तैयारी या विनिर्माण करते समय ऐसे अनुकूलन या तैयारी या विनिर्माण से असहबद्ध कार्य नहीं किया जाएगा ।
22. उक्त विनिर्माण शेड भंडारण शेड से 18 मीटर की दूरी पर स्थित होगा ।
23. एडिक्टोर्स फायर करने का फायरिंग क्षेत्र भंडारण शेड, विनिर्माण शेड और दर्शकों या शौकीन व्यक्तियों के स्थान से कम से कम 45 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा किसी सड़क या मंदिर के अहाते की सीमा से एडिक्टोर्स फायर करने का स्थान की दूरी 45 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, एडिक्टोर्स फायर करने वाला व्यक्ति 45 मीटर की दूरी के भीतर आने वाले सभी व्यक्तियों को पहले यह चेतावनी देगा कि एडिक्टोर्स

फायर किया जाना है और उनसे स्वयं को आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निवेदन करेगा। चेतावनी मौखिक रूप से और विज्ञापन द्वारा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे किसी स्थान पर एडवेटर्स फायर करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगा जहां उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है।

24. अनुज्ञप्तिधारी और उसके कर्मचारी आपातकाल के दौरान परिसर के भीतर ली जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे।

25. किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को अनुज्ञप्त परिसरों में सभी युक्तियुक्त समयों पर आबाध पहुंच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को इस बाबत सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और सुरक्षा संबंधी शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है।

26. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारक को लिखित में अनुज्ञप्त परिसर या मशीनरी या औजारों या सात्रिधियों में कोई ऐसी मरम्मत, परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए या ऐसी सिफारिशों को क्रियावित करने के लिए जो ऐसे प्राधिकारी की राय में उससे अस्वीकार्य जोखिम प्रदर्शित कर सकती है और इस प्रकार वह परिसर के बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, सूचित करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

27. एडवेटर्स और बारूद के विनिर्माण में क्लोराट का उपयोग नहीं किया जाएगा।

28. अग्नि या विस्फोटक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की हानि, उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय में तुरन्त की जाएगी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर,
पदनाम और मुद्रा
(जिला मजिस्ट्रेट)

अनुज्ञप्ति प्ररूप एल.ई.-3

[विस्फोटक नियम 2008 की अनुसूची 4 के भाग 1 के अनुच्छेद 3(क) से (घ) देखिए]

(क) उपयोग के लिए वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 के 25 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटक, कृषि के लिए या छोटे खदानों के लिए कब्जे में रखने हेतु और 1500 विस्फोटक प्रेरक कब्जे में रखने के लिए और एक समय में किसी मैग्जीन में 1500 मीटर के प्रस्फोटक फ्यूज या सुरक्षा फ्यूज कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या

(ख) विक्रय के लिए वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 या वर्ग 7 के विस्फोटक और/या किसी मैग्जीन में वर्ग 6 के विस्फोटक रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या

(ग) उपयोग के लिए एक समय पर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 या वर्ग 7 के विस्फोटक या किसी मैग्जीन में वर्ग 6 के विस्फोटक रखने के लिए अनुज्ञप्ति; या

(घ) किसी भंडारगृह में 5000 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाजी या 50000 मीटर से अनधिक सुरक्षा फ्यूज विक्रय हेतु नहीं अपितु अपनी स्वयं की अनुज्ञप्त दुकान में रखने के लिए अनुज्ञप्ति।

अनुज्ञप्ति सं.
वार्षिक फीस रूपए

अनुज्ञप्तिधारी या
अधिभोगी के हस्ताक्षर
सहित फोटोग्राफ के लिए
स्थान

1. नाम
- पता
- को अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है ।
2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति
3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विधिमान्य है :
4. अनुज्ञप्ति विस्फोटकों के निम्नलिखित किस्मों और मात्रा के लिए विधिमान्य है :
 (क) नाम, विवरण, वर्ग, प्रभाग, उप-प्रभाग, मात्रा किसी एक समय में
- (ख) किसी एक कलेंडर मास में खरीदे जाने वाले विस्फोटक की मात्रा [अनुच्छेद 3(ख) और (ग) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए लागू]
 नाम, विवरण, वर्ग, प्रभाग, उप-प्रभाग, मात्रा किसी एक मास में
5. निम्नलिखित रेखाचित्र (रेखाचित्रों) से अनुज्ञप्त परिसर की पुष्टि होती है :
 रेखाचित्र तारीख
- रेखाचित्र तारीख
- रेखाचित्र तारीख
- रेखाचित्र तारीख
6. अनुज्ञप्त परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है :

 पुलिस थाना
- जिला राज्य पिन कोड
- जिला राज्य पिन कोड
- दूरभाष ईमेल फैक्स
7. अनुज्ञप्त परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं अंतर्विष्ट हैं :

8. अनुज्ञप्ति, समय-समय पर यथासंशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उसके अधीन विरचित विस्फोटक नियम, 2004 के उपबंधों, शर्तों और अतिरिक्त शर्तों और निम्नलिखित उपाबद्धों के अधीन रहते हुए अनुदत्त की जाती है ।

(1) उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यथा कथित रेखाचित्र (स्थान, सन्निर्माण संबंधी और अन्य विवरण दर्शित करते हुए)

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुज्ञप्ति की शर्तें और अतिरिक्त शर्तें।

(3) से दूरी।

(4)

9. यह अनुज्ञप्ति तारीख 31 मार्च 20 तक विधिमान्य

यह अनुज्ञप्ति, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या अनुसूची 5 के भाग 4 के प्रति निर्दिष्ट एसईटी-VII से एसईटी-IX के अधीन यथा उपवर्णित इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का अधिक्रमण करने या यदि अनुज्ञप्त परिसर योजना या उससे संलग्न उपबंध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित प्रतिसंहत की जा सकती है, जहां वह लागू हो।

तारीख..... 20.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा

[अनुच्छेद 3 (क) के लिए जिला मजिस्ट्रेट]

[अनुच्छेद 3 (ख)-(घ) के लिए मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत विस्फोटक नियंत्रक]

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर दंडिक अपराध होगा।

अनुज्ञप्ति प्ररूप एल ई -4

कुंए की खुदाई के उपयोग के लिए किसी कम्प्रेसर युक्त मोटर ट्रक या ट्रैक्टर पर वर्ग 2 या वर्ग 3 के 25 किलोग्राम से अनधिक विस्फोटक, 200 से अनधिक विद्युत या सामान्य डेटानेटर्स, 100 मीटर से अनधिक डिटोनेटिंग फ्यूज और 200 से अनधिक सूरक्षा फ्यूज के कब्जे के लिए और उसका अभिवहन करने के लिए अनुज्ञप्ति।

(विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची 4 के भाग 1 का अनुच्छेद 4 देखें)

अनुज्ञप्ति सं.

वार्षिक फीस रूपए

अनुज्ञप्ति या अधिभोगी के हस्ताक्षर सहित फोटोग्राफ के लिए स्थान

1. एतद्द्वारा नाम

पता..... को अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति

3. अनुज्ञप्ति विस्फोटकों के निम्नलिखित किस्मों और मात्रा के लिए विधिमान्य है:

(नाम, विवरण, वर्ग, प्रभाग, उप प्रभाग, मात्रा, एक समय में
.....
.....)

4. निम्नलिखित रेखाचित्र (रेखाचित्रों) से अनुज्ञप्त परिसर की पुष्टि होती है:

5. कम्प्रेसरयुक्त मोटर ट्रक या ट्रैक्टर की विशिष्टियां

(क) रिजिस्ट्रीकरण संख्यांक

(ख) मार्क और माडल

6. समय-समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उनके अधीन विरचित विस्फोटक नियम, 2008 के उपबंधों और शर्तों, अतिरिक्त शर्तों और निम्नलिखित उपाबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

(1) उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यथा कथित रेखाचित्र (स्थान सन्निर्माण संबंधी और अन्य विवरण दर्शित करते हुए)

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुज्ञप्ति की शर्तें।

7. यह अनुज्ञप्ति तारीख 31 मार्च 20..... तक विधिमान्य रहेगी।

यह अनुज्ञप्ति, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई अधिक्रमण करने या यदि अनुज्ञप्त परिसर योजना या उससे संलग्न उपबंध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित या प्रतिसंहत की जा सकती है।

तारीख..... 20.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा

[जिला मजिस्ट्रेट]।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर दंडिक अपराध होगा।

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति ऊपर वर्णित विशिष्ट ट्रैक्टर-कंप्रेसर के लिए ही वैध होगी।

2. कंप्रेसरयुक्त मोटर ट्रक या ट्रैक्टर की विस्फोटक नियम 2008 की अनुसूची 7 में विनिर्देश 5 के साथ पूर्ण-रूपेण पुष्टि की जाएगी।

3. कंप्रेसरयुक्त मोटर ट्रक या ट्रैक्टर में हमेशा यह अनुज्ञप्ति या उसकी अधिप्रमाणित प्रति रखी जाएगी और निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत किया जाएगा।

4. कंप्रेसरयुक्त मोटर ट्रक या ट्रैक्टर का उपयोग, इस अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत वस्तुओं से अन्यथा किसी भी अन्य ज्वलनशील और खतरनाक सामग्री के परिवहन के लिए नहीं किया जाएगा।

5. कंप्रेसरयुक्त मोटर ट्रक या ट्रैक्टर पर धुम्रपान करने, आग, कृत्रिम प्रकाश अथवा किसी भी अन्य ऐसी वस्तु की अनुमति नहीं होगी जिससे आग लगने की संभावना हो।

6. कंप्रेसरयुक्त मोटर ट्रक या ट्रैक्टर का, विशेषकर उसकी कम्प्रेसर फिटिंग्स जैसे, सेफ्टी वाल्व, लिमिटिंग प्रेशर स्विच और प्रेशर गेज का रख-रखाव इस प्रकार किया जायेगा कि वे अच्छी कार्यकरण दशा में रहें और सही प्रचालन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार उसकी जांच की जाएगी।

7. (i) विस्फोटकों को अनुज्ञप्त मैगजीन से प्राप्त किया जाएगा और कुंए खोदने में उनका उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाएगा तथा यदि दिन के समय कार्य को पूरा करने में अस्वभाविक विलंब होता है तो उसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को दी जाएगी।

(ii) विस्फोटकों की प्राप्ति और उनके उपयोग के संबंध में सूचना इस अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न अभिलेख-शीट में अभिलिखित की जाएगी। प्राप्त किए गए तथा उपयोग किए गए विस्फोटकों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसका पृष्ठांकन स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

8. वर्ग 2 अथवा 3 के विस्फोटकों तथा वर्ग 6, प्रभाग 2 के डेटोनेटिंग फ्यूज एक लकड़ी के बक्से में रखे जाएंगे। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किए गए प्रकार के दोनों बक्सों को ताला बंद करके उन दो अलग-अलग स्टील के बक्सों में रखा जाएगा जो कंप्रेसरयुक्त मोटर ट्रक या ट्रैक्टर में फिक्स किए गए हों। इन बाहरी बक्सों को भी ताला बंद कर दिया जाएगा। विस्फोटकों को न तो बारूद का लेप लगाया जाएगा और न ही बारूद का लेप लगाए गए विस्फोटकों को कंप्रेसरयुक्त मोटर ट्रक या ट्रैक्टर में रखा जाएगा।

9. संपीडक मढ़े हुए मोटर ट्रक या ट्रैक्टर के चलने के समय, तालाबंद लकड़ी के बक्सों को यान से हटाया जाएगा और सुरक्षा के अधीन एकांत स्थान पर रखा जाएगा। उच्च विस्फोटक और डेटोनेटर्स के दो बक्सों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी होगी और 15 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी प्रकार की अग्नि और धुआं नहीं छोड़ा जाएगा। स्थान विस्फोट वाले स्थान से पर्याप्त दूरी पर और सुरक्षित होगा।

10. (i) सभी छिद्रों को ड्रिल करने के पश्चात् ड्रिल करने में लगे व्यक्ति स्थल से हट जाएंगे और ड्रिल उपस्करों को संपीडक मढ़े मोटर या ट्रैक्टर में वापस रख दिया जाएगा।

(ii) छिद्रों के विस्फोटन के लिए अपेक्षित विस्फोटक अलग रखे जाएंगे और बचे हुए विस्फोटक संपीडक मढ़े हुए मोटर ट्रक अथवा ट्रैक्टर पर जुड़े हुए इस्पात के बक्सों में वापस रख दिए जाएंगे और यान को दूर ले जाया जाएगा।

(iii) अलग रखे हुए विस्फोटकों को शाट फायर द्वारा विस्फोटन के लिए तैयार किया जाएगा। ड्रिल छिद्रों को परिवेश ताप तक ठंडा करने के लिए पर्याप्त समय, जो किसी भी दशा में तीस मिनट से कम न हो अनुज्ञात किया जाएगा। शिखी कारतूसों को ड्रिल छिद्रों में रखा जाएगा और संबंधन की चांट शाट फायरकर्ता द्वारा की जाएगी। विद्युत विस्फोटक प्रेरक द्वारा विस्फोटन के लिए उपयोग की गई विस्फोटित की कुंजी छिद्र भरण करने के दौरान शाट फायरकर्ता के पास रखी

जाएगी।

(iv) शाटों को फायर किए जाने का कार्य, शाट फायरकर्ता द्वारा, विद्युत द्वारा फायर किए जाने की दशा में सुरक्षा के अधीन की सुरक्षित दूरी से कम से कम 30 मी. किया जाएगा और सुरक्षा फ्यूज द्वारा फायर किए जाने की दशा में, फ्यूज की पर्याप्त लंबाई का उपयोग किया जाएगा कि वह विस्फोटन स्थल से सुरक्षित दूरी तक हट सके।

(v) शाट फायर करने से पूर्व, चिल्लाकर या सीटी बजाकर और लाल झंडियों द्वारा चेतावनी दी जाएगी और शाट फायरकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि विस्फोटन स्थल से सुरक्षित दूरी तक हट सके।

11. शाट फायरकर्ता पर्याप्त समय देने के पश्चात्, जो शाटों को फायर किए जाने के पश्चात् 30 मिनट से कम न हो, यह सुनिश्चित करेगा कि सभी छिद्र फायर कर दिए गए हैं। शाट फायरकर्ता द्वारा विस्फोटन स्थल की जांच कर लेने के बाद ही किसी अन्य व्यक्ति को उक्त स्थल पर जाने की अनुमति होगी।

12. संपीडक मढ़े हुए मोटर ट्रक या ट्रैक्टर में किसी भी समय ड्राइवर और शाट फायरकर्ता, जिनके पास क्रमशः विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति और शाट फायरकर्ता परमिट हो, के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा।

13. अनुज्ञप्तिधारी को पहले ही निकटतम पुलिस स्टेशन को ऐसे स्थान की सूचना देनी होगी जहां कुआं खोदने के लिए विस्फोट किया जाना है।

14. (i) जब संपीडक मढ़े हुए मोटर ट्रक या ट्रैक्टर का दिन या रात में उपयोग न हो तब इसके चारों ओर कम से कम 45 मीटर की सुरक्षित दूरी रखते हुए, इसे पूरी तरह से रखवाली के अधीन खुले स्थल पर खड़ा किया जाएगा। यान के 15 मीटर के भीतर किसी प्रकार की अग्नि अथवा धुआं नहीं आने दिया जाएगा।

(ii) संपीडक मढ़े हुए मोटर ट्रक या ट्रैक्टर में जुड़े हुए बक्सों जिनमें विस्फोटक है, जहां तक साध्य हो, तिरपाल से ढक कर धूप और वर्षा से बचाया जाएगा।

(iii) निकटतम पुलिस स्टेशन या चौकी को ऐसे स्थान की सूचना दी जाती रहेगी, जहां रात में यान को खड़ा किया जाएगा।

15. कोई भी दुर्घटना और सभी क्षतियों, स्टाक की कमी और विस्फोटकों की चोरियों की सूचना अविलंब निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी को दी जाएगी।

16. अनुज्ञप्तिधारी और शाट फायरकर्ता चार्जज तैयार करने, छिद्रों के चार्जेज और शाटों के फायर करने के लिए उत्तरदायी होंगे और वे विस्फोटकों के कारण अग्नि और दुर्घटनाओं के प्रति सभी प्रकार की सावधानी बरतेंगे।

17. कोई भी व्यक्ति छिद्र की भराई या इसकी सीधी टेक बंदी के लिए लोहे अथवा इस्पात की औजार खुरचनी अथवा ठोकनी का प्रयोग नहीं करेगा और न ही वह अपर्याप्त आकार के छिद्र में विस्फोटक को जबरदस्ती डालने का प्रयास करेगा। केवल लकड़ी से बनी हुई ठोकनी का ही प्रयोग किया जाएगा।

18. विस्फोटन चार्ज का विस्फोटन करने से पूर्व पर्याप्त उपाय किए जाएंगे ताकि विस्फोटन चार्ज के विस्फोट से पत्थर के टुकड़ों के प्रक्षेपण को यथासंभव रोका जा सके।

19. कोई भी व्यक्ति एक बार चार्ज किए गए छिद्र का पुनः बोर अथवा इससे छेड़छाड़ नहीं करेगा अथवा फायरिंग से पूर्व अथवा मिसफायर के उपरांत चार्ज को हटाने अथवा विस्फोटन के उपरांत खाली छिद्रों अथवा सॉफ्टों को गहरा करने अथवा उनसे छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगा।

20. मैगजीन का अनुज्ञापितधारी समय-समय पर विहित प्रोफार्मा में उस जिला मजिस्ट्रेट, अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को, जिसकी अधिकारिता के भीतर मैगजीन स्थित है, प्ररूप आरई-6 में एक विवरण प्रत्येक मास के अन्त में प्रस्तुत करेगा जिससे वह उपर्युक्त प्राधिकारियों को अगले मास की 10 तारीख तक पहुंच जाए।

21. अनुज्ञापितधारी और कर्मचारी परिसर के भीतर आपात काल के दौरान बरती जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे।

22. किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को अनुज्ञप्त परिसरों पर सभी युक्तियुक्त समयों पर पहुंच प्राप्त होगी और ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सुविधा दी जाएगी कि अधिनियम के उपबंधों और इन नियमों और सुरक्षा शर्तों का सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

23. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित रूप में कोई सूचना देकर अनुज्ञापितधारी से ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने की मांग करता है जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अस्वीकार्य जाखिम प्रदर्शित कर सकती है और व्यक्तियों की स्थल पर या स्थल से बाहर सुरक्षा के लिए आवश्यक है तो अनुज्ञापितधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

24. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की हानि, कमी या चोरी के बारे में निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय में तुरन्त रिपोर्ट की जाएगी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी [जिला मजिस्ट्रेट]

के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा

संपीडक चढ़े हुए मोटर ट्रक या ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन सं. के लिए अनुज्ञप्ति सं. से संलग्न अभिलेख शीट।

मैगजीन से विस्फोटकों की प्राप्ति

तारीख	अनुज्ञापितधारी का नाम, स्थान और अनुज्ञप्ति सं.	प्राप्त की गई मात्रा	मैगजीन अनुज्ञापितधारी अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर
-------	--	----------------------	---

विस्फोटकों का उपयोग

तारीख	उपयोग का स्थान	विस्फोट किए गए छिद्रों की संख्या	उपयोग की गई मात्रा	टिप्पणियां	उस कुएं के स्वामी के हस्ताक्षर जहां विस्फोटक उपयोग किए गए	संपीडक चढ़े हुए मोटर ट्रक/ ट्रैक्टर के अनुज्ञापितधारी अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता अथवा शाट फायरकर्ता के हस्ताक्षर	स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि
-------	----------------	----------------------------------	--------------------	------------	---	--	----------------------------------

अनुज्ञप्ति प्ररूप एल ई -5

[विस्फोटक नियम 2008 की अनुसूची IV के भाग 1 का अनुच्छेद 5(क) से (च) देखें]

(क) किसी एक समय में 25 किलोग्राम छोटे आयुध नाइट्रो-योगिक कब्जे में रखने और किसी दुकान पर उसका विक्रय करने के लिए ;

या

(ख) किसी एक समय में 100 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 7, प्रभाग 2, उपप्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजियां और 500 किलोग्राम

चाइनीज पटाखे और फुलझड़ी कब्जे में रखने और दुकान पर उनके विक्रय के लिए ;

या

(ग) किसी एक समय में 2000 से अनधिक प्रभाग 1 वर्ग 6 के आतिशबाजी युक्त विस्फोटक का कब्जा रखने और उसका विक्रय करने के लिए ;

या

(घ) बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु राज्यों में 5 किलोग्राम से अनधिक बारूद या 50 मीटर से अनधिक सुरक्षा पलीते प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए ;

या

(ड) केरल राज्य में 5 किलोग्राम से अनधिक छोटे आयुध नाइट्रोजनयुक्त प्रयोग के लिए कब्जे में रखने हेतु;

या

(च) 100 किलोग्राम से अनधिक किंतु 300 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 7 प्रभाग 2, उपप्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजियां और 300 किलोग्राम से अधिक किंतु 1200 किलोग्राम से अनधिक फुलझड़ियों का कब्जा रखने और दुकान पर विक्रय करने; धारी के लिए अनुज्ञप्ति।

अनुज्ञप्ति सं.

अनुज्ञप्तिधारी या अधिभोगी

वार्षिक फीस रूपए

के हस्ताक्षर सहित

फोटोग्राफ के लिए स्थान

1.नाम

पता

को अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विधिमान्य है:

.....

4. अनुज्ञप्ति विस्फोटकों के निम्नलिखित किस्मों और मात्रा के लिए विधिमान्य है:

(नाम, विवरण, वर्ग, प्रभाग, उप प्रभाग एक समय में मात्रा)

.....

5. निम्नलिखित रेखाचित्र (रेखाचित्रों) से अनुज्ञप्त परिसर की पुष्टि होती है:

रेखाचित्र..... तारीख

रेखाचित्र..... तारीख

रेखाचित्र..... तारीख

रेखाचित्र..... तारीख

6. अनुज्ञप्त परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है :

.....

पुलिस थाना

जिला..... राज्य पिनकोड

दूरभाष ईमेल फैक्स

7. अनुज्ञप्त परिसर निम्नलिखित सुविधाएं अंतर्विष्ट है :

.....

8. यह अनुज्ञप्ति समय समय पर यथासंशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उसके अधीन विरचित विस्फोटक नियम, 2008 के उपबंधों और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा संलग्नकों के अधीन अनुदत्त की जाती है।

(1) उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यथा कथित रेखाचित्र (स्थान, सन्निर्माण और अन्य विवरण दर्शित करते हुए)।

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुज्ञप्ति की शर्तों।

9. यह अनुज्ञप्ति नियम 84 के अधीन जारी उस अस्थायी अनुज्ञप्ति के सिवाय, जिसके लिए अधिकतम अवधि जारी करने की

तारीख से 15 दिन की होनी चाहिए तारीख 31 मार्च 20 तक विधिमान्य रहेगी।

यह अनुज्ञप्ति अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या एसईटी-X से एसईटी-XV के अधीन यथा उपवर्णित इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई अधिक्रमण करने या यदि अनुज्ञप्त परिसर योजना या उससे संलग्न उपबंध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित या प्रतिसंहत की जा सकती है, जहां वह लागू हो।

तारीख.....20.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा

[अनुच्छेद 5(क) से 5(ड) के लिए जिला मजिस्ट्रेट]

[अनुच्छेद 5(च) के लिए विस्फोटक नियंत्रक]

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर दंडिक अपराध होगा।

(2) भावी मानव जाति के स्वास्थ्य और अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक।

प्ररूप एलई-6

(विस्फोटक नियम 2008 की अनुसूची IV के भाग 1 का अनुच्छेद 6 देखें।)

सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आतिशबाजी रखने और उसका उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं.

अनुज्ञप्तिधारी या अधिभोगी

वार्षिक फीस रूपए

के हस्ताक्षर सहित

फोटोग्राफ के लिए स्थान

1. नाम.....

पता

को अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति:

.....

3. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्ति विधिमान्य होगी:

.....

4. अनुज्ञप्ति परिसर की निम्नलिखित रेखाचित्र (रेखाचित्रों) द्वारा की जाएगी :

रेखाचित्र सं. तारीख

रेखाचित्र सं. तारीख

रेखाचित्र सं. तारीख

रेखाचित्र सं. तारीख

रेखाचित्र सं. तारीख

(हस्ताक्षर के लिए स्थान)

5. अनुज्ञप्त परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है :

.....

पुलिस थाना

जिला..... राज्य पिनकोड

दूरभाष ईमेल फैक्स

6. समय-समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उनके अधीन विरचित विस्फोटक नियम, 2008 के

उपबंधों और शर्तों, और निम्नलिखित उपाबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

(1) उपर्युक्त क्रम सं. 44 में यथा कथित रेखाचित्र (स्थान, सन्निर्माण और अन्य विवरण दर्शित करते हुए)।

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुज्ञप्ति की शर्तें और अतिरिक्त शर्तें।

7. यह अनुज्ञप्ति तारीख.....20..... तक विधिमान्य रहेगी (अधिकतम एकमास)।

यह अनुज्ञप्ति, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का अधिक्रमण करने या यदि अनुज्ञप्त परिसर योजना या उससे संलग्न उपबंध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित या प्रतिसंहत की जा सकती है।

तारीख..... 20

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा
[जिला मजिस्ट्रेट]

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उसका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर दंडिक अपराध होगा।

शर्तें

(1) अनुज्ञप्तिधारी आतिशबाजी का प्रदर्शन करने से कम से कम सात दिन पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचना देगा,

(क) वह समय और स्थान जिस पर सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा;

(ख) प्रदर्शन में प्रयुक्त होने वाली सार्वजनिक प्रदर्शन आतिशबाजियों की किस्में;

(ग) प्रदर्शन में प्रयोग किए जाने वाली आतिशबाजियों के प्रदायकर्ता का नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्यांक;

(घ) उस व्यक्ति का नाम, पता और अनुभव जो प्रदर्शन का पर्यवेक्षण करेगा।

(2) आतिशबाजी को केवल ऐसे स्थानों पर भंडारित किया जाएगा जो इस अनुज्ञप्ति से सम्बद्ध रेखांक में दर्शित हैं।

(3) दर्शकों और उस स्थान के बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी रखी जाएगी जहां प्रदर्शन किया जाना है।

(4) केवल प्राधिकृत आतिशबाजी का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे आतिशबाजी को सीधे उन व्यक्तियों से क्रय किया जाए जिन्हें ऐसी आतिशबाजी का विनिर्माण करने के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है।

(5) प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए आतिशबाजियां प्रदर्शन के स्थान पर एकत्र की जाएंगी।

(6) किसी भी आतिशबाजी में क्लोरेट या प्रतिषिद्ध विस्फोटक मिश्रण अंतर्विष्ट नहीं होगा।

(7) उस समय आतिशबाजी का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा जब वायु की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है या दर्शकों पर नियंत्रक नहीं रह जाता है।

(8) आतिशबाजी के बनाए जाने और प्रदर्शन के लिए कम से कम व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा। स्थल का निरंतर पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए और नियोजित व्यक्तियों को संरक्षक वस्त्र, कर्णरक्षक, सुरक्षा चश्में और अन्य रक्षा युक्तियां धारण करनी चाहिए।

(9) एक बार आतिशबाजी को स्थल पर ले जाया जाता है तो स्थल को अंशरक्षित रूप में नहीं छोड़ जाएगा।

(10) किसी तम्बू ट्रेलर यान की कैनवेस ओट के 15 मीटर के अंतर या उसके पास नहीं जलाया जाएगा।

(11) किसी भी आतिशबाजी को किसी अस्पताल, परिचर्या गृह, विद्यालय से 250 मीटर के अंदर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि स्थानीय प्राधिकारियों से और उसके स्वामी या अभिकर्ता से सहमति प्राप्त न कर ली गई हो।

(12) अग्नि शमन सेवा प्राधिकारियों के परामर्श से पर्याप्त अग्निशमन उपस्कर, प्राथमिक उपचार और संधिधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(13) प्रदर्शन के पश्चात् अपशिष्ट और अन्य वस्तुओं आदि को सावधानीपूर्वक एकत्रित किया जाएगा, उन्हें स्थल से हटा कर किसी सक्षम प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्यक् सावधानी बरतते हुए जला कर नष्ट कर दिया जाएगा।

(14) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का या जिस रूप में वे अन्यथा लागू हो, अनुपालन करेगा।

(15) ऐसे किसी क्षेत्र से, जहां आतिशबाजी बिछाई गई हो, पन्द्रह मीटर के भीतर कोई विद्युत तार नहीं रहने दिया जाएगा।

(16) प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त लोहे की मार्टरों की आधी लंबाई को जमीन में गाड़ा जाएगा। एक ही आकार के मार्टरों को इस प्रकार समूहबद्ध किया जाना चाहिए कि वे परस्पर 50 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर न हो विभिन्न आकार के मार्टरों के समूह परस्पर कम से कम 10 मीटर दूरी पर रखे जाने चाहिए। मार्टरों या फ्रेमों को भूमि से भली प्रकार बद्ध कर दिया जाएगा।

टिप्पण : कार्डबोर्ड या पर्याप्त क्षमता के कागज से बनाए गए मार्टरों का उपयोग शंख के आकार में किया जा सकेगा।

(17) प्रदर्शन प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि आतिशबाजी सुरक्षित क्षेत्र में छुड़ाई जाए और उसका मलबा भी ऐसे ही क्षेत्र में गिरे।

(18) केवल फायर करने के प्रयोजन के सिवाय कोई भी दियासलाईयां, बत्तियां या कोई ज्वलनशील या परिसंकटमय प्रकृति की वस्तु जिससे अग्नि लग सकती हो या विस्फोट हो सकता हो, अनुज्ञप्त परिसरों में न तो लाई जाएगी और न रखी जाएगी।

(19) प्रदर्शन के प्रयुक्त मार्टरों के सिवाय लोहे या इस्पात के बने औजारों, उपकरणों आदि को किसी भी समय परिसरों में नहीं रखा जाएगा और अनुज्ञप्त परिसर पर मौजूद किसी भी व्यक्ति के कब्जे में अथवा उसके बूटों या जूतों में कोई लोहा या इस्पात लगा नहीं होगा।

(20) अनुज्ञप्तिधारी प्राप्त किए गए, प्रयुक्त किए गए हाथ में और भंडार की गई आतिशबाजी का अभिलेख और लेखा रखेगा।

(21) अनुज्ञप्तिधारी भंडारकरण और प्रदर्शन के स्थान पर प्रवृत्त स्थानीय उपविधियों का पालन करेगा और जब कभी अपेक्षित हो, उसके लिए आवश्यक अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा।

(22) अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् शेष बचे विस्फोटकों की किस्मों और मात्राओं की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को दी जाएगी और अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विस्फोटकों के निपटारे की बाबत ऐसे प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करेगा।

(23) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को लिखित सूचना द्वारा ऐसा कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने का निदेश देता है जो ऐसे प्राधिकारी की राय में परिसरों या उसमें काम करने वाले व्यक्तियों या दर्शकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे गए हैं, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, निष्पादित करेगा।

(24) अनुज्ञप्तिधारी और उसके कर्मचारी आपातकाल के दौरान परिसर के भीतर ली जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे।

(25) अनुज्ञप्ति परिसरों पर निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अवधि पहुंच प्राप्त होगी और यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अधिकारी को प्रत्येक सुविधा दी जाएगी कि अधिनियम और नियमों के उपबंधों का तथा इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक्तः अनुपालन हो रहा है।

(26) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारक को लिखित में अनुज्ञप्त परिसर या मशीनरी या औजारों या सात्रिधियों में कोई ऐसी मरम्मत परिवर्धन या परिवर्तन करने या ऐसी सिफारिशों को पूरा करने के लिए सूचित करता है जिसमें ऐसे प्राधिकारी की राय में उससे अवांछनीय जोखिम पैदा हो सकता और इस प्रकार यह परिसर के बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है तो अनुज्ञप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

(27) अग्नि या विस्फोटक द्वारा दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की हानि, उनमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत दी जाएगी।

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा
[जिला मजिस्ट्रेट]

अनुज्ञप्ति प्ररूप सं. एलई-7

सड़क वैन में विस्फोटकों के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति
(विस्फोटक नियम 2008 की अनुसूची IV के भाग 1 का अनुच्छेद 7 देखें।)

अनुज्ञप्ति सं. अनुज्ञप्तिधारी या अधिभोगी
वार्षिक फीस रूपए के हस्ताक्षर सहित
फोटोग्राफ के लिए स्थान

1. नाम
(पता)

को अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति :
.....

3. सड़क वैन की विशिष्टियां :

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक

(ख) यान का मार्क और माडल

(ग) लदान रहित वजन

(घ) अधिकतम लदान सहित वजन

(ङ) परिवहन के लिए अनुज्ञेय विस्फोटकों की अधिकतम मात्रा
.....

4. अनुज्ञप्त परिसरों की निम्नलिखित रेखाचित्र (रेखाचित्रों) से पुष्टि होती है

रेखाचित्र सं. तारीख

5. समय-समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उनके अधीन विरचित विस्फोटक नियम, 2008 के उपबंधों और शर्तों और निम्नलिखित उपाबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

(1) उपर्युक्त क्रम सं. 4 में यथा कथित सड़क वैन का रेखाचित्र।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शर्तें।

6. यह अनुज्ञप्ति तारीख 31 मार्च 20.....तक विधिमान्य रहेगी

यह अनुज्ञप्ति, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का को अधिक्रमण करने या यदि अनुज्ञप्त परिसर योजना या उससे संलग्न उपबद्धों में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित या प्रतिसंहत या को जा सकती है।

तारीख.....20.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा
[विस्फोटक यंत्रक]।

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर दंडिक अपराध होगा।

शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति किसी अन्य सड़क वैन को अंतरणीय नहीं है।
2. यान, उसकी बाडी और अन्य फिटिंगों में कोई भी परिवर्तन अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाना चाहिए।

3. इस अनुज्ञप्ति या उसकी अधिप्रमाणित प्रति सभी समयों पर वैन में रखी जाएगी, और निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसे प्रस्तुत की जाएगी।

4. सड़क वैन का विस्फोटकों के परिवहन के लिए तब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ठीक हालत में नहीं है और विस्फोटक नियमों, 2008 का अनुपालन नहीं करती है।

5. सड़क वैन का प्रयोग इस अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत सामग्री से भिन्न किसी सामग्री के परिवहन के लिए तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने लिखित अनुज्ञा न दे दी हो।

6. सड़क वैन पर धूम्रपान नहीं किया जाएगा और न उस पर को अग्नि या कृत्रिम बत्ती या कोई ऐसी वस्तु अनुज्ञात की जाएगी जिससे आग लग सकती हो।

7. यान का प्रयोग यात्रियों के वहन के लिए नहीं किया जाएगा।

8. जिस समय सड़क वैन पर विस्फोटकों की लदाई या उतराई या परिवहन किया जा रहा हो उस समय सड़क वैन ऐसे किसी सक्षम व्यक्ति के भारसाधन में होगा जिसे विस्फोटकों की धार-उठाई करने का अनुभव है और जो उनसे पूर्णतः परिचित है। जहाँ यान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न चलाया जा रहा हो वहाँ एक ऐसा दस्तावेज, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर हो और उन व्यक्तियों का नाम दर्ज हो जिन्हें यान को चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, वैन के साथ ले जाया जाएगा और किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसे पेश किया जाएगा।

9. सड़क वैन में किन्हीं विस्फोटकों का परिवहन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वे विस्फोटक नियमों के अनुसार या मुख्य नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में, पैक न कर दिए गए हों।

10. विस्फोट प्रेरकों का किन्हीं अन्य विस्फोटकों के साथ परिवहन नहीं किया जाएगा।

11. यदि सड़क वैन में कोई टूट फूट हो जाती है या वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या उसमें आग लग जाती है या विस्फोट हो जाता है अथवा सड़क वैन इनमें किसी से अंतर्ग्रस्त हो जाती है तो इस तथ्य की रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को, ऐसी टूट फूट, दुर्घटना, अग्नि या विस्फोट की पूरी रिपोर्ट के साथ, तुरंत दी जाएगी। यदि ऐसी दुर्घटना, अग्नि या विस्फोट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या किसी व्यक्ति या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचती है तो उसकी रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन को तुरंत की जाएगी।

12. विस्फोटकों को वैन में परेषक के अनुज्ञप्त परिसरों पर ही लादा जाएगा और परेषिती के अनुज्ञप्त परिसरों पर ही वैन से उतारा जाएगा।

13. अनुज्ञप्तिधारी परिवहन विस्फोटकों का लेखा प्ररूप आर्ड-5 में रखेगा और निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा।

14. अनुज्ञप्तिधारी और कर्मचारी परिसरों के भीतर आपात के दौरान की जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे।

15. किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में अबाध पहुंच प्रदान की जाएगी और यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों तथा सुरक्षा संबंधी शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है, उस अधिकारी को प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

16. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या विस्फोटक नियंत्रक लिखित में अनुज्ञप्तिधारक को ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम प्रदर्शित कर सकती हैं और व्यक्तियों की स्थल पर या स्थल से बाहर सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, सूचित करता है तो अनुज्ञप्तिधारक उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

17. अग्नि या विस्फोटक के कारण होने वाली दुर्घटना और विस्फोटकों की हानि, कमी या चोरी के बारे में निकटतम पुलिस

स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय में तुरंत रिपोर्ट की जाएगी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा।

अनुज्ञप्ति प्ररूप एलई-8

विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची IV भाग 1 का अनुच्छेद 8 भूमि द्वारा से अन्यथा विस्फोटकों के आयात या निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं..... अनुज्ञप्तिधारी या अधिभोगी
वार्षिक फीस रूपए..... के हस्ताक्षर सहित
फोटोग्राफ के लिए स्थान

1. अनुज्ञप्ति.....नाम.....

पता.....को अनुदत्त की जाती है।

2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति :

.....

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित प्रयोजन के लिए विधिमान्य होगी:

.....

4. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित प्रकारों और मात्रा के विस्फोटकों के लिए विधिमान्य होगी:

(क) आयात के लिए

विस्फोटकों और परेषिती का वर्णन :

विस्फोटको का नाम, वर्ग और प्रभाग	भार किलोग्राम में या संख्या या मीटर	पैकेजों की संख्या	उस परेषिती का नाम और पता जहां से विस्फोटक आयात किए जाएंगे	परेषिती के मैगजीन या भंडारगृह की अनुज्ञप्ति संख्या	आयात करने वाले पत्तन का नाम	आयात करने की रीति
-------------------------------------	--	-------------------	--	--	--------------------------------	-------------------

(ख) निर्यात के लिए

विस्फोटकों और परेषिती का वर्णन :

विस्फोटको का नाम, वर्ग और प्रभाग	भार किलोग्राम में या संख्या या मीटर	पैकेजों की संख्या	परेषिती का नाम और पता	आयात करने वाले पत्तन का नाम	आयात करने की रीति
-------------------------------------	--	-------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------

5. अनुज्ञप्ति, समय-समय पर यथा संसोधित विस्फोटक नियम 1884 उसके अधीन विरचित विस्फोटकों नियम, 2008 के उपबंधों और शर्तों तथा निम्नलिखित उपाबंधों के अधीन रहते हुए अनुदत्त की जाती है।

1. (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शर्तें

(2)

6. यह अनुज्ञप्ति..... (जारी किए जाने की तारीख से अधिकतम छह मास) तक विधिमान्य रहेगी।

यह अनुज्ञप्ति, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने पर या यदि अनुज्ञप्ति परिसर इससे संलग्न योजनाओं और उपाबंध में दर्शित विवरणों के अनुरूप न पाए जाने पर निलंबित या अभिर्खंडित कर दिया जाएगा।
.....20.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा

[मुख्य नियंत्रक]

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर दंडिक अपराध होगा।

शर्तें

1. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञात विस्फोटकों से भिन्न किन्हीं विस्फोटकों का आयात नहीं किया जाएगा।

2. आयातित विस्फोटकों की मात्रा, इस अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत मात्रा से अधिक नहीं होगी।

3. इस अनुज्ञप्ति के अधीन आयातित सभी विस्फोटकों को विस्फोटक नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार पैक और चिन्हांकित किया जाएगा।

4. किसी ऐसे पोत या नाव या वायुयान को, जिसमें इस अनुज्ञप्ति के आधार पर आयातित विस्फोटक हैं, इस अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत किसी पत्तन तक नहीं लाया जाएगा या उसे नहीं बांधा जाएगा और ऐसा कोई विस्फोटक ऐसे किसी पत्तन पर किसी पोत

5. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति में उल्लिखित आयात के पत्तन पर प्रवृत्त सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा।

6. ऐसे पोत या नाव या वायुयान का, जिस पर इस अनुज्ञप्ति के आधार पर विस्फोटकों का आयात किया है, स्वामी या मास्टर किसी निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अथवा ऐसे सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा, जिसकी आयात के स्थान पर अधिकारिता है, अपेक्षा की जाने पर ऐसे प्राधिकारी को इस प्रकार आयातित किसी विस्फोटक के नमूनों की परीक्षा करने के लिए नमूने लेने देगा।

7. जैसे ही स्थान या पत्तन से विस्फोटक की निकासी हो जाती है और भंडारकरण के लिए से मैगेजीन या भंडारगृह को प्रेषित कर दिया जाता है वैसे अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप आरई-9 में आयातकर्ता-अभिवहन- अनुसूची को पूरा करेगा और उसे मुख्य नियंत्रक को अग्रेषित करेगा।

8. विस्फोटक को पत्तन से सीधे अनुज्ञप्ति में उल्लिखित विभिन्न परेक्षितियों को प्रेषित किया जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व व्यवस्था करेगा कि विस्फोटक किसी स्थान पर रुके नहीं।

9. यदि आयातित विस्फोटक वर्ग 3 या वर्ग 4 के हैं तो उन्हें पोत या नाव से तब तक नहीं उतारा जाएगा जब तक ऐसे विस्फोटकों का परीक्षण नहीं कर लिया जाता और जब तक कि मुख्य नियंत्रक या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत विस्फोटक नियंत्रक उनके उतारे जाने की अनुज्ञा नहीं दे देता।

10. अनुज्ञप्तिधारी और कर्मचारी परिसरों के भीतर आपात के दौरान की जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे।

11. किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में अबाध पहुंच प्रदान की जाएगी और यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों तथा सुरक्षा संबंधी शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है, उस अधिकारी को प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

12. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या विस्फोटक नियंत्रक लिखित में अनुज्ञप्तिधारक को ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम प्रदर्शित कर सकती है और व्यक्तियों की स्थल पर या स्थल से बाहर सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सूचित करता है तो अनुज्ञप्तिधारक उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

13. अग्नि या विस्फोटक के कारण होने वाली दुर्घटना और विस्फोटकों की हानि, कमी या चोरी के बारे में निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय में तुरंत रिपोर्ट की जाएगी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा।

[मुख्य विस्फोटक नियंत्रक]

अनुज्ञप्ति प्ररूप एल ई-9 विशेष

विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची IV भाग 1 का अनुच्छेद 9 देखें ऐसे विस्फोटकों का, जिनकी बाबत अनुसूची IV भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 8 में उपबंध नहीं है विनिर्माण, विक्रय उपयोग आदि के लिये

अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं.....
वार्षिक फीस रूपए.....

अनुज्ञप्तिधारी या अधिभोगी
के हस्ताक्षर सहित

फोटोग्राफ के लिए स्थान

1. (नाम).....पता.....
.....को अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

2. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति :

3. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित प्रयोजन के लिए विधिमान्य होगी:

4. अनुज्ञप्ति विस्फोटकों के निम्नलिखित किस्मों और मात्रा के लिए विधिमान्य है:

(नाम, विवरण, वर्ग, प्रभाग, उप प्रभाग, एक समय में मात्रा)

5. अनुज्ञप्ति परिसर की निम्नलिखित रेखाचित्र (रेखाचित्रों) द्वारा पुष्टि की जाएगी :

रेखाचित्र सं..... तारीख

रेखाचित्र सं..... तारीख

रेखाचित्र सं..... तारीख

रेखाचित्र सं..... तारीख

रेखाचित्र सं..... तारीख

(हस्ताक्षर के लिए स्थान)

6. अनुज्ञप्त परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है :

पुलिस थाना

जिला.....राज्य पिनकोड.....

दूरभाष..... ईमेल.....फैक्स.....

7. अनुज्ञप्त परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं समाविष्ट हैं :

8. समय-समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उनके अधीन विरचित विस्फोटक नियम, 2008 के उपबंधों और शर्तों, और निम्नलिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

(1) उपर्युक्त क्रम सं. 5 में यथा कथित रेखाचित्र (स्थान, सन्निर्माण सम्बन्धी और अन्य विवरण दर्शित करते हुए)।

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुज्ञप्ति की शर्तें।

(3) से दूरी।

9. यह अनुज्ञप्ति तारीख 31 मार्च, 20 तक विधिमाम्य रहेगी।

यह अनुज्ञप्ति, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों, इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का को अधिक्रमण करने या यदि अनुज्ञप्ति परिसर योजना या उससे संलग्न उपाबद्ध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित या प्रतिसंहत की जा सकती है।

तारीख.....20.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा
[मुख्य विस्फोटक नियंत्रक]

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर दंडित अपराध होगा।

शर्तें : (जो मुख्य नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं)

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा
[मुख्य विस्फोटक नियंत्रक]

प्रारूप एल ई-10

शाट फायर कर्ता प्रमाण-पत्र

(अनुसूची IV के भाग 1 का अनुच्छेद 10 देखें)

[विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 107(5) देखें]

(खान अधिनियम, 1952 के अधीन न आने वाले क्षेत्र में विस्फोटक करने के लिए सक्षमता का प्रमाणपत्र)

सं..... अनुज्ञप्तिधारी या अधिभोगी
के हस्ताक्षर सहित
फोटोग्राफ के लिए स्थान

प्रमाणित किया जाता है कि..... (नाम), जिसका जन्म..... (जन्मतिथि) को हुआ था, जो..... (पता) का निवासी है ने.....परीक्षा को संचलन करने वाले प्राधिकारी का नाम) द्वारा तारीख को आयोजित (परीक्षा का नाम) तारीख को उत्तीर्ण कर ली है और वह विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उसके अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए खान अधिनियम, 1852 की परिधि के अधीन आने वाली खानों से अन्यथा क्षेत्र में नीचे यथा उल्लिखित विस्फोटकों का उपयोग करते हुए विस्फोट प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत है। विस्फोट करने के प्राधिकृत वर्ग, प्रवर्ग और प्रकार [नियम 107 का उप-नियम (5) का स्पष्टीकरण देखें]

यह प्रमाणपत्र (जारी करने की तारीख से पांच वर्ष) तक विधिमाम्य होगा।

यह प्रमाण-पत्र, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों अथवा इस प्रमाण-पत्र की शर्तों का कोई अधिक्रमण करने पर या यदि आवेदक द्वारा अपने आवेदन प्रारूप में दी गई सूचना में कोई फर्क

या विचलन होता है तो निलम्बित या अभिखंडित कर दिया जाएगा।

स्थान :

[विस्फोटक नियंत्रक]

तारीख :

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा।

.....
पुनर्विधिमाम्यकरण के लिए पृष्ठांकन

शर्तें

(1) विस्फोटक सामग्री प्राप्त करने, उसके स्वामित्व परिवहन भंडारण, उठाई धराई और उपयोग करने के लिए सभी स्थानीय विधियों और विनियमों का अनुसरण किया जाएगा।

(2) विस्फोटक सामग्री को अप्राधिकृत कब्जे से संरक्षित किया जाएगा तथा उसे परित्यक्त नहीं किया जाएगा।

(3) विस्फोटक सामग्री का उपयोग केवल ऐसे अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो उसमें अंतर्ग्रस्त परिसंकट को जानते हों और जिनके पास अपेक्षित अनुज्ञापत्र हों।

(4) लदाई और फायरिंग या उसका पर्यवेक्षण केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके पास समुचित शाट फायरकर्ता प्रमाणपत्र और विस्फोट के लिए अनुज्ञापत्र हों।

(5) प्रशिक्षार्थी सहायक और अन्य व्यक्ति, जिनके पास अपेक्षित शाट फायरकर्ता प्रमाणपत्र या अनुज्ञापत्र नहीं है, केवल ऐसे अनुज्ञापत्र धारण करने वाले व्यक्तियों के पर्यवेक्षण के अधीन काम करेंगे।

(6) ऐसे स्थान पर कोई विस्फोटक सामग्री अवस्थित या भंडारित नहीं की जाएगी जहां अत्यधिक गर्मी या उसके प्रभाव से उनका विस्फोट हो सकता है।

(7) ऐसे स्थान के 15 मीटर के भीतर धूम्रपान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां विस्फोटकों को जमा किया गया है या उनका उपयोग किया गया है।

(8) कोई व्यक्ति ऐसे स्थान के 15 मीटर के भीतर कोई माचिस, बिजली या अन्य प्रकार की अग्नि या ज्वाला नहीं जलाएगा, जहां विस्फोटक जमा किए गए हैं या उनका उपयोग किया जा रहा है। तथापि इस अपेक्षा से सुरक्षित फ्यूज जलाने के लिए उपयुक्त युक्तियों को छूट प्राप्त होगी।

(9) मादक, शराब, स्वापक या अन्य खतरनाक औषधियों से प्रभावित किसी व्यक्ति को विस्फोटक सामग्री के उपयोग की अनुज्ञा नहीं होगी।

(10) भंडारण मैगजीन और विस्फोट स्थान के बीच परिवहन के दौरान विस्फोटक सामग्री बंद अनुमोदित पात्र या पैकेज में रखे जाएंगे।

(11) विस्फोट करने का शाट फायरकर्ता प्रमाणपत्र और अनुज्ञापत्रधारक द्वारा प्राप्त की गई और फायर की गई या इससे निबटाई गई सभी विस्फोटक सामग्री का दैनिक अभिलेख रखेगा। ऐसा अभिलेख पांच वर्ष तक प्रतिधारित किया जाएगा।

(12) शाट फायरकर्ता और कर्मचारी आपातकाल के दौरान बरती जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे।

(13) शाट फायरकर्ता प्रमाण-पत्र का धारक जो सुरक्षा के हित में नियंत्रक द्वारा समय-समय पर दिए गए उन सभी या किन्हीं निदेशों का पालन करेगा।

(14) अग्नि या विस्फोटक द्वारा दुर्घटनाओं और विस्फोटों की हानि उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने और उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले विस्फोटक नियंत्रक को तुरंत दी जाएगी।

[विस्फोटक नियंत्रक]

प्ररूप एल ई 11


फोरमेन प्रमाण-पत्र

[अनुसूची IV के भाग 1 का अनुच्छेद 11 देखें]

[विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 107(6) देखें]

(आतिशबाजी और सुरक्षा फ्यूज के विनिर्माण के पर्यवेक्षण का सक्षमता प्रमाणपत्र)

सं.



प्रमाणित किया जाता है कि (नाम), जिसका जन्म (जन्म तिथि) को हुआ था, जो (पता) का निवासी है ने (परीक्षा को संचालन करने वाले प्राधिकारी का नाम) द्वारा तारीख को आयोजित (परीक्षा का नाम) तारीख को उत्तीर्ण कर ली है और उसे विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन अनुज्ञप्त किसी कारखाने में के विनिर्माण का पर्यवेक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र (जारी करने की तारीख से पांच वर्ष) तक विधिमन्य होगा।

यह प्रमाण-पत्र, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों अथवा इस प्रमाण-पत्र की शर्तों का कोई अतिक्रमण करने पर या यदि आवेदक द्वारा अपने आवेदन प्ररूप में दी गई सूचना में कोई फर्क या विचलन होता है तो निलम्बित या अभिखंडित कर दिया जाएगा।

[विस्फोटक नियंत्रक]

स्थान :

तारीख :

कानूनी चेतावनी विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गम्भीर अपराध होगा।

पुनर्विधिमन्यकरण के लिए पृष्ठांकन

शर्तें

(1) विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए लागू किए जाने वाली सभी स्थानीय विधियां और विनियम लागू होंगे।

(2) मादक, शराब, स्वापक या अन्य खतरनाक औषधियों से प्रभावित किसी व्यक्ति को विस्फोटक सामग्री के उपयोग की अनुज्ञा नहीं होगी।

(3) इस प्रमाण-पत्र का धारक उन सभी या किन्हीं निदेशों का पालन करेगा जो सुरक्षा के हित में समय-समय पर नियंत्रक द्वारा दिए जाएं।

(4) अग्नि या विस्फोटक द्वारा दुर्घटनाओं विस्फोटकों की हानि या उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने और उन क्षेत्रों पर अधिकारिता रखने वाले विस्फोटक नियंत्रक को तुरन्त दी जाएगी।

[विस्फोटक नियंत्रक]

भाग 4

(विभिन्न अनुज्ञप्तियों की शर्तें)

सेट-1

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुदत्त प्ररूप एल ई-1 [अनुच्छेद 1(क)] में किसी एक समय में 15 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाजी या बारूद अथवा दोनों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति सं. की शर्तें निम्नलिखित हैं:—

1. किसी एक समय में संपूर्ण कारखाने में विस्फोटकों की अधिकतम मात्रा, जिसके अंतर्गत वह सामग्री भी है, जो विनिर्माण की प्रक्रिया और अनुज्ञप्त परिसर में रखी हुई है, एल ई-1 के मद 4 में यथा उल्लिखित से अधिक नहीं होगी।

2. परिसर में सभी विस्फोटकों का विनिर्माण ईट, पत्थर या कंकरीट से बने मजबूत भवन में किया जाएगा अथवा उसे सुरक्षित रूप से बने अज्वलनशील तिजोरी में रखा जाएगा, जो निवास गृह, राजमार्ग, गली, सार्वजनिक आम रास्ता अन्य भवन या सार्वजनिक स्थान से पृथक या किसी अन्य अनुज्ञप्त परिसर से उतनी सरक्षित दूरी पर होगा जो अनुज्ञप्ति और उसके संलग्नकों में उल्लिखित हैं।

3. प्ररूप एल ई-1 की अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट विस्फोटक से भिन्न कोई विस्फोटक परिसर में नहीं रखा जाएगा।

4. आतिशबाजी/बारूद का विनिर्माण एक मंजिले भवन के भीतर किया जाएगा और भवन के सभी दरवाजों बाहर की ओर खुलेंगे।

5. विस्फोटकों के लिए प्रयुक्त प्रत्येक भवन और आधान का भीतरी भाग और उसमें के शैल्फ तथा फिटिंग इस प्रकार सन्निहित या आस्तारित या आवरित की जाएगी कि कोई लोहा या इस्पात खुला न रहे अथवा कोई ग्रिड, लोहा इस्पात या समान पदार्थ इस प्रकार विलग न हो जाए कि वह विस्फोटकों के संपर्क में आए। ऐसे भीतरी भाग शैल्फों और फिटिंग को, यथासाध्य संभव रूप में ग्रिट से युक्त और अन्यथा स्वच्छ रखा जाएगा।

6. भवन या आधान का, जिसमें विस्फोटक रखा गया है, प्रयोग केवल ऐसे विस्फोटकों के रखे जाने के लिए किया जाएगा, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

7. आतिशबाजियां पृथक आधानों में रखी जाएंगी अथवा उन्हें इस प्रकार पृथक किया जाएगा जिससे कि यदि किसी एक आतिशबाजी में विस्फोट को जाता या उसमें आग लग जाती है तो वह किसी भी दशा में अन्य तक न पहुंचे ।

8. 0.5 किलोग्राम से अनधिक सभी विस्फोटकों को विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची 2 के अनुसार पैक और चिन्हांकित किया जाएगा ।

9. विस्फोटक ऐसे एक मंजिले भवन के हल्के सन्निर्मित कमरे में विनिर्मित किए जाएंगे जो केवल ऐसे विनिर्माण के प्रयोजन के लिए रखे गए हैं और जिनका उपयोग केवल ऐसे विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किया जाता है और जो भंडारण के स्थान से 45 मीटर की दूरी पर है और निवास गृह, अन्य भवन, अन्य अनुज्ञप्त परिसर, राजमार्ग, गली, सार्वजनिक रास्ते, सार्वजनिक स्थान से 45 मीटर दूर हैं।

कारखाने की सुविधाएं मीटर में निम्नलिखित अन्तर दूरियों पर होंगी :

शेड या कमरे से दूरी	संघटक भंडार, सड़क, निवास गृह और सार्वजनिक सभा के स्थान से दूरी	विनिर्माण शेड से दूरी	शुष्कन प्लेटफार्म से दूरी	मैग्जीन से दूरी
संघटक शेड	—	45	45	45
विनिर्माण शेड	45	10	10	45
शुष्कन शेड	45	10	10	45
मैग्जीन	45	45	45	एक से अधिक मैग्जीन की अनुज्ञा नहीं होगी

10. बारूद का विनिर्माण करने वाले संघटकों को एक दूसरे से दूर पृथक भंडारों में रखा जाएगा और उन्हें उस स्थान से कम से कम 45 मीटर की दूरी पर अलग रखा जाएगा जहां उपर्युक्त सारणी के अनुसार बारूद, आतिशबाजियों का विनिर्माण किया जाता है या उनका भंडारण किया जाता है ।

11. किसी ऐसे भवन या तम्बू में, जिसमें विस्फोटक का विनिर्माण किया जा रहा है, एक समय पर चार व्यक्तियों से अधिक को नहीं रहने दिया जाएगा और विनिर्माण के स्थान के भीतर केवल ऐसे व्यक्तियों को रहने की अनुज्ञा होगी जो वास्तविक रूप से विनिर्माण या उसके अधीक्षण के लिए वस्तुतः नियोजित हैं ।

12. लोहे या इस्पात से बने औजार या मार्टरों, पेस्टलन थम्की जैसे पत्थर के औजार विस्फोटकों के विनिर्माण में प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे और न ही उन्हें किसी समय अनुज्ञप्त परिसर में रखा जाएगा । केवल तांबा, गनमैटल या लकड़ी के औजारों की ही अनुज्ञा होगी ।

13. सभी विस्फोटक विनिर्माण होने के पश्चात् अविलम्ब

भंडारण के अनुज्ञप्त स्थान से हटा दिए जाएंगे और न ही विनिर्माण के स्थान पर विस्फोटकों के संचय की अनुज्ञा होगी ।

14. केवल सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने के मध्य ही विनिर्माण कार्य किया जाएगा और उस स्थान पर या उसके पास जहां विस्फोटकों का विनिर्माण किया जा रहा है धूम्रपान या प्रकाश की अनुज्ञा नहीं होगी ।

15. किसी तेल, पेन्टो, दियासलाइयों, बत्तियों, उच्चरूप से ज्वलनशील या विस्फोटक प्रकृति की अथवा ऐसी किसी वस्तु को, जिससे आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है अथवा किन्हीं अम्लों या तत्समान पदार्थों को अनुज्ञप्त परिसर पर न तो लाया जाएगा और न रखा जाएगा । कारखाने के अन्दर धूम्रपान करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

16. अनुज्ञप्तिधारी सभी विनिर्मित विस्फोटकों और हाथ के सभी विस्फोटकों के भंडार का अभिलेख और लेखा प्ररूप आर ई-2 और आरई-4 में रखेगा और विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भण्डार बही और अभिलेख ऐसे अधिकारी द्वारा उससे ऐसे मांग की जाने पर प्रदर्शित करेगा ।

17. कारखाने परिसर में अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से भिन्न कोई क्रियाकलाप नहीं किए जाएंगे ।

18. अनुज्ञप्तिधारी और उसके कर्मचारी आपातकाल के दौरान परिसर में ली जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे ।

19. अनुज्ञप्त परिसरों तक सभी युक्त-युक्त समयों पर निरीक्षण या नमूना अधिकारी को अबाध पहुंच की सुविधा दी जाएगी और ऐसे अधिकारी को इस बाबत सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और नियमों के उपबंधों और सुरक्षा शर्तों का सम्यकतः पालन हो रहा है ।

20. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति धारक को लिखित में अनुज्ञप्त परिसर या मशीनरी या औजारों या साधित्रियों में कोई ऐसी मरम्मत, परिवर्धन या परिवर्तन करने या ऐसी सिफारिशों को पूरा करने के लिए सूचित करता है जिससे ऐसे प्राधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम पैदा हो सकता है और वह परिसर के बाहर या भीतर अथवा व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है तो अनुज्ञप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा ।

21. अग्नि या विस्फोट द्वारा दुर्घटनाओं और विस्फोट की हानि, उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस थाने और अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय में तुरंत दी जाएगी ।

22. कारखाने में ऐसे किसी व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम आयु का है या जो उन्मत्त स्थिति में है या शारीरिक रूप से निश्कत है, न तो नियोजित किया जाएगा और न ही प्रवेश करने दिया जाएगा ।

23. ऐसे परिसर में या उसके पास, मोबाइल फोन, पेजर जैसे इलैक्ट्रॉनिक साधित्र या उपकरण अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे जहां विस्फोटकों का विनिर्माण, उठाई-धराई, भंडारण और उपयोग होता है ।

24. आवाज करने वाले पटाखों के लेबल/बाहरी पैकेज पर स्टाम्पिंग या मुद्रण द्वारा सहज दृश्य अमिट प्रकार से विनिर्माण की तारीख चिन्हांकित होगी।

25. आतिशबाजियों के विनिर्माण में किसी क्लोराइड का उपयोग नहीं किया जाएगा।

26. निम्नलिखित स्तर से अत्यधिक आवाज करने वाले अग्नि पटाखों का विनिर्माण या विक्रय :6

(क) विस्फोटक स्थल से चार मीटर की दूरी पर 125 डीवी (एआई) या 145 डीवी (सी) पी के प्रतिषिद्ध होगा।

(ख) लड़ी (संयुक्त अग्नि पटाखे) से बनने वाले पृथक अग्नि पटाखे के लिए जहां एल एन = एक साथ संयुक्त किए गए पटाखों की संख्या है वहां उपर्युक्त सीमा को पांच एल ओ जी 10(एन) डीबी तक कम किया जाएगा।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

पदनाम और मुद्रा

सेट II

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्रदत्त प्ररूप एल ई 1 [अनुच्छेद 1(ख) और (ग)] में आतिशबाजी के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति सं. की शर्तें निम्नलिखित हैं।

शर्तें

साधारण :

1. परिसर में सभी विस्फोटकों का विनिर्माण अनुसूची 7 के अधीन विनिर्देश सं. 3 के अनुसार ईट, पत्थर या कंकरीट से बने मजबूत भवन में किया जाएगा और उन्हें मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित उपयुक्त प्रकार के भवन या मुख्य सुरक्षित रूप से बनाई गई अग्निसह तिजोरी में रखा जाएगा।

2. विस्फोटकों के प्रयुक्त प्रत्येक भवन और आधानों का भीतरी भाग और उसके के शैल्फ तथा फिटिंग इस प्रकार सन्निर्मित या अस्तरित या आवरित किए जाएंगे कि कोई लोहा या इस्पात खुला न रहे अथवा कोई ग्रिड, लोहा, इस्पात या समान पदार्थ इस प्रकार विलग न हो कि वह विस्फोटक के संपर्क में आए ऐसे भीतरी भाग, शैल्फों और फिटिंगों को यथासाध्य संभव रूप से ग्रिड से मुक्त और अन्यथा स्वच्छ रखा जाएगा।

3. भवन या आधान का, जिसमें विस्फोटक रखा गया है प्रयोग केवल ऐसे विस्फोटकों के रखे जाने के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

4. आतिशबाजियां पृथक आधानों में रखी जाएंगी या उन्हें इस प्रकार पृथक किया जाएगा जिससे कि एक विस्फोटक या एक दूसरे के संपर्क के कारण अग्नि या विस्फोट से बचा जा सके।

5. 0.5 किलोग्राम से अधिक मात्रा के सभी विस्फोटक अनुसूची 2 के अनुसार पैक और चिह्नकित किए जाएंगे।

6. आतिशबाजी, सर्फ, पेपर कैप्स, सुरक्षा फ्यूज, सूक्ष्म खबर फ्यूज या फुलझड़ियों के विनिर्माण के लिए संघटकों को एक दूसरे से अलग पृथक भण्डार गृहों में रखा जाएगा और इन्हें अनुच्छेद 8-के की सारणी 4 या 6 में यथाउल्लिखित सुरक्षित दूरी पर अलग रखा जाएगा।

7. लोहे या इस्पात से बने औजार या मार्टरों, पेस्टल्स, चक्की, जैसे पत्थर के औजार विस्फोटकों के विनिर्माण में प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे और न ही उन्हें किसी समय अनुज्ञप्त परिसर में रखा जाएगा केवल तांबा, गनमैटल या लकड़ी के औजार ही अनुज्ञेय होंगे।

8. सभी विस्फोटक विनिर्माण के पश्चात् अविलम्ब भण्डारण के अनुज्ञप्त स्थान से हटा दिए जाएंगे और विनिर्माण के स्थान पर किसी विस्फोटक के संचय की अनुज्ञा नहीं होगी।

9. केवल सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने के मध्य ही विनिर्माण किया जाएगा और उस स्थान पर या उसके पास जहां आतिशबाजी का विनिर्माण किया जा रहा है प्रकाश की अनुज्ञा नहीं होगी परंतु इस नियम की कोई बात अंधेरे के समय आतिशबाजी उठाई धराई, विनिर्माण पर लागू नहीं होगी यदि उचित प्रकाश और/या धूल सह मार्टरों, प्रकाश और फिटिंग की व्यवस्था की गई है और स्थान की पहरेदारी की गई है।

10. किसी तेल, पेंटो, दियासलाई, प्रकाश, उच्च रूप से ज्वलनशील या विस्फोटक प्रकृति की अथवा ऐसी किसी वस्तु को जिससे आग लग सकती हो या विस्फोटक हो सकता है अथवा अमलों या तत्समान पदार्थों को अनुज्ञप्त परिसर पर न तो लाया जाएगा और न रखा जाएगा। कारखाने के अन्दर धूम्रपान की अनुज्ञा नहीं होगी।

11. अनुज्ञप्तिधारी सभी विनिर्मित विस्फोटकों और हाथ में के सभी विस्फोटकों के भंडारण का अभिलेख और लेखा प्ररूप आर ई 2 और आर ई 4 में रखेगा और विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भंडार बही और अभिलेख, ऐसे अधिकारी द्वारा उससे ऐसे मांग किए जाने पर प्रदर्शित करेगा।

12. कारखाने परिसर में अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से भिन्न कोई क्रियाकलाप नहीं किए जाएंगे।

13. अनुज्ञप्तिधारी और उसके कर्मचारी आपातकाल के दौरान परिसर के भीतर की जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे।

14. किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में अबाध पहुंच प्रदान की जाएगी और यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों तथा सुरक्षा संबंधी शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है, उस अधिकारी को प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

15. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या विस्फोटक नियंत्रक अनुज्ञप्तिधारक को लिखित में अनुज्ञप्त परिसर या मशीनरी या औजारों या साधित्रों में कोई मरम्मत या कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने के

लिए या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम प्रदर्शित कर सकती है और परिसर या व्यक्तियों की स्थल पर या स्थल से बाहर सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सूचित करता है तो अनुज्ञप्तिधारक उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

16. अग्नि या विस्फोटक द्वारा दुर्घटना और विस्फोटकों की हानि, उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी स्थानीय कार्यालय में तुरन्त दी जाएगी।

17. किसी कारखाने में प्रसंस्करण भवनों की संख्या जिसके अन्तर्गत मिश्रण/भराई और संचरण भवन और शुष्कन प्लेटफार्म नहीं हैं, 85 से अधिक नहीं होगी।

18. जब तक मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से छूट न दी जाए किसी कारखाने से संलग्न भंडार गृह की न्यूनतम क्षमता उसकी वार्षिक विनिर्माण क्षमता की 1/5 होगी।

19. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आतिशबाजियों के विनिर्माण के लिए 20 प्रसंस्करण भवन के पर्यवेक्षण हेतु विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्रमाणित कम से कम एक अर्ह फोरमैन की नियुक्ति की जाएगी।

20. प्रत्येक प्रसंस्करण भवन, जिसमें विस्फोटकों के विनिर्माण में विद्युत प्रचालित मशीन का उपयोग किया जाता है, समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक विनिर्देश सं. 2309 में अधिकथित के अनुसार एक या एक से अधिक परिकल्पित और स्थापित दक्ष प्रदीप्त कंडक्टर संलग्न होंगे।

21. ऐसे परिसर में या उसके पास जहां विनिर्माण, उठाई धराई, भंडारण और उपयोग होता है मोबाइल फोन, पेजर जैसे इलैक्ट्रॉनिक साधित्र या उपकरणों की अनुज्ञा नहीं होगी।

22. कारखाने में ऐसे किसी व्यक्ति को, जो 18 वर्ष से कम आयु का है या जो उन्मत्त स्थिति में है या शारीरिक रूप से निशक्त है, न तो नियोजित किया जाएगा और न ही प्रवेश करने दिया जाएगा।

23. किस प्रसंस्करण भवन के दरवाजे आमने सामने नहीं होंगे। यदि संलग्न शेडों के दरवाजे आमने सामने होते हों तो भवन से एक से दो मीटर की दूरी पर और दोनों तरफ खुलने वाले दरवाजों से 0.5 मीटर चौड़ी और दरवाजों की ऊंचाई तक 23 से.मी. की सीमेन्ट और ईट की एक स्क्रीन दीवार बनाई जानी चाहिए।

24. कारखाने में एक समय पर संपूर्ण विस्फोटक की अधिकतम मात्रा, जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्त परिसर में विनिर्माण के प्रक्रियाधीन और भंडारित विस्फोटक भी है, प्ररूप एल ई 1 में मद 4 में यथाउल्लिखित मात्रा से अधिक नहीं होगी।

आतिशबाजी के लिए विशेष शर्तें

25. मिक्सिंग/फिलिंग भवन के चारों ओर अनुसूची VII के अधीन विनिर्देश सं. 3 के अनुसार स्फोट दीवार होगी।

26. विनिर्माण भवन, मिश्रण, भरण, संचरण भवन और शुष्कन प्लेटफार्म अनुसूची VIII की सारणी 6 के अनुसार किसी प्रसंस्करण

भवन से दोनों ओर की आन्तरिक सुरक्षा दूरी, बाड़ से बाहरी सुरक्षा दूरी का अनुपालन करेंगे।

27. किसी विनिर्माण भवन, मिश्रण, भरण, संचरण भवन और शुष्कने प्लेटफार्म में विस्फोटकों की कुल मात्रा और व्यक्ति/व्यक्तियों की संख्या अनुसूची VIII की सारणी 6 के अनुसार होगी।

28. अनुज्ञप्त परिसर के चारों ओर से दीवार या ऐसी मजबूत और संरचना वाली कम से कम दो मीटर ऊंचाई की कांटेदार तार वाली बाड़ से घिरा होगा जिससे कि अनुसूची VIII की सारणी 6 में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा दूरी पर अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोका जा सके।

29. प्रत्येक पांच विनिर्माण शेडों के लिए (भरण/मिश्रण/संचरण भवन को छोड़कर) एक शुष्कन प्लेटफार्म की व्यवस्था की जाएगी।

30. काले चूर्ण और आतिशबाजी को एक ही आधान में नहीं रखा जाएगा और उन्हें इस प्रकार पृथक रखा जाएगा जिससे कि विस्फोटक या एक दूसरे के सम्पर्क के कारण अग्नि या विस्फोटक से बचा जा सके।

31. आतिशबाजी के विनिर्माण में क्लोरेट का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

32. किसी एकल कार्य दिवस के अन्त में कारखाने में कोई खुली आतिशबाजी, संघटक, शुष्क या आर्द्र का अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

33. आतिशबाजी का विनिर्माण एक मंजिले भवन में किया जाएगा और भवन के सभी दरवाजे बाहर की तरफ खुलेंगे।

परन्तु इस शर्त की कोई बात विद्युत संचलित मशीनरी की सहायता से विस्फोटकों के विनिर्माण और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विनिर्माण की ऐसी प्रक्रिया और मशीनरी को लागू नहीं होगी।

34. प्रत्येक प्रसंस्करण भवन में उतनी संख्या में दरवाजे अपेक्षित होंगे जितने अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएं।

35. अनुसूची VIII की सारणी 6 के अनुसार किसी अनुज्ञप्त कारखाने, भवन, मैग्जीन या भंडारगृह, सार्वजनिक सड़क और संरक्षित संकर्म के बीच सुरक्षा दूरी का अबाध रखा जाना अपेक्षित है।

36. विनिर्माण की तारीख, सहज उत्पादित पटाखे के लेबल/बाहरी पैकेज पर स्टारपिंग या मुद्रण के द्वारा सहजदृश्य अमित रूप में अंकित की जाएगी।

37. निम्नलिखित स्तर से अधिक शोर पैदा करने वाले अग्नि पटाखों का विनिर्माण या विक्रय :6

(क) विस्फोटक स्थल से चार मीटर की दूरी पर 125 डीबी (ए आई) या 145 डीबी (सी) पीके प्रतिषिद्ध होगा,

(ख) लड़ी (संयुक्त अग्नि पटाके), से बनने वाला पृथक अग्नि पटाखे के लिए जहां एन एक साथ संयुक्त किए गए पटाखों की संख्या है वहां उपरोक्त सीमा को पांच एल ओ जी 10 (एन) डीबी तक कम किया जाएगा।

पेपर कैप या एमोरसिस के लिए विशेष शर्तें

38. एमोरसिस या पेपर कैप में दोनों का घटक, पोटेशियम क्लोरेड, एमरफोज, फास्फोरस, स्टार्च और कैलशियम कार्बोनेट का मिश्रण होगा, जो सल्फर (अम्लयुक्त) के संयोजन के साथ उसके बिना होगा, परन्तु मिश्रण में उपलब्ध एमोरफोर्स-फास्फोरस की मात्रा 1000 दोनों में 0.65 ग्राम के अनुपात से अधिक नहीं होगी।

39. एमोरसिस या पेपर कैप में प्रयुक्त संयोजन ऐसे अनुपात में होगा, प्रत्येक 1000 दोनों के लिए 4.54 मिलीग्राम से अधिक नहीं होगा अर्थात् किसी भी एक दाने में 0.0045 से अधिक का संयोजन पृथक् रूप से अन्तर्विष्ट नहीं होगा। यदि एमोरसिस या पेपर कैप का विनिर्माण किसी टेप के रूप में किया जाता है तो इसमें एक टेप के लिए 30 से अधिक दाने नहीं होंगे।

40. एमोरसिस या पेपर कैप के विनिर्माण के लिए अपेक्षित विस्फोटक संयोजन एक बार में एक किलोग्राम से अधिक तैयार नहीं किया जाएगा।

41. संघटकों को किसी ऐसे मिश्रण हौज में आर्द्र रूप में मिश्रित किए जाने तक पृथक् रखा जाएगा जिसमें कोई अनावृत लोथ न हो।

42. पोटेशियम क्लोरेट कोई संघटकों से भिन्न पृथक् भंडारगृह में रखा जाएगा।

43. सल्फर की अन्य संघटकों से भिन्न पृथक् भंडारगृह में रखा जाएगा।

44. सल्फर और क्लोरेड के भंडारण के लिए आयुध नियम 1962 के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की जाएगी।

45. एमोरसिस को 33 कि.मी. मोटाई से अन्यून कार्डबोर्ड के अनुमोदित बन्द बक्सों में पैक किया जाएगा। बक्से गोलाकार होंगे जिनका आयत 25 मिली. मीटर और ऊंचाई 20 मि. ली. से कम नहीं होगी और प्रत्येक में 50 एमोरसिस से अधिक नहीं होंगे। प्रत्येक बक्से में एमोरसिस पैक किए जाने से पूर्व एक गोल नालीदार कार्डबोर्ड की शीट रखी जाएगी (किन्तु यदि एक कार्डबोर्ड बक्से में 30 से अनधिक एमोरसिस पैक किए जाते हैं तो प्रत्येक बक्से में ऐसी शीट के रखे जाने की आवश्यकता नहीं है)। इसके पश्चात् गोल कार्डबोर्ड के बक्सों को एकजुट बनाया जाएगा और दस पैकेटों के रूप में पेपर रैपर में बांधा जाएगा और दस ऐसे 10 के पैकेटों को 100 का पैकेज बनाने वाले मजबूत कार्डबोर्ड बक्से में पैक किया जाएगा। अस्सी से अनधिक संख्या वाले ऐसे 10 के बक्सों को अन्त में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रकार और संरचना वाले पट्टीदार लोहे या नालीदार बक्सों में बंधे मजबूत लकड़ी के केसों में पैक किया जाएगा।

46. अस्सी यूनियों वाले पेपर कैपों का शुद्ध भार 2.8 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।

47. ऊपरी पार्क भवन शुष्कन भवन का एमोरसिस कारखाने में खिड़की के माध्यम से प्रथम चरण का विस्तार हो सकेगा।

48. द्वितीय चरण शुष्कन शोड मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रकार और डिजायन का बनाया जाएगा।

49. डुबोई गई एमोरसिस शीटों को द्वितीय चरण शुष्कन भवन के भीतर उन्हें एक दूसरे पर रखे बिना अलग-अलग रखकर सुखाया जाएगा।

50. एमोरसिस शीट के ऊपरी पारन के लिए प्रयुक्त गोंद में कापर सल्फेट या अम्लीय प्रकृति का कोई रसायन नहीं होगा।

51. विनिर्माण भवन, मिश्रण भरण, संचरण भवन और शुष्कन प्लेटफार्म अनुसूची VIII की सारणी 6 के अनुसार किसी प्रसंस्करण भवन से दोनों ओर की आन्तरिक सुरक्षा दूरी, बाड़ से बाहरी सुरक्षा दूरी का अनुपालन करेंगे।

52. अनुज्ञप्त परिसर चारों ओर से दीवार या ऐसी मजबूती और संरचना वाली कम से कम दो मीटर ऊंचाई की कांटेदार तार वाली बाड़ से घिरा होगा जिससे कि अनुसूची VIII की सारणी 6 में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा दूरी पर अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोका जा सके।

53. निम्नलिखित स्तर से अधिक शोर पैदा करने वाले अग्नि पटाकों का विनिर्माण या विक्रय :6

(ग) विस्फोटक स्थल से चार मीटर की दूरी पर 125 डी.बी. (ए आई) या 145 डीबी (सी) पीके प्रतिषिद्ध होगा,

(घ) लड़ी (संयुक्त अग्नि पटाके), से बनने वाला पृथक् अग्नि पटाके के लिए, जहां एन=एक साथ संयुक्त किए गए पटाकों की संख्या है उपरोक्त सीमा को पांच एल ओ जी 10 (एन) डी बी तक कम किया जाएगा।

फुलझड़ियों के लिए विशेष शर्तें

54. विनिर्माण भवन, मिश्रण, भरण, संचरण भवन और शुष्कन प्लेटफार्म अनुसूची VIII की सारणी 4 के अनुसार किसी प्रसंस्करण भवन से दोनों ओर की आन्तरिक सुरक्षा दूरी, बाड़ से बाहरी सुरक्षा दूरी का अनुपालन करेंगे।

55. आतिशबाजी का विनिर्माण एक मंजले भवन में किया जाएगा और भवन के सभी दरवाजे बाहर के तरफ खुलेंगे।

56. संचरण भवन की अपेक्षा करने वाले प्रत्येक प्रसंस्करण भवन के चार दरवाजे होंगे।

57. मिश्रण भवन को विनिर्माण अनुसूची VII के अधीन विनिर्देश सं 3 के अनुसार किया जाएगा।

58. विनिर्माण (पेकिंग) भवन/संचरण शोड का विनिर्माण अनुसूची VII के अधीन विनिर्देश सं. 3 के अनुसार किया जाएगा।

59. शुष्कन स्थान भूतल से उठाए बिना कठोर सतह भूतल का होगा।

60. विभिन्न भवनों के दरवाजे आमने सामने नहीं होंगे।

61. इस्पात भरण या लोह बोरिंग या मैगनीशियम धातु को नम अवस्था में अन्य रसायनों के साथ मिश्रित करने से पूर्व अलसी के तेल या पैराफीन मोम या गमर से लेपित किया जाना चाहिए।

62. फुलझड़ियों की तारें जी आई तार की होंगी या तांबे से लेपित होंगी।

63. फुलझड़ियों की तारों को मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित रसायन के मिश्रण के सिवाए किसी अन्य सामग्री के साथ डुबाया नहीं जाएगा।

64. किसी विनिर्माण (पैकिंग) भवन, मिश्रण, डिपिंग शेड संचरण भवन और शुष्कन प्लेटफार्म में विस्फोटक की कुलमात्र और व्यक्ति/व्यक्तियों की संख्या अनुसूची VIII की सारणी 4 के अनुसार होगी।

65. किसी संचरण भवन में दिन के अन्त में अर्ध तैयार या पैक न की गई फुलझड़ियों के भंडार की व्यवस्था की जाएगी।

66. आतिशबाजी के विनिर्माण में क्लोरेट का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

67. विनिर्माण भवन, मिश्रण, भरण, डिपिंग शेड संचरण भवन और शुष्कन प्लेटफार्म अनुसूची VIII की सारणी 4 के अनुसार किसी प्रसंस्करण भवन से दोनों ओर की आन्तरिक सुरक्षा दूरी, बाड़ से बाहरी सुरक्षा का अनुपालन करेंगे।

68. किसी विनिर्माण भवन, मिश्रण, संचरण भवन और शुष्कन प्लेटफार्म में विस्फोटक की कुलमात्र और व्यक्ति/व्यक्तियों की संख्या अनुसूची VIII की सारणी 4 के अनुसार होगी।

69. अनुज्ञप्त परिसर के चारों ओर से दीवार या ऐसी मजबूत और संरचना वाली कम से कम दो मीटर ऊंचाई की कांटेदार तार वाली बाड़ से घिरा होगा जिससे कि अनुसूची VIII की सारणी 4 में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा दूरी पर अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोका जा सके।

सांप की गोलियों के लिए विशेष शर्तें

70. सभी प्रसंस्करण भवन मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रकार और डिजायन के होंगे।

71. नाइट्रेशन डामर का नाइट्रेशन अम्ल के धुएं को हटाने की गच्छा वातायन प्रणाली सहित ऐसी अम्लरोधी टाइलों या ईट के फर्श वाले कमरे में या मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रकार और डिजायन के भवन में किया जाएगा।

72. धुलाई--नाइट्रेटिड डामर की, शुष्कन प्लेटफार्म घर्षण या मिश्रण भवन में उसे ले जाने से पूर्व अम्ल के कण को हटाने के लिए अच्छी तरह जल से धुलाई की जाएगी।

73. धुलाई भवन का फर्श पर्याप्त जल निकासी प्रणाली सहित अम्ल रोधी टाइलों या ईटों से बनाया जाएगा।

74. नाइट्रेशन और धुलाई भवन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति धूप-चश्मे, अम्लरोधी दस्तानों और एप्रन का प्रयोग करेंगे।

75. नाइट्रेशन में प्रयुक्त बर्तन अम्ल रोधी सामग्री का बना होगा।

76. रसायन के मिश्रण को गोली या टिकिया बनाने से पूर्व फैलने के कारण लगने वाली अग्नि से बचाने के लिए नम किया जाएगा।

77. गोलियों या टिकियों को यदि पैकिंग हाथ से की गई है तो गोलियों या टिकियों को टूटने से बचाने के लिए गद्देदार सामग्री के साथ कार्डबोर्ड बक्से में पैक किया जाएगा।

78. आतिशबाजी के विनिर्माण में क्लोरेड का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

79. विनिर्माण भवन, मिश्रण, भरण, संचरण भवन और शुष्कन प्लेटफार्म अनुसूची VIII की सारणी 6 के अनुसार किसी प्रसंस्करण भवन से दोनों ओर की आन्तरिक सुरक्षा दूरी, बाड़ से बाहरी सुरक्षा का अनुपालन करेंगे।

80. अनुज्ञप्त परिसर चारों ओर से दीवार या ऐसी मजबूत और संरचना वाली कम से कम दो मीटर ऊंचाई की कांटेदार तार वाली बाड़ से घिरा होगा जिससे कि अनुसूची VIII की सारणी 6 में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा दूरी पर अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोका जा सके।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम और मुद्रा

सेट-III

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुदत्त प्ररूप एल ई I [अनुच्छेद (घ)] में ए.ए.एफ.ओ. विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति सं.6 की शर्तें निम्नलिखित हैं,6

शर्तें

(1) परिसर या उसके किसी भाग में ए एन एफ ओ विस्फोटकों की मात्रा किसी एक समय में उस मात्रा से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई है।

(2) ए.ए.एफ.ओ. विनिर्माण शेड को 15 मीटर की दूरी पर बाड़ लगा कर संरक्षित किया जाएगा और वह अनुसूची-VIII की सारणी 1 में यथाविनिर्दिष्ट संरक्षित संकर्मों से सुरक्षा दूरी बनाए रखेगा।

(3) शेड में कार्य कड़ाई में अधिकथित सुरक्षाकार्य प्रक्रियाओं और अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(4) ए.ए.एफ.ओ. विस्फोटकों को विनिर्माण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त किसी अर्हित उत्तरदायी व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षणधीन किया जाएगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी और प्रत्येक नियोजित व्यक्ति उस स्थान या उन स्थानों में जहां ए एन एफ ओ विस्फोटकों का विनिर्माण किया जाता है या देखभाल की जाती है या उपयोग किया जाता है, अग्नि या विस्फोटक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी सम्यक पूर्वाधानियां बरतेंगे।

(6) ए एन एफ ओ विस्फोटकों के सभी अवशेषों को एकत्रित किया जाएगा और अनुभवी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन अनुज्ञप्त परिसर से दूर किसी सुरक्षित स्थान में नष्ट किया जाएगा।

(7) ए एन एफ ओ विस्फोटक के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त आधानों और मिश्रणों को प्रयोग के पश्चात् उपयुक्त डिटरजेन्ट घोल से अच्छी तरह साफ किया जाएगा और जल से धोया जाएगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी और कर्मचारी परिसरों के भीतर अपात के दौरान की जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे ।

(9) किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों या सुरक्षा संबंधी शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है, उस अधिकारी को प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ।

(10) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या विस्फोटक नियंत्रक लिखित में अनुज्ञप्ति धारक को अनुज्ञप्त परिसर या मशीनरी, औजारों या साधित्रों में कोई मरम्मत या कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जोखिम प्रदर्शित कर सकती है और परिसर या व्यक्तियों की स्थल पर या स्थल से बाहर सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सूचित करता है जो अनुज्ञप्ति धारक उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा ।

(11) अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की हानि, कमी या चोरी के बारे में निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय में तुरंत रिपोर्ट की जाएगी ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम और मुद्रा

सेट-IV

मुख्य नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुदत्त प्ररूप एल ई 1 [अनुच्छेद 1(ड)] में द्रव आक्सीजन विस्फोटक(एल ओ एक्स) के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति सं.6 की शर्तें निम्नलिखित हैं,6

शर्तें

(1) परिसर या उसके किसी भाग में द्रव आक्सीजन विस्फोटक (एल ओ एक्स) की मात्रा किसी एक समय में उस मात्रा से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई है ।

(2) द्रव आक्सीजन विस्फोटक कारतूसों को अनुसूची VIII की सारणी 1 में यथाविनिर्दिष्ट संरक्षित संकर्मों से सुरक्षा दूरी बनाए रखते हुए बाड़ युक्त क्षेत्र के भीतर सुरक्षित स्थान पर भिगोया जाएगा ।

(3) कार्य, कड़ाई से अधिकथित सुरक्षा कार्य प्रक्रियाओं और अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) द्रव आक्सीजन विस्फोटकों का विनिर्माण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिखित रूप में नियुक्त किसी अर्हित उत्तरदायी व्यक्ति के सीधे पर्यावेक्षणाधीन किया जाएगा ।

(5) अनुज्ञप्तिधारी और प्रत्येक नियोजित व्यक्ति उस स्थान या उन स्थानों में, जहां द्रव आक्सीजन विस्फोटकों का विनिर्माण किया जाता है या देखभाल की जाती है या उपयोग किया जाता है, अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी सम्यक् पूर्वावधानियां बरतेंगे ।

(6) अनुज्ञप्तिधारी और कर्मचारी परिसर के भीतर अपात के दौरान की जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे ।

(7) किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों तथा सुरक्षा संबंधी शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है, उस अधिकारी को प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ।

(8) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या विस्फोटक नियंत्रक लिखित में अनुज्ञप्ति धारक को अनुज्ञापन परिसर या मशीनरी, औजारों या साधित्रों में कोई मरम्मत या कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम प्रदर्शित कर सकती है और परिसर या व्यक्तियों की स्थल पर या स्थल से बाहर सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सूचित करता है तो अनुज्ञप्ति धारक उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा ।

(9) अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की हानि कमी या चोरी के बारे में निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय में तुरंत रिपोर्ट की जाएगी ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम और मुद्रा

सेट-V

मुख्य नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुदत्त प्ररूप एल ई 1 [अनुच्छेद 1(च)] में स्थल मिश्रित विस्फोटक (एस एम ई) संयंत्र के लिए अनुज्ञप्ति सं.6 की शर्तें निम्नलिखित हैं,6

शर्तें

(1) केवल मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुज्ञात एस एम ई बल्क मिश्रण और परिदान (बी एम डी) यान में विनिर्मित किए जाएंगे ।

(2) केवल प्रवृत्त खान अधिनियम के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशक से अपेक्षित शोधन अभिप्राप्त करने के पश्चात्.....खान क्षेत्र के भीतर बी एम डी यान में एस एम ई का विनिर्माण किया जाएगा और इस प्रकार विनिर्मित एस एम ई के सिवाय ऐसी शर्तों के अधीन या उनके अनुसार जो खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा अधिरोपित की जाएं, के सिवाय उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(3) एस एम ई का विनिर्माण कड़ाई से अधिकथित सुरक्षा कार्य प्रक्रियाओं और संबंधित अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

(4) ऐसे घोलों और संघटकों को, जो विस्फोटकों में हों, मिलने से रोकने के लिए सहायक संयंत्रों में सभी सम्यक् पूर्वावधानियां बरती जाएंगी ।

(5) प्रत्येक यान में सुगम रूप सुलभ से स्थिति में उपयुक्त आकार का और विद्युत और पैट्रोलियम संबंधी अग्नि से शमन में

समर्थ कम से कम दो अग्नि निर्वापक उपलब्ध होंगे। उन्हें विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उद्यत अवस्था में रखा जाना चाहिए।

(6) एस एम ई का विनिर्माण सीधे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में नियुक्त किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा या उसके पर्यवेक्षणाधीन किया जाएगा। यह पर्यवेक्षक और आपरेटर यान के प्रचालन तथा उस पर आरूढ़ सुविधाओं से परिचित होंगे। पर्यवेक्षक आपात स्थितियों से निबटने की साधारण प्रक्रिया और इन नियमों की अपेक्षाओं तथा इस अनुज्ञप्ति की शर्तों से परिचित होगा।

(7) मिलाने और लादने के दौरान स्थिर विद्युत संचयन को रोकने के लिए अप्राकृतिक तलछट युक्ति या अर्द्धसंचालित नलिका का उपयोग किया जाएगा। पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये संभाव्य भूमि स्थिति के अधीन स्थिर विद्युत को विकीर्ण कर देगा, पूरे सिस्टम का मूल्यांकन करेगा।

(8) संचिद्र में सीधे विस्फोटक डालने के लिए प्रयुक्त नम्य नलिकाएं वैद्युतीय और यंत्रवत अबाध्य होंगी। नलिकाओं का समय-समय पर विहित दबाव पर पानी द्वारा परीक्षण किया जाएगा और समय-समय पर वैद्युत निरंतरता का भी परीक्षण किया जाएगा।

(9) एस एम ई का विनिर्माण केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किया जाएगा।

(10) यान में विनिर्मित स्थल पर मिश्रित विस्फोटकों को उसके विनिर्माण पर तुरंत पश्चात् बोर छिद्रों में प्रभारित किया जाएगा और प्रभारण कार्य के अंत में हौजपाइपों सहित समस्त प्रणाली को जल से धुलाई की गई संपीडित वायु से विस्फोटकों को निकालकर खाली किया जाना चाहिए। दिन के लिए लदाई कार्यों के अंत में हौज पाइपों सहित यान की समस्त प्रणाली की पूरी तरह सफाई की जाएगी और तत्पश्चात् यान को सहायक यंत्र पर पार्क किया जाएगा।

(11) विस्फोटकों का सभी बिखरा हुआ पदार्थ इकट्ठा करके किसी अनुभवी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में अनुज्ञप्त परिसरों से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर नष्ट कर दिया जाएगा।

(12) अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप आर ई-2 में सभी विनिर्मित विस्फोटकों का अभिलेख और लेखा रखेगा और अपनी बहियों और अभिलेखों को इन नियमों के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी को, जब कभी ऐसा अधिकारी उससे ऐसा करने की मांग करे, प्रदर्शित करेगा।

(13) ऐसे सभी वर्धक, प्रेरक और विस्फोटक पत्तीतों, को जो विस्फोटन संबंधी कार्य के संबंध में अपेक्षित है, विस्फोटक नियम 2008 के अधीन अनुज्ञप्त मैगजीन में रखा जाएगा।

(14) चार्ज छिद्रों के विस्फोटन के लिए भारतीय खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अधीन सभी सम्यक् पूर्वावधानियां बरती जाएंगी।

(15) अनुज्ञप्तधारी और शाट फायरकर्ता चार्जों की तैयारी, छिद्रों के चार्ज किए जाने और शाटों के फायर किए जाने के लिए

उत्तरदायी होंगे और वे सभी अग्नि और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वे सभी पूर्वावधानियां बरतेंगे जो विस्फोटकों के साथ हो सकती हैं।

(16) अनुज्ञप्तिधारी और कर्मचारी आपात स्थिति के दौरान बरती जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे।

(17) किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में अबाध पहुंच प्रदान की जाएगी और यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों तथा सुरक्षा संबंधी शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है, उस अधिकारी को प्रत्येक सुविधा प्रदान करवाई जाएगी।

(18) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या विस्फोटक नियंत्रक लिखित में अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञप्त परिसर या मशीनरी औजारों या साधित्रों में कोई मरम्मत या कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम प्रदर्शित कर सकती है और परिसर या व्यक्तियों की स्थल पर या स्थल से बाहर सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सूचित करता है तो अनुज्ञप्तिधारक सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

(19) अग्नि या विस्फोटक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की हानि कमी या चोरी के बारे में निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय में तुरंत रिपोर्ट की जाएगी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर,
पदनाम और मुद्रा

सेट-VI

मुख्य नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुदत्त प्ररूप एल. ई-1 [अनुच्छेद 1 (छ) में] आतिशबाजी, बारूद, ए एन एफ ओ, द्रव आक्सीजन विस्फोटक और साइट मिश्रित विस्फोटकों से भिन्न विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति सं.....की शर्तें निम्नलिखित हैं।

शर्तें

(1) परिसर या उसके किसी भाग में विस्फोटकों की मात्रा किसी एक समय में उस मात्रा से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई है।

(2) प्रसंस्करण और भंडारण शेड या भवनों में अनुसूची VIII में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा दूरी बनाई रखी जाएगी।

(3) प्रत्येक भवन या शेड में कार्य कड़ाई से अधिकथित सुरक्षा कार्य प्रक्रियाओं और अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी और कारखाने में या उसके आसपास नियोजित प्रत्येक व्यक्ति कारखाने में अग्नि या विस्फोटक से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी सम्यक् पूर्वावधानियां बरतेंगे और इस बाबत पूर्णतः सावधानी बरतेंगे कि अप्राधिकृत व्यक्ति कारखाने या उसमें रखे गए विस्फोटकों तक न पहुंच सकें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आग लगने या विस्फोट होने की संभावना हो और जो कारखाने में कार्य के लिए युक्तियुक्त आवश्यक न हो। उपयुक्त

कार्यकरण वस्त्रों, उपयुक्त जूतों आदि के प्रयोग द्वारा इस बाबत सम्यक् उपबंध किए जाएंगे जिससे आग लगने या विस्फोट का खतरा न रहे ।

(5) अनुज्ञापन प्राधिकारी की लिखित में पूर्व मंजूरी के बिना अनुज्ञप्त परिसर मे कोई परिवर्तन और परिवर्धन नहीं किया जाएगा । ऐसे मंजूर किए गए परिवर्धन और परिवर्तन को अनुज्ञप्ति से संबंधित संशोधित रेखांक में दर्शित किया जाएगा ।

(6) उन भवनों के, जिनमें विस्फोटकों का विनिर्माण या धराई-उठाई की जाती है, कंपार्टमेंटों के भीतर और उनमें लगी मशीनरी या फिटिंग की, दिन का कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् सावधानीपूर्वक सफाई की जाएगी । उन भवनों के, जिसमें विस्फोटकों का विनिर्माण या धराई-उठाई की जाती है, कंपार्टमेंटों से निकाल कूड़ा सावधानीपूर्वक इकट्ठा किया जाएगा और अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उसका निपटारा उचित उपचार करने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

(7) अनुज्ञप्तिधारी विस्फोटकों के विनिर्माण और अन्य प्रक्रियाओं और विनियमों के अनुसार सक्रियाओं के संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए किसी अर्ह और सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति करेगा ।

(8) अनुज्ञप्तिधारी, अधिभोगी, सुरक्षा अधिकारी और अर्ह और सक्षम व्यक्ति सुरक्षा जागरूकता के लिए और अपनी स्वयं के तथा अपने अधीनस्थों के ज्ञान के लिए नियमित रूप से सुरक्षा कार्यशालाओं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा उनका आयोजन भी करेंगे और उसे लेखबद्ध करेंगे ।

(9) सभी कर्मचारी (पूर्णकालिक, अंशकालिक या सविदा पर आधारित) कारखाने के आपदा प्रबंधन के लिए आपात प्रतिक्रिया योजना से अवगत होंगे ।

(10) सभी असुरक्षित घटनाओं (जिसके अंतर्गत छोटी घटनाएं भी हैं) को (अधिमानतः आसन्न चूकों और संकटपूर्ण परिस्थितियों को भी बताते हुए) अभिलिखित किया जाएगा और उनका अनुज्ञप्तिधारी तथा सक्षम व्यक्ति द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए प्राप्त जानकारी के प्रसार की शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में परिसर में कार्य करने वाले के रूप में समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

(11) किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसर में अबाध पहुंच प्रदान की जाएगी और यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों तथा सुरक्षा संबंधी शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है, उस अधिकारी को प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ।

(12) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या विस्फोटक नियंत्रक लिखित में अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञप्त परिसर या मशीनरी, औजारों या साधित्रों में कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम प्रदर्शित कर सकती है और परिसर या व्यक्तियों की स्थल पर या स्थल से बाहर सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सूचित करता है तो अनुज्ञप्तिधारक सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा ।

(13) अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की हानि, कमी या चोरी के बारे में निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय में तुरंत रिपोर्ट की जाएगी ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुद्रा

सेट-VII

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुदत्त प्ररूप एल.ई.3 [अनुच्छेद 3 (क)] में वर्ग 1, 2, या 3 से 25 किलोग्राम से अनधिक के विस्फोटकों, 1500 संख्या में स्फोटकों और 1500 मीटर के किसी मैगजीन में किसी एक समय पर स्फोटक फ्यूज या सुरक्षा फ्यूज के प्रयोग, कृषि प्रयोजनों के लिए या छोटी खदान में रखने के लिए अनुज्ञप्ति सं. की शर्तें निम्नलिखित हैंः

शर्तें

(1) परिसर पर एक समय में विस्फोटकों की मात्रा अनुज्ञेय क्षमता से अधिक नहीं होगी ।

(2) विस्फोटकों के भंडारण के लिए प्रयुक्त मैगजीन संरक्षित कार्यों से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी बनाए रखेगी ।

(3) मैगजीन का प्रयोग केवल इस अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट विस्फोटकों और ऐसे विस्फोटकों को रखने से जुड़े कार्य के लिए आधानों, औजारों या यंत्रों को रखने के लिए ही किया जाएगा ।

(4) पैकेजों के खोले जाने और विस्फोटकों की तुलाई और पैकिंग का कार्य मैगजीन में नहीं किया जाएगा ।

(5) दो या अधिक वर्णन के विस्फोटकों को, जिन्हें मैगजीन में रखे जाने के लिए अनुज्ञात किया जाए, तभी रखा जाएगा यदि वे ऐसे पदार्थ या अभिलक्षण के अंतःक्षेपित भाग से या ऐसे अंतःक्षेपित भाग द्वारा जो एक दूसरे के साथ संपर्क के कारण विस्फोट या अग्नि को प्रभावी रूप से रोकेंगे, एक दूसरे से पृथक् किया गया हो, परंतु, 6

(क) वर्ग 2 (नाइट्रेट मिश्रण), 3 (नाइट्रो योगिक), वर्ग 6, प्रभाग 1 के सुरक्षा फ्यूजों और वर्ग 6 प्रभाग 2 के स्फोटक फ्यूजों को जिनमें कोई खुला लोहा या इस्पात नहीं है, किसी अंतःक्षेपित भाग या स्थान के बिना एक दूसरे के साथ रखा जा सकेगा;

(ख) वर्ग 6, प्रभाग 3 के स्फोटकों को पृथक् रखा जाएगा ।

(ग) वर्ग 1 के बारूद को पृथक् रखा जाएगा ।

(6) वर्ग 3 के विस्फोटकों (नाइट्रो योगिक) अनुज्ञापन प्राधिकारी की विशेष मंजूरी के सिवाय उनके विनिर्माण की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् मैगजीन में नहीं रखा जाएगा ।

(7) जब कोई विस्फोटक उसके मानक शुद्धता के न रहने के कारण या द्रवीकरण या नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोग्लिसरीन द्रव या द्रवित नाइट्रो योगिक के रिसने के कारण मैगजीन में भंडारण के लिए ठीक नहीं रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वयं के खर्च पर, ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी जारी करे ।

(8) मैगजीन का आंतरिक भाग और उसकी शाखाएं और प्रशाखाएं और फिटिंग इस प्रकार विनिर्मित या रेखांकित या आच्छादित

होगी जिससे कि किसी लोहे या इस्पात को विस्फोटकों के संपर्क में आने से रोका जा सके ।

ऐसे आंतरिक या शाखाओं और प्रशाखाओं को जहां तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, धूल से मुक्त रखा जाएगा और अन्यथा स्वच्छ किया जाएगा तथा जल से खतरनाक रूप से प्रभावित हो सकने वाली किन्हीं विस्फोटकों की दशा में उससे जल को अलग करने के लिए सम्यक् पूर्वावधानियां बरती जाएंगी :

परंतु इस शर्त का उतना भाग जो किसी लोहे या स्टील के संपर्क से संबंधित पूर्वावधानियों से संबद्ध है ऐसे किसी भवन में बाध्यकर नहीं होगा, जिनमें वर्ग 6, प्रभाग 1 के सुरक्षा फ्यूजों से भिन्न विस्फोटक नहीं रखे गए हैं ।

(9) यदि प्रकाश प्रचालक को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा परीक्षित किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण के लिए विहित फीस का संदाय करेगा । परीक्षण के असमाधानप्रद साबित होने की दशा में, प्रकाश प्रचालक के सामाधानप्रद रूप में परीक्षण अधिकारी द्वारा पारित किए जाने तक प्रत्येक पश्चात्पूर्वी परीक्षण के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समस्त फीस संदेय होगी,

परंतु किसी,6

(1) एक परीक्षण के लिए संदेय फीस किसी एक दिन के दौरान प्रचालक पर किए गए सभी परीक्षणों के लिए प्रभारित की जाएगी ।

परंतु यह और कि जहां दो या अधिक प्रकाश प्रचालक एक ही मैग्जीन से संलग्न किए जाते हैं वहां सभी ऐसे प्रचालकों के परीक्षण के लिए फीस एक प्रकाश प्रचालक के परीक्षण के लिए इस शर्त में विहित फीसों से अधिक नहीं होगी ।

(10) अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप आई 2, आर ई 4 में सभी विस्फोटकों के अभिलेख और लेखे रखेगा और स्टॉक बुक और अभिलेखों को इन नियमों के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारियों को, जब कभी ऐसे अधिकारी द्वारा उससे इस प्रकार की मांग की जाए तो उसे प्रदर्शित करेगा । विहित प्ररूप में स्टॉक बुकों पर पृष्ठ संख्या डाली जाएगी ।

(11) किसी दुर्घटना और विस्फोटकों की सभी हानियों, भंडार में कमी और चोरियों की रिपोर्ट अविलंब निकटतम पुलिस स्टेशन को तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी को की जाएगी ।

(12) किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को अनुज्ञत परिसरों पर सभी युक्तियुक्त समयों पर पहुंच प्राप्त होगी और ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सुविधा दी जाएगी कि सभी नियमों और अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यकतः अनुपालन किया जा रहा है ।

(13) परिसरों में कोई परिवर्तन या तबदीली अनुज्ञापन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन बिना नहीं की जाएगी और अनुज्ञप्तिधारी ऐसी किसी शर्त का अनुपालन करेगा जो इस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे ।

(14) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित रूप में कोई सूचना देकर अनुज्ञप्तिधारी से मांग करता है कि वह ऐसी कोई कार्रवाई करे जो ऐसे प्राधिकारी की राय में ऐसे परिसरों या जनता की सुरक्षा के

लिए आवश्यक है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अवधि के अंदर जो ऐसी सूचना द्वारा नियत की जाए, ऐसी कार्रवाई करेगा । किंतु उक्त अवधि सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास से कम की नहीं होगी ।

(15) मैग्जीन सभी समयों पर अच्छी तरह मरम्मत करके या (अच्छी हालत में) बनाए रखे जाएंगे । यदि किसी कारणवश किसी विस्फोटक के भंडारकरण के लिए मैग्जीन अनुपयुक्त हो जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी इस बात की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत देगा ।

(16) मैग्जीन का अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक तीन मास के अंत में जिला अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को जिसकी अधिकारिता में मैग्जीन अवस्थित है, जिला मजिस्ट्रेट को प्ररूप आर ई-7 में समय-समय पर विहित प्रोफार्मा में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा । यह विवरणी इस प्रकार दी जाएगी कि वह ठीक आगामी मास की दस तारीख तक प्राधिकारियों के पास पहुंच जाए ।

(17) यदि सुरक्षा दूरी का कोई अधिक्रमण होता है तो उसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को, आवश्यक सलाह और कार्यवाही के लिए, तुरंत दी जाएगी ।

(18) यदि कोई विस्फोटक विनष्ट हुआ अथवा अनुपयोगी पाया जाता है तो उसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को, सलाह प्राप्त करने के लिए, तुरंत दी जाएगी ।

(19) विस्फोटकों के पैकेजों के चट्टे इस प्रकार लगाए जाएंगे कि कम से कम एक व्यक्ति भंडार किए गए सभी पैकेजों की हालत की जांच करने और प्रत्येक पैकेज की विनिर्माण विशिष्टियों को पढ़ने के लिए उनके बीच से होकर आ जा सके ।

(20) तड़ित चालकों का भूमि के लिए प्रतिरोध यथासंभव न्यूनतम होगा और किसी भी दशा में 10 ओहम से अधिक नहीं होगा ।

(21) मैग्जीन के चारों ओर 15 मीटर की दूरी के अंतर्गत कोई शुष्क घास या झाड़ी या ज्वलनशील सामग्री नहीं रहने दी जाएगी ।

(22) विस्फोटकों के प्रत्येक पैकेट की, जब उसे मैग्जीन के भीतर लिया जा रहा हो, ठीक दशा जानने के लिए, परीक्षा की जाएगी ।

(23) किसी मैग्जीन में किसी एक समय में चार व्यक्तियों से अधिक को नहीं रहने दिया जाएगा ।

(24) विस्फोटकों के खाली पैकेजों को शीघ्रातिशीघ्र वहां से हटाकर और नष्ट कर दिया जाएगा ।

(25) विस्फोटन प्रयोजनों के लिए विस्फोटकों का प्रयोग उस क्षेत्र में, जो खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे अर्ह फायरकर्ता को, जिसके पास इन नियमों के अधीन अनुदत्त शाट फायरकर्ता प्रमाणपत्र है या किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करता है जिसके पास मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा मान्यताप्राप्त समतुल्य अर्हताएं हैं ।

(26) अनुज्ञप्तिधारी और शाट फायरकर्ता चार्जों की तैयारी, छिद्रों को चार्ज किए जाने और शाटों को फायर किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे और वे सभी अग्नि को रोकने के लिए सावधानियां बरतेंगे जो विस्फोटकों के साथ दुर्घटना होती है ।

(27) ऐसे किसी स्थान में या उसके निकट, जिसमें विस्फोटक चार्ज तैयार किए जा रहे हैं या रखे गए हैं, जहां धूम्रपान या प्रकाश या किसी प्रकार की अग्नि स्रोत नहीं रहने दी जाएगी।

(28) शाट छिद्र को चार्ज करने के लिए या स्टैमन करने के लिए कोई व्यक्ति लोहा या इस्पात के किसी औजार स्क्रैपर या टैम्पन राड का प्रयोग नहीं करेगा और न अपर्याप्त आकार के किसी छिद्र में विस्फोट पर दबाव डालकर उसे अन्दर डालेगा। पूर्णतः लकड़ी से बनी टैम्पन राड का ही प्रयोग करेगा।

(29) किसी विस्फोटक चार्ज का विस्फोट करने के पहले इसके संबंध में पर्याप्त उपाय किए जाएंगे कि यथासंभव विस्फोटक चार्ज के विस्फोटक से पत्थर के टुकड़े प्रक्षेपित न हो सकें।

(30) कोई भी व्यक्ति छिद्र को पुनः बेधित या उसके हस्तक्षेप नहीं करेगा जिससे एक बार चार्ज किया गया है या वह फायर करने के पूर्व या अविस्फोटन के पश्चात् बचे रिक्त छिद्रों या साकेटों को अधिक गहरा करने का या उनमें हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं करेगा।

(31) अनुज्ञप्तिधारी शाट फायर करने से पूर्व जनता को दश संकेत प्रणाली द्वारा तथा खतरनाक जोन में लाल झण्डियां लगाकर पर्याप्त चेतावनी देगा। वहां यह भी देखेगा कि आसपास के क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों ने उचित समय प्राप्त कर लिया है और इस संबंध में उचित कदम भी उठाएगा कि शाट तक कोई व्यक्ति पहुंच न सकें।

(32) अनुज्ञप्तिधारी जनता को इस संबंध में चेतावनी देगा कि जनता विस्फोट सँक्रिया के स्थल के पास, विस्फोट के पश्चात् कम से कम एक घंटे के भीतर न जाए या किसी खुले खदान की दशा में जनता, विस्फोट के पश्चात् कम से कम आधे घंटे के भीतर, ऐसी खदान तक न जाए।

(33) शाटों की संख्यांक, जो विस्फोटक किए गए हैं, लेखा जोखा रखा जाएगा और जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि सभी शाट विस्फोटन हो गए हैं। कोई व्यक्ति उस स्थान तक, शाटों के फायर किए जाने के पश्चात् जब तक तीस मिनट बीत न जाएं, न तो जाएगा और न उसे जाने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(34) अविस्फोटक की दशा में यदि निर्मोचन छिद्र को ड्रिल किया जाता है तो उसे अविस्फोटित छिद्र से 30 सेंटीमीटर के अंदर नहीं रखा जाएगा। निर्मोचन छिद्र अविस्फोटन छिद्र के समानान्तर होगा।

(35) अनुज्ञप्तिधारी और नियोजित आपात्काल के दौरान परिसर के भीतर, की गई प्रक्रिया के संबंध में अवगत होंगे।

(36) किसी निरीक्षण या नमूना लेने वाले अधिकारी अनुज्ञप्ति परिसरों पर सभी उपलब्ध समयों पर अबोध पहुंच प्राप्त होगी और उस अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सुविधा दी जाएगी कि अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों की सम्यक् सुरक्षा शर्तों का अनुपालन किया जाए।

(37) यदि अनुज्ञापन अधिकारी या विस्फोटकों का नियंत्रक लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञापन परिसरों में किसी मरम्मत या कोई अतिरिक्त बनाने के लिए या परिवर्तन करने या मशीनरी, औजारों या साधित्र या सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सूचना देकर कार्यान्वित करना जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अप्रतिग्राहीय जोखिम

को प्रकट कर सकेगा और परिसर या व्यक्तियों का या तो स्थल पर या स्थल पर सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अनुज्ञप्तिधारक सिफारिशों को निष्पादन करेगा और रिपोर्ट का अनुपालन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर करेगा।

(38) फायर या विस्फोट द्वारा दुर्घटना और विस्फोटों की हानियों, कमियों या चोरियों की रिपोर्ट अविचलित निकटतम पुलिस स्टेशन को और अनुज्ञापन प्राधिकारी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी स्थानीय कार्यालय को दी जाएगी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

संवर्ग-VIII

मैगजीन में वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7 के विस्फोटकों को बिक्री या प्रयोग हेतु रखने के लिए प्ररूप एल.ई. 3 [अनुच्छेद 3 (ख) से (ग)] में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्रदान किया जाने वाले अनुज्ञप्ति संख्या की शर्तें निम्नलिखित हैं :

शर्तें

(1) परिसर में किसी भी समय विस्फोटकों की मात्रा अनुज्ञापन योग्य सामर्थ्य से अधिक नहीं होगी।

(2) विस्फोटकों के भंडारण के लिए प्रयुक्त होने वाली मैगजीन अनुसूची III और अनुज्ञप्ति के उपाबंध में विनिर्दिष्ट सुरक्षा दूरी बनाए रखना होगा।

(3) मैगजीन का प्रयोग उन सभी विस्फोटकों के, जो इस अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है, रखे जाने के लिए और ऐसे रखे जाने से संबद्ध आधान या औजार या उपकरणों के रखे जाने के लिए ही किया जाएगा; अन्यथा नहीं।

(4) पैकजों को खोलने का कार्य और विस्फोटकों को तौलने तथा पैक करने का कार्य मैगजीन में नहीं किया जाएगा।

(5) दो या दो से अधिक वर्णन के विस्फोटकों को, जिन्हें मैगजीन में रखे जाने की अनुज्ञा दी जा सकती है, मैगजीन में तभी रखे जाएंगे जब उनमें से प्रत्येक को, ऐसे पदार्थ या स्वरूप का कोई मध्यवर्ती विभाजक लगाकर या उनके बीच ऐसा मध्यवर्ती स्थान छोड़कर, परस्पर पृथक् कर दिया जाए कि किसी वर्जन के विस्फोटक में लगने वाली आग या होने वाला विस्फोट किसी अन्य वर्जन के विस्फोटक तक न पहुंच सके :

परंतु,—

(घ) वर्ग 2 (नाइट्रेट मिश्रण), वर्ग 3 (नाइट्रो योगिक) के विभिन्न विस्फोटक, वर्ग 6 प्रथम प्रभाग के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा पलीते और वर्ग 6 प्रभाग 2 के अंतर्गत आने वाले विस्फोटक प्रेरक पलीते, जिनमें कोई खुला लोहा या इस्पात नहीं है, एक दूसरे के साथ बिना किसी मध्यवर्ती विभाजक या स्थान के रखे जा सकते हैं।

- (ड) वर्ग 6 प्रभाग 3 के अंतर्गत आने वाले विस्फोटक प्रेरक अलग रखे जाएंगे ।
- (च) वर्ग 1 के अंतर्गत आने वाले बारूद को अलग रखा जाएगा ।
- (6) वर्ग 3 (नाइट्रो योगिक) के विस्फोटकों को, उनके विनिर्माण की तारीख से एक वर्ष बीत जाने के पश्चात् सिवाय अनुज्ञापन प्राधिकारी की विशेष मंजूरी के मैगजीन में नहीं रखा जाएगा ।
- (7) वर्ग 3 (नाइट्रो योगिक) के विस्फोटकों को, उनके विनिर्माण की तारीख से एक वर्ष बीत जाने के पश्चात् मैगजीन में तभी रखा जाएगा जबकि किसी विस्फोटक नियंत्रक ने इसके लिए विशेष मंजूरी दे दी हो ।
- (i) जब ऐसी मंजूरी दे दी गई हो तो प्रत्येक निरीक्षण पर किसी विस्फोटक नियंत्रक से ऐसा लिखित प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया जाए जिसमें दी गई मंजूरी के अंतर्गत आने वाली अवधि दर्शित की गई हो और ऐसे प्रमाणपत्र के अनुज्ञप्तिधारी अपने पास रखेगा और मांग की जाने पर प्रस्तुत करेगा ।
- (ii) जब कोई विस्फोटक मानक शुद्धता का न रह जाने के कारण या द्रवणीकरण या नाइट्रो ग्लिसरीन या द्रव नाइट्रो योगिक के निकल जाने के चिन्ह प्रकट होने के कारण मैगजीन में भण्डारित किए जाने के उपयुक्त नहीं रह जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी अपने ही व्यय पर ऐसे विस्फोटक के निपटारे के लिए ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो मुख्य नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक जारी करे ।
- (8) मैगजीन के भीतरी भाग या उसमें की बेंचों, शैल्फों और उसकी फिटिंग का इस प्रकार सन्निर्माण किया जाएगा या उन्हें इस प्रकार अंतरित या अवतरित किया जाएगा कि विस्फोटक का किसी लोहे या इस्पात के साथ संपर्क रोका जा सके । ऐसे भीतरी भाग बेंचे, शैल्फें और फिटिंग यथासाध्य ग्रिट से मुक्त और अन्यथा साफ रखे जाएंगे तथा ऐसे किन्हीं विस्फोटकों की दशा में, जो जल से खतरनाक रूप में प्रभावित हो सकते हैं, इस बाबत सम्यक् सावधानी बरती जाएगी कि वहां कोई जल मौजूद न रहे :
- परंतु किसी लोहे या इस्पात के खुले होने के विरुद्ध सावधानी से संबंधित इस शर्त का वह भाग ऐसे किसी भवन में बाध्यकर नहीं होगा जिसमें वर्ग 6 (गोला बारूद) के प्रथम प्रभाग के विस्फोटक से भिन्न कोई विस्फोटक रखा गया है ।
- (9) यदि तड़ित चालक का परीक्षण विस्फोटक नियंत्रक करता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परीक्षण के लिए विहित फीस का संदाय करेगा । यदि परीक्षण असमाधानकारी साबित होता है तो उतनी ही फीस अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पश्चात्वर्ती प्रत्येक परीक्षण के लिए तब तक दी जाती रहेगी जब तक कि परीक्षण अधिकारी तड़ित चालक को समाधानप्रद घोषित नहीं कर देता :
- परंतु किसी एक परीक्षण के लिए देय फीस किसी एक दिन के दौरान किसी चालक के किए गए सभी परीक्षणों के लिए प्रभार्य होगा :

परंतु यह और कि यदि दो या अधिक तड़ित चालक एक ही मैगजीन से संबद्ध हैं तो ऐसे सभी चालकों के परीक्षण के लिए फीस ऐसी किसी फीस से अधिक नहीं होगी जो किसी एक तड़ित चालक के परीक्षण के लिए हर स्थिति में विहित की गई है ।

(10) उपयुक्त तथा जेब रहित कार्यकरण वस्त्रों, उपयुक्त जूतों के प्रयोग द्वारा तथा तलाशी लेकर या अन्यथा अथवा ऐसे किन्हीं साधनों द्वारा इस बाबत सम्यक् उपबंध किया जाएगा कि फैक्ट्री परिसर में अग्नि, दियासलाई अथवा ऐसी कोई वस्तुएं या पदार्थ, जिससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती हो, किन्तु इस शर्त के कारण ऐसी संरचना, स्थिति या स्वरूप में किसी कृत्रिम बत्ती का प्रवेश वर्जित नहीं है जिससे आग लगने या विस्फोट होने का खतरा न हो :

परंतु इस शर्त का वह भाग, जो लोहे या इस्पात के अपवर्जन को लागू होता है, ऐसे किसी भवन के संबंध में बाध्यकर नहीं होगा जिससे भिन्न कोई विस्फोटक नहीं रखा गया है ।

(11) अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप आर.ई.-3 और आर.ई.-4 या आर.ई.-5, जैसी स्थिति हो, में सभी विस्फोटकों का अभिलेख और लेखा रखेगा और विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा ऐसा करने की मांग की जाने पर स्टाक पुस्तक और अभिलेख प्रस्तुत करेगा । स्टाक पुस्तक विहित प्रोफार्मा में पृष्ठ संख्यांकित होगी ।

(12) परिसरों में कोई परिवर्तन या तबदीली अनुज्ञापन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन बिना नहीं की जाएगी और अनुज्ञप्तिधारी ऐसी किसी शर्त का अनुपालन करेगा जो इस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें ।

(13) मैगजीन सभी समयों पर अच्छी मरम्मत की स्थिति में बनाई रखी जाएगी (या अच्छी हालत में बनाई रखी जाएगी) । यदि किसी कारणवश किसी विस्फोटक के भण्डारण के लिए मैगजीन अनुपयुक्त हो जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी इस बात की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत देगा ।

(14) मैगजीन का अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के नियम 24 के उप-नियम 3 के अनुसार त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(15) यदि सुरक्षा दूरी का कोई अधिक्रमण होता है तो उसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवश्यक सलाह और कार्यवाही के लिए तुरंत दी जाएगी ।

(16) यदि कोई विस्फोटक विनष्ट हुआ अथवा अनुपयोगी पाया जाता है तो उसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को, सलाह प्राप्त करने के लिए, तुरंत दी जाएगी ।

(17) विस्फोटकों के पैकेटों के चट्टे इस प्रकार लगाए जाएंगे कि कम से कम एक व्यक्ति भण्डार किए गए सभी पैकेजों की हालत की जांच करने और प्रत्येक पैकेज की विनिर्माण विशिष्टियों को पढ़ने के लिए उनके बीच से होकर आ जा सके ।

(18) तड़ित चालकों की भूमि के लिए प्रतिरोध यथासंभव न्यूनतम होगा और किसी भी दशा में 10 ओह्म से अधिक नहीं होगा ।

(19) मैगजीन के चारों ओर 15 मीटर की दूरी के अंतर्गत कोई शुल्क घास या झाड़ी या ज्वलनशील सामग्री नहीं रहने दी जाएगी ।

(20) विस्फोटकों के प्रत्येक पैकेट की, जब उसे मैगजीन के भीतर लिया जा रहा हो, ठीक दशा जानने के लिए परीक्षा की जाएगी।

(21) किसी मैगजीन/भंडारगृह में किसी एक समय में चार व्यक्तियों से अधिक को नहीं रहने दिया जाएगा।

(22) विस्फोटकों के खाली पैकजों को शीघ्रतिशीघ्र वहां से हटा दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा।

(23) अनुज्ञप्तिधारी और कर्मचारियों को परिसर के भीतर आपातकाल के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं से अवगत होना चाहिए।

(24) निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञत परिसर में अबाध रूप से पहुंचने दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और सुरक्षा स्थितियों को सम्यक्तः अनुपालन किया जा रहा है, अधिकारी को प्रत्येक सुविधा प्रदान की जाएगी।

(25) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या विस्फोटक नियंत्रक अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञत परिसरों या मशीनरी, टूल या उपकरण में ऐसी कोई मरम्मत या परिवर्धन या परिवर्तन करने या सिफारिशों को लागू करने को लिखित रूप में सूचित करता है जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अप्रतिग्राह्य जोखिम कर सकता है और जो परिसर के अंदर या बाहर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारक सिफारिशों को निष्पादित करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को देगा।

(26) अनुज्ञप्तिधारी मैगजीन में रखने और बिक्री के लिए प्राधिकृत विस्फोटक सूची में उल्लिखित अनुज्ञत फ़ैक्टरी या कंपनी से प्राधिकृत विस्फोटक/आतिशबाजी या सुरक्षा पलीते खरीदेगा।

(27) निम्न से अधिक ध्वनि स्तर उत्पादित करने वाले आतिशबाजियों पटाखों की बिक्री और रखने के लिए,—

(क) जो फटने की जगह से चार मीटर की दूरी पर है, 125 डी.बी.(ए.1) या 145 डी.बी. (सी) पी.के.प्रतिबंधित होंगे ;

(ख) श्रृंखला (जुड़े हुए पटाख) को गठन करने वाले व्यक्तिगत पटाखों के लिए उपर्युक्त उल्लिखित सीमा 5 लॉग. 10(एन) डी.बी.से कम की जाएगी, जहां एन = साथ जोड़े गए पटाखों की संख्या।

(28) आग या विस्फोट द्वारा दुर्घटना या नुकसान पटाखों की कमी या चोरी, तुरंत पास के पुलिस थाने और अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय को रिपोर्ट की जाएगी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

संवर्ग-IX

भंडारगृह में 5000 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाजी या 50000 मीटर से अनधिक सुरक्षा पलीते को स्वयं की अनुज्ञप्त दुकान पर हस्तांतरण हेतु, न कि बिक्री के लिए प्ररूप एल.ई.-3 [अनुच्छेद 3 (घ)] में विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुज्ञप्ति संख्या की शर्तें निम्नलिखित हैं :

शर्तें

(1) परिसर में किसी भी समय आतिशबाजी की मात्रा अनुज्ञापन योग्य सामर्थ्य से अधिक नहीं होगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकृत विस्फोटक सूची में उल्लिखित प्राधिकृत आतिशबाजी या सुरक्षा पलीते भंडारगृह में रखने के लिए अनुज्ञप्त फ़ैक्टरी या कंपनी द्वारा खरीदेगा।

(3) मुख्यनियंत्रक द्वारा अनुमोदित पेपर क्रेप या अमोरसेस या रंगीन मैच से युक्त आतिशबाजी के सिवाय, कोई भी आतिशबाजी परिसर में नहीं रखी जाएगी।

(4) पैकजों को खोलने का कार्य और विस्फोटकों को तौलने तथा पैक करने का कार्य भंडारगृह में नहीं किया जाएगा।

(5) भंडारगृह, अनुसूची 7 के विनिर्देश 3 में दिए गए विनिर्देश के अनुसार सन्निर्मित किए जाएंगे।

(6) आतिशबाजी या सुरक्षा पलीते के किसी दुकान से विक्रय और रखने के लिए अनुज्ञप्तधारी व्यक्ति ही भंडारगृह के लिए अनुज्ञप्ति के लिए योग्य होगा।

(7) क्लोरेटयुक्त पेपर क्रेप या समोरसेस या स्टार मैचेस, जिन्हें भंडारगृह में रखने की अनुज्ञा दी जा सकती है, भंडारगृह में तभी रखे जाएंगे जब उनमें से प्रत्येक को सीमेंट के गारे के साथ बने हुए ईट या पत्थर की मध्यवर्ती विभाजक लगाकर परस्पर पृथक कर दिया जाए कि किसी विस्फोटक में लगने वाली आग या होने वाला विस्फोट अन्य विस्फोटक तक न पहुंच सकें।

(8) भंडारगृह के भीतरी भाग या उनमें की बेंचों, शेलफों और उसकी फिटिंग का इस प्रकार सन्निर्माण किया जाएगा या उन्हें इस प्रकार अस्तमित या अवतरित किया जाएगा कि विस्फोटक किसी लोहे या इस्पात के साथ संपर्क रोका जा सके। ऐसे भीतरी भाग बेंचे, शैल्फें और फिटिंग यथासाध्य ग्रिट से मुक्त और अन्यथा साफ रखे जाएंगे और अन्यथा साफ रखे जाएंगे तथा ऐसे किन्हीं विस्फोटकों की दशा में, जो जल से खतरनाक रूप में प्रभारित हो सकते हैं, इस बाबत सम्यक् सावधानी बरती जाएगी कि वहां कोई जल मौजूद न रहें।

(9) उपयुक्त तथा जब रहित कार्यकरण वस्त्रों, उपयुक्त जूतों के प्रयोग द्वारा तथा तलाशी लेकर या अन्यथा अपना ऐसे किन्हीं साधनों द्वारा इस बाबत सम्यक् उपबंध किया जाएगा कि फ़ैक्ट्री परिसर में अग्नि, दियासलाई अथवा ऐसी कोई वस्तुएं या पदार्थ, जिससे विस्फोट हो सकता हो या आग लग सकती हो, किन्तु इस शर्त के कारण ऐसी संरचना, स्थिति या स्वरूप में किसी कृत्रिम बत्ती का प्रवेश वजित नहीं है जिससे आग लगने या विस्फोट होने का खतरा न हो।

(10) अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप आर.ई.-2 और आर.ई.-3 में सभी आतिशबाजियों का अभिलेख और लेखा रखेगा और विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा ऐसा करने की मांग की जाने पर स्टाफ पुस्तक और अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

(11) परिसरों में कोई परिवर्तन या तब्दीली अनुज्ञापन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन बिना नहीं की जाएगी और अनुज्ञप्तिधारी ऐसी किसी

शर्त का अनुपालन करेगा जो इस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें।

(12) भंडारगृह सभी समयों पर अच्छी मरम्मत की स्थिति में बनाया रखा जाएगा (या अच्छी हालत में बनाया रखा जाएगा)। यदि किसी कारणवश किसी विस्फोटक के भण्डाकरण के लिए मैगजीन अनुपयुक्त हो जाता है तो अनुज्ञापितधारी इस बात की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत देगा।

(13) संलग्न प्ररूप डी.ई.-2 में दर्शाई गई दूरी का कोई अतिलंघन होता है तो उसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवश्यक, सलाह और कार्रवाई के लिए दी जाएगी।

(14) भंडारगृह का प्रयोग केवल रखने के लिए किया जाएगा न कि किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए। तथापि, जब परिसर में कोई विस्फोटक नहीं रखा गया हो, अनुज्ञापित प्राधिकारी द्वारा अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

(15) यदि कोई आतिशबाजी या सुरक्षा पलीते विनष्ट हुआ अथवा अनुपयोगी पाया जाता है तो उसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को सलाह के लिए तुरंत दी जाएगी।

(16) आतिशबाजी या सुरक्षा पलीते के पैकेटों के चट्टे इस प्रकार लगाए जाएंगे कि कम से कम एक व्यक्ति को भण्डार किए गए सभी पैकेजों की हालत की जांच करने और प्रत्येक पैकेज की विनिर्माण विशिष्टियों को पढ़ने के लिए पहुंच प्राप्त हो सके।

(17) भंडारगृह के चारों ओर तीन मीटर की दूरी के अंतर्गत कोई शुष्क घास या झाड़ी या ज्वलनशील सामग्री नहीं रहने दी जाएगी।

(18) विस्फोटकों के प्रत्येक पैकेज की, जब उसे भंडारगृह के भीतर लाया जा रहा हो, उसकी दशा जानने के लिए परीक्षा की जाएगी।

(19) भंडारगृह में किसी एक समय में चार व्यक्तियों से अधिक को नहीं रहने दिया जाएगा।

(20) विस्फोटकों के खाली पैकेजों को शीघ्रताशीघ्र वहां से हटा कर नष्ट कर दिया जाएगा।

(21) आतिशबाजियों के पैकेजों को खोलने तथा बंद करने या रखने के लिए प्रयुक्त होने वाले सभी औजार और यंत्र केवल लकड़ी, तांबे, पीतल या समरूप नम्र धातु से बने होने चाहिए या किसी सुरक्षित और उपयुक्त सामग्री से ढके हुए होने चाहिए।

(22) परिसर के किसी भी भाग में कोई व्यक्ति धुम्रपान नहीं करेगा या कोई दियासलाई या कोई अन्य अग्नि उत्पन्न करने वाली युक्ति नहीं रखी जाएगी।

(23) अनुज्ञापितधारी और कर्मचारी परिसर के आपातकाल के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं से भली-भांति अवगत होने चाहिए।

(24) किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को अनुज्ञापित परिसरों पर सभी समय पर स्वतंत्र पहुंच प्राप्त होगी और ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी कि उस

अधिनियम या इन नियमों और अनुज्ञापित की शर्तों को सम्यकतः अनुपालन किया जा रहा है।

(25) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या विस्फोटक नियंत्रक अनुज्ञापितधारक को अनुज्ञापित परिसरों या मशीनरी, टूल या उपकरण में ऐसी कोई मरम्मत या परिवर्धन या परिवर्तन करने या सिफारिशों को लागू करने को लिखित रूप में सूचित करता है, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अप्रतिग्राह्य जोखिम कर सकता है और जो परिसर के अंदर या बाहर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञापितधारक सिफारिशों को निष्पादित करेगा और विनिर्दिष्ट अवाधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को देगा।

(26) निम्न से अधिक ध्वनि से स्तर उत्पादन करने वाली आतिशबाजियों का रखाव,—

(i) फटने के बिंदु से चार मीटर की दूरी पर 125 डी.बी. (ए.1) या 145 डी.बी. (सी) पी.के. प्रतिबंधित होगा;

(ii) श्रृंखला (जोड़े गए पटाखे) का गठन करने वाले व्यक्तिगत पटाखों के लिए उपर्युक्त उल्लिखित सीमा से 5 लॉग. 10 (एन) डी.बी. से कम की जाएगी, जहां एन = साथ जोड़े गए पटाखों की संख्या।

(27) सभी समयों पर साफ पढ़ने योग्य लिखावट में स्पष्ट प्रदर्शित करते हुए रखा जाएगा,—

(क) परिसर की अनुज्ञापित संख्या।

(ख) भंडारण के लिए प्राधिकृत विभिन्न आतिशबाजी की मात्रा।

(ग) विभिन्न आतिशबाजी का प्रतिदिन का प्रारंभिक अवशेष।

(28) आग या विस्फोट द्वारा दुर्घटना या नुकासान या विस्फोटकों की कमी या चोरी को तुरंत पास के पुलिस थाने और अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय को रिपोर्ट की जाएगी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

संवर्ग-X

किसी एम समय में 25 किलोग्राम से अनधिक लघु आर्म नाइट्रो योगिक के रखने और दुकान से बिक्री हेतु प्ररूप एल. ई.-5 [अनुच्छेद 5(क)] में जिलाधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुज्ञापित संख्या की शर्तें निम्नलिखित हैं :

शर्तें

(1) इस अनुज्ञापित का धारक केवल अनुज्ञापित में विनिर्दिष्ट मात्रा से अनधिक लघु आर्म नाइट्रो योगिक की बिक्री के लिए प्राधिकृत होगा।

(2) लघु आर्म नाइट्रो योगिक अज्वलनशील सामग्री से बने परिसर में रखे जाएंगे जो कि बंद होंगे और सुरक्षित होंगे जिससे कि उसमें अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुंच को रोका जा सके।

(3) कोई भी तेल से जलने वाली लैंप, गैस लैंप या खुली रोशनी शेड में या रोशनी करने के प्रयोजन के लिए शेड के सुरक्षा दूरी के भीतर प्रयोग नहीं की जाएगी। यदि कोई विद्युत रोशनी प्रयुक्त होती

है तो उसे दीवार या छत पर नियत किया जाएगा और उसे नम्य तार द्वारा लटकाया नहीं जाएगा ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी स्ट्याक में और सभी बेचे गए विस्फोटकों का नीचे दिए गए प्ररूप में समय-समय पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा यथा निदेशित अभिलेख और लेखा रखेगा और इस नियम के अधीन जबकि कोई अधिकारी उसे ऐसा करने को कहेगा, अपने स्ट्याक और अपनी पुस्तकों और अभिलेखों को ऐसे किसी अधिकारी के समक्ष प्रदर्शित करेगा ।

तारीख	प्रारंभिक अवशेष	खरीदे गए लघु आर्म नाइट्रो यौगिक की मात्रा	उस अनुज्ञप्तिधारी का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या, जिससे खरीदारी की गई है	बेचे गए लघु आर्म नाइट्रो यौगिकों की मात्रा	अंतिम अवशेष

(5) इस अनुज्ञप्ति के अधीन सभी बिक्री, अनुज्ञप्ति के ऊपर उल्लिखित परिसर पर ही की जाएगी और 16 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को ऐसी बिक्री नहीं की जाएगी ।

(6) अनुज्ञप्तिधारी और कर्मचारी परिसर के भीतर आपातकाल के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं से भली-भांति परिचित होंगे ।

(7) किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को अनुज्ञत परिसर पर सभी समयों पर पहुंच प्राप्त होगी और ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं दी जाएगी कि इस अधिनियम या इन नियमों और सुरक्षा की शर्तों का सम्यकतः अनुपालन किया जा रहा है ।

(8) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञत परिसरों या मशीनरी, टूल या उपकरण में ऐसी कोई मरम्मत या परिवर्धन या परिवर्तन करने या सिफारिशों को लागू करने को लिखित रूप में सूचित करता है, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अप्रतिग्राह्य जोखिम कर सकता है और जो परिसर के अंदर या बाहर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारक सिफारिशों को निष्पादित करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को देगा ।

(9) अग्नि या विस्फोट द्वारा दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की हानि, उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत दी जाएगी ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

संवर्ग-XI

वर्ग 7, प्रभाग 2 उपप्रभाग 2 के विनिर्मित आतिशबाजी किसी एक समय में 100 किलोग्राम से अनधिक और 500 किलोग्राम से अनधिक चीनी पटाखों या फूलझड़ियों को रखने और दुकान से बिक्री हेतु प्ररूप एल.ई.-5 [अनुच्छेद 5(ख)] में जिलाधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुज्ञप्ति संख्या की शर्तें निम्नलिखित हैं :

शर्तें

(1) आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री से बने शेंड/भवन में रखी जाएगी, जो कि बंद और सुरक्षित होगी जिससे कि उसमें अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुंच को रोका जा सके ।

(2) कोई भी तेल से जलने वाली लैंप, गैस लैंप या खुली रोशनी शेंड में या रोशनी करने के प्रयोजन के लिए शेंड के सुरक्षा दूरी के भीतर प्रयोग नहीं की जाएगी । यदि कोई विद्युत रोशनी प्रयुक्त होती है तो उसे दीवार या छत पर स्थिर किया जाएगा और उसे नम्य तार द्वारा लटकाया नहीं जाएगा ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी और कर्मचारी परिसर के भीतर आपातकाल के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं से भली-भांति परिचित होंगे ।

(4) किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को अनुज्ञत परिसर पर सभी समयों पर पहुंच प्राप्त होगी और ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं दी जाएगी कि सभी नियमों और अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यकतः अनुपालन किया जा रहा है ।

(5) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञत परिसरों या मशीनरी, टूल या उपकरण में ऐसी कोई मरम्मत या परिवर्धन या परिवर्तन करने या सिफारिशों को लागू करने को लिखित रूप में सूचित करता है, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अप्रतिग्राह्य जोखिम कर सकता है और जो परिसर के अंदर या बाहर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारक सिफारिशों को निष्पादित करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को देगा ।

(6) अग्नि या विस्फोट द्वारा दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की हानि, उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत दी जाएगी ।

(7) अनुज्ञप्तिधारी रखने और दुकान से बिक्री के लिए प्राधिकृत विस्फोटक सूची में यथा उल्लिखित प्राधिकृत आतिशबाजी अनुज्ञत फैक्टरी या कंपनी से खरीदेगा ।

(8) क्लोरेटयुक्त आतिशबाजी/रंग/स्टार माचिस अन्य प्रकार के अतिशबाजियों से ऐसे मध्यवर्ती विभाजक पदार्थ और कैरेटर ऐसे मध्यवर्ती स्थान अलग की जाएगी, साथ ही एक दूसरे से संपर्क में आने से अग्नि या विस्फोट को प्रभावी रूप से रोका जाएगा ।

(9) इस अनुज्ञप्ति के अधीन आतिशबाजी की सभी बिक्रियां अनुज्ञप्ति पर उल्लिखित परिसर में ही की जाएगी ।

(10) कोई भी आतिशबाजी, जिसमें क्लोरेट अंतर्विष्ट है, सिवाय कागज कैप या एमोसेस या रंगीन माचिस या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित आतिशबाजी के, परिसर में नहीं रखी जाएगी ।

(11) अनुज्ञप्तिधारी स्ट्याक में और बिक्री किए गए सभी विस्फोटकों का नीचे दिए गए प्ररूप में अभिलेख और लेखा रखेगा जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे समय-समय पर निदेश दे और इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को, जब ऐसा अधिकारी उसे ऐसा करने के लिए कहे, अपना स्ट्याक और अपनी पुस्तकें और अभिलेख प्रदर्शित करेगा ।

तारीख	प्रारंभिक अवशेष	खरीदी गई आतिशबाजी की मात्रा	अनुज्ञप्तिधारी का नाम, और अनुज्ञप्ति संख्या, जिससे खरीदारी की गई है	बेची गई आतिशबाजी की मात्रा	अंतिम अवशेष
-------	-----------------	-----------------------------	---	----------------------------	-------------

(12) कोई भी आतिशबाजी, जो नीचे दिए गए स्तर से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम हो, परिसर में भंडारण या परिसर से बिक्री के लिए नहीं रखी जाएगी,-

- (क) फटने के बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर 125 डी.बी (ए.1) या 145 डी.बी. (सी) पी.के. प्रतिबंधित होगा ;
- (ख) शृंखला (जोड़े गए पटाखों) का गठन करने वाले व्यक्तिगत पटाखों के लिए उपर्युक्त उल्लिखित सीमा से 5 लॉग. 10 (एन) डी.बी. से कम की जाएगी, जहां एन=साथ जोड़े गए पटाखों की संख्या ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

संवर्ग-XII

वर्ग 6, प्रभाग 1 के पायरो तकनीक युक्ति विस्फोटक की 2000 संख्या से अनधिक किसी दुकान में रखने और बेचने या प्रयोग के लिए प्ररूप एल.ई.5 [अनुच्छेद 5(ग)] में जिलाधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुज्ञप्ति संख्या..... की शर्तें निम्नलिखित हैं :

शर्तें

(1) इस अनुज्ञप्ति का धारक केवल अनुज्ञप्ति में यथाविनिर्दिष्ट मात्रा से अनधिक आतिशबाजी युक्ति विस्फोटकों की मात्राएं विक्रय या उपयोग के कब्जे के लिए प्राधिकृत होगी ।

(2) आतिशबाजी युक्ति विस्फोटकों को अज्वलनशील सामग्री से बनाए गए परिसरों में रखे जाएंगे जो कि बंद होंगे और सुरक्षित होंगे जिससे कि उसमें अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुंच को रोका जा सके ।

(3) कोई भी तेल से जलने वाली लैंप, गैस लैंप या खुली रोशनी शेड में या सुरक्षा दूरी के भीतर रोशनी करने के प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी । यदि कोई विद्युत रोशनी प्रयुक्त होती है तो उसे दीवार या छत पर नियत किया जाएगा और उसे नम्य तारों द्वारा लटकया नहीं जाएगा ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी स्टाफ में और सभी बेचे गए विस्फोटकों का नीचे दिए गए प्ररूप में समय-समय पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा यथानिर्देशित अभिलेख और लेखा रखेगा और इन नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को उसे ऐसा करने को कहेगा अपने स्टाफ और अपनी पुस्तकें और अभिलेखों को ऐसे अधिकारी के समक्ष प्रदर्शित करेगा ।

तारीख	प्रारंभिक अवशेष	खरीदे गए आतिशबाजी युक्ति विस्फोटकों की मात्रा	उस अनुज्ञप्तिधारी का नाम, और अनुज्ञप्ति संख्या, जिससे खरीदारी की गई है	बेचे गए आतिशबाजी युक्ति विस्फोटकों की मात्रा	अंतिम अवशेष
-------	-----------------	---	--	--	-------------

(5) अनुज्ञप्तिधारी और कर्मचारी परिसरों के भीतर आपातकाल के दौरान की जाने वाली प्राक्रियाओं से भली-भांति परिचित होंगे ।

(6) किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को अनुज्ञात परिसरों पर सभी युक्तियुक्त समय पर स्वतंत्र पहुंच प्राप्त होगी और ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो इस अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों और सुरक्षा की शर्तों का सम्यकतः अनुपालन किया जा रहा है ।

(7) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञात परिसरों या मशीनरी, टूल या उपकरणों में ऐसी कोई मरम्मत या परिवर्धन या परिवर्तन करने या सिफारिशों को लागू करने को लिखित रूप में सूचित करता है जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अप्रतिग्रह्य जोखिम कर सकता है और जो परिसर के अंदर या बाहर या अवधि के भीतर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है । अनुज्ञप्तिधारक सिफारिशों को निष्पादित करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को देगा ।

(8) अग्नि या विस्फोट द्वारा दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की हानि, उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत दी जाएगी ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

संवर्ग-XIII

बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु राज्य में 5 किलोग्राम से अनधिक बारूद और 50 मीटर से अनधिक सुरक्षा पलीते प्रयोग के लिए रखने हेतु प्ररूप एल.ई.5 [अनुच्छेद 5 (घ)] में जिलाधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुज्ञप्ति संख्या..... की शर्तें निम्नलिखित हैं :

शर्तें

(1) अनुज्ञात परिसर में किसी भी समय बारूद की अधिकतम मात्रा 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी ।

(2) बारूद को सुरक्षित पर्याप्त पात्र में रखी जाएगी ।

(3) बारूद को रखने के लिए प्रत्येक पात्र का भीतरी भाग इस प्रकार सन्निर्मित या लाइन या ढका जाएगा जिससे कि लोहा या इस्पात खुला न रहे या कोई ग्रिल लोहा या इस्पात या समान पदार्थ इस प्रकार विलग न हो सके कि वह बारूद के संपर्क में आ जाए ।

(4) वह पात्र, जिसमें बारूद रखा गया है, ताले में बंद रखा जाएगा और केवल ऐसे बारूद को रखने के लिए ही प्रयुक्त होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा ।

(5) 0.5 किलोग्राम से अधिक मात्रा का बारूद पर्याप्त थैले, कनस्तर या बनाई गई पेटी में ही रखा जाएगा और बंद रखा जाएगा जिससे बारूद का बाहर निकलना रोका जा सके और अन्यथा विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 14 और नियम 15 की अपेक्षाओं के अनुसार चिन्हित और पैक किया जाएगा ।

(6) कोई भी तेल, माचिस, रोशनी या अत्यंत ज्वलनशील या विस्फोटक प्रकृति या अग्नि या विस्फोट कारित कर सकने वाली कोई

अन्य वस्तु या कोई अम्ल या समरूप पदार्थ अनुज्ञत परिसर में न ही लाए जाएंगे और न ही रखे जाएंगे ।

(7) अनुज्ञप्तिधारी, खरीददारी करते समय अपनी अनुज्ञप्ति के ऊपर निम्नलिखित विशिष्टियां दर्शित करेगा और बारूद परिदत्त करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कराएगा ।

बारूद परिदत्त हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या	खरीदे गए बारूद की मात्रा	उस व्यक्ति का नाम और पता जो परिदान लेगा	खरीद की तारीख
---	--------------------------	---	---------------

(8) अनुज्ञप्तिधारी सभी प्राप्तियां और निर्गमन का एक रजिस्टर रखेगा और ऐसे प्ररूप में अपना स्टॉक और रजिस्टर इन नियमों के नियम 128 के अधीन प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के समक्ष, जब भी ऐसा अधिकारी उसे ऐसा करने के लिए कहे, प्रदर्शित करेगा ।

(9) अनुज्ञप्तिधारी और कर्मचारियों को परिसर के भीतर आपातकाल के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं से अवगत होना चाहिए ।

(10) निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञत परिसर में अबाध रूप से पहुंचने दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और नियमों के उपबंधों और सुरक्षा स्थितियों का सम्यकतः अनुपालन किया जा रहा है, अधिकारी को सभी सुविधा प्रदान की जाएगी ।

(11) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञत परिसरों या मशीनरी, टूल या उपकरण में ऐसी कोई मरम्मत या परिवर्धन या परिवर्तन करने या सिफारिशों को लागू करने को लिखित रूप में सूचित करता है, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अप्रतिग्राह्य जोखिम कर सकता है और जो परिसर के अंदर या बाहर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारक सिफारिशों को निष्पादित करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को देगा ।

(12) अग्नि या विस्फोट द्वारा दुर्घटना या नुकसान, पटाखों की कमी या चोरी को तुरंत पास के पुलिस थाने और अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय को की जाएगी ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

संवर्ग-XIV

केरल राज्य में 5 किलोग्राम से अनधिक लघु आर्म नाइट्रो योगिक को प्रयोग करने के लिए रखने हेतु प्ररूप एल.ई.5 [अनुच्छेद-5(ड)] में जिलाधिकारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुज्ञप्ति संख्या की शर्तें निम्नलिखित हैं :

शर्तें

(1) लघु आर्म नाइट्रो योगिक की अधिकतम मात्रा, जो एक समय पर अनुज्ञत परिसर में रखी जा सकती है, 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगी ।

(2) 0.5 किलोग्राम से अधिक लघु आर्म नाइट्रो योगिक पर्याप्त थैले, कनस्तर या पेटी में रखे जाएंगे और बंद होंगे जिससे किसी लघु आर्म नाइट्रो योगिक को बाहर निकलने से रोका जा सके और अन्यथा इन नियमों के नियम 14 और नियम 15 की अपेक्षाओं के अनुसार चिह्नित और पैक किये जाएंगे ।

(3) लघु आर्म नाइट्रो योगिक रखने के लिए प्रत्येक पात्र का भीतरी भाग इस प्रकार सन्निर्मित या लाइन या ढका जाएगा जिससे कि लोहा या इस्पात खुला न रहे या कोई ग्रिट लोहा या इस्पात या समान पदार्थ इस प्रकार विलग न हो सके कि वह लघु आर्म नाइट्रो योगिक के संपर्क में आ जाए ।

(4) वह पात्र, जिसमें लघु आर्म नाइट्रो योगिक रखा है, ताले में बंद रखा जाएगा और केवल ऐसे बारूद को रखने के लिए ही प्रयुक्त होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा ।

(5) कोई भी तेल, माचिस, रोशनी या अत्यंत ज्वलनशील या विस्फोटक प्रकृति या अग्नि या विस्फोट कारित कर सकने वाली कोई अन्य वस्तु या कोई अम्ल या समरूप पदार्थ अनुज्ञत परिसर में न ही लाए जाएंगे और न ही रखे जाएंगे ।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, खरीददारी करते समय अपनी अनुज्ञप्ति के ऊपर निम्नलिखित विशिष्टियां दर्शित करेगा और लघु आर्म नाइट्रो योगिक परिदत्त करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कराएगा ।

लघु आर्म नाइट्रो योगिक परिदत्त करने वाले व्यक्ति का नाम और पता तथा अनुज्ञप्ति संख्या	हस्ताक्षर	खरीदे गए लघु आर्म नाइट्रो योगिक की मात्रा	उस व्यक्ति का नाम और पता जो परिदान लेगा	खरीद की तारीख
--	-----------	---	---	---------------

(7) अनुज्ञप्तिधारी सभी प्राप्तियां और निर्गमन का एक रजिस्टर रखेगा और ऐसे प्ररूप में अपना स्टॉक और रजिस्टर विस्फोटक नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के समक्ष, जब भी ऐसा अधिकारी उसे ऐसा करने के लिए कहे, प्रदर्शित करेगा ।

(8) अनुज्ञप्तिधारी और कर्मचारियों को परिसर के भीतर आपातकाल के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं से अवगत होना चाहिए ।

(9) निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञत परिसर में अबाध रूप से पहुंचने दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और सुरक्षा स्थितियों का सम्यकतः अनुपालन किया जा रहा है, अधिकारी को सभी सुविधा प्रदान की जाएगी ।

(10) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या विस्फोटक नियंत्रक अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञत परिसरों या मशीनरी, टूल या उपकरण में ऐसी कोई मरम्मत या परिवर्धन या परिवर्तन करने या सिफारिशों को लागू करने को लिखित रूप में सूचित करता है, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अप्रतिग्राह्य जोखिम कर सकता है और जो परिसर के अंदर या बाहर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारक सिफारिशों को निष्पादित करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को देगा।

(11) अग्नि या विस्फोटक द्वारा दुर्घटना या नुकसान, विस्फोटकों की कमी या चोरी को, तुरंत पास के पुलिस थाने और अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय को रिपोर्ट की जाएगी।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

संवर्ग-XV

100 किलोग्राम से अधिक किंतु 300 किलोग्राम से अनधिक वर्ग 7, प्रभाग 2 उपप्रभाग 2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम से अधिक किंतु 1200 किलोग्राम से अनधिक चीनी पटाखों या स्पारकलर्स (वर्ग 7, प्रभाग 2 उपप्रभाग 1 की विनिर्मित आतिशबाजी) को रखने और दुकान में बेचने हेतु प्ररूप एल.ई.-5 [अनुच्छेद 5(च)] में विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुज्ञप्ति संख्या की शर्तें निम्नलिखित हैं :

(1) आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री से बने शोड/भवन में रखी जाएगी, जो बंद रहेगा और सुरक्षित होगा जिससे अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को रोका जा सके।

(2) कोई भी तेल से जलने वाली लैंप, गैस लैंप या खुली रोशनी शोड में या रोशनी करने के प्रयोजन के लिए शोड की सुरक्षा दूरी के भीतर प्रयोग नहीं की जाएगी। यदि कोई विद्युत रोशनी प्रयुक्त होती है तो उसे दीवार या छत पर स्थिर किया जाएगा और उसे नम्य तार द्वारा लटकाया नहीं जाएगा। स्विच को कठोरता से स्थिर किया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी और कर्मचारियों को परिसर के भीतर आपातकाल के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं से अवगत होना चाहिए।

(4) निरीक्षण या नमूना अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञत परिसर में अबाध रूप से पहुंचने दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और सुरक्षा स्थितियों का सम्यकतः अनुपालन किया जा रहा है अधिकारी को सभी सुविधा प्रदान की जाएगी।

(5) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी या विस्फोटक नियंत्रक अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञत परिसरों या मशीनरी, टूल या उपकरण में ऐसी कोई मरम्मत या परिवर्धन या परिवर्तन करने या सिफारिशों को

लागू करने को लिखित रूप में सूचित करता है, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अप्रतिग्राह्य जोखिम कर सकता है और जो परिसर के अंदर या बाहर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारक सिफारिशों को निष्पादित करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को देगा।

(6) अग्नि या विस्फोटक द्वारा दुर्घटना या नुकसान विस्फोटकों की कमी या चोरी को, तुरंत पास के पुलिस थाने और अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय को रिपोर्ट की जाएगी।

(7) कागज कैंप या अर्मीसेस या रंगीन माचिस या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित आतिशबाजी से भिन्न कोई भी क्लोरेट युक्त आतिशबाजी परिसर में नहीं रखी जाएगी।

(8) अनुज्ञप्तिधारी दुकान में रखने और बेचने के लिए प्राधिकृत विस्फोटक सूची में यथा उल्लिखित प्राधिकृत आतिशबाजी अनुज्ञत फ़ैक्टरी या कंपनी से खरीदेगा।

(9) क्लोरेटयुक्त आतिशबाजी/रंगीन/स्टार माचिस अन्य प्रकार की आतिशबाजी ऐसे पदार्थ या कैरेंटर के मध्यवर्ती विभाजन या ऐसी मध्यवर्ती स्थान से विलग किए जाएंगे, साथ ही अन्य तक पहुंचने वाले विस्फोटक या आग को प्रभावी रूप से रोका जाएगा।

(10) इस अनुज्ञप्ति के अधीन आतिशबाजियों की सभी बिक्री अनुज्ञप्ति के ऊपर उल्लिखित परिसर में ही की जाएगी।

(11) अनुज्ञप्तिधारी स्टॉक में और बिक्री किए गए सभी विस्फोटकों का नीचे दिए गए प्ररूप में अभिलेख और लेखा रखेगा जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे समय-समय पर निदेश दे और इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को, जब ऐसा प्राधिकारी उसे ऐसा करने के लिए कहे, अपना स्टॉक और अपनी पुस्तकें और अभिलेख प्रदर्शित करेगा।

तारीख	प्रारंभिक अवशेष	खरीदी गई आतिशबाजी की मात्रा	अनुज्ञप्तिधारी का नाम और अनुज्ञप्ति संख्या, जिससे खरीदारी की गई है	बेची गई आतिशबाजी की मात्रा	अंतिम अवशेष
-------	-----------------	-----------------------------	--	----------------------------	-------------

(12) कोई भी आतिशबाजी, जो नीचे दिए गए स्तर से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम हो, परिसर में भंडारण या परिसर से बिक्री के लिए नहीं रखी जाएगी,-

(क) फटने के बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर 125 डी.बी. (ए.1) या 145 डी.बी. (सी) पी.के. प्रतिबंधित होगा ;

(ख) श्रृंखला (जोड़े गए पटाखे) का गठन करने वाले व्यक्तिगत पटाखों के लिए उपयुक्त उल्लिखित सीमा से 5 लॉग. 10 (एन) डी.बी. से कम की जाएगी, जहां एन=साथ जोड़े गए पटाखों की संख्या।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर

संवर्ग-XVI**विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 9, उपनियम 2 के अधीन रंगीन या स्टार माचिस का विनिर्माण, रखने और बेचने हेतु अनुमति**

संख्या.....

अनुमति
(नाम और पता) अनुदत्त की जाती है। नीचे दी गई शर्तों के अध्यक्षीन उल्लिखित परिसर पर किसी एक समय पर रंगीन और/या स्टार माचित का विनिर्माण, रखने और बेचने के लिए वैध है।

यदि अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों का अथवा इस अनुमति की शर्तों का अतिक्रमण किया जाता है अथवा अनुज्ञप्त परिसर संबद्ध रेखाओं में किए गए वर्णन के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो यह अनुमति निलंबित या प्रतिसंहत की जा सकती है।

परिसरों का वर्णन

इससे उपाबंध रेखांक सं. में दर्शित अनुज्ञात परिसर जिला राज्य में स्थित है और से मिलकर बनेगा।
तारीख 20

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

.....

शर्तें

1. रंगीन/या स्टार माचिस का विनिर्माण मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित फैक्टरी में किया जाएगा।

2. (क) रंगीन/या स्टार माचिस का विनिर्माण एक या अधिक हल्के सन्निर्मित एकल तल भवन (भवनों) में किया जाएगा जो कमरों में विभक्त होंगे। रंगीन और/या स्टार माचिस या उसके तत्वों की मात्रा, विनिर्माण करने वाले कमरों और जुड़े हुए भंडार कमरों में निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :

क्रम संख्यांक	कमरा	एक समय में 100 किलोग्राम के विनिर्माण के लिए मात्रा	एक समय में 200 किलोग्राम के विनिर्माण के लिए मात्रा	एक समय में 500 किलोग्राम के विनिर्माण के लिए मात्रा
1	मिश्रित करना	20	40	100
2	डूबी हुई सिंप्लट को सुखाना	20	40	100
3	डिपिंग	20	40	100
4	बाक्स फिलिंग	10	20	50
5	पेंटिंग/साइड पेंटिंग	10	20	50
6	बैंड रोलिंग	10	20	50
7	पैकिंग	10	20	50
8	जुड़ा हुआ भंडारण	200	500	2000

(ख) किसी भी विनिर्माण करने वाले कमरे, अर्थात् मिक्सिंग, ड्राइंग और डिपिंग कमरों में एक समय पर चार से अधिक व्यक्ति अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

(ग) सभी कमरों के दरवाजे बाहर की ओर खुलेंगे।

(घ) 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम या 500 किलोग्राम क्षमता के विनिर्माण करने के लिए क्रमशः 6 मीटर, 9 मीटर या 15 मीटर का स्पष्ट स्थान फैक्टरी भवन में सभी जगह बनाए रखा जाएगा। इस सुरक्षा जोन की परिधि के साथ 2 मीटर ऊंची कंटीली तार की बाड़ या पर्याप्त शक्ति की दीवार बनाई जाएगी।

(ङ) विनिर्माण करने और भंडार रखने वाले कमरों में, विहित मात्रा में विस्फोटक और व्यक्तियों की संख्या आराम से रखने के लिए पर्याप्त स्थान होगा।

3. (क) प्रत्येक तीली पर विस्फोटक मिश्रण की मात्रा रंगीन माचिस की दशा में 0.8 ग्राम और स्टार माचिस की दशा में 1.0 ग्राम से अधिक नहीं होगी।

(ख) प्रत्येक डिब्बे पर कोने से कम से कम 2 मि.मी. का निर्बाधन साइड पेंटिंग से होगा।

4. (क) तत्व, जब तक मिलाए नहीं जाते, पर्याप्त रूप से विलग रहे जाएंगे। पोटेशियम क्लोरेट को अन्य तत्व भंडारण से दूर अलग कमरे में रखा जाएगा।

(ख) तत्वों का मिश्रण विलायक या जल में की जाएगी। मिश्रण के लिए प्रयुक्त होने वाला कोई भी विद्युत ग्राइंडर फ्लेमप्रूफ/डस्ट टाइट मोटर और उपसाधक जैसी स्थिति हो, से युक्त होगा।

(ग) डिप किए गए सिंपलटर फ्रेमों को 1.8 मीटर से अनधिक ऊंचाई वाली अलमारी में रखा जाएगा और ड्राइंग कमरे में ऐसी अलमारियों की संख्या 10 की संख्या से अनधिक नहीं होगी। प्रत्येक अलमारी अनुकल्पिक ग्रूव में रखी हुई 10 फ्रेमों से अधिक धारित नहीं होगी।

(घ) माचिसों को बिना पैक किए हुए इकट्ठा नहीं किया जाएगा और जैसे ही वे सूख जाती हैं पैक किया जाएगा।

(ङ) विनिर्माण केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही किया जाएगा।

(च) कार्य दिवस के नजदीक फैक्ट्री में कोई भी खुला विस्फोटक मिश्रण नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसी सभी सामग्री ध्यानपूर्वक इकट्ठी की जाएगी और दिन के नजदीक जैसी प्रक्रिया दी गई हो, से नष्ट कर दी जाएगी।

5. (क) विनिर्माण करने वाले कमरे और उसमें मशीनरी से भिन्न फिटिंग का आंतरिक भाग इस प्रकार सन्निर्मित, लाइन या ढका जाएगा जिससे किसी लोहा या इस्पात या किसी ग्रिट का भाग, लोहा, या समरूप पदार्थ का किसी विस्फोटक के संपर्क में आने से अभिदर्शन को रोका जा सके। आंतरिक भाग, जिसके अंतर्गत कमरों की फर्श भी सम्मिलित है, साफ और ग्रिट से मुक्त रखी जाएगी।

(ख) लोहे या इस्पात से बने हुए कोई भी औजार, यंत्रों, तोलना, भार, पात्र आदि किसी भी समय पर अनुज्ञत परिसर में न लाए जाएंगे, न रखे जाएंगे।

(ग) कोई भी पत्थर के यंत्रों जैसे हावन दस्तों, यूसलों, ग्राइंडर आदि माचिस मिश्रण को पीसने, मिश्रित करने या प्योरिंग के लिए प्रयुक्त नहीं होंगे।

6. (क) माचिस की तीली को सुखाने या सूखी हुई माचिसों के रखरखाव के दौरान सभी सम्यक् सावधानियां बरती जाएंगी। परिसर में धुम्रपान, अग्नि या खुली हुई अग्नि अनुज्ञत नहीं की जाएगी।

(ख) अग्नि से लड़ने के प्रयोजन से परिसर में पानी के लिए पर्याप्त उपबंध किया जाएगा।

7. (क) यदि विस्फोटक नियंत्रक रंगीन और/या स्टार माचिस के विनिर्माता को लिखित रूप में फैक्टरी परिसर में कोई मरम्मत या कोई परिवर्तन निष्पादित करने के लिए कहता है जो ऐसे प्राधिकारी की राय में परिसर या फैक्टरी में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, विनिर्माता ऐसी अवधि के भीतर ऐसी मरम्मत, परिवर्तन कराएगा।

(ख) विनिर्माण प्रक्रिया में कोई बदलाव और परिसर में परिवर्धन/परिवर्तन मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

8. (क) कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा न ही प्रयत्न करेगा जिससे किसी स्थान में या उस पर जहां रंगीन और/या स्टार माचिस विनिर्मित, भंडारित, परिवहित किए जाते हैं, अग्नि या विस्फोट कारित करना संभावित हो :

परंतु इस संबंध में ऐसा कोई कृत्य, जो विनिर्माण, भंडारण या रखरखाव किसी ऐसी माचिसों या उनके पास उपस्थित कोई अन्य वस्तु के विनिर्माण, भंडारण या परिवहन के दौरान रखरखाव के प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से आवश्यक हो।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो रंगीन और/या स्टार माचिस के विनिर्माण, विक्रय, परिवहन या रखरखाव का भारसाधक है या उससे संबद्ध वह, सभी समयों पर,—

- अग्नि या विस्फोट की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी सावधान का अवलोकन लेगा;
- अप्राधिकृत व्यक्ति की निकाय मिश्रण या शीर्ष मिश्रण तक पहुंच को रोकेगा;
- किसी व्यक्ति को, कोई ऐसा कृत्य कारित करने से रोकेगा जो ऊपर उपशर्त (क) के अधीन प्रतिबंधित है।

9. रंगीन और/या स्टार माचिसों का विनिर्माण योग्य और सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा।

10. किसी प्राधिकृत निरीक्षण या नमूना अधिकारी को फैक्टरी परिसरों पर सभी समयों पर पहुंच प्राप्त होगी और ऐसे प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी कि अधिनियम

के उपबंधों, नियमों या इस अनुमति की शर्तों का सम्यकतः अनुपालन किया जा रहा है।

11. अग्नि या विस्फोट द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट तुरंत विस्फोटक नियंत्रक और पास के पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को की जाएगी।

12. यदि फैक्टरी का प्रयोग साथ ही दियासलाई के विनिर्माण के लिए भी किया जाता है तो, ऐसा विनिर्माण पूरी तरह से रोक दिया जाएगा और विनिर्माण प्रारंभ करने के पूर्व परिसर को दियासलाई और उसके तत्वों से मुक्त किया जाएगा। विस्फोटक नियंत्रक को, जिसकी अधिकारिता में फैक्टरी स्थित है, रंगीन और/या स्टार माचिस विनिर्माण प्रारंभ करने से पूर्व और उसकी समाप्ति पर सूचित किया जाएगा। विनिर्माण के पूरा होने के पश्चात् और दियासलाई के विनिर्माण फिर से चालू करने के पूर्व परिसर को रंगीन और/या स्टार माचिसों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले सभी सम्मिश्रणों से मुक्त किया जाएगा।

13. कोई व्यक्ति, जो 18 वर्ष से कम आयु का है, और जो मदता की स्थिति में है या विकृत मस्तिष्क का है, को न ही नियोजित किया जाएगा और न ही फैक्टरी में घुसना मंजूर किया जाएगा।

14. रंगीन और/या स्टार माचिसों को अन्य आतिशबाजी की मदों, दियासलाई, ज्वलनशील या हानिकारक सामग्रियों के साथ भंडारित, रखरखाव, परिवहित नहीं किया जाएगा।

15. कोई भी व्यक्ति, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के अनुमोदन के बिना किसी रंगीन/स्टार माचिसों का आयात निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, रखाव, प्रयोग या विक्रय नहीं करेगा।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

भाग-5

विस्फोटकों के लेखों और विवरणियों के प्ररूप

प्ररूप आर.ई.-1

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 112 देखिए)

प्रेषक :

.....

सेवा में,

.....

.....

प्रिय महोदय,

1. मैं की ओर से, तारीखसे तारीखतक की अवधि के लिए प्ररूप में अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र संख्याके नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ और निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करता हूँ। पिछले पांच वर्षों के दौरान,—

- (i) मैं/हम,—
- (क) सिद्धदोष नहीं ठहराया गया हूँ/ठहराए गए हैं/निम्नलिखित अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हूँ/ठहराए गए हैं और से दंडादिष्ट किया गया हूँ/किए गए हैं ।
- (ख) मुझे/हमें परिशांति कायम रखने या सद्व्यवहार करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 8 के अधीन बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश नहीं दिया गया है/दिया गया है ।
- (ग) मुझे/हमें, न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र के संबंध में कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं
- (यदि उत्तर हां में हो तो विवरण दें)
- (ii) अनुज्ञापन प्राधिकारी ने मुझे/हमें विस्फोटक अधिनियम के अधीन प्ररूपमें अनुदत्त अनुज्ञप्ति सं.रद्द कर दी थी/नवीकृत नहीं की थी ।
2. मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं,—
- (i) अनुमोदित रेखांक और अनुसूचियों सहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति संख्या।
- (ii) नवीकरण फीस के लिए रुपए का बैंक ड्राफ्ट सं.जोबैंक शाखा,के पक्ष में लिखा गया है ।

3. मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि उस अनुज्ञप्ति के संबंध में, जिसके नवीकरण के लिए आवेदन किया है, के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश या निदेश, अंतरिम या अन्यथा के विषय में आपको सूचित करेंगे । जिसके न हो सकने पर मैं/हम दंडनीय अपराध करूंगा/करेंगे ।

4. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि,—

(i) हमारे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं ।

(ii) मुझे/हमें इसका ज्ञान है कि यदि मेरे द्वारा कोई विस्फोटक अवैध रूप से किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है, तो मैं/हम दंडनीय अपराध करूंगा/करेंगे ।

(iii) मुझे/हमें इसका ज्ञान है कि यदि मैं/हम इस आवेदन से सुसंगत कोई सूचना छिपाता हूँ/छिपाते हैं तो मैं/हम दंडनीय अपराध करूंगा/करेंगे और इसके अतिरिक्त मेरे/हमारे विरुद्ध कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

अनुज्ञप्तिधारी या प्रमाणपत्र धारक के हस्ताक्षर

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

स्थान : आवेदन की तारीख

टिप्पण : 1. नवीकरण या पुनर्विधिमाम्यकरण के लिए संपूरित आवेदन नवीकरण प्राधिकारी के पास अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पहले पहुंच जानी चाहिए जिससे कि विलंब फीस न देनी पड़े ।

2. लागू न होने वाले भाग को काट देना ।

प्ररूप आर.ई.-2

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 24 देखिए)

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखे जाने वाले लेखा का प्ररूप

विनिर्मित विस्फोटकों (आतिशबाजी से भिन्न) का लेखा

टिप्पण - इस अभिलेख को अद्यतन रखा जाए ।

विस्फोटक नियम, 2008 के प्ररूप सं. में अनुज्ञप्ति सं.

तारीख और पारी	विस्फोटक का ब्रांड नाम	वर्ग और प्रभाग	तैयार की विमाण सं.	माल बैच सं.	विनिर्मित परीक्षण की तारीख	पैकेजों की संख्या	उस मैगेजीन भंडारगृह का अनुज्ञप्ति सं. जिसे विस्फोटक भेजे गए हैं	टिप्पणी	भारसाधक व्यक्ति/ अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्ररूप आर.ई.-5

(विस्फोटक नियम 2008 का नियम 24 देखिए)

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयुक्त विस्फोटकों का लेखा

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयुक्त विस्फोटकों (आतिशबाजी से भिन्न) का लेखा

टिप्पण-इस अभिलेख को अद्यतन रखा जाए। प्रविष्टियां नित्य प्रति की जाएं और जैसे ही विस्फोटकों को जारी किया जाता है वैसे ही प्रयुक्त या अन्य विस्फोटकों को लौटाता है।

विस्फोटक नियम, 2008 के प्ररूप सं. में अनुज्ञप्ति सं.

तारीख	शाटफायरकर्ता का नाम और अनुज्ञापत्र सं.	जारी किए गए विस्फोटकों का वर्णन नाम वर्ग प्रभाग	जारी की गई मात्रा	फायर किए गए छिट्टों की संख्या	विस्फोटकों का वर्णन नाम वर्ग प्रभाग	प्रयुक्त मात्रा
1	2	3 4 5	6	7	8 9 10	11

वापस किए गए विस्फोटकों का वर्णन नाम वर्ग प्रभाग	लौटाई गई मात्रा	शाटफायरकर्ता मैगजीन के भारसाधक के हस्ताक्षर	टिप्पणी
12 13 14	15	16	17

प्ररूप आर.ई.-6

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 61(2) देखिए)

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखे जाने वाले लेखा का प्ररूप

सड़क वैन द्वारा परिवहित विस्फोटकों का लेखा

टिप्पण-इस अभिलेख को अद्यतन रखा जाए। विस्फोटक नियम, 2008 के प्ररूप सं. में अनुज्ञप्ति सं.

तारीख	परेषक का नाम पता और अनुज्ञप्ति संख्यांक	लदाई का स्थान	विस्फोटकों का वर्णन नाम वर्ग प्रभाग	विनिर्माण का बैच संख्यांक और तारीख	परिवहित मात्रा
1	2	3	4 5 6	7	8

पास सं.	परेषक के हस्ताक्षर	परेषिती का नाम, पता और अनुज्ञप्ति सं.	उतराई का स्थान	विस्फोटकों की उतराई की तारीख	परेषिती के हस्ताक्षर	टिप्पणी
9	10	11	12	13	14	15

प्ररूप आर.ई.-7

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 24 देखिए)

विस्फोटकों की विवरणी

.....जिला राज्य में स्थित विस्फोटक मैगजीन या भण्डारगृह से मास के दौरान प्राप्त, प्रयुक्त, विक्रीत, विनष्ट और चोरी गए विस्फोटक।

विस्फोटकों का नाम, वर्ग और प्रभाग मात्रा

1. विस्फोटक नियम, 2008 के प्ररूप.....में अनुज्ञप्ति संख्या.....
2. पक्ष के प्रथम दिन का अदि अतिशेष.....
3. विस्फोटकों का लेखा:

परेषण की विशिष्टियां									
तारीख	विस्फोटक का नाम	वर्ग और प्रभाग	मात्रा	विस्फोटक का नाम	वर्ग और प्रभाग	मात्रा	उस प्रदायकर्ता का नाम, पता और अनुज्ञप्ति सं. जिससे विस्फोटक प्राप्त हुए हैं	पास सं.	सड़क वैन अनुज्ञप्ति संख्यांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रयुक्त या विक्रीत विस्फोटकों की विशिष्टियां									
प्रयुक्त						विक्रीत			
तारीख	विस्फोटक का नाम	वर्ग और प्रभाग	मात्रा	विस्फोटक का नाम	वर्ग और प्रभाग	मात्रा	उस प्रदायकर्ता का नाम, पता और अनुज्ञप्ति सं. जिसे विस्फोटकों का प्रदाय किया गया था	पास सं.	सड़क वैन अनुज्ञप्ति संख्यांक
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

4.....त्रिमास के दौरान प्रयुक्त/विक्रीय विस्फोटकों में से प्रत्येक किस्म के विस्फोटक की कुल मात्रा

प्रयुक्त			विक्रीत			
विस्फोटकों का नाम	वर्ग और प्रभाग	मात्रा	विस्फोटकों का नाम	वर्ग और प्रभाग	मात्रा	
1	2	3	4	5	8	

5.....त्रिमास के दौरान विनिष्ट किए गए विस्फोटकों की विशिष्टियां

तारीख	विस्फोटकों का नाम	वर्ग और प्रभाग	मात्रा	विनिष्ट करने के कारण	किस प्राधिकार के अधीन विनिष्ट किए गए
1	2	3	4	5	6

6. अभिवहन के दौरान चोरी गए/कम मात्रा में प्राप्त हुए विस्फोटकों की विशिष्टियां

तारीख	विस्फोटकों का नाम	वर्ग और प्रभाग	मात्रा	क्या पुलिस और विस्फोटक विभाग को चोरी/हानि की रिपोर्ट की गई है। यदि हां तो निदेशक उल्लेख करे	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

प्ररूप आर.ई.-8

[विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 45(1)(क) देखिए]

आयातकर्ता द्वारा स्थान या लदान पत्तन से विस्फोटक के प्रेषण पर मुख्य नियंत्रक को निवेदित की जाने वाली घोषणा

आयातकर्ता का नाम और पता	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त किए गए आयात अनुज्ञप्ति की संख्या और आयात किए जाने को अनुज्ञात किए गए विस्फोटक की मात्रा और प्रकार तथा अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुदत्त किए गए आयात अनुज्ञप्ति की संख्या और अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख	विस्फोटकों के विनिर्माता का नाम और पता
-------------------------	--	---	--

पोत या वायुयान पर विस्फोटकों का प्रकार और मात्रा

नाम और विवरण	वर्ग और प्रभाग	विनिर्माण की तारीख
--------------	----------------	--------------------

तारीख:

स्थान :

पारेषिती का नाम और पता	प्रेषण का स्थान या पतन	पोत या एयरलाइन का नाम और चलत की तारीख	आयात का स्थान या पतन	पहुंचने की संभावित तारीख
------------------------	------------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------

बैच संख्या

मात्रा

पैकेजों की संख्या

तारीख:

स्थान :

आयातकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

.....

पूरा नाम.....

पता.....

.....

प्ररूप आर.ई.-9

[विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 45(1)(ख) देखिए]

आयातकर्ता के प्रेषण की अनुसूची

यह घोषणा आयात के स्थान या पत्तन से विस्फोटकों के किसी परेषण को निकासी के होते ही भरा जाएगा और तीन प्रतियों में मुख्य नियंत्रक को अग्रेषित किया जाएगा

आयातकर्ता का नाम और पता	विस्फोटक नियमों के अधीन मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुदत्त किए गए आयात अनुज्ञप्ति की संख्या और अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख	विस्फोटकों का विवरण	विस्फोटकों के विनिर्माता का नाम और पता
-------------------------	--	---------------------	--

आयात के स्थान या पत्तन से प्रेषण का विवरण

अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता जिसे विस्फोटक प्रेषित किए गए	अनुज्ञप्ति की संख्या और प्ररूप	प्रेषित किए गए विस्फोटकों की मात्रा			पैकेजों की संख्या
		नाम और विवरण	वर्ग और प्रभाग	मात्रा	

तारीख :

पारेषिती का नाम और पता	आयात किए गए विस्फोटक की मात्रा	स्थान या पत्तन जहां से विस्फोटक अग्रेषित किए गए	पोत या एयरलाइन का नाम	पहुंचने की तारीख और आयात का स्थान या पत्तन
------------------------	--------------------------------	---	-----------------------	--

बैच संख्या और तारीख	प्रेषण की तारीख	प्रेषण का ढंग	यदि सड़क द्वारा प्रेषित किया जा रहा है तो सड़क वैन अनुज्ञप्ति संख्या
---------------------	-----------------	---------------	--

तारीख:

आयातकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत अधिकर्ता)

.....

पूरा नाम.....

पता.....

.....

प्ररूप आर.ई.-10

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 46 देखिए)

आयातकर्ता के प्रेषण की अनुसूची

निर्यात के स्थान या पोत से विस्फोटकों के परेषण की निकासी होते ही यह प्ररूप भरा जाएगा और तीन प्रतियों में मुख्य नियंत्रक को अग्रेषित किया जाएगा

निर्यातकर्ता का नाम और पता	विस्फोटक नियमों के अधीन मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुदत्त किए गए निर्यात अनुज्ञप्ति की संख्या और अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख	विस्फोटकों का विवरण	विस्फोटकों के विनिर्माता का नाम और पता
----------------------------	---	---------------------	--

निर्यात के स्थान या पत्तन से प्रेषण का विवरण

अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता जिसे विस्फोटक प्रेषित की संख्या किए गए	अनुज्ञप्ति की संख्या और प्ररूप	निर्यात किए गए विस्फोटकों की मात्रा और किस्म			
		नाम और विवरण	वर्ग और प्रभाग	मात्रा	पैकेजों

तारीख :

निर्यात किए गए विस्फोटकों का स्थान या पत्तन	प्रेषण की तारीख	बैच संख्या और तारीख	प्रेषण का ढंग	यदि सड़क द्वारा प्रेषित किया जा रहा है तो सड़क वैन अनुज्ञप्ति संख्या
---	-----------------	---------------------	---------------	--

निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर
(कंपनी की दशा में प्राधिकृत अभिकर्ता)

.....

पूरा नाम.....

पता.....

.....

प्ररूप आर. ई.-11

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 55 देखिए)

विस्फोटकों के लिए इंडेंट का प्ररूप

स्थान

तारीख

सेवा में,

.....

.....

प्रिय महोदय,

कृपया मुझे/हमें निम्नलिखित मात्रा में विस्फोटकों का प्रदाय करें :-

क्रम सं.	नाम	वर्ग और प्रभाग	मात्रा
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

मैं/हम निम्नलिखित मात्राओं में विस्फोटकों को कब्जे में रखने या विक्रय करने या प्रयुक्त करने के लिए विस्फोटक नियम, 2008 के प्ररूपमें अनुज्ञप्ति संख्याका धारक हूँ/के धारक हैं :-

क्रम सं.	नाम	वर्ग और प्रभाग	मात्रा
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

उपरोक्त अनुज्ञप्तितक विधिमान्य है ।

अनुज्ञप्ति विस्फोटक नियम, (2008) के नियम.....के अधीन अपेक्षित रूप में आवश्यक पृष्ठांकन के लिए भेजी जा रही है । पृष्ठांकन के पश्चात् कृपया यह अनुज्ञप्ति लौटा दी जाए ।

मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि,-

(क) इनडेंट की गई विस्फोट की मात्रा अनुज्ञत मात्रा से अधिक में परिणामित नहीं होगी; और

(ख) कोई समरूप इनडेंट किसी अन्य प्रदायकर्ता को नहीं दिया गया है ।

*कृपया विस्फोटक मेरे/हमारे प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जिसके हस्ताक्षर नीचे अनुप्रमाणित किए गए हैं, सौंप दिए जाएं ।

भवदीय

अनुज्ञप्तिधारी

पदनाम

प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

प्रतिविस्फोटक नियंत्रक को अग्रेषित ।

*जो लागू नहीं होता उसे काट दीजिए ।

प्ररूप आर. ई.-12

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 47 और नियम 50 देखिए)

विस्फोटकों के परेषण के वाहन के लिए परेषिती द्वारा जारी किया गया पास

1. संख्या

2. यह पास निम्नलिखित विस्फोटकों को अंतर्विष्ट किए हुएपैकेजों को समावेष्ट करता है :

नाम और विवरण	वर्ग	प्रभाग, यदि कोई हो	मात्रा	पैकेजों की संख्या	बैच संख्या और तारीख
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
(v)					

.....सेतक अभिवहन करते समय

3. विस्फोटक रेल या सड़क वैन सं. जिनकी अनुज्ञप्ति सं.
है, तक या लारी संख्या द्वारा परिवहन किए जाएंगे।
4. परेषिती का नाम और पता
5. परेषिती की अनुज्ञप्ति संख्या का संख्यांक और प्ररूप
6. परेषिती के आदेश की संख्या और तारीख आदेशित किए गए प्रत्येक विस्फोटक की मात्रा
7. विस्फोटक प्राप्त करने को तैयार होने को सूचित करते हुए परेषिती की पत्र संख्या और तारीख.....
8. परेषण के प्रेषण की तारीख
9. संभावित तारीख जब तक परेषण गंतव्य तक पहुंचेगा

परेषिती के हस्ताक्षर
अनुज्ञप्ति संख्या

प्ररूप

भाग-6

प्रमाणपत्र, घोषणा और दूरस्थ प्ररूप

प्ररूप सी.ई.-1

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 45 और नियम 48 देखिए)

विस्फोटकों के लिए परीक्षण प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विस्फोटकों के नमूने, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, का परीक्षण कर लिया गया है और ऐसे विस्फोटकों को यथालागू अनुसूची 3 में उपवर्णित परीक्षणों को उत्तीर्ण कर लिया है और वर्ग 3 के प्रथम प्रभाग (नाइट्रो यौगिक) या वर्ग 4 (क्लोरेटे मिश्रण) के विस्फोटकों की दशा में द्रवीकरण या उपवर्जित नाइट्रो ग्लिसरीन या द्रव नाइट्रो यौगिक का कोई चिन्ह नहीं है।

अयातकर्ता/परेषिती* का नाम और पता	विस्फोटकों का विवरण	पैकेजों की संख्या	विनिर्माण की तारीख और बैच संख्या	टिंट उपस्थित होने के लिए हीट परीक्षण में वस्तुतः लगा समय	टिप्पणी
-------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------------	--	---------

यह प्रमाणपत्र केवल 12 माह के लिए ही विधिमान्य है अर्थात् यह तारीख 20 को समाप्त हो जाएगा,
यह कि नाइट्रो-ग्लिसरीन यौगिक जो नोदक के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, वे आने वाली 31 जुलाई को समाप्त होगा।

तारीख

परीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान

पदाभिदान

*आयात की दशा में आयातकर्ता और परिवहन की दशा में परेषिती का नाम।

प्ररूप सी.ई.-2

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 45 देखिए)

पोत के मास्टर द्वारा पतन या पोत अभिकर्ता द्वारा प्रवेश करने से पूर्व विस्फोटकों को ले जाने के लिए बनाई गई घोषणा

1. पोत का नाम:

2. पतन पर को पहुंचने की तारीख

विस्फोटकों का विवरण	विनिर्माण की तारीख, बैच संख्या और अन्य सुभेदक चिन्ह केस	लाई गई कुल मात्रा किलोग्राम/केस	पतन पर उतारी जाने वाली मात्रा किलोग्राम/ केस	टिप्पणियां
------------------------	---	------------------------------------	--	------------

तारीख

मास्टर/पोत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप सी.ई.-3

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 103 देखिए)

क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्ररूप

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति,

मैं/हम..... जो आतिशबाजी और/या बारूद के विनिर्माण का कारोबार करता हूँ/करते हैं और जिसकी/जिनकी दुकान या कारखाना.....में स्थित है और.....का/के मैं/हम.....प्रतिभू/अपनी ओर से संयुक्ततः और पृथक्ततः यह करार और वचनबद्ध करता हूँ/ करते हैं कि मैं/हम भारत के राष्ट्रपति को, उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशितियों को, मांग किए जाने पर.....रूप की राशि का संदाय करूंगा/करेंगे। यह संदाय पूर्णतः और सही रूप में करने के लिए मैं/हम अपने को, अपने-अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशितियों को आबद्ध करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम यह करार करता हूँ/करते हैं कि पूर्वोक्त रकम का उपयोग उन कर्मकारों के, जिनकी मृत्यु उल्लिखित कारखाने या दुकान में होने वाली दुर्घटना के परिणामस्वरूप हो जाती है, आश्रितों को अधिनिर्णीत प्रतिकर के संदाय के लिए किया जा सकता है और यह कि प्रतिकर की ऐसी रकम, नीचे अनुसूची में उल्लिखित स्थावर संपत्तियों पर प्रथम बार होंगी और यह कि उक्त वचनबंध, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि इसके अधीन देय संपूर्ण प्रतिकर का पूर्णतः संदाय नहीं कर दिया जाता और वह मुझ पर/हम पर, मेरे/हमारे अपने-अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशितियों पर आबद्धकर होगा।

हम/हमारे वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती, संयुक्ततः और पृथक्ततः भारत के राष्ट्रपति को ऐसे सभी दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति रखने का वचनबंध करते हैं जो दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत कर्मकारों की ओर से किए जाएं। यदि हम या हमारे वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती आश्रितों को, उन्हें अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय कर देते हैं तो बंधपत्र शून्य हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त बलशील बना रहेगा।

यह करार किया जाता है कि इसके अधीन प्रतिभूओं का दायित्व, समय बढ़ाए जाने या उधार लेने वाले/लेने वालों के प्रति अन्य उदारता बरती जाने के कारण, उन्मोचित नहीं होगा और न भारत के राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक होगा कि वे इसके अधीन शोध्य रकमों के लिए प्रतिभूओं पर वाद लाने के पूर्व उधार लेने वाले/लेने वालों पर वाद लाएं।

ऊपर विनिर्दिष्ट अनुसूची

(यहां स्थावर संपत्तियों का पूर्ण वर्णन किया जाए)

.....

जिसके साक्ष्यस्वरूप यह विलेख तारीख को पूर्णतः निष्पादित किया गया।

अनुज्ञापितधारी के पूरे हस्ताक्षर.....

पिता का पूरा नाम.....

आयु.....

निवास स्थान.....

प्रतिभू के पूरे हस्ताक्षर.....

पिता का पूरा नाम.....

आयु.....

वृत्ति.....

निवास स्थान.....

मेरी उपस्थिति में निष्पादित किया गया

जिला मजिस्ट्रेट

प्ररूप डी.ई.-1

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

विस्फोटकों या आतिशबाजी के लिए प्रस्तावित भंडारण बारूदशाला या प्रस्तावित विस्फोट फैक्टरी के पास अपेक्षित स्पष्ट दूरी को उपदर्शित करते हुए आवेदक द्वारा जमा किया जाने वाला दूरस्थ प्ररूप

संरचना (संरचनाओं) के प्रकार	सुरक्षा दूरी मीटर में विस्फोटक नियम, 2008 के अनुसार	स्पष्ट दूरी मीटर में
सुरक्षा दूरी के भीतर		
1. मैगेजीन के संबंध में प्रयुक्त कक्ष या कर्मशाला		
2. कोई अन्य विस्फोट मैगेजीन		
3. इस मैगेजीन का मैगेजीन कार्यालय		
मध्य सुरक्षा दूरी		
4. मैगेजीन के चौकीदार का निवास गृह		
5. रेल जिसके अंतर्गत प्राइवेट रेल भी है		
6. नहर (सक्रिय प्रयोग में) या अन्य नाटय जल		
7. डाक या पोत घाट या जेटी		
8. सार्वजनिक राजमार्ग या सार्वजनिक सड़कें		
9. प्राइवेट सड़क जो किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों, अस्पताल, महाविद्यालय, विद्यालय या कारखाने तक आने के लिए प्रमुख साधन है।		
10. नदी तटबंध या समुद्र तटबंध या सार्वजनिक कुंआ.		
11. जलाशय या सीमाबद्ध तालाब रज्जू मार्ग		
12. ऊर्जा उत्पत्ति के लिए पवन चक्की का सौर्य पैनल		
बाहरी सुरक्षा दूरी (ओ. एस. डी.)		
13. निवास गृह		
14. सरकारी और सार्वजनिक भवन		
15. मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या पूजा का अन्य स्थल		
16. दुकानें, बाजार स्थल, सार्वजनिक आमोद-प्रमोद या क्रीड़ा स्थल, महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल, थियेटर, सिनेमा या अन्य भवन, जहां जनता अभ्यासरत एकत्रित होती है।		
17. कारखाना		
18. ऐसे भवन या संकर्म जिनका प्रयोग पेट्रोलियम स्परिट, गैस या अन्य ज्वलनशील या परिसंकटमय पदार्थों के प्रपुंज रूप में भंडारकरण के लिए किया जाता है।		
19. विस्फोटकों या विस्फोटकयुक्त वस्तुओं के भंडारकरण और विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाने वाला भवन या संकर्म।		
20. हवाई अड्डा		
21. पट्टी, भट्टे या चिमनी		
22. खदान या खान गढ़वा शीर्ष		
23. शक्तिगृह या विद्युत उप स्टेशन		

24. बेतार स्टेशन
25. भाण्डागार या अन्य भण्डार भवन
26. अन्य कोई संरक्षित कार्य
शिरोपरि विद्युत लाइनें
27. विद्युत शक्ति शिरोपरि प्रवहरण लाइनें जो 440 वोल्ट से अधिक की है।
28. विद्युत शक्ति शिरोपरि प्रवहरण लाइनें जो 440 वोल्ट तक की है।

आवेदक के हस्ताक्षर

(कंपनी की दशा में प्राधिकृत अभिकर्ता)

.....

पूरा नाम.....

पता.....

.....

तारीख:

प्ररूप डी.ई.-2

[विस्फोटक नियम, (2008 का नियम 113 देखिए)]

(अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न किया जाने वाला दूरस्थ प्ररूप)

.....की.....अनुदत्त प्ररूप.....में उच्च विस्फोटक या आतिशबाजी के कारखाना अनुज्ञप्ति सं.
.....के लिए बारूदशाला के पास रखी जाने वाली स्पष्ट सुरक्षा दूरी

संरचना (संरचनाओं) के प्रकार

सुरक्षा दूरी मीटर में

भीतरी सुरक्षा दूरी

1. मैगेजीन के संबंध में प्रयुक्त कक्ष या कर्मशाला
2. कोई अन्य विस्फोट मैगेजीन
3. इस मैगेजीन का मैगेजीन कार्यालय

मध्यम सुरक्षा दूरी

4. मैगेजीन के चौकीदार का निवास गृह
5. रेल जिसके अंतर्गत प्राइवेट रेल भी है
6. नहर (सक्रिय प्रयोग में) या अन्य नाटय जल
7. डाक या पोत घाट या जेटी
8. सार्वजनिक राजमार्ग या सार्वजनिक सड़कें

9. प्राइवेट सड़क जो किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों, अस्पताल, महाविद्यालय, विद्यालय या कारखाने तक आने के लिए प्रमुख साधन है।
 10. नदी तटबंध या समुद्र तटबंध या सार्वजनिक कुंआ
 11. जलाशय या सीमाबद्ध तालाब रज्जू मार्ग
 12. ऊर्जा उत्पत्ति के लिए पवन चक्की का सौर्य पैनल
- बाहरी सुरक्षा दूरी (ओ.एस.डी.)
13. निवास गृह
 14. सरकारी और सार्वजनिक भवन
 15. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या पूजा का अन्य स्थल
 16. दुकानें, बाजार स्थल, सार्वजनिक आमोद-प्रमोद या क्रीड़ा स्थल, महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल, थियेटर, सिनेमा या अन्य भवन, जहां जनता अभ्यासरत एकत्रित होती है।
 17. कारखाना
 18. ऐसे भवन या संकर्म जिनका प्रयोग पेट्रोलियम स्पिरिट, गैस या अन्य ज्वलनशील या परिसंकटमय पदार्थों के प्रपुंज रूप में भंडारकरण के लिए किया जाता है।
 19. विस्फोटकों या विस्फोटकयुक्त वस्तुओं के भंडारकरण और विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाने वाला भवन या संकर्म।
 20. हवाई अड्डा
 21. प्‍टटी, भट्टे या चिमनी
 22. खदान या खान गढ़वा शीर्ष
 23. शक्तिगृह या विद्युत उप स्टेशन
 24. बेतार स्टेशन
 25. भाण्डागार या अन्य भण्डार भवन
 26. अन्य कोई संरचना
- शिरोपरि विद्युत लाइनें
27. विद्युत शक्ति शिरोपरि प्रवहरण लाइनें जो 440 वोल्ट से अधिक की हैं।
 28. विद्युत शक्ति शिरोपरि प्रवहरण लाइनें जो 440 वोल्ट तक की हैं।

अनुसूची VI**भाग 1****विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए सुरक्षा उपबंध****I. प्रक्रिया:**

संवेदनशील सँक्रियाओं और प्रक्रियाओं, जिसके अंतर्गत सफाई, अपशिष्ट का व्ययन भी है, की मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के समाधान होने पर, एक नियंत्रण प्रक्रिया होगी।

II. मशीनरी और उपस्कर:

विस्फोटकों के निर्माण और प्रसंस्करण के लिए पात्र और मशीनरी, विद्युत उपस्कर, स्टेटीक चार्ज के विरुद्ध संरक्षण, विद्युत उपस्करों का रखरखाव, कार्मिक संरक्षण आदि, प्रक्रिया के सुरक्षित प्रचालन के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

भाग -2**प्रपुंज मिश्रण वितरण (बी.एम.डी.) यान के लिए सुरक्षा उपबंध**

(1) प्रपुंज मिश्रण वितरण यान में कोई भी वैल्विंग या कटिंग तब तक नहीं की जाएगी जब तक यान को धो नहीं लिया जाता और सभी विस्फोटक सामग्री, संघटक, आक्सीकारक को हटा नहीं लिया जाता। खोखले शैफ्ट पर वैल्विंग या कटिंग करने से पूर्व, शैफ्ट को भली-भाँति अंदर-बाहर से साफ किया जाएगा और पर्याप्त संवातन के साथ निकास किया जाएगा।

(2) प्लास्टिक ट्यूब को होल लाइनर के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा यदि होल में विद्युत डिटोनेटर अंतर्विष्ट है।

(3) सभी नालियों या रिसाव को तुरंत साफ किया जाएगा।

(4) वितरण उपस्कर के किसी भी भाग के पास या उस पर वैल्विंग या खुली ज्वाला तब तक प्रयुक्त नहीं की जाएगी जब तक उसे पूरी तरह धोया नहीं जाता और सभी आक्सीकारक सामग्री हटा नहीं ली जाती।

(5) खोखली लदान शैफ्ट को वैल्विंग या मरम्मत करने से पूर्व, शैफ्ट को अंदर-बाहर से भली-भाँति साफ किया जाएगा और निकास किया जाएगा।

(6) इकाई पर खुली ज्वाला का कार्य करने से पूर्व पूरा लदान और मिश्रण उपस्कर तत्वों के परिसंकटमय संचयन को रोकने के लिए साफ किया जाएगा।

(7) विस्फोट कारकों का मार्गस्थ मिश्रण नहीं किया जाएगा।

(8) तरल जल के साथ चुनी गई अवस्थित या सहायक यान से वारे होल लदान यान में तत्वों को हस्तांतरण विस्फोट होल साइट से दूर होगा जब बोर होल लदे हों या लदान की प्रक्रिया में हों।

(9) कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा, दियासलाई या कोई ज्वाला उत्पन्न करने वाला उपकरण, या कोई भी अग्नि हथियार नहीं

रखेगा जहाँ विस्फोट साइट पर या उसके पास विस्फोट अधिकारकों के डाउन होल लदान या मिश्रण हस्तांतरण हो।

(10) बी. एम. डी. यान केवल समर्थ और सक्षम ड्राइवर द्वारा ही चालित होगा जो विस्फोटक सामग्रियों को लागू होने वाले विनियमों और इन नियमों की अपेक्षाओं से परिचित हो।

(11) बी. एम. डी. यान प्रचालक को यान के सुरक्षित प्रचालन तथा उसके मिश्रण पहुंचाना और संबंधित उपस्करों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

(12) विस्फोट क्षेत्र में यान को चलाते समय यान को अग्नि लाइनों पर डेगिंग होजज, कैप वायर या विस्फोटक सामग्रियों पर चलाने से रोकने के लिए निर्देशों का पालन किया जाएगा। चार्जिंग क्षेत्र में यान चलाते समय ड्राइवर के संचालन को गाइड करने के लिए ड्राइवर दूसरे व्यक्ति की सहायता लेगा।

(13) जब यान गति में हो तब सामग्री का मिश्रण नहीं किया जाएगा।

(14) प्रपुंज वितरण यान से विस्फोट होल जो विद्युत विस्फोट कैप से या अन्य स्टेटिक-संवेदनशील उपकरण से प्राइम किए हुए हैं, में न्यूमैटिक लदान, अर्द्धचालक डिस्चार्ज हूज के साथ होगी और उपयुक्त भूमिकरण उपकरण होगा जिससे स्टेटिक चार्ज का ठहराव रोका जा सके।

(15) यान पर उपस्थित स्व-अंतर्विष्ट मोटर जनरेटर द्वारा जब विद्युत शक्ति प्रवाहित हो, तो जनरेटर को विस्फोटकों के डिस्चार्ज बिंदु से अलग रखा जाएगा। जनरेटर या बैटरी में तुरंत पहुंच स्थिति में एक कट आफ स्विच होगा।

(16) वाइरिंग भी स्थिर और संरक्षित होगी जिससे दुर्घटनात्मक हानि या असम्य टूट-फूट को कम किया जा सके।

(17) बी एम डी यान वादी और उपस्करयान कैसिस के साथ विद्युत रूप से चलत रहेगी। मिक्सर का फ्रेम और प्रयुक्त होने वाले अन्य उपस्कर विद्युत रूप से वाइंडिंग होंगे। प्रभावी ग्राउंडिंग के लिए ब्रांडिंग बिंदु और वाइंडिंग केबलों की व्यवस्था की जाएगी।

भाग 3**जल द्वारा विस्फोटकों के परिवहन के लिए सुरक्षा उपबंध**

(1) पोत या यान पर लदान उतारने की सूचना पत्तन की सीमा के भीतर किसी भी विस्फोटक का पोत या यान पर लदान या उतारा तब तक नहीं जाएगा जब तक पोत के संरक्षक को ऐसे प्रचालन के आशयित समय और स्थान की सूचना लिखित में 48 घंटे के भीतर न दी जाए।

(2) स्टीमर अग्नि और रोशनी--किसी विस्फोटक को किसी पोत या यान से लदान या उतारा नहीं जाएगा जब तक--

- (क) इंजन रूम की अग्नि को पहले से सावधानी से किनारे कर दी गई हो और अन्य सभी अग्नि और रोशनी बुझा दी गई हो ।
- (ख) जब पोत या यान किसी भाप के यान या भाप टॉग के साथ या उससे सम्बद्ध है जब तक, ऐसे भाप के यान या भाप टॉग के इंजन रूम की आग पहले से ही सावधानी से किनारे कर दी गई हो और सभी अन्य अग्नि या रोशनी पहले से ही बुझा दी गई हो :

परंतु यह कि इस नियम की कोई बात, किसी प्रकार की कृत्रिम रोशनी या पोत की सिगनल रोशनी का नियोजन, पोत सीमा के बाहर के क्षेत्र में मुख्य नियंत्रक द्वारा या पोत सीमा के भीतर संरक्षक द्वारा लिखित अनुमोदन से करने से निवारित नहीं होगी ।

यह और कि चैनई पोत पर विस्फोटक मुक्त पोत के साथ नावों को रखने या उनको हटाने के लिए नियोजित कोई भाप टॉग किंतु उतारने या लदान न करने के प्रचालन तब तक चालू रखा जाएगा जब तक टॉग पोत से 50 मीटर की दूरी के भीतर है ।

(3) **भंडारण**—किसी भी विस्फोटक को पोत के अंदर सिवाय संकटपूर्ण माल के वाणिज्यिक पोत परिवहन व्यव नियम, 1978 के विनियमों के अनुसरण में भरण नहीं किया जाएगा ।

(4) **विशेष व्यापार यात्री पोतों पर विस्फोटकों का प्रवहरण**—इन उपबंधों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले कोई भी प्राधिकृत विस्फोटकों को अच्छी तरह विनिर्मित मैगजीन में परिवहित किए जाएंगे जो व्यापार यात्री पोत जिसमें वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग 8 (1958 का 44-उपबंध-2) में उक्त अधिनियम की धारा 3 के खंड 16 में यथापरिभाषित देशी व्यापार पोत को लागू होगा ।

परंतु यह कि--

- (क) पारिषिती वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44-उपबंध-2) की धारा 243 में उल्लिखित प्रमाणक अधिकारी का समाधान करा देता है कि विस्फोटकों को पहुंचाने का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं था;
- (ख) मैगजीन, व्यवसाय बोर्ड द्वारा दिए गए मैगजीन में पोत के लिए दिए गए विनिर्देशों के पूरी तरह अनुरूप है और वह वाणिज्यिक नौ विभाग के सर्वेक्षकों द्वारा अनुमोदित है;
- (ग) विस्फोटक, इन नियमों के अनुसार पैक और चिन्हित किए गए हैं;
- (घ) डिटोनेटर अन्य विस्फोटकों के धारक में वहित नहीं किए जाएंगे;
- (ङ) ऐसा धारक जिसमें मैगजीन अंतर्विष्ट है जब मैगजीन विस्फोटकों के वह करते समय एक समय में कोई अन्य परिसंकटमय या ज्वलनशील माल अंतर्विष्ट नहीं किया जाएगा ।

(5) यात्री यान पर विस्फोटकों का प्रवहरण—

(1) निम्नलिखित विस्फोटक यात्री यान में प्रवहित किए जा सकते हैं, अर्थात् :--

- (क) 2.5 किलोग्राम से अनधिक कोई भी विस्फोटक भार में फ्लिमनेट से भिन्न (वर्ग 5), गोला बारूद जिसमें ज्वलन में उसके स्वसाधन अंतर्विष्ट है (वर्ग 6, प्रभाग 3) या आतिशबाजी (वर्ग 7); और
- (ख) विस्फोट प्रेरक जो संख्या में 200 से अनधिक है और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुल 225 से अधिक विस्फोटक अंतर्विष्ट न किए जाने के लिए प्रमाणित किए गए हैं ।

परंतु यह कि--

- (i) उस यान के भारसाधक व्यक्ति, जिसमें विस्फोटक का ले जाना आशियत है, को पूर्व सूचना देनी होगी;
- (ii) अग्नि या विस्फोट द्वारा दुर्घटना को रोकने के लिए सभी पूर्वोपाय लिए जाएंगे ।
- (iii) विस्फोट प्रेरकों को अन्य विस्फोटकों के साथ उसी कक्ष में नहीं रखा जाएगा ।

(2) इन उपबंधों की कोई व्यक्ति (1) के अधीन ले जाए जाने वाले विस्फोटकों पर लागू नहीं होगी ।

(6) विस्फोट ले जाए जाने वाले यानों का लंगरगाह—

- (1) प्रत्येक यान, जिसमें बोर्ड पर विस्फोटक है और पोत में प्रविष्ट कर रहे हैं, को उसी लंगरगाह पर लंगर डाला जाएगा जो इस निमित्त पोत के संरक्षक द्वारा नियुक्त किया गया हो और ऐसे लंगरगाह को पोत के संरक्षक के सामान्य या विशेष आदेश के बिना छोड़े नहीं जाएंगे और ऐसी शर्तों के अध्वधीन होंगे जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए हों ।
- (2) ऐसा लंगरगाह किसी भी दशा में उस समान नहीं होगी जो पेट्रोलियम से लदे यानों के लिए लंगरगाह से ऐसी दूरी पर होंगे जिससे कि पहले लंगरगाह से उत्पन्न होने वाली अग्नि को बाद के यान तक पहुंचाना असंभव किया जा सके ।

(7) **लाल झंडा या चेतावनी रोशनी का प्रदर्शित किया जाना**—प्रत्येक यान, जिसमें 50 किलोग्राम से अधिक भार का विस्फोटक बोर्ड पर है जब वह पोत पर पहुंच रहा है या पोत को छोड़ रहा है और उस समय में जब तक वह पोत की सीमा के भीतर है या भूमिगत जल में है ।

- (क) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य एक लाल झण्डा प्रदर्शित करेगा जो एक मीटर स्ववायर से कम का न हो, और
- (ख) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य सभी कोण से दृष्टिगत होने वाली लाल रोशनी प्रदर्शित करेगा ।

(8) **जलयानों का अकेले रहना**—भागतः या पूर्णतः विस्फोटकों से लदा प्रत्येक जलयान अकेला रहेगा और किसी भी अन्य जलयान से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर रहेगा किन्तु विस्फोटकों के वास्तविक पोतान्तरण के दौरान, प्रत्येक पोत नाव या प्लवमान मैगजीन के दोनों ओर पार्श्व में एक-एक नाव रह सकती है और दो पोत एक दूसरे के पार्श्व में रह सकते हैं ।

(9) **मैगजीनों, घट्टियों आदि के पार्श्व में जलयानों का न रहना**—उतराई या लदाई के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए कोई जलयान, जिसके फलक पर कोई विस्फोटक है, किसी जलयान, प्लवमान मैगजीन घट्टी घाट भूमि या उतराई स्टेज के पार्श्व में नहीं रहेगा और ऐसे प्रयोजन के लिए भी ऐसा जलयान वास्तविक लदाई या उतराई के लिए आवश्यक समय के दौरान ही वहां रहेगा तथा अपनी समुद्र यात्रा पर अविलम्ब अग्रसर हो जाएगा । ऐसे अग्रसर होने में केवल ऐसा विलम्ब हो सकता है जो ज्वार या मौसम के परिणामस्वरूप अपरिहार्य है।

(10) **जब कोई जलयान खुला हो तो लदाई और उतराई का प्रतिषेध**—जब कोई जलयान खुला हो तो 450 किलोग्राम से अधिक कोई विस्फोटक तथा कोई विस्फोट प्रेरक उस पर लादे या उनसे उतारे नहीं जाएंगे ।

स्पष्टीकरण : कोई जलयान “खुला है” से जलयान की वह स्थिति अभिप्रेत है जब वह लंगर में नहीं है या बंधा हुआ नहीं है या समुद्र तट या भूमि से फंसाया हुआ नहीं है ।

(11) **किसी पत्तन क्षेत्र के भीतर लदाई या उतराई का स्थान**—किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर विस्फोटकों को ऐसी घट्टी या अन्य स्थान से ही लादा या उस पर उतारा या उसमें लाया या निक्षिप्त किया जाएगा जो पत्तन संरक्षक किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे ।

(12) **गद्दे प्रयोग में लाए जाएं**—किसी जलयान में किसी विस्फोटक के पोत भरण या किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर किसी घाट या अन्य उतराई के स्थान पर उसकी उतराई में एक गद्दे का प्रयोग किया जाएगा जो ओकम से भली प्रकार भरा हुआ और चमड़े से मढ़ा हुआ होगा या ऐसे किसी प्रकार का होगा जो पत्तन संरक्षक समय-समय पर अनुमोदित करे ।

(13) **पोतों द्वारा विस्फोटकों की शीघ्रता से धरा-उठाई—**

(1) ऐसे विस्फोटकों को लेकर, जिनका पत्तन पर उतारा जाना आशयित है, किसी पत्तन पर पहुंचने वाले पोत ऐसे विस्फोटकों को वहां सभी युक्तियुक्त शीघ्रता से उतार देंगे और ऐसे पोत जिन पर विस्फोटक हैं, समुद्र की ओर यथाशीघ्र अग्रसर हो जाएंगे ।

(2) कोई भी पोत या नाव अपने फलक पर विस्फोटकों का कोई स्थोरा लिए हुए किसी भी पत्तन में तीन दिन से अधिक की अवधि तक नहीं रहेगा ।

परन्तु पत्तन संरक्षक, मुख्य नियंत्रक के परामर्श से, ऐसी परिस्थितियों में ऐसी अवधि को बढ़ा सकता है जो वह ठीक समझता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि में ऐसी वृद्धि आवश्यक है ।

(14) **नावों का अनुज्ञप्त होना,**

(1) भार में एक हजार किलोग्राम से अधिक विस्फोटकों के परिवहन के लिए किन्हीं नावों का प्रयोग :-

(क) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर चलने वाली किसी नाव की दशा में, पत्तन संरक्षक द्वारा, या

(ख) पत्तन सीमाओं के बाहर किसी क्षेत्र में चलने वाली किसी नाव की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा, अनुदत्त अनुज्ञप्ति के अधीन और उसकी शर्तों के अनुसार के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(2) अनुज्ञप्ति में विस्फोटकों की वह अधिकतम मात्रा विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके वहन के लिए कोई नाव प्राधिकृत है । ऐसी मात्रा मुख्य नियंत्रक के परामर्श से नियत की जाएगी ।

(3) इन उपबन्धों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति, निम्नलिखित अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी, अर्थात् :-

(क) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर चलने वाली किसी नाव की दशा में, चार मास और

(ख) पत्तन सीमाओं के बाहर क्षेत्रों में चलने वाली किसी नाव की दशा में, एक वर्ष ।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के संदाय पर, अनुदत्त या नवीकृत की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

(5) उपनियम (1) के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति की एक प्रति मुख्य नियंत्रक को अग्रेषित की जाएगी ।

(6) ऐसी किसी नाव का भारसाधक प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, विस्फोटक नियम, 200 में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर निरीक्षण के लिए ऐसी नाव अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करेगा ।

(15) **बोया का साथ ले जाया जाना**—(1) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर विस्फोटकों का वहन करने वाली प्रत्येक नाव अपने डेक पर एक बोया ले जाएगी, जिसमें 27 मीटर लम्बी और 7.50 सेंटीमीटर व्यास वाली एक रस्सी होगी जिसका एक सिरा बोया से और दूसरा सिरा नाव से बंधा होगा । यह रस्सी नाव के ऐसे भाग से बांधी जाएगी जो बल्ली (स्पार्स) गियर या अन्य अवरोधों से मुक्त हो और ऐसे सील पर बांधी जाएगी जो नियम 59 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाये ।

(2) बोया लाल पेंट किया हुआ एक ड्रम होगा, जिसकी लम्बाई 55 सेंटीमीटर और व्यास 35 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा और जिसके बीच में एक लोहे की पत्ती समुचित रूप से कसी होगी तथा रस्सी को बांधने के लिए उसमें एक रिंग लगा होगा ।

(16) **धूम्रपान, अग्नि, खतरनाक वस्तुओं और अन्य स्थोरा का प्रतिरोध**—किसी नाव पर, जिसके फलक पर विस्फोटक हैं, निम्नलिखित की अनुमति नहीं होगी, अर्थात् :-

(क) किसी वर्णित चेतावनी बत्ती से भिन्न किसी भी प्रकार की कोई बत्ती या अग्नि;

(ख) धूम्रपान;

(ग) ज्वलीनशील प्रकृति का कोई पदार्थ या ऐसा पदार्थ जो स्वतः जल सकता है;

(घ) ऐसा कोई पदार्थ जिससे आग लग सकती है या फेल सकती है या कोई विस्फोटक हो सकता है;

(ङ) छण्ड कोई अन्य स्थोरा, जब तक कि ऐसे अन्य स्थोरा को पत्तन सीमाओं के भीतर पत्तन संरक्षक द्वारा या पत्तन सीमाओं के बाहर क्षेत्र में मुख्य नियन्त्रक द्वारा लिखित में विशिष्टतः प्राधिकृत नहीं कर दिया गया है :

परन्तु इस नियम की कोई बात यन्त्र मोदित किसी नौका में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी मुख्य नियन्त्रक विनिर्दिष्ट को , विस्फोटकों के प्रवहन करे लागू नहीं होगी ।

भाग-4

रेल द्वारा विस्फोटकों में परिवहन के लिए सुरक्षा उपबन्ध

1. रेल वैनों का अनुमोदित होना. सुरक्षा पलीतों और आतिशबाजी से भिन्न अन्य विस्फोटकों का रेल द्वारा तब के सिवाय परिवहन नहीं किया जाएगा जब कि वे ऐसी किसी वैन में परिवहित किए जाते हैं जिसे विस्फोटकों के वहन के लिए विशिष्टतः सन्निर्मित किया गया है और वह ऐसे प्रकार का है जिसे मुख्य नियन्त्रक और रेल बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है ।

2. रेल डिब्बों का चिह्नान्कन.—(1) रेल के ऐसे प्रत्येक डिब्बे के, जिसमें कोई विस्फोटक है, प्रत्येक और भली प्रकार कोई लेबल चिपकाकर या अन्यथा “विस्फोटक” शब्द सहज-दृश्य रूप में अंकित कर दिया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) की कोई बात ऐसे किसी डिब्बे को लागू नहीं होगी जिसमें ऐसे कोई विस्फोटक हैं जिन्हें विस्फोटक नियम 2008 के उपबंधों के अनुसार परिवहित किया जा रहा है ।

3. सामान्य माल के साथ विस्फोटकों का परिवहन. 6 पूर्व उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित विस्फोटकों को किसी यात्री रेलगाड़ी या मिश्रित रेलगाड़ी से भिन्न किसी रेलगाड़ी के किसी डिब्बे में, जिसमें ऐसी कोई वस्तु या पदार्थ नहीं ले जाया जा रहा है जिससे आग लग सकती है या जिससे विस्फोट हो सकता है, परिवहित किया जा सकता है :-

- (क) विस्फोटन के लिए सुरक्षा पलीते, किसी भी मात्रा में;
- (ख) इस नियम के प्रयोजन के लिए मुख्य नियन्त्रक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विस्फोटक, परन्तु यह तब जब ऐसे विस्फोटक को धातु की बनी ऐसी पेटियों या सिलेण्डरों में पैक किया गया है जो इन नियमों की सभी अध्यपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं और ऐसे पैटर्न के हैं जिसे रेल प्रशासन तथा मुख्य नियन्त्रक ने अनुमोदित कर दिया है ।

4. रेल डिब्बों की स्थिति. 6 ऐसे प्रत्येक रेल के डिब्बे को जिसमें विस्फोटक हैं, इंजन से यथासाध्य अधिकतम दूरी पर रखा जाएगा और साथ वाले डिब्बों से, जिन पर न तो कोई विस्फोटक लादे गए होंगे और न ज्वलनशील या परिसंकटमय कोई वस्तुएं या पदार्थ लादे गए होंगे, क्लोज-कपिल किया जाएगा, परन्तु—

- (क) दार्जिलिंग-हिमालय रेल पर डिब्बों को जिनमें विस्फोटक हैं, क्लोज-कपिल करना आवश्यक नहीं है ;
- (ख) नीलगिरी और करायकल. पैरालम रेलों पर, इंजन और डिब्बों के बीच, जिनमें विस्फोटक हैं केवल एक डिब्बा होना आवश्यक है;

(ग) रेलों के विद्युतिकरण सैक्शनों में, जहां रेलगाड़ियों को विद्युत रेल इंजनों द्वारा खींचा जाता है, इंजन और डिब्बे के, जिनमें विस्फोटक हैं, किसी डिब्बे का होना आवश्यक नहीं है ।

5. रेल द्वारा परिवहन के लिए विस्फोटकों की अधि-कतम मात्रा. 6 किसी रेल स्टेशन पर या घाट पर एक समय में अधिक से अधिक पाँच डिब्बों की, जिनमें विस्फोटक हैं, लदाई या उनसे उतराई की जाएगी और किसी भी एक रेल गाड़ी में अधिक से अधिक दस डिब्बे, जिनमें विस्फोटक हैं, लगाए जाएंगे या परिवहन किए जाएंगे ।

6. यात्री या मिश्रित रेल गाड़ियों पर प्रतिषेध. 6 किसी यात्री रेलगाड़ी या मिश्रित रेलगाड़ी पर विस्फोटकों का परिवहन नहीं किया जाएगा ।

7. मिश्रित रेलगाड़ियों द्वारा विस्फोटक-वैन का प्रेषण. 6 इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी मिश्रित रेलगाड़ी द्वारा किसी विस्फोटक का परिवहन विशिष्टतः अनुमोदित वैनों में ऐसी किसी लाइन या सैक्शन पर किया जा सकता है, जिस पर मालगाड़ियां नहीं चल रही हैं, किन्तु ऐसा परिवहन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा :-

- (क) एक बार में, विस्फोटकों से मुक्त तीन से अधिक ऐसे वैन नहीं खींचे जाएंगे;
- (ख) विस्फोटकों से युक्त वैनों और इंजनों के बीच और ऐसे वैनों तथा यात्री डिब्बों के बीच कम से कम तीन डिब्बे लगे हों;
- (ग) विस्फोटकों से युक्त वैनों को साथ वाले डिब्बों के साथ क्लोज-कपिल किया जाएगा;
- (घ) ऐसे किसी सैक्शन में, जिसमें माल रेल गाड़ियां चल रही हैं, प्रवेश करते ही विस्फोटकों से युक्त वैनों को मिश्रित रेलगाड़ी से अलग कर दिया जाएगा ।

8. यात्री या मिश्रित रेलगाड़ियों द्वारा विस्फोटकों का प्रवहन. 6 इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित विस्फोटकों का परिवहन यात्री या मिश्रित रेलगाड़ी से किया जा सकता है :-

- (क) विस्फोटक के लिए सुरक्षा पलीते,
- (ख) नोदकों से भिन्न तीसरे वर्ग के विस्फोटक (नाइट्रोयोगिक), जो कारतूसों के रूप में हैं और जिनका कुल भार 2.5 किलोग्राम से अधिक नहीं है, परन्तु यह तब जब कि उसी डिब्बे में किसी विस्फोटक प्रेरक का परिवहन नहीं किया जाता है;
- (ग) 200 तक विस्फोटक प्रेरक, यदि उस पैकेज या उन पैकेजों में, जिनमें विस्फोटक प्रेरक हैं, रखे गए विस्फोटक की मात्रा कुल 225 ग्राम से अधिक नहीं है, परन्तु यह तब जब :-
 - (i) परेषक इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र निविदत्त कर देता है;
 - (ii) उसी डिब्बे में किसी अन्य विस्फोटक का परिवहन नहीं किया जाता है;

- (घ) अनुसूचित 2 में विहित दोहरे पैकेजों में पैक किए गए आखेट पाउडर और नोदक, परन्तु यह तब जबकि :-
- विस्फोटक टिन के कनस्तरों में हों और ऐसे प्रत्येक कनस्तर में पांच किलोग्राम से अधिक विस्फोटक न हो और लकड़ी की मजूबत पेटी में, जिसका बाहरी आवरण पूर्णतः स्फुलिंग सह टिन या जस्त का हो, या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित पेटर्न के धातु की पेटी या सिलेण्डर में, पैक हो;
 - किसी बाहरी पेटी में 12.5 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक न हों, और
 - किसी एक रेलगाड़ी पर कुल परेणण 37.5 किलोग्राम से अधिक न हो ।

9. रेल विभाग द्वारा विस्फोटकों के प्रेषण का प्राप्त किया जाना—रेल द्वारा परिवहन के लिए आशयित विस्फोटकों के परेक्षण को,—

- केवल ऐसे किसी सेवक द्वारा प्राप्त किया गया जाएगा जिसे संबंधित रेल प्रशासन ने खतरनाक माल को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया है; और
- सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे समय पर प्राप्त किया जाएगा और रेल परिसरों के भीतर ऐसे स्थानों पर प्राप्त किया जाएगा जिन्हें रेल प्रशासन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

10. शॉटिंग अविस्फोटकों से युक्त डिब्बों का शॉटिंग किसी भी रेल पर सम्यकतः प्राधिकृत किसी अधिकारी के अधीक्षण में ही की जाएगी अन्यथा नहीं और ऐसा अधिकारी इस बाबत जिम्मेदार होगा कि,—

- जब रेलगाड़ी का विन्यास हो रहा हो, तब विस्फोटकों से लदे डिब्बों को किसी रेल इंजन द्वारा शॉटन तब तक नहीं किया जाए जब तक कि उनके और इंजन के बीच कम से कम ऐसे तीन डिब्बे न हों जिनमें कोई विस्फोटक या कोई सरलता से ज्वलनशील पदार्थ नहीं है ;
- विस्फोटकों से युक्त डिब्बे के शॉटिंग के दौरान सभी संचलनों की गति प्रति घंटा आठ किलोमीटर से अधिक नहीं है ; और
- कोई लूज शॉटिंग नहीं की जाती है ।

11. रेल परिसरों पर और उनसे परिदान (1) परेषिती विस्फोटकों के पैकेजों को, स्टेशन घाट या उस रेल के डिपों से जिसको उनका परिवहन किया गया है, पहुंचने पर यथायाध्य शीघ्र और सभी सम्यक् तत्परता से हटा लेगा ।

(2) यदि पैकेजों के पहुंचने के समय से उन्हें दिन के बारह घंटे के भीतर नहीं हटा लिया जाता तो पैकेजों और उनकी अन्तर्वस्तु को परेषक को, उसकी जोखिम और व्यय पर, तुरन्त लौटाया जा सकता है ।

(3) विस्फोटकों से युक्त प्रत्येक पैकेज को, जब तक कि उसे हटा नहीं दिया जाता है या लौटा नहीं दिया जाता है या प्रेषित नहीं कर

दिया जाता, स्टेशन मास्टर के विशेष निदेश के अधीन किसी सुरक्षित स्थान पर और स्टेशन भवनों से किसी सुरक्षित दूरी पर तथा आवश्यकतानुसार किसी पुलिस गार्ड के अधीन, रखा जाएगा और उसे त्रिपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से पूर्णतः ढक दिया जाएगा ।

12. रेल प्रशासन की शक्ति—

(1) जहां रेल प्रशासन को यह सन्देह है कि कोई विस्फोटक या विस्फोटकों से युक्त कोई डिब्बा या पैकेज इन नियमों में से किसी के अनुरूप नहीं है वहां रेल प्रशासन,—

- अपने परिसरों पर ऐसे किसी विस्फोटक, डिब्बे या पैकेज के प्रवेश को रोक सकेगा या उसे प्राप्त करने या उसका परिवहन करने से इन्कार कर सकेगा; और
- किसी भी समय ऐसे डिब्बे या पैकेज को, उक्त तथ्यों के अभिनिश्चय के लिए खोल सकेगा या खोले जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) यदि किसी विस्फोटक या विस्फोटकों से युक्त किसी डिब्बे या पैकेज को इन नियमों में से किसी के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो रेल प्रशासन ऐसे विस्फोटक, डिब्बे या पैकेज परेषक को उसकी जोखिम और व्यय पर लौटाया जा सकेगा ।

(3) यदि ऐसे किसी विस्फोटक या विस्फोटकों से युक्त या पैकेज को जो इन नियमों के अनुरूप नहीं है, रेल प्रशासन की राय में बिना किसी उस असम्यक् जोखिम के उपनियम (2) के अधीन परेषक को लौटाया नहीं जा सकता है तो रेल प्रशासन, मुख्य नियंत्रक के परामर्श से और ऐसी रीति से जो वह विनिर्दिष्ट करे, ऐसे विस्फोटक या ऐसे डिब्बे या पैकेज की अन्तर्वस्तु को प्रेषक की जोखिम और व्यय पर नष्ट कर सकेगा।

13. रेल पुलों के पार विस्फोटकों का न ले जाया जाना कोई विस्फोटक किसी रेल पुल के पार रेल द्वारा ही ले जाया जाएगा अन्यथा नहीं और यह तब जब रेल प्रशासन ने उनके ऐसे परिवहन के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कर दी है :

परन्तु इस नियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :-

- किसी भी यात्रा में विस्फोट के लिए सुरक्षा पलीतों को, या
- पांच किलोग्राम से अनधिक किसी भी मात्रा में बारूद को या किसी मात्रा में नाइट्रोयोगिक या गोलाबारूद, वर्ग 6, खण्ड 2 और 3 को ।

अनुसूची VII

विनिर्देश

इस अनुसूची में अधिकथित विनिर्देश केवल साधारण मार्ग दर्शन के लिए है । प्रत्येक मामले के लिए पृथक से, मुख्य नियंत्रक से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

विनिर्देश 1 : आतिशबाजी से भिन्न विस्फोटक विनिर्माण कारखानों की विनिर्दिष्ट

- स्थल, अभिन्यास, निर्माण तथा सुरक्षा दूरी
- सुरक्षा दूरी की संकल्पना :

प्रक्रिया भवन की अवस्थिति, का निर्माण तथा पारगमन ऐसा होना चाहिए कि एक भवन में किए जाने वाले विस्फोट का ब्लास्ट, शॉक अथवा मिसाइल्स के माध्यम से दूसरे में विस्फोट का उपकरण न होता हो तथा इससे अन्य भवनों के कार्मिकों अथवा संपत्ति को कोई किंचित नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अतः विस्फोट नियमों के अन्तर्गत विभिन्न प्रवर्गों के विस्फोटकों; एक्स वाई तथा जैड जैड की भिन्न-भिन्न मात्राओं के लिए सुरक्षा दूरियां तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत की गई है अर्थात् : अतः प्रक्रिया दूरी; आईपीडी प्रक्रिया भवन के बीच, मध्यम जलमार्गों, डेमों अथवा जलाशयों आदि जैसी सुविधाओं के लिए बाह्य सुरक्षा दूरी; ओएसडी प्रक्रिया भवन से बाहर की सम्पत्ति जो निर्मित की जानी हो अथवा बसा हुआ क्षेत्र हो, ये नियम अनुसूची 8 में अनुबद्ध 1, 2 तथा 3 सारणी में निर्धारित हैं।

ख. सुविधाओं का विन्यास

विभिन्न भवनों का विन्यास बनाते समय निर्धारित दूरियों का संप्रक्षण किया जाना चाहिए तथा प्राकृतिक स्थलाकृति का अधिकतम लाभ लिया जाना चाहिए। पहाड़ी ढलानों और सघन वन प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में भूमितल में अन्तर का उपयोग लाभ के साथ संगुप्त अथवा संरक्षित संवेदनशील विस्फोटक भवनों को लगाने के लिए बहुत छोटे अतिरिक्त आवश्यक पारगमन के साथ किया जा सकता है। पहाड़ी के नीचे निर्मित क्षेत्र के साथ समतल मैदान अथवा पठार पर विस्फोटक भवनों का निर्माण ऐसे कारण के लिए किसी भी प्रकार से अभीष्ट नहीं है।

ग. निर्माण

(क) छत तथा दीवारों, प्रक्रिया भवन मजबूत किन्तु हल्की दीवारों तथा मजबूत छत के बनाए जाते हैं। 22.5 सेंटीमीटर मोटी सीमेंट ईट तथा 15 सेंटीमीटर आरसीसी छतें संस्तुत हैं। विस्फोट की स्थिति में हल्की दीवार मिसाइल उत्पन्न कर सकती है जिसे सर्वतोमुखी उपबन्धित उदग्र भीतरमुखी पारगमन द्वारा सम्मिलित किया जा सकता है। कुछ मामलों में जब विस्फोट का बल चार दीवारों में की एक तरफ की एक दीवार में सुरक्षित तथा सुगमता से छोड़ा जा सके तो वह बहुत कमजोर होगा। उदाहरणार्थ ऐसे निटेशन भवन जिनकी कमजोर साईट पहाड़ी ढलान अथवा वन की ओर होती है तथा पिछली ओर को खुलने वाले विस्फोट प्रेरक दबाव लघु कक्ष/मजबूत छत अन्य विस्फोटन भवन से मिसाइल्स का अन्तरोध करती है अन्यथा उसके छत के माध्यम से गिरने से विस्फोट का उपकरण हो सकता है। जब ऐसा घटित होता है तो दीवारों के विस्थापन तथा टूटने पर आर सी सी स्लेब छत भी गिरकर विस्फोट के प्रभावों को शांत कर सकती है।

(ख) दरवाजे, नॉन, मैन्ड रिमोट नियंत्रित कमरों के सिवाय प्रक्रिया भवन के दरवाजे पिछली ओर को सहज सुगमता से खुलने वाले होने चाहिए। दुर्घटना के अवसर में कार्मिकों के शीघ्र बचाव के लिए प्रत्येक प्रक्रिया भवन में पर्याप्त संख्या (कम से कम 2) में निकासद्वार होने चाहिए। दरवाजे लकड़ी के हों ताकि उपयुक्त अग्नि प्रतिरोधी पेंट से पेंट किए गए होने चाहिए।

(ग) खिड़कियां, संवातक : खिड़कियों तथा संवातकों की संख्या तथा आकार वास्तविक आवश्यकता के आधार पर विनिश्चित होगा। फ्रेम इस्पात अथवा लकड़ी के हों। कोई भी अरक्षित लोहा अथवा इस्पात अनुमत नहीं है। यह या तो जस्तागदित अथवा पर्याप्त

रूप से पेंट से ढका होना चाहिए। लोहे का फ्रेम अधिमन्य नहीं है। इसके तेजाबी धुएं से घिसकर नष्ट होने की अथवा विस्फोट धूल के दरारों तथा कराइटिस में जमा होने की संभावना रहती है। खिड़कियों तथा संवातकों के लिए कांच, पट्टियां तारकांच प्रकार की होनी चाहिए।

(घ) धरातल एवं परिष्करण, फर्श, दीवार तथा छत (अन्तरछद) चिकने तथा दरारों तथा छेदों से मुक्त तैयार किए जाने चाहिए। यह फर्श तथा निचली दीवार पर आवश्यक रक्षण के परिसीमन हेतु प्रबंध के लिए, लिए गए प्राकृतिक रसायनिकों पर निर्भर है। ऐसे मामले में फर्श पर मैस्टिक फर्श अथवा एटिस्टिक मेटिंग अनिवार्य है। रसायनिक संयंत्रों में तरल पदार्थ तथा सफाई-धुलाई के बहाव को बाहर निकालने वाली नालियों पर रासायनिक प्रतिरोधी प्लास्टिक अथवा मैस्टिक अस्तरण होना चाहिए जिससे रंधों के माध्यम से दूषण फर्श तथा दीवार में प्रवेश न करें।

2. पारगमन

क. कब्ज पारगमनों के प्रकार

भण्डारण भवनों के लिए सामान्यतः अधिक प्रयोग में लाए जाने वाले पारगमन प्राकृतिक कोण/एनएटी/मिट्टी के टीले हैं तथा प्रक्रिया भवनों के लिए उदग्र भीतरमुखी पारगमन/विस्फोट चट्टा तल पर पारगमन कम.से.कम 2.4 मीटर चौड़े होते हैं। वी आई एफ टी के लिए शीर्ष पर की चौड़ाई कम.से.कम 1.5 मीटर है तथा एन ए टी के लिए 1 मीटर, शीर्ष विस्फोट चट्टा तल से कम से कम 0.6 मीटर उपर हो। अनुरक्षित किए जाने वाले भवन से डप्ट की दूरी 1 मीटर से 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अधिक समाशोधन अनिवार्य बनता हो तो संरक्षण के उसी कोण को बनाए रख कर पारगमन की उंचाई अनुपाततः बढ़ाई जाए। वी आई एफ टी का भीतरमुखी उदग्र राजगिरी दीवार है जिसकी पिछली भराई भूमि का भार वहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होती है।

अर्ध वी आई एफ पारगमन वी आई एफ टी के सदृश है सिवाय इसके कि चट्टे तल के उपर के तल का भीतरी धरातल झुका होता है तथा शीर्ष की मोटाई को घटाते हुए उदग्र नहीं होता।

ख. खब्ज पारगमनों के प्रकार दर्शाने वाला वर्गीय दृश्य

एन ए टी तथा वी आई एफ टी

भवनों तथा पारगमनों का निर्माण यथावत् विशिष्टियों के अनुरूप हो। सामग्री तथा परिमाण में समझौते के लिए कोई गुंजाईश नहीं है। आर सी सी छत अथवा दीवार प्रबलन के साथ केवल नाममात्र के लिए 1 भवन से 5 मीटर अथवा अधिक दूर अवस्थित पारगमन अथवा उदग्र दीवार के पीछे थोड़ी भूमि के साथ वीआईएफटी कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं करता।

ग. पारगमन के रूप में भीतरी दीवार

धरा उठाई के छोटी मात्रा के विस्फोटक भवन अपनी दीवारों के प्रभावी निर्माण से पारगमनित किए जा सकते हैं। नीचे की सारणी विभिन्न मात्राओं के विस्फोटकों की दीवार की मोटाई दर्शाती है।

विस्फोटकों का वजन /कि. ग्रा.	आरसीसी दीवार/ मोटाई अधिमानित/मोटाई	ईट दीवार की मी. मी.
5	225	340
7	225	450
12	225	570
18	300	700
35	450	अनुज्ञात नहीं
50	600	अनुज्ञात नहीं

घ. विभाजन दीवारें

कई कमरों अथवा विभागों वाले प्रक्रियाकृत भवन में पर्याप्त परिमाण तथा निर्माण की विभाजन दीवारें रखी जा सकती हैं। ऐसी दीवारें, दीवार के एक ओर से दीवार की दूसरी ओर के विस्फोटक के संचरण को सारवन् ढंग से विलंबित कर सकती है। इस तरह, साथ-साथ अधिस्फोटन को रोकती है। विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों के लिए दीवारों की मोटाई नीचे की सारणी में दी गई है :-

विस्फोटकों का वजन किलोग्राम में	मात्रा के द्वारा प्रबलन-निवारण के लिए दीवार की मोटाई सेंटीमीटर में		
	0.20	0.5	0.7
0.75	10	10	10
>75-100	15	15	10
>100-150	20	20	15
>150-200	25	25	20
>200-250	30	25	25
>250-300	30	30	25
>300-350	35	35	30

यदि दीवार ईट की बनी होती हो तो आरसीसी दीवार की दुगनी मोटाई की तथा 2 के प्रबलन के साथ होनी चाहिए।

ऊपरी के अनुसार विभाजन दीवारों से अलग किए गए कमरों तथा विभागों वाले प्रक्रिया भवन की सुरक्षा दूरी किसी भी विभाग के विस्फोटकों की अन्तर्वस्तु पर आधारित हो सकती है जो सबसे बड़ा हो।

3. विस्फोट सीमा-व्यक्ति सीमा

किसी भवन में धरा उठाई के विस्फोटकों की मात्रा तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की संख्या सीमित रखने से स्पष्टतः विस्फोट के प्रतिकूल प्रभाव कम होते हैं। किसी संक्रिया के लिए विस्फोटकों की कम से कम मात्रा तथा व्यक्तियों की कम से कम संख्या पूर्णरूप से अभीष्ट है अथवा सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोट केवल संबद्ध भवन में अनुज्ञेय होना चाहिए।

विस्फोटकों पर मात्रा की संस्तुत सीमा तथा व्यक्तियों की संख्या धरा-उठाई के विस्फोटकों की सुग्रहित तथा गुणों/धर्मों/पर निर्भर है। संवेदनशीलता प्रक्रिया वाले विस्फोटकों के मामले में यथासंभव निम्न होनी चाहिए। यथोचित निम्न रखने के लिए यह

आवश्यक होगा कि एक संक्रिया को कई उप-संक्रियाओं में और विभिन्न भवनों में विभाजित कर दिया जाए।

विनिर्देश 2

आतिशबाजी से भिन्न मैगजीन के विनिर्देश

1. साधारण

मैगजीनों के निर्माण के संबंध में आधारभूत बातें हैं :-

इस प्रकार की सुरक्षा कि उनकी अन्तर्वस्तु तक किसी अप्राधिकृत व्यक्ति की पहुंच न हो सके। उन्हें अच्छी दशा में रखा जाएगा और आकस्मिक विस्फोट के जोखिम को कम से कम कर दिया जाएगा। परिणामस्वरूप संरचना ऐसी होनी चाहिए कि कोई अवैध हस्तक्षेप यथासंभव न हो सके और वह भली प्रकार संवातित हो। मैगजीन के स्थल का चयन करने में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अग्नि लग जाने और या विस्फोट हो जाने की दशा में जीवन और सम्पत्ति को भूमि के प्राकृतिक लक्षणों द्वारा प्रस्तुत संरक्षण, प्रदान किया जा सके। किसी स्थल की उपयुक्तता और भण्डार किए जाने वाले विस्फोटकों की मात्रा का अवधारण, सार्वजनिक मांगों निवासीय या औद्योगिक क्षेत्रों रेल आदि से उसकी दूरी के आधार पर, जैसाकि अनुसूची 8 में सुरक्षा दूरी की तालिका में विनिर्दिष्ट है, किया जाएगा। अतः स्थल ऐसा चुना जाना चाहिए जिसे जनता से, प्राकृतिक या कृत्रिम साधनों द्वारा, अदृश्य रखा जा सके।

विस्फोटकों के भण्डारकरण से संबंधित नियमों और विनियमों के अतिरिक्त, संबंधित सामग्री की देखभाल की दृष्टि में रखते हुए, कुछ शर्तों का भी अनुपालन किया जाना चाहिए, जैसा कि, अनुचित भण्डारकरण के कारण किसी समय अविस्फोटन न हो। सभी दशाओं में भण्डारकरण के स्थान शुष्क, संवातित और तापमान की अतियों से यथासंभव संरक्षित होने चाहिए। भण्डार यथावत रूप में चक्रानुक्रम में निकाला जाना चाहिए। दिन का कार्य समाप्त होने के बाद बची सामग्री को मैगजीन को लौटा दिया जाना चाहिए और उसे आगामी दिन में प्रयोग के लिए अलग रख दिया जाना चाहिए।

सुरक्षा पलीतों और विस्फोटक प्रेरकों को, अच्छे परिणाम अभिप्राप्त करने के लिए अच्छी हालत में रखा जाना चाहिए। अतः परिवहन, सप्लाई और भण्डारकरण के दौरान सभी समयों पर उन्हें नमी से और तेल, ग्रीस, मिट्टी के तेल या अन्य द्रवों के सम्पर्क से बचा रखा जाना चाहिए। विस्फोटक प्रेरकों को अन्य विस्फोटकों से अलग भण्डारित किया जाना चाहिए।

2. मैगजीन निर्माण करने की सामग्रीणां : 6

मैगजीन भारी संरचना के, अर्थात्, इस्पात, प्रबलित कंकरीट, ईट, पत्थर या तैयार कंकरीट ब्लाकों से तैयार की जा सकती है। अधिकतम सुरक्षा इस्पात या प्रबलित कंकरीट संरचनाओं से ही प्राप्त की जा सकती है। मैगजीन की भीतरी विमाएं ऐसी होंगी की उसमें सभी विस्फोटक सरलता से रखे जा सकें।

3. मैगजीन की संरचना

मैगजीन को भली प्रकार और मजबूत बनाया जाएगा और उसे इस प्रकार बन्द किया जाएगा कि अप्राधिकृत व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप न कर सके और उसे बाहर से कोई खतरा उत्पन्न न हो।

“क” प्रकार की मैगजीन

“क” प्रकार की मैगजीन मुख्य नियन्त्रक द्वारा अनुमोदित टाईप की होगी और उसमें मुख्यतः निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी, अर्थात् :-

- (क) उसकी दीवारें प्रबलित कंकरीट की, कम से कम 225 मिलीमीटर मोटी या ईट या पत्थर की, कम से कम 450 मिलीमीटर मोटी होगी। जिन्हें सिमेंट के गारे से जमाया जाएगा। कंकरीट का न्यूनतम संपीडक बल 28 दिन के बाद 2500 पौण्ड वर्ग इंच होगा (अपेक्षित बल 1 भाग सीमेंट, 1-1/2 भाग बालू और आयतन के अनुसार योग के 3 भाग) के एक मिश्रण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रबलन के अन्तर्गत है वर्गकार जाली, जो मजबूती से ताने गए इस्पात के तारों से बनेगी, और जिसके द्वारा प्रत्येक दिशा में दीवाल के 2 फिट में 0.21 से अन्यून क्रास सेक्शन क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी। प्रबलन को दोनों ओर से कम से कम 50 मिलीमीटर कंकरीट द्वारा आबरित किया जाएगा। ईट और कंकरीट ब्लॉक सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप होंगे। संरचना में वाणिज्यिक श्रेणी इस्पात का प्रयोग उचित है। सीमेंट के गारे में कम से कम एक भाग सीमेंट और 3 भाग बालू होगी।
- (ख) उसके भीतरी भाग और उसमें की बेंचों, शैल्फों, और फिटिंग की संरचना इस प्रकार की जाएगी और उसका अस्तरण और आवरण इस प्रकार किया जाएगा कि कोई लोहा या इस्पात खुला न रहे और कोई ग्रिट, लोहा, इस्पात, या सामान पदार्थ इस प्रकार विलग न हो कि वह विस्फोटकों के सम्पर्क में आए। ऐसी भीतरी बेंचों, शैल्फों और फिटिंग को ग्रिट से मुक्त और अन्यथा स्वच्छ रखा जाएगा; और ऐसे किसी विस्फोटक की दशा में जो जल से खतरनाक रूप में प्रभावित हो सकता है, विस्फोटक को जल से अलग रखने के लिए सम्यक् सावधानी बरती जाएगी।
- (ग) उसकी छत कम से कम 150 मिलीमीटर मोटी प्रबलित कंकरीट की होगी।
- (घ) मैगजीन के आमने-सामने की प्रत्येक दीवार में सबसे उपर और नीचे एक-एक संवातक होगा किन्तु यह तब जब ऐसी मैगजीन में भण्डारित विस्फोटक का भार 500 किलोग्राम तक है और प्रत्येक दीवार में उस दशा में कम से कम 2 संवातक सबसे उपर और नीचे होंगे जहां भण्डारित विस्फोटक का भार 500 किलोग्राम से अधिक है। यदि अनुज्ञापन अधिकारी चाहता है तो संवातकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। संवातक 22.5 से. मी. X 11.25 से. मी. के होंगे और Z टाइप लोहे की छड़ों की फेम पर बाहर की ओर दीवाल में मजबूती से लगा होगा। छड़ें 2.35 से. मी. (3/8 वर्ग इंच) की होंगी जो कोणीय रूप में फ्रेम में फिट होंगी। आन्तरिक खुलाव को प्रति सेंटीमीटर 3 जाली वाली पीतल के तार

गेज़ से सुरक्षित किया जाएगा।

- (ड.) उसमें ऐसे दरवाजे होंगे -
- (i) जो बाहर की ओर खुलते हों और बन्द होने पर कस कर बन्द हो जाते हों;
- (ii) जो कम से कम 3 मिलीमीटर मोटी इस्पात की चादर से बनाए गए हों, चाहे उसके भीतर लकड़ी का अस्तर लगाया गया हो या नहीं।
- (च) उसका प्रत्येक भीतरी दरवाजा -
- (i) लकड़ी का बना होगा;
- (ii) ताले और फिटिंग अलौह धातु के होंगे।
- (छ) उसके बाहरी दरवाजों पर के ताले “डेड लॉक” टाइप के होंगे।
- (ज) यदि मैगजीन के अन्दर विस्फोट प्रेरकों या वर्ग 6, प्रभाग 3 के अन्य विस्फोटकों का भण्डार किया जाता है तो विस्फोट प्रेरकों या उक्त विस्फोटकों के लिए अलग-अलग कमरे की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे कमरे का अलग प्रवेश द्वार होगा और मैगजीन के किसी अन्य कमरे से उस कमरे के बीच कम से कम एक मीटर का वायु क्षेत्र होगा तथा विस्फोट प्रेरक भण्डारकरण कक्ष भी, जो मैगजीन के किसी बन्द कक्ष के सामने हों, दीवार की मोटाई कम से कम 60 सेंटीमीटर होगी।
- (झ) विस्फोटक के पैकेजों के भण्डारकरण के लिए उसमें लकड़ी के ट्रेसल या सीमेंट का उंचा प्लेटफार्म होगा।
- (ण) यदि आवश्यक है तो उसमें एक बरसाती होगी और ऐसी प्रत्येक बरसाती,-
- (i) उसी संरचना की होगी जिसकी मैगजीन का शेष भाग है; और
- (ii) उसका प्रयोग केवल बक्से खोलने के लिए, मैगजीन के संबंध में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरणों और औजारों को रखने के लिए अथवा वस्त्र और जूते बदलने के लिए होगा।
- (ट) उसकी दीवाल के प्रयोग योग्य भाग पर, फर्श लेवल से 150 मि.मि. की उंचाई से 300 मि.मि. के अन्तर से चपती पलस्तर की 25X50 मि.मि. पट्टियां बनाई जाएंगी। ये पट्टियां चट्टे लाए जाने की लाइन तक बनाई जाएंगी जिससे कि वायु परिचालित होती रहे और विस्फोटकों के कैसों के चट्टे सीधे दीवाल से सटे हुए न रहें।
- (ठ) मैगजीन भीतरी दीवारों पर फर्श लेवल से 2.5 मीटर की उंचाई पर कम से कम 12 मिलीमीटर की एक लाल रेखा पेंट की जाएगी। यह रेखा उस अधिकतम उंचाई को दर्शित करेगी जिस तक विस्फोटकों के चट्टे लगाए जा सकते हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी यदि आवश्यक समझता है तो चट्टों के लिए कोई कम उंचाई विनिर्दिष्ट कर सकता है ;

- (ड) उसका भीतरी आयतन प्रत्येक 100 किलोग्राम विस्फोटकों के लिए कम से कम 0.4 घनमीटर होगा ।
- (ढ) प्रत्येक 100 किलोग्राम विस्फोटक के लिए कम से कम 0.4 घनमीटर होगा । इसमें अतिरिक्त पैकेजों के चट्टों के बीच आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जाएगी किन्तु यह तब जब अनुज्ञापन प्राधिकारी इसकी अपेक्षा करे ;
- (ण) मैगजीन के भीतर उचित प्रकाश के लिए पर्याप्त संख्या में खिड़कियां होंगी । ये बाहर की ओर खुलेंगी और कम से कम 5 मि.मि. मोटी इस्पात की चादर की बनी होंगी जिसमें लकड़ी का अस्तर दिया गया हो या नहीं ।

“ख” प्रकार की मैगजीन (सुवाहय मैगजीन)

“ख” प्रकार की मैगजीन ऐसे टाइप की होगी जो मुख्य नियन्त्रक अनुमोदित करे और उसमें मुख्यतः निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी, अर्थात् :-

- (क) उसकी दीवारों कम से कम 5 मिलीमीटर मोटी इस्पात की चादर की होंगी ;
- (ख) उसकी छत कम से कम 5 मिलीमीटर मोटी इस्पात की चादर की होगी ;
- (ग) उसकी भीतरी दीवारों, दरवाजों और छत पर कम से कम 10 मिलीमीटर मोटा और फर्श पर कम से कम 25 मिलीमीटर मोटा अस्तरण किया जाएगा । यह अस्तरण सटे हुए लकड़ी के बोर्डों का होगा और उसके जोड़ परस्पर जिक्का और खांचों द्वारा इस प्रकार जोड़े जाएंगे कि कोई लोहा या इस्पात भीतरी भागों, छतों, फर्श या दरवाजों पर खुला न हो ।
- (घ) उसका भीतरी आयतन विस्फोटकों के प्रत्येक 100 किलोग्राम के लिए कम से कम 0.4 घनमीटर होगा ।
- (ड.) उसका संवातन संवातकों द्वारा किया जाएगा जो पर्याप्त रूप से संरक्षित होंगे ;
- (च) उसके बाहरी कब्जे इस्पात के होंगे जो दरवाजों और मैगजीन की फ्रेम से बैल्डिड होंगे ;
- (छ) बाहरी दरवाजे के लिए “डेड लॉक” टाइप का एक ताला होगा ।

‘ग’ प्रकार की मैगजीन :

‘ग’ प्रकार की मैगजीन (छोटी सीमेंट ईट मैगजीन एक किलोग्राम तक के विस्फोटकों के भण्डारण तथा विस्फोट प्रेरकों के बॉक्स के लिए)

छोटी सीमेंट मैगजीन में मुख्यतः निम्नलिखित होने चाहिए:

- (क) मैगजीन भूमिस्तर से एक मीटर ऊपर पदाम पर ईट की पक्की चिनाई अथवा सीमेंट कंक्रीट की बनाई जाएगी जिसकी दीवारों की मोटाई 4.5 सेंटीमीटर तथा आरसीसी छत 15 सेंटीमीटर मोटी होगी ।

- (ख) विस्फोट प्रेरक कमरे तथा उच्च विस्फोटक कमरे की अदहदगी दूरी स्कैच के अनुसार 1.5 मीटर होगी

- (ग) मैगजीन कमरों में इस्पात के दरवाजे लगे होंगे जिनकी मोटाई 5 मि. मी. से कम नहीं होगी और जो दक्ष लॉकिंग व्यवस्था के साथ बाहर की ओर खुलेंगे ।

- (घ) कमरों में Z प्रकार का लोहे की छड़ों वाला एक संवातक दीवार में अग्रभाग पर पक्की तरह लगा होगा । 2.35 सेंटीमीटर की छड़ें फ्रेम के साथ कोणीय ढंग से जड़ी होनी चाहिए । भीतरी मार्ग 3 गेज के पीतल की तार के प्रति सेंटीमीटर के जालरन्ध्रों से सुरक्षित किया जाना चाहिए ।

- (ड.) मैगजीन आईएस 2309 के अनुरूप तड़ित संवाहक के साथ लगी होनी चाहिए ।

विनिर्देश 3: आतिशबाजी विनिर्माण कारखानों तथा भण्डारघर तथा आतिशबाजी के लिए अथवा सुरक्षा संलग्न,

क. मिश्रण /भरण भवन:

मिश्रण/भरण भवन के विनिर्माण में आधारभूत अनुचिन्तन उठाई, धराई, अच्छा अनुरक्षण तथा अच्छी देखरेख, आग के जोखिम, घर्षण अथवा प्रभाव को कम करना तथा दुर्घटना की स्थिति में जीवन. क्षति को कम से कम करना है । भवन में पर्याप्त संख्या में दरवाजे होने चाहिए । मिश्रण /भरण का स्थान शुष्क होगा ।

मिश्रण/भरण भवन की दीवारें ईट, पत्थर अथवा कंक्रीट की बनी होनी चाहिए । ईट तथा कंक्रीट संगत भारतीय विशिष्टियों के समानुरूप होने चाहिए । अपेक्षित बल एक भाग सीमेंट तथा 3 भाग साफ बालू के मिश्रण से कम नहीं होना चाहिए

मिश्रण/भरण भवन में निम्नलिखित होंगे:

- (क) ईट तथा सीमेंट की 34 सेंटीमीटर की बनी मोटी दीवार और आरसीसी की 15 सेंटीमीटर की बनी मोटी छत ।
- (ख) अग्रद्वार से 1 से 2 मीटर की दूरी पर ईट तथा सीमेंट की 34 सेंटीमीटर मोटी अथवा आरसीसी की 23 सेंटीमीटर मोटी विनिर्मित दीवार दोनों ओर दरवाजों के खुलने से 0.5 मीटर व्यापक होगी और उसकी ऊंचाई 2 मीटर होगी ।
- (ग) सफेद पाउडर कमरों की विस्फोटक सीमा 5 किलोग्राम तथा काले पाउडर के कमरों की 12.5 किलोग्राम होगी तथा व्यक्तियों की संख्या 2 होगी ।
- (घ) दो दीवारों में 3 या 4 कमरे ।
- (ड.) लकड़ी अथवा लकड़ी के फ्रेम के बने दरवाजे उपयुक्त मोटाई की एल्यूमिनियम की चादर के अस्तरण के साथ गैर. लौह कब्जों के साथ जड़े होने चाहिए ।
- (च) जो दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं ।

- (छ) इनकी लॉकिंग प्रणाली केवल बाहर से खुलने की होनी चाहिए ।
- ज) फर्श गैर. चिनगारी तथा गैर. संचालक रबड़ चादर से ढका होना चाहिए ।
- झ) यदि मिश्रण/भरण विद्युत चालित मशीन द्वारा किया जाए तो तड़ित संवाहक 1969 के आईएस 2309 के अनुरूप होना चाहिए ।

ख. विनिर्माण/प्रक्रिया शेड्स

- क) विनिर्माण/प्रक्रिया रोड् भूमि तल पर ईट पत्थर अथवा कंक्रीट से बनी दीवार के साथ स्थित होने चाहिए । ईटें तथा कंक्रीट संगत भारतीय विशिष्टियों के समानरूप होने चाहिए ।
- ख) सीमेंट तथा ईट की दीवार 23 सेंटीमीटर तथा आरसीसी की 15 सेंटीमीटर मोटी होगी ।
- ग) छत जी.आई. चादर की अथवा आरसीसी की 10 सेंटीमीटर की मोटी चादर की होगी ।
- (घ) चार कमरे उपबोधित किए जाएंगे ।
- ड.) दरवाजे लकड़ी के बने होंगे अथवा जी. आई. चादर से ढके लकड़ी के फ्रेम के जिनमें गैर. लौह कब्जे होंगे अथवा लौह कब्जे ऐसे अस्तरित अथवा पेंट किए हुए होंगे कि लोहा अथवा इस्पात उघड़े नहीं ।
- च) विभिन्न प्रक्रिया भवनों के कमरे एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगे ।
- छ) यदि समीपवर्ती शैडों के दरवाजे आमने-सामने हों तो शैड के दरवाजे से 1 से 2 मीटर की दूरी पर सीमेंट की एक 23 सेंटीमीटर मोटी स्क्रीन वाल उपलब्ध कराई जाएगी ।
- ज) सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले होंगे ।
- झ) शैड का फर्श कम से कम 9 वर्ग मीटर क्षेत्र का होगा ।
- ड.) शैड का फर्श उपयुक्त चिकना होगा ।

ग: विस्फोटक दीवार

विस्फोटक दीवार ईटों, पत्थर अथवा कंक्रीट की बनी होगी । ईटें तथा कंक्रीट संगत भारतीय मानक विशिष्टियों के समानरूप होंगे । सीमेंट का गारा कम से कम एक भाग सीमेंट तथा 3 भाग साफ बालू से मिलकर बनेगा । विस्फोट दीवार दरवाजे से अथवा भवन की परिसीमा दीवार से एक से दो मीटर की दूरी पर होगी । विस्फोट दीवार की ऊँचाई 2 मीटर होगी तथा दोनों ओर दरवाजों के खुलने से विस्फोट दीवार 0.5 मीटर व्यापक होगी । विस्फोट दीवार के चारों ओर मिश्रण तथा भरण रोडस होंगे जिनकी अनुमोदित विस्फोट सीमा 5 किलोग्राम होगी तथा अनुमोदित व्यक्ति संख्या 2 होगी । यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी आवश्यक समझें तो वह विस्फोट दीवार की उच्चतर ऊँचाई विनिर्दिष्ट कर सकता है । विस्फोट दीवार की मोटाई भवन की अनुज्ञप्ति सीमा के अनुसार विनिश्चित की जाएगी तथा इसके विनिर्माण में निम्न संलग्न सारणी के अनुसार सामग्रीयों प्रयुक्त की जाएंगी :

विस्फोटकों की अनधिक मात्रा किलोग्राम में	दीवार की मोटाई सेंटीमीटर में	आरसीसी	ईट
2.5	23		34
5	23		34
7	23		45
12	23		57
18	30		60
35	45		70
50	60		75

घ: शुष्कन मंच

शुष्कन मंच के विनिर्माण में आधारभूत अनुचितन से यह सुनिश्चित करना है कि अन्य गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों की पहुँच से दूर आतिशबाजी मर्दें सुरक्षित रूप से शुष्क की जा सकें तथा आतिशबाजी के संपर्क में आने से बालू के कणों, धूल और नमी को रोका जा सके । शुष्कन मंच सदा शुष्क रखा जाएगा ।

शुष्कन मंच का मंच ईट, पत्थर अथवा कंक्रीट का बना होगा और इसका फर्शी क्षेत्र न्यूनतम व स्क्वैर मीटर तथा अधिकतम 15 स्क्वैर मीटर होगा । मंच की ऊँचाई 1 से 1.5 स्क्वैर मी. होगी । ईट तथा कंक्रीट संगत भारतीय मानक विशिष्टियों की समान रूप होंगे । अपेक्षित बल का मिश्रण एक भाग सीमेंट तथा 3 भाग बालू से कम नहीं होगा । तथापि फूलझड़ियों के शुष्कन के लिए शुष्कन मंच का फर्शी क्षेत्र बालू से भरा तथा ईटों से अस्तरित भूमि पर अथवा भूमि पर पत्थर जैली और सीमेंट के साथ फेलाया गया फर्शी क्षेत्र हो सकता है ।

जहाँ किसी प्रक्रिया भवन के दरवाजों की पंक्ति में सीधे कोई मंच अवस्थित है, ऐसे कथित भवन के दरवाजे के सामने विस्फोट दीवार इस अनुसूचि में संलग्न निर्देशन -6 के अनुसार होगी । इस स्थिति में जहाँ शुष्कन मंच एक-दूसरे के सन्निकट हों विस्फोट दीवार एक-दूसरे के सन्निकट किसी ऐ मंच के सामने 1 से 2 मीटर के अन्तराल पर निर्मित होगी ।

फ्यूज कटिंग व शुष्कन मंच के मामले में ऐसे मंच प्रक्रिया भवन से 18 मीटर की दूरी पर बनाए जाए तथा बाह्य सुरक्षा दूरी 45 मीटर को ध्यान में रखा जाए । ऐसे शुष्कन मंच की आड़/विस्फोट दीवार के आरे के लंब की लंबाई की आधी होगी । आड़/विस्फोट दीवार का विनिर्माण अनुसूची में संलग्न निर्देशन-6 के अनुसार होगा । यदि आवश्यक हो तो सूर्य के सीधे प्रकाश स्तम्भ अथवा शहतीर खड़े करके अस्थायी छत की व्यवस्था की जाए ।

ड. पारगमन भवन

पारगमन भवन के विनिर्माण में आधारभूत अनुचितन ये है कि अनाधिकृत व्यक्तियों की पहुँच से अन्तर्वस्तुओं को दूर रखा जाए, उन्हें अच्छी तरह से अनुरक्षित रखा जाए । विनिर्माण की यह मांग यथा संभव अवैध प्रवेश को शुष्क होना चाहिए तथा माल कमावर्तन में निकालना संभव होगा ।

पारगमन भवन की दीवारें, ईट, पत्थर अथवा कंक्रीट की होंगी। ईंटें और कंक्रीट संगत भारतीय मानक विशिष्टियों के समनस्प होंगे। सीमेंट का गारा कम से कम एक भाग सीमेंट और तीन भाग साफ बालू से मिलकर बनेगा। पारगमन का अंतरंग स्वच्छ रखा जाएगा और उसके बेंचों शैल्फों और फिटिंग की संरचना इस प्रकार की की जाएगी अथवा उन्हें इस प्रकार अस्तरित या अवतरित किया जाएगा कि कोई लोहा या इस्पात खुला न रहे और कोई ग्रिट, लोहा, इस्पात या समान पदार्थ इस प्रकार विलग न हो कि वह भंडार की गई सामग्री के सम्पर्क में आ जाए और ऐसी भीतरी बेंचों, शैल्फों और फिटिंग को यथासाध्य साफ और धूल मुक्त रखा जाएगा।

- क) इसकी सीमेंट, ईट दीवार 45 से. मी. तथा आर सी सी छत 15 से. मी. मोटी होगी।
- ख) पारगमन भवन में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा वाडित रूप में पर्याप्त संख्या में संवातक होंगे। संवातक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सुझाए गए रूप में दीवार में शीर्ष तथा तल में होंगे। संवातक 22.5 से. मी. गुणा 11.25 से. मी. के होंगे जो उपयुक्त फ्रेम में बाहर की ओर बनी दीवार में मजबूती से जड़े होंगे। छड़ें 2.35 सें. मी. वर्ग की होंगी जो कोणीय रूप में फ्रेम में जड़ी होंगी। आंतर्रीय खुलाव को प्रति सें. सी. 3 जाली वाली तार से संरक्षित किया जाएगा।
- (ग) इसमें केवल एक दरवाजा होगा।
- (घ) दरवाजा लकड़ी का होगा और गैर-लौह कब्जों से जड़ा होगा।
- (ड.) दरवाजा बाहर की ओर खुलेगा।
- (च) यदि दरवाजा शुष्कन मंच के सामने है अथवा किसी अन्य प्रक्रिया भवन की ओर खुलता है तो विस्फोट दीवार / सीमेंट ईट की 34 सें. मी. अथवा आरसीसी की 23 सें.मी./ दरवाजों के सामने से 1 से 2 मी. की दूरी पर होगी। दोनो ओर दरवाजों के खुलने से विस्फोट दीवार 0.5 मीटर व्यापक होगी और इसकी ऊँचाई 2 मीटर होगी।
- (छ) पारगमन भवन में तड़ित संवाहक नहीं होगा अन्यथा जब तक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

2. आतिशबाजी या सुरक्षा पलीते के भण्डारगृह के लिए मैगजीन

भण्डारगृह के सनिर्माण के संबंध में आधारभूत बातें हैं-

इस प्रकार की सुरक्षा की उनकी अन्तर्वस्तु तक किसी अप्राधिकृत व्यक्ति की पहुंच न हो सके। उन्हें अच्छी दशा में रखा जाएगा और आकस्मिक रूप में आग लग जाने के जोखिम को कम से कम कर दिया जाएगा। परिणामस्वरूप संरचना ऐसी होनी चाहिए कि कोई अवैध हस्तक्षेप यथासंभव न हो सके और वह भली प्रकार संवातित हो। भण्डारकरण का स्थान शुष्क होना चाहिए और यह संभव होना चाहिए कि भण्डार को यथावत चकानुक्रम में निकाला जा सके।

भण्डारगृह की दीवारें ईट, पत्थर या कंकरीट की होगी। ईंटें और कंकरीट, सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप होगी। सीमेंट का गारा कम से कम 1 भाग सीमेंट और 3 भाग साफ बालू से मिलकर बनेगा। भण्डारगृह का भीतरी भाग साफ सुथरा रखा जाएगा

और उसकी बेंचों, शैल्फों और फिटिंग की संरचना ऐसे की जाएगी या उन्हें इस प्रकार अस्तरित या अवतरित किया जाएगा कि कोई लोहा या इस्पात खुला न रहे और कोई ग्रिट, लोहा, इस्पात या समान पदार्थ इस प्रकार विलग न हो कि वह भण्डार की गई सामग्री के सम्पर्क में आ जाए और ऐसी भीतरी बेंचों, शैल्फों और फिटिंग को यथासम्भव साफ सुथरा और धूलमुक्त रखा जाएगा।

- (क) भण्डारगृह अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा वांछित रूप में पर्याप्त संख्या में संवातक होंगे। उसमें संवातक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बनाए गए रूप में दीवारों के शीर्ष और तल में होंगे। संवातक 11.25 सेंटीमीटर के होंगे जो उपयुक्त फ्रेम में जो बाहर की ओर दीवारों में मजबूती से लगाई गई हो, फिट होंगे। छड़ें 2.35 सेंटीमीटर वर्ग की होंगी जो कोणीय रूप में फ्रेम में जड़ी होंगी। आन्तरिक खुलाव को प्रति सेंटीमीटर 3 जाली वाली तार से संरक्षित किया जाएगा।
- (ख) फर्श लेबल से 3 मीटर की उंचाई पर दीवारों पर कम से कम 12 मि. मी. की लाल रेखा पेंट की जाएगी। यह रेखा उस अधिकतम ऊंचाई को बनाती है जिस तक विस्फोटकों के चटटे लगाए जा सकते हैं। वायु के परिचालन के लिए दीवारों के प्रयोग योग्य भाग के चारों ओर कम से कम 30 सेंटीमीटर का एक गैंग स्थान होगा। इसके अतिरिक्त पैकेजों के चटटों के बीच आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जाएगी, किन्तु यह तब जब अनुज्ञापन प्राधिकारी इसकी अपेक्षा करें। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी आवश्यक समझता है तो चटटे लगाने के लिए कम ऊंचाई विनिर्दिष्ट कर सकता है।
- (ग) भण्डारगृह में उचित प्रकाश के लिए पर्याप्त संख्या में लकड़ी की खिडकियां होंगी वे बाहर की ओर खुलेंगी। भण्डारगृह का फर्श चिकना तथा पत्थर का या सीमेंट का होगा।
- (घ) भण्डारगृह बाहरी दरवाजा रखेगा कि बाहर खुला रहे और जो सख्त बन्द किया गया लकड़ी से सनिर्माण होगा या स्टील की प्लेट के लाईन बिछा होगा।
- (ड.) भण्डारगृह का फर्श चिकना, पत्थर या सीमेंट का होगा।
- (च) मैगजीन की छत जी. आई. चादर या ए. सी. चादर से बनाई जाएगी।
- (छ) मैगजीन की आतिशबाजी या सुरक्षा पलीता 10000 मीटर की 2 वर्ग मीटर एक टन के क्षेत्र की छत रखेगा।
- (झ) मैगजीन में प्रति टन, सांप की गोलियों के लिए 8 वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र होगा।
- (ड.) पेपर कैप्स या अर्मस अथवा क्लोरेट अंतरविष्ट कलर माचिस इस भण्डारगृह में रखे जाएंगे, जो ईट, पत्थर या कंक्रीट से बनाई गई दीवार द्वारा अलग होंगे तथा जिसका उद्देश्य किसी अग्नि या विस्फोटक को फैलने से रोकना होगा।
- (ट) मैगजीन आई. एस. 2309 के अनुसार प्रकाश सुचालक के साथ फिट किया जाएगा।

3. आतिशबाजी के लिए भण्डारगृह-

- (1) भण्डारगृह ईट या पत्थर गारा, या कंकरीट की एक मंजिली भवन 23 सेंटीमीटर की मोटी दीवार के साथ बनाई जाएगी

और 15 सेंटीमीटर मोटाई आरसीसी की छत होगी ।

- (2) भण्डारगृह सभी तरफ से 3 मीटर की खुली सुरक्षा दूरी पर बनाया जाएगा जो 1.8 मीटर उच्च बाउण्डरी दीवाल या फेनसी द्वारा संरक्षित होगा ।
- (3) भण्डारगृह का 12 वर्ग मीटर से कम से कम का छत क्षेत्र वही रखेगा और आतिशबाजी के भण्डारण के लिए 20 वर्गमीटर से अधिक का नहीं होगा ।
- (4) भण्डारगृह का दरवाजा लकड़ी या अन्य उपयुक्त सामग्री का बनाया जाएगा और बाहर की तरफ खुला रहेगा । यदि शटर दरवाजा उपबन्धित हो तो वहां शटर दरवाजे के ऊपर चूल उपबन्धित होगा जो खुली स्थिति में शटर की पत्ती को लॉक किया जाएगा ।

विनिर्देश 4- विस्फोटकों के वाहन के लिए सड़क वैन के लिए विनिर्देश-

भाग -1 (साधारण)

- (1) बाडी और कैब के बीच वायुक्षेत्र-बाडी और कैब के बीच कम से कम 13 सेंटीमीटर का स्पष्ट वायु क्षेत्र छोड़ा जाएगा ।
- (2) ड्राइवर का कैब - ड्राइवर के कैब पर बाहर से .914 मि. मी. एल्यूमीनियम चादर फिट और आवरित कर दी जाएगी । यदि लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तो उसका इस प्रकार अभिक्रियान्वयन किया जाना चाहिए कि वह ज्वलनशील न रह जाएं ।
- (3) कैब -द्वार -द्वारों में खिड़कियां फिट की जाएंगी जिनमें न छितरने वाले शीशे लगाए जाएंगे ।
- (4) वायु रोधी स्क्रीन -ड्राइवर की सीट के सामने वाले भाग में एक मजबूत फ्रेम वाला वायु रोधी स्क्रीन फिट किया जाएगा । यह स्क्रीन खुलने के लिए मजबूत पीतल के वृक्षपाद पर होगा ।
- (5) ईंधन टैंक-ईंधन टैंक, नीचे शतै 11 में वर्णित अग्नि स्क्रीन के सामने होगा । उसे ऐसे अवस्थित किया जाएगा कि यदि यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे क्षति पहुंचने की संभावना कम से कम हो ।
- (6) ईंधन कटऑफ - भरण पाईप पर सरलता से पहुंच योग्य स्थिति में एक शीघ्र सक्रिय कट आफ फिट किया जाएगा ओर वह इस प्रकार का होगा कि उसे, बोनट उठाए बिन ही, परिचालित किया जा सके तथा वह इस प्रकार अवस्थित किया जाएगा कि इंजन में आग लग जाने की दशा में उस पर कोई प्रभाव न पड़े ।
- (7) निवर्तितन पाईप और सफुलिंग रोधक-सम्पूर्ण सफुलिंग रोधक और निवर्तितन पाईप व्यवस्था पैरा 11 में वर्णित अग्नि स्क्रीन के सामने होगा ।
- (8) अग्नि शामक-दो रासायनिक अग्निशामकों की जो कम से कम दो किलोग्राम के होंगे, व्यवस्था की जाएगी अग्निशामक पेट्रोलियम अग्नि का मुकाबला कर सकता हो ।
- (9) सेल्फ स्टार्टर-एक सेल्फ स्टार्टर की व्यवस्था की जाएगी ।
- (10) प्रकाश व्यवस्था-अग्र, पार्श्व और पिछली विद्युत बलितियों की

व्यवस्था की जाएगी । उन बलितियों का संचालन डैश बोर्ड से किया जाएगा । सभी विद्युत तार और बैटरी केवल पूर्णतः ढके होंगे और उन्हें अच्छी चालू हालत में रखा जाएगा ।

- (11) अग्नि स्क्रीन-अग्नि स्क्रीन एक प्लाई एसबेस्टास और 18 गेज की इस्पात चादर का बना होगा । यह ड्राइवर के पूरे कैब में फिट होगा तथा भूमि से 300 मिलीमीटर से कम उंचा नहीं होगा । भूमि से 300 मिलीमीटर के भीतर कैब के तल से विस्तारित यह भाग, एक हल्का संरचना वाले लोहे के एंगिल वाली फेम पर लगा होगा ।
- (12) बाडी-एक बाडी, जो इस विनिर्देश के द्वितीय भाग के अनुरूप हो, फिट की जाएगी ।
- (13) अतिरिक्त पहिए-चैसिस पर के प्रत्येक आकार के पहिए के लिए एक अतिरिक्त पहिए, जिसमें बाहरी आवरण और भीतरी ट्यूब सम्मिलित है, यान पर रखा जाएगा ।
- (14) पेंटिंग और चिन्हांकन-बाडी और कैब पर पेंट और चिन्हांकन और उसका अस्तरण किसी ऐसे रंग से किया जाएगा जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुमोदित करे । वैन पर अल्यूमीनियम या सफेद पेंट किया जाएगा । वैन के पार्श्व में और पीछे अक्षर "ई" सहजदृश्य रूप में लिखा जाएगा । अनुज्ञापितधारी का नाम, पता और अनुज्ञापित संख्या वैन के एक और छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा । जिन यानों के पास अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र है, उन्हें सड़क परिवहन प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार पेंट किया जाएगा । वैन के पिछले द्वार के एक दरवाजे पर लाल रंग से 60 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त पेंट किया जाएगा और इस वृत्त में अक्षर "ई" पेंट किया जाएगा ।
- (15) अधिकतम कुल लोड-किसी यान के लिए अधिकतम कुल लोड सकल यान भार सन्निर्धारण के बराबर या उससे अधिक होगा ।
- (16) निरीक्षण-उक्त सम्पूर्ण कार्य अनुज्ञापन प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में होगा । अनुज्ञापन प्राधिकारी उस कर्मशाला में जिसमें बाडी बनाई जा रही हो, किसी भी समय जा सकता है और वह ऐसी किसी सामग्री या कौशल को नामंजूर कर सकता है जो इस विनिर्देश के अनुरूप नहीं है ।

भाग-ii (वैन बाडी) :

- (1) बाडी के फेम सर्वोत्तम चुनी गई तथा पूर्णतः पक्की तौर समस्त दोषरहित टिक से सन्निर्मित की जाएगी । सभी जोड़, संरचना में अपनी स्थिति के अनुसार सांचेदार और चूल वाले अथवा अर्द्ध चैक होंगे तथा उन्हें पेंचों से कस दिया जाएगा । संमजन से पूर्व जोड़ों पर सफेद सीसे का लेप कर दिया जाएगा । फेम के सभी भागों में जो बाहरी धातु पेनलिंग के सम्पर्क में होंगे, पेनलिंग करने से पूर्व सफेद शीशे से पूणतः लेप कर दिया जाएगा । लोहे की प्लेटें, करवा आदि का प्रयोग फ्रेम को मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है किन्तु यह वहां जहां ऐसा करना आवश्यक समझा जाए और लोहे का ऐसा कोई कार्य सम्पूरित वैन बाडी के भीतर खुला नहीं रहेगा ।
- (2) फर्श-फर्श की संरचना टिक के ऐसे तख्तों से की जाएगी जो

जिन्हायुक्त और खांचेदार हो तथा जिनकी मोटाई 22.2 मिलीमीटर या 177.8 मिलीमीटर हो। उसे वैन के सोल प्लेट में रिसेल किया जाएगा और उसके नीचे (9.14 मिलीमीटर 20 एस.डब्ल्यू.जी.) एल्यूमिनियम की एक चादर लगाई जाएगी फर्श के अवलम्ब के लिए लगभग 28.6 मिलीमीटर मोटे और 50.8 मिलीमीटर चौड़े स्तम्भ होंगे इन्हें सोल प्लेट के बीच फिट किया जाएगा तथा चैसिस फ्रेम के क्रॉस मेम्बरों के शीर्ष पर पेचों के कस दिया जाएगा।

- (3) बाडी पेनलिंग और अस्तरण—वैन की छत फर्श पार्श्व सिरे और द्वारों को .914 मि.मी. (20 एस.डब्ल्यू.जी.) एल्यूमिनियम सीट से बाहर की ओर अवतरित किया जाएगा। उसका भीतरी अस्तर एसबेस्टास या ऐसी लकड़ी का हो सकता है जिसे इस प्रकार अभिक्रियान्वित किया गया हो कि वह ज्वलनशील न रह जाए अथवा वह ऐसी किसी सामग्री का होगा जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित रूप में अनुमोदित करे। इसकी सतह चिकनी होगी तथा उसमें कोई विकृति या गड्ढे नहीं होंगे और उसे फ्रेम में सुविधाजनक आकार के सेक्शनों में फिट किया जाएगा। छत के चार सेक्शन होंगे और इसकी साईडें नीचे की ओर मुड़ी होंगी और मुड़ा हुआ भाग 25.4 मि. मी. होगा। सिरे का मोड़ 152.4 मि. मी. अन्तराल पर इस प्रकार छोड़ा गया होगा कि चादर फ्रेम पर चिपटी रखी जा सके। बाडी के फ्रेम में जहां कहीं चादर लगाई गई है वहां बीडिंग से ढक दिया जाएगा। छत की बीडिंग एल्यूमिनियम से की जाएगी जो 19 मि. मी. X 4 मि.मी. की होगी और साईडों तथा लकड़ी का मौसमी बीडिंग साईडों और छोरों पर गोल कर दिया जाएगा। जहां छत की चादर के साथ उसका जोड़ होता है वहां साईडों और छोरों पर लकड़ी पर बनी हुई मौसमी बीडिंग होगी। यह उस स्थान पर होगा जहां छत की शीटिंग के जोड़ हो। अन्य स्थानों पर 19 मिलीमीटर X 4 मिलीमीटर एल्यूमिनियम की बीडिंग की जाएगी। किन्तु इसके अन्तर्गत साईडों का तल जोड़ नहीं है जो लकड़ी की 25.4 मि.मी. X 38.1 मि.मी. गहरी रेल से ढका होगा तथा द्वारों का केन्द्रीय आवरण जोड़ जो चपटे मृदु इस्पात स्ट्रेप से बना हुआ होगा, 38.1 मि.मी. चौड़ा होगा। वैन बाडी के भीतरी भाग को (20 एस.डब्ल्यू.जी.) एल्यूमिनियम चादर से सर्वत्र साईड छोरों छत और द्वारों को अस्तरित किया जाएगा। अस्तरण यथासंभव कम से कम सेक्शनों में किया जाएगा और सभी दशाओं में उसे मजबूत बनाने के लिए पीतल के पेचों का प्रयोग किया जाएगा।
- (4) दरवाजे—बाडी के पिछले सिरों पर दोहरे दरवाजे फिट किए जाएंगे और इन्हें सर्वत्र फ्रेम में खांचे सहित रूप में फिट किया जाएगा। उनकी पनलिंग और अस्तरण सभी दृष्टियों से बाडी कर्म के अनुकूल होगी। उन्हें तल के साथ इस प्रकार प्रवणित किया जाएगा कि दरवाजे पीतल से अवतरित देहली के साथ एक जलरोधी जोड़ बन सकें और दरवाजों का केन्द्रीय जोड़, जैसाकि पहले उल्लिखित किया गया है स्ट्रेपिंग से प्रवणित और आवतरित भी किया जाएगा। दरवाजे मजबूत मृदु इस्पात हुको और झुके हुए कब्जों पर घूमेंगे। बैंड सेक्शन 29.7X8 मिलीमीटर का होगा और उन्हें वैन बाडी के पिछले फ्रेम पोस्टों पर

44.4X8.00 मिलीमीटर सेक्शन के कब्जे और एंगिल प्लेटों पर मजबूती से लगाया जाएगा। कब्जों को इस प्रकार बनाया जाएगा और सैट किया जाएगा कि दरवाजे वैन बाडी के पार्श्व के सामने गोलाई में दाहिनी ओर घूमें और दरवाजों को इस स्थिति में लगाने की व्यवस्था की जाएगी।

क्लिप में एक छेद किया जाएगा और यह पीतल के एच. ओर टी.वी. पैडलाक के लगाए जाने के लिए दरवाजे के बाईं ओर किया जाएगा।

पीछे वाले द्वार के अतिरिक्त यान की बाडी में कोई नहीं होगा। चैसिस में कोई छिद्र तब तक नहीं किए जाएंगे जब तक कि वैन बाडी को सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए निर्माता द्वारा इसकी अनुज्ञा न दी जाए।

- (5) बाडी विमाण—बाडी की भीतरी विमाण वहन किए जाने के लिए प्रस्तावित विस्फोटों की मात्रा के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। बाडी की विमाण ऐसी होंगी और बाडी को इस प्रकार फिट किया जाएगा कि विस्फोटकों के परिवहन के दौरान यान को स्थिर रखा जा सके।

विनिर्देश 5 प्रकार 'क' कुआं खोदने के लिए मोटर ट्रक या ट्रैक्टर विस्फोटकों के कब्जे और परिवहन के लिए विनिर्देश

- (1) कुआं खोदने के लिए विस्फोटकों के कब्जे और परिवहन के लिए आशायित संपीडक मढ़े हुए ट्रैक्टर में ऐसा संपीडक होगा जो ट्रैक्टर चैसिस के साथ मजबूती से कसा होगा।
- (2) ईंधन टैंक, अतिरिक्त ईंधन टैंक, और निष्कासन को ड्राईवर की सीट के सामने रखा जाएगा।
- (3) ड्राईवर के सीट के पीछे और संपीडक यूनिट के अपर विस्फोटकों के बक्सों को रखने के लिए मजबूती से कसे हुए एक प्लेटफार्म की व्यवस्था की जाएगी। प्लेटफार्म, ड्राईवर की सीट के क्षैतिज रूप से ओर संपीडक के सभी दाव भागों से उद्धरू रूप से 15 सेंटीमीटर का न्यूनतम अंतर बनाये रखेगा। वायु ग्रहण ट्यूब और प्लेटफार्म के नीचे फिल्टर रखने की व्यवस्था की जाएगी।
- (4) उच्च विस्फोटकों और डेटोनेटर्स को रखने के लिए ताला लगाने की व्यवस्था वाले लकड़ी के दो अलग बक्सों की व्यवस्था की जाएगी। उच्च विस्फोटक के लिए बक्सों का आकार पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें 25 किलोग्राम का विस्फोटक का पैकेज और 100 मीटर का डेटोनेटिंग फ्यूज जा सके। डेटोनेटर्स के लिए बक्से का पर्याप्त आकार होने चाहिए ताकि उसमें 200 सामान्य/इलैक्ट्रिक डेटोनेटर्स जा सकें और उसके अन्दर थर्माकोल लाइनिंग होनी चाहिए। डेटोनेटर्स के बक्से में खाली स्थान को थर्माकोल के टुकड़ों से इस प्रकार पैक किया जाएगा ताकि परिवहन के दौरान डेटोनेटर्स हिलडुल न सके।
- (5) उच्च विस्फोटक और डेटोनेटर्स के उपयुक्त लकड़ी के बक्सों को रखने के लिए मुख्य नियन्त्रक विस्फोटक द्वारा अनुमोदित प्रकार के दो अलग इस्पात बक्सों को प्लेटफार्म पर कस कर

- जोड़ा जाएगा और इन बक्सों के बीच मीटर का अंतर होगा ये बक्से कम से कम 3 मिलीमीटर मोटी इस्पात की चादर से बनाये जाएंगे। उच्च विस्फोटक के लकड़ी के बक्से को रखने के लिए इस्पात के बक्से में सेफ्टी प्यूज रखने के लिए एक छोटा खाना होगा। इस्पात के जुड़े हुए इन दोनों बक्सों में पार्श्व दरवाजे होंगे जिन पर बक्से के पूरी लम्बाई के आकार के कब्जे लगे होंगे और इनमें ताला लगाने की व्यवस्था होगी।
- (6) कम से कम 6 मिलीमीटर मोटी इस्पात चादर से बची हुई उर्ध्व स्क्रीन वाल को ड्राइवर की सीट के पीछे प्लेटफार्म के साथ इस प्रकार मजबूती से कस दिया जाएगा जिससे प्लेटफार्म की सम्पूर्ण लंबाई और इस्पात बक्सों की ऊँचाई आवृत हो जाये।
- (7) बर्मा छड़ और अन्य औजार ड्राइवर की सीट के पीछे ऊर्ध्व स्क्रीन वाल के सामने किसी भी स्थान पर लगाये गये फिक्चर या बक्सों में रखे जाएंगे।
- (8) कम से कम दो किलोग्राम क्षमता के एक शुष्क रसायन अग्निशामक की व्यवस्था की जाएगी।
- (9) उच्च विस्फोटक और डेटोनेटर्स के उपयुक्त लकड़ी के बक्सों को रखने के लिए मुख्य नियंत्रक विस्फोटक द्वारा अनुमोदित प्रकार के दो अलग इस्पात बक्सों को प्लेटफार्म पर कसकर जोड़ा जाएगा और इन बक्सों के बीच मीटर का अंतर होगा। ये बक्से कम से कम 3 मिलीमीटर मोटी इस्पात की चादर से बनाए जाएंगे। उच्च विस्फोटक के लकड़ी के बक्से को रखने के लिए इस्पात के बक्से में सेफ्टी प्यूज रखने के लिए छोटा खाना होगा। इस्पात के जुड़े हुए इन दोनों बक्सों में पार्श्व दरवाजे होंगे, जिनपर बक्से के पूरी लंबाई के आकार के कब्जे लगे होंगे और इनमें ताला लगाने की व्यवस्था होगी।
- (5) ईंधन टैंक-फर्श लेवल के नीचे होगा और विस्फोटक वहन करने वाले बक्सों से कम से कम 0.5 मीटर दूर होगा। उसे इस प्रकार अवस्थित किया जाएगा कि यदि यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे क्षति पहुंचने की न्यूनतम संभावना रहे।
- (6) भरण-पाईप पर सरलता से पहुंच योग्य स्थिति में एक शीघ्र सक्रिय कट ऑफ फिट किया जाएगा और वह इस प्रकार का होगा कि उसे, बोनट उठाए बिना ही, परिचालित किया जा सके तथा इस प्रकार अवस्थित किया जाएगा कि इंजन में आग लग जाने की दशा में उस पर कोई प्रभाव न पड़े।
- (7) स्फुलिंग रोधक और निकास पाईप कैब के नीचे होंगे किन्तु बाडी के नीचे नहीं होंगे।
- (8) कम से कम दो किलोग्राम के एक रसायनिक अग्निशामक की व्यवस्था की जाएगी। अग्निशामक पेट्रोलियम अग्नि का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
- (9) ईंजन के लिए एक सेल्फ स्टार्टर की व्यवस्था की जाएगी।
- (10) अग्र, पार्श्व और पिछली विद्युत बलितियों की व्यवस्था की जाएगी और इन्हें डैश बोर्ड से परिचालित किया जाएगा। विद्युत टार्चे (शुष्क तेल वाला) आपात के दौरान प्रकाश के लिए प्रयोग में ली जाने के लिए यान के साथ ले जाएगी।
- (11) चैसिस पर प्रत्येक आकार के पहिए के लिए यान में एक अतिरिक्त पहिया, जिसके अन्तर्गत बाहरी आवरण और भीतरी ट्यूब भी है, ले जाया जाएगा।
- (12) चैसिस में कोई छिद्र तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बाडी को सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए निर्माता द्वारा उसके लिए अनुज्ञा न दी गई हो।
- (13) फर्श की संरचना टीक के बार्डर से, जो जिब्हा और खाचों के रूप में तैयार किया जाएगा, की जाएगी और वह कम से कम 21 मिलीमीटर मोटा और लगभग 150 मिलीमीटर या 175 मिलीमीटर चौड़ा होगा।
- (14) संपीडित का आधार ट्रक के फर्श से कम से कम 150 मिलीमीटर उंचा होगा।
- (15) संपीडित के नीचे एक मृदु इस्पात की ट्रे रखी जाएगी और उसका आकार तथा उसकी स्थिति इस प्रकार की होगी कि संपीडित से रहने वाला समस्त तेल ट्रे में ही गिरे।
- (16) संपीडित के निकास पाईप का मुख उन बॉक्सों से दूर होगा जिनमें विस्फोटक हैं और उनमें एक कुशल स्फुलिंग रोधक फिट किया जाएगा।
- (17) विस्फोटकों के वहन के लिए केवल अनुमोदित प्रकार के बक्सों का ही प्रयोग किया जाएगा और ऐसे बक्से बाडी में इस प्रकार किए जाएंगे कि जब ट्रक चलता हो तो वे हिलें नहीं। विस्फोट प्रेरक के बाक्स में रिक्त स्थान को थर्मिकोल पैड, फोम पैड या अन्य तत्समान उपयुक्त सामग्री से इस प्रकार भर दिया जाएगा कि वहन के दौरान विस्फोट प्रेरक हिलें नहीं।
- (18) ट्रक में विस्फोट को वहन करने के लिए दो से अधिक बक्स फिट नहीं किए जाएंगे। एक बक्स का प्रयोग उच्च विस्फोटकों के वहन के लिए किया जाएगा और दूसरे का विस्फोट प्रेरकों के लिए। बक्सों को इस प्रकार फिट किया जाएगा कि उनके दरवाजे आमने-सामने न खुलें।
- ख प्रकार—संपीडित यूनिट के साथ विस्फोटकों के वहन के लिए मोटर ट्रक के लिए विनिर्देश।
- (1) बाडी और कैब के बीच कम से कम 15 सेंटीमीटर स्पष्ट वायु क्षेत्र छोड़ा जाएगा।
- (2) ड्राइवर की कैब पर बाहर की ओर से .914 मि.मी. (20 एस. डब्ल्यू.जी.) एल्यूमिनियम चादर फिट करके कैब को आधारित कर दिया जाएगा।
- (3) कैब में ऐसे दरवाजे फिट किए जाएंगे जिनमें न छितरने वाली शीशे की खिड़कियां बनी हों।
- (4) एक मजबूत फ्रेम वाला वायु स्क्रीन ड्राइवर की सीट के सामने वाले स्थान में फिट किया जाएगा और वह खोलने के लिए मजबूत पीतल के वृक्षपाद पर किलकित होगा।

- (19) विस्फोटकों के बक्सों के बीच दूरी कम से कम 1000 मिलीमीटर होगी। संपीडित और विस्फोटकों के बीच दूरी कम से कम 1500 मिलीमीटर होगी।
- (20) एक उपयुक्त अग्नि पर्दे की व्यवस्था, कैब और विस्फोटकों का वहन करने वाले बक्सों के बीच की जाएगी।
- (21) विस्फोटक बक्सों और संपीडित के बीच एक उपयुक्त एस्बेस्टास या जी.आई. शीट के स्क्रीन की व्यवस्था की जाएगी और बक्सों से विस्फोटकों को हटाने के लिए आपरेटर के आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जाएगा।
- (22) खण्ड 20 के अधीन अग्नि स्क्रीन और उक्त खण्ड 21 के अधीन एस्बेस्टास स्क्रीन के बीच स्थान को उपयुक्त रूप में आवरित कर दिया जाएगा जिससे कि उस पर मौसम का प्रभाव न पड़े।
- (23) ट्रक में 25 किलोग्राम उच्च विस्फोटक, 200 विस्फोट प्रेरक और 200 मीटर सुरक्षा पतीतों से अधिक का वहन नहीं किया जाएगा।
- (24) विस्फोटक प्रेरक बक्स, बैटरी साइड से दूर फिट किया जाएगा और बैटरी ड्राइवर की सीट के नीचे कैब में रखा जाएगा।

विनिर्देश 6 : विस्फोटकों के वहन के लिए धातु के कंसें के विनिर्देश

क प्रकार

साधारण :

बाडी पिटवां लोहे, मृदु इस्पात, कठोर वेल्लित पीतल, मुन्द्स धातु या जस्त की रिबेट की गई या वैलिडत होगी और ऊपरी भाग और तली को सम्बद्ध करने के लिए उसके दोनों सिरों पर उसी सामग्री या गन, मैटल के मजबूत फ्लैज फिट किए जाएंगे। यदि बाडी लोहे या इस्पात की है तो वह बनाए जाने के बाद पूर्णतः जस्तदार बनाई जाएगी या उसे प्रभावकारी रूप में पेंट किया जाएगा। उसकी मोटाई (18 बी. जी.-0495) 1.257 मिलीमीटर या यदि वह जस्त की है तो 9.5 मिलीमीटर से कम नहीं होगी।

तली उसी सामग्री की होगी जिसकी बाडी है अथवा गन मैटल की होगी; यदि लोहे या इस्पात की है तो वह पूर्णतः जस्तदार बनाई जाएगी। उसे बाडी के फ्लेंज से या ऐसे फ्लेंज के भाग से मजबूती से रिबेट किया जाएगा। मोटाई कम से कम 3.2 मिलीमीटर या यदि वह जस्त की है तो कम से कम 9.5 मिलीमीटर होगी।

अनुकल्पतः तली मृदु इस्पात की, जिसकी मोटाई 4.8 मिलीमीटर है, बनाई जा सकती है जो पूर्णतः जस्तदार होगी और इस प्रकार अवतलित कि वह मृदु इस्पात की बनी हुई बाडी पर कस कर फिट हो जाने पर बिना किसी तल फ्लेंज के रह सके।

अवतलित तली में बाडी कम से कम 25.4 मिलीमीटर प्रक्षेपित होगी और अवतलित सिरे के किनारे और बाडी के किनारे, बाडी के साथ और अवतलित किनारे की तली के साथ, निरन्तर बैलिडत होंगे।

लिड उसी सामग्री का होगा जिसकी बाडी है अथवा गन मैटल का होगा यदि लोहे या इस्पात का है तो वह पूर्णतः जस्तदार होगा। मोटाई बीच में कम से कम 1.6 मिलीमीटर और रिम पर कम से कम 3.2 और यदि वह जस्त की है तो सर्वत्र कम से कम 9.5 मिलीमीटर होगी।

लिड को कम से कम 4 अच्छे पैचों से या दोलनी बोल्टों से, चाहे कोई मजबूत कब्जे लगे हों या नहीं, मजबूती से कस दिया जाएगा। उक्त मजबूत कब्जे चार पैचों, बोल्टों या दोलनी बोल्टों में से किसी एक के स्थान पर हो सकता है।

जब तक कि लिड में कोई प्रक्षेपित रिंग फ्लेंज में अवनमन में फिट नहीं है, लिड और फ्लेंज के बीच एक चमड़े का या इंडिया रबड़ का या किसी अन्य उपयुक्त सामग्री का बाशर होगा। सभी रिबेट के शीर्ष चिकने होंगे और पैकेज का भीतरी भाग खुरदरे किनारों या उभारों से मुक्त होगा।

समस्त संरचना अच्छी सामग्री और अच्छे कौशल से तैयार की जाएगी और उसे अच्छी हालत में रखा जाएगा।

ख प्रकार

डूरेलमिन कन्टेनर्स :

902 मिलीमीटर कन्टेनर में भीतर डायमेशन चेसी. 308 मिलीमीटर की गहराई, 267 की चौड़ाई

डिब्बे की भीतरी विमाएं 902 308 267 मिलीमीटर होंगी। डिब्बा 1.626 मिलीमीटर (16 एस.डब्ल्यू.जी.) चादर के एक टुकड़े का बना होगा। उसके सीवन पर 8.0 मिलीमीटर व्यास के रिबेट लगाए जाएंगे जो परस्पर 25.4 मिलीमीटर की दूरी पर होंगे। शीर्ष पर एक एंगिल 31.8 31.8 4.8 मिलीमीटर का होगा और गोल तले पर 8 मिलीमीटर व्यास वाले रिबेट 25.4 मिलीमीटर की दूरी से लगाए जाएंगे।

डिब्बे की तली 3.25 मिलीमीटर (10 एस.डब्ल्यू.जी.) चादर के टुकड़े की बनी होगी, जो 31.8 31.8 4.8 मिलीमीटर के एंगिल के साथ सर्वत्र फिट की जाएगी और उसे 8.0 मिलीमीटर व्यास वाले रिबेटों से फिट किया जाएगा। कोने के टुकड़ों को 2.642 मिलीमीटर (12 एस.डब्ल्यू.जी.) चादर द्वारा एंगिलों और तली प्लेट पर 8 मिलीमीटर व्यास वाले रिबेटों से रिबेट किया जाएगा।

डिब्बे का ढक्कन 2.032 मिलीमीटर (14 एस.डब्ल्यू.जी.) चादर का होगा उसे 37.6 25.4 4.8 मिलीमीटर के एंगिल के साथ सर्वत्र फिट किया जाएगा और 8.0 मिलीमीटर व्यास वाले रिबेटों से रिबेट किया जाएगा।

2.042 मिलीमीटर (12 एस.डब्ल्यू.जी.) चादर वाले कोने के टुकड़े को एंगिल और आवरक प्लेट के साथ 8 मिलीमीटर व्यास वाले रिबेटों से रिबेट किया जाएगा।

डिब्बे का ढक्कन 12.7 मिलीमीटर बहिवर्ध के 4 सैट पिनों द्वारा कस दिया जाएगा और उसमें बाशर लगे होंगे।

31.8 3.2 मिलीमीटर मोटे रबड़ के जोड़ को कवर प्लेट के नीचे 6.3 मिलीमीटर व्यास वाले रिबेटों से रिबेट किया जाएगा। कवर और जोड़ में 15.9 मिलीमीटर व्यास के छिद्र किए जाएंगे जो 12.7 मिलीमीटर सैटपिनों के लिए उपयुक्त हों।

दो डूरेलमिन नीचे लटक जाने वाले हैंडिल डिब्बे की बाडी पर रिबेट किए जाएंगे।

ग प्रकार

बाडी पिटवां लोहे या मृदु इस्पात की होगी, जो पूर्णतः जस्तदार होगी, जिसकी मोटाई 18 बी.जी. (.495") से कम की नहीं होगी। जिसके शीर्ष पर, एल्यूमिनियम मिश्र धातु (12.5 प्रतिशत से 14.5

प्रतिशत तक जस्त, 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक तांबा, शेष एल्यूमिनियम) का बना 12.7 मिलीमीटर मोटा फ्लेंज फिट किया जाएगा ।

तली एल्यूमिनियम मिश्र धातु की होगी जिसका रिम कम से कम 12.7 मिलीमीटर मोटा होगा और जो केन्द्र में कम से कम 4.8 मिलीमीटर मोटा होगा जिसमें 25.4 मिलीमीटर उंचा और कम से कम 6.3 मिलीमीटर मोटा प्रक्षेपक होगा और वह इस प्रकार बनाया जाएगा कि बाडी के भीतर वह कस कर फिट हो जाए । उसे बाडी के साथ 6.3 मिलीमीटर ब्यास वाले रिबेटों से रिबेट किया जाएगा ।

ढक्कन एल्यूमिनियम मिश्र धातु का होगा जिसका रिम कम से कम 12.7 मिलीमीटर मोटा होगा और जो केन्द्र में कम से कम 6.3 मिलीमीटर मोटा होगा और जिसे फ्लेंज पर 8 पेंचदार बटनों से फिट किया जाएगा ।

ढक्कन और फ्लेंज के बीच चमड़े, इंडिया रबड़ या अन्य उपयुक्त सामग्री का बाशर होगा, जब तक कि ढक्कन में ऐसी कोई प्रक्षेपक रिंट फिट न कर दी जाए जो फ्लेंज के अवतल पर फिट हो जाती हो ।

सभी रिबेटों के शीर्ष चिकने होंगे और पैकेरज का भीतरी भाग खुरदरे या उभारों से मुक्त होगा ।

विनिर्देश 7 : बी.एम.डी. यान के विनिर्देश

प्रपुंज मिश्रित परिदान यान, जिसे सामान्यतः जो बी.एम.डी. यान कहा गया है, विस्फोटन स्थल तक चेसिस यान पर चढाए गए पृथक् आद्यानों अमोनियम, नाइट्रेट, गैसिंग अभिकर्ता जैसे अन्य तत्वों के साथ अविस्फोटक मैट्रिक्स वहन करने के लिए विशेष रूप से परिकल्पित है । यान में जल टैंक, नियंत्रण पैनल, हाइड्रोलिक आयल टैंक, रेडिएटर, पम्प युक्त होज रील, हाइड्रोलिक पंप, उत्पाद पंप एयर रिसीवर, गैसिंग एजेंट पंप, जल पंप चेसिस पर मढ़ी हुआ चालक की केबिन भी है । चेसिसों पर विभिन्न आधानों मढ़ाई इस प्रकार की जाती है कि यान खाली और लदी हुई दोनों दशा में, यान संचलन के दौरान स्थिर है ।

बी.एम.डी. यान निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेगा :

- (1) यान अच्छी यांत्रिकी शर्त में होना चाहिए और सभी टंकों और अन्य यंत्रों पर मढ़ाई यान की गति के दौरान कोई नुकसान को दूर करने के लिए समुचित रूप से सुरक्षित होगा ।
- (2) यान बिना कठिनाई के वजन ले जाने के लिए काफी मजबूत होना चाहिए और तत्वों के सुसंगत, अज्वलनशील सामग्रियों और/या प्रीरीमिक्स या यातायात के सन्निर्माण में अंतर्विष्ट होना चाहिए ।
- (3) वहां प्रत्येक तत्व या प्रीरीमिक्स के लिए पृथक कक्ष होगा, प्रत्येक भरने और निर्वहन करने के पृथक अर्थान्तर्गत उपबन्धित है जो इस प्रकार अभिवहन या अन्यथा के दौरान तत्वों के मिश्रण करने की दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करे । कक्ष में तरल अंतर्विष्ट करने के शट आफ वाल्व का उपबन्धित करेगा ।
- (4) उपस्कर के भाग और फिटिंग यान के बाहर आशयित नहीं होगा ।

- (5) यान विभिन्न आवश्यक पैरामीटरों जैसे तापमान, बहना, घनत्व को नियंत्रण करने और मानिटरींग के उपायों और यांत्रिकों का उपबन्ध करेगा और उपरोक्त पैरामीटरों की उस प्रस्थिति के नियंत्रण पैनल को दर्शित करेगा और बटनों का नियंत्रण प्रचालक की दर्शनीय और गम्य दृश्य अवस्थित में होंगे ।
- (6) यान की केबिन नोन-स्पिलन्टर प्रकार के कार्य से उपबन्धित होगी ।
- (7) यान बाक्स में आवश्यक सुरक्षित औजारों के उपबन्धित होगा ।
- (8) मिश्रित प्रणाली के सभी घुमने वाले भाग बनाई गई गर्मी को रोकने के लिए अभिकल्पित होने चाहिए ।
- (9) ऐसे शाफ्ट या धुरियां में, जिनका संपर्क उत्पाद से होता है, ऐसे आरूट बोर्ड बियरिंग होनी चाहिए । बियरिंग तथा उत्पाद आधान बाहर के मध्य कम से कम एक इंच निकास हो ।
- (10) जब वैद्युत शक्ति का यान पर अवस्थित स्वतःपूर्ण मोटर जनिंग द्वारा प्रदाय किया जाता है तब जनिंग विस्फोटकों के निर्वहन बिन्दु से पृथक किया जाएगा । जनिंग या बैटरी में तुरंत अभिगम्य स्थिति में कट आफ स्विच लगाया जाएगा ।
- (11) तार लपेटना (वायरिंग) इस प्रकार फिक्स और संरक्षित की जाएगी जिससे आकस्मिक नुकसान या अनुचित टूट को न्यूनीकृत जा सके ।
- (12) बी.एम.डी. यान की बाडी और उपस्कर चेसिस यान के साथ वैद्युततः निरंतर रहेंगे । मिक्सर और सभी अन्य उपस्करों का ढांचा, जिसका उपयोग किया जा सकेगा, वैद्युततः बन्धित होगा । प्रभावी ग्राइंडिंग के लिए बन्धनकारी बिंदु और बन्धनकारी केबल उपलब्ध कराई जाएगी ।
- (13) मिश्रण और लदान करने के दौरान, धनात्मक आधारिक युक्ति तथा अर्धचालन होज स्थिर विद्युत के संचयन को रोकने के लिए उपयोग किए जाएंगे । पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पद्धतियों का मूल्यांकन करेगा कि वे संभावी क्षेत्रीय दशाओं के अधीन पर्याप्त रूप से स्थिर विद्युत को प्रसारित करेंगे ।
- (14) बोर होल्स में सीधे विस्फोटक को परिदत्त करने के लिए उपयोग किए गए नम्य होज वैद्युततः तथा यांत्रिकतः बने रहेंगे ।
- (15) यान की निकास नली में मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित स्पार्क अरेस्टर लगा होगा ।
- (16) उपयुक्त आकार के तथा वैद्युत और पेट्रोलियम आग को बुझाने के सक्षम कम से कम दो बहुप्रयोजनीय अग्निशामक सहज गम्य स्थिति में प्रत्येक यान पर लगाए जाएंगे ।
- (17) बी.एम.डी. यान पर “एस.एम.एस. अवलंब संयंत्र अनुज्ञप्ति सं. से संलग्न बी.एम.डी. यान” शब्द चिन्हित किए जाएंगे ।

- (18) फोन नम्बर सहित अनुज्ञप्तिधारक का नाम और पता आपात की दशा में संपर्क करने के लिए सुस्पष्ट स्थान पर चिन्हित किए जाएंगे ।
- (19) चालक केबिन में अवस्थित ईंधन कट आफ पद्धति लगाई जाएगी ।
- (20) लदे यान के गुरुत्वाकर्षक केंद्र की ऊंचाई का बाह्य पिछले टायरों के केंद्रों के बीच दूरी से अनुपात .9 से अधिक नहीं होगा ।

टिप्पण : (1) जब दो या अधिक भण्डार मैगजीन उसी संपत्ति पर अवस्थित है तो प्रत्येक मैगजीन निवासी भवनों, रेल, और राजमार्ग से कम से कम विनिर्दिष्ट दूरी की अनुपालना होनी चाहिए और अतिरिक्त वे प्रत्येक अन्य से पृथक होगी, जो “मैगजीन के पृथक करने” के लिए दर्शित की गई दूरी से कम नहीं होगी, कैंप मैगजीन में अंतर्विष्ट मात्रा के सिवाय, उक्त कैंप मैगजीन का अंतर छोड़ने के संबंध में अंतर्विष्ट अन्य विस्फोटों मैगजीन से शासित करना है । यदि कोई दो या अधिक मैगजीन “मैगजीन के पृथक करने” की विनिर्दिष्ट दूरी से कम द्वारा, प्रत्येक अन्य को पृथक की गई है तब ऐसी दो या अधिक मैगजीन, जो समूह में एक मैगजीन के रूप में मानी जाएगी, और ऐसे समूह में भण्डारित विस्फोटों की कुल मात्रा अभिक्रमित होगी मानो उस समूह की किसी मैगजीन के स्थल पर अवस्थित किसी एकल मैगजीन में भण्डारित है और निवास भवनों, रेल और राजमार्ग में, अन्य मैगजीनों से विनिर्दिष्ट सुरक्षा की कम से कम अनुपालना होनी चाहिए ।

- (2) यह सारणी केवल वाणिज्यिक विस्फोटों के विनिर्माण और स्थायी भण्डारण को लागू होती है । यह विस्फोटों का किसी हैंडलिंग या अस्थायी आवश्यक भण्डारण या उनकी अनुषंगिक के यातायातों को लागू नहीं है । यह बम्ब, प्रोजेक्टाइलस या अन्य भारी आर्नेष्टित विस्फोटों के लागू को आशयित नहीं है ।

अनुसूची VIII

विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञात कारखानों में या उच्च विस्फोटकों के भंडारण के लिए अनुज्ञप्त मैगजीन में निम्नलिखित सुरक्षा दूरियां रखी जाएंगी । यदि भंडारण किए जाने वाले विस्फोटकों की मात्रा सारणी 1 के दर्शित किन्हीं दो प्रक्रमों के बीच में है तो उच्चतर प्रक्रम के लिए अपेक्षित सुरक्षा दूरी रखी जाएगी ।

सारणी-1

“कैटेगरी यय” मैगजीन विनिर्माण कारखाना के लिए सुरक्षा दूरियों की सारणी (मीटर में)

मात्रा किलोग्राम में	मैगजीन या मैगजीन कार्यालय आदि से और उनके बीच		प्रक्रिया भवनों से और उनके बीच	रेल, सड़क आदि से	निवास गृहों, कार्यालयों, कारखानों आदि से
	एम.	यू.एम.			
1	2	3	4	5	6
50	10	14	18	21	45
100	11	17	21	33	45
150	13	19	24	40	45
200	14	21	26	45	52
300	16	24	30	45	68
400	18	27	34	45	82
500	19	29	37	48	95
600	21	31	42	54	107
700	22	32	45	60	119
800	23	34	49	65	129
1000	24	36	56	74	148
1250	26	39	64	86	171

1	2	3	4	5	6
1500	28	42	72	96	192
1750	29	44	79	106	211
2000	31	46	85	113	226
2500	33	49	97	129	257
3000	35	52	106	142	283
3500	37	55	114	152	304
4000	38	57	122	163	325
4500	40	60	129	172	343
5000	41		135	180	359
6000	44		145	194	387
7000	46		155	206	412
8000	48		163	217	434
10000	52		177	236	471
12500	56		192	255	510
15000	60		206	280	560
17500	63		216	290	580
20000	65		226	303	605
25000	71		244	325	650
30000	75		259	345	690
35000	79		273	365	730
40000	82		285	380	760
45000	86		296	395	790
50000	89		307	410	820
60000	94		327	435	870
70000	99		343	458	915
80000	104		359	480	960
90000	108		373	498	995
100000	112		387	515	1030
112500	116		402	540	1075
125000	120		417	555	1110
136000	124		428	575	1145
150000	128		446	590	1180
175000	135		466	625	1245
200000	141		487	650	1300

सारणी-2

“कैटेगरी भ” के मैगजीन विनिर्माण कारखाना के लिए सुरक्षा दूरियों की सारणी (मीटर में)

मात्रा किलोग्राम में	मैगजीन या मैगजीन कार्यालय आदि से और उनके बीच	प्रक्रिया भवनों से और उनके बीच	रेल, सड़क आदि से	निवास गृहों, कार्यालयों, कारखानों आदि से
1	2	3	4	5
50	10	12	12	45
100	10	15	15	45
150	10	17	17	45
200	10	19	18	45
300	10	22	21	45
400	10	24	23	45
500	10	26	25	45
600	10	27	26	45
700	10	29	27	45
800	10	30	28	45
1000	10	32	32	46
1250	10	35	33	52
1500	10	37	36	57
1750	10	39	38	61
2000	10	41	40	65
2500	12	44	43	73
3000	13	46	46	80
3500	14	49	48	86
4000	15	51	50	92
4500	16	53	52	98
5000	16	55	54	110
6000	18	58	57	117
7000	19	62	61	123
8000	21	64	63	128
10000	23	69	69	138
12500	26	75	72	149
15000	28	79	78	158
17500	30	83	82	167
20000	32	87	86	174
25000	36	94	93	187
30000	40	100	98	199
35000	43	105	104	210
40000	46	110	108	219

1	2	3	4	5
45000	48	114	113	228
50000	51	118	118	236
60000	56	126	128	251
70000	60	132	138	264
80000	64	138	148	276
90000	68	144	158	287
100000	72	149	168	297
112500	76	155	180	309
125000	80	160	192	320
136000	84	165	203	329
150000	88	170	217	240
175000	95	179	242	358
200000	101	195	265	375

सारणी-3

“कैटेगरी भ” के मैगजीन के लिए (आतिशबाजी) सुरक्षा दूरियों की सारणी (मीटर में)

मात्रा किलोग्राम में	मैगजीन या मैगजीन कार्यालय आदि से और उनके बीच	प्रक्रिया भवनों से और उनके बीच	रेल, सड़क आदि से	निवास गृहों, कार्यालयों कारखानों आदि से
1	2	3	4	5
50	10	10	8	45
100	10	10	9	45
150	10	10	10	45
200	10	10	11	45
300	10	10	13	45
400	10	10	14	45
500	10	10	15	45
600	10	10	16	45
700	10	10	17	45
800	10	10	17	45
1000	10	10	18	45
1250	12	12	19	45
1500	12	12	19	45
1750	12	12	19	45
2000	13	13	20	45
2500	14	14	21	45
3000	16	16	21	45
3500	16	16	22	45

1	2	3	4	5
4000	17	17	22	46
4500	17	17	23	47
5000	20	20	23	49
6000	20	20	24	50
7000	22	22	24	50
8000	22	22	25	53
10000	24	24	26	53
12500	24	24	26	55
15000	25	25	27	55
17500	25	25	27	57
20000	26	26	28	58
25000	27	27	29	60
30000	28	28	29	60
35000	30	30	30	61
40000	30	30	30	61
45000	30	30	30	64
50000	30	30	30	64
60000	30	30	30	66
70000	30	30	30	66
80000	30	30	30	66
90000	30	30	30	67
100000	30	30	30	67
112500	30	30	30	69
125000	30	30	30	69
136000	30	30	30	70
150000	30	30	30	70
175000	30	30	30	71
200000	30	30	30	71

सारणी-4

स्पार्कल्स के विनिर्माण के लिए कारखाने में अनुकरण की जाने वाली सुरक्षा दूरियों की सारणी (मीटर में)

से	शेड की किलोग्राम में क्षमता	मानव सीमा	मिश्रण शेड तक	डुबोने वाले शेड तक	शुष्क वाले प्लेटफार्म तक	पैकिंग शेड तक	अभिवहन शेड तक	कच्ची सामग्री या खाली फ्रेम शेड तक	विश्रामगृह संरक्षित संकर्म तक
मिश्रण शेड	50	2	6	6	9	9	9	15	15
डुबोने वाली शेड	200	8	6	6	3	9	9	15	15
शुष्क वाले प्लेटफार्म	200	8	9	3	3	9	9	15	15
पैकिंग शेड	200	4	9	9	9	9	9	15	15
अभिवहन शेड	200	2	9	9	9	9	9	15	15
कच्ची सामग्री/ खाली फ्रेम शेड			15	15	15	15	15	—	—

सारणी-5

स्पार्कल्स के भण्डारगृह के लिए कारखाने में अनुकरण की जाने वाली सुरक्षा दूरियों की सारणी (मीटरों में)

किलोग्राम में भण्डारगृह क्षमता के मैगजीन से	स्वयं स्पार्कल्स विनिर्माण करने वाले शेड या मैगजीन कार्यालय, मैगजीन से और उनके बीच	रेल पब्लिक रोज से	निवास गृह संरक्षित संकर्म से
1	2	3	4
50 से 35000	15	15	30
35001 से 70,000	15	15	35
70,001 से 200000	15	15	40

सारणी-6
आतिशबाजी विनिर्माण कारखाने की विभिन्न-प्रक्रिया और भंडारण शेडों द्वारा अनुकरण की जाने वाली सुरक्षा दूरी (मीटरों में)

सं.	किलोग्राम में विस्फोटकों के शेड की मात्रा	मानव सीमा	मिश्रित करने/भरने नाले शेड	डुबाने वाले शेड	सुखाने वाले प्लेटफार्म	विनिर्माण शेड	फ्यूज रेपिंग शेड	अभिवहन शेड (अआतिशबाजी) किलोग्राम में क्षमता			अभिवहन शेड तत्काल दिया- सलाई/माइक्रोकार्ड/फ्यूज किलोग्राम में क्षमता			अभिवहन शेड (पैलैट) किलोग्राम में क्षमता	कच्ची सामग्री शेड	सुरक्षा दूरी में वाटर निवास गृह, संरक्षित
								300	400	500	100	150	200			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मिश्रित करने/ भरने वाले शेड	5	2	18	18	18	18	18	30	34	37	21	24	26	18	45	45
डुबाने वाले शेड	5	2	18	12	18	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
सुखाने वाले प्लेट-फार्म	25	4	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
विनिर्माण शेड	25	4	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45
फ्यूज रेपिंग	10	2	18	12	12	12	12	30	34	37	21	24	26	18	45	45 शेड
अभिवहन शेड (आतिशबाजी)	300	2	30	30	30	30	30	30	34	37	30	30	30	30	45	45
	400	2	34	34	34	34	34	34	37	34	34	34	34	34	45	45

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		500	2	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	45	45
अभिवहन शोड (तत्काल	100		2	21	21	21	21	21	21	34	37	21	21	26	21	45	45
दियासलाई/ माइक्रोकार्ड/ फ्यूज)	150		2	24	24	24	24	24	24	34	37	24	24	28	24	45	45
	200		2	26	26	26	26	26	34	34	34	26	26	30	26	45	45
अभिवहन शोड (पेलैट)	50		2	18	18	18	18	18	18	18	18	37	18	18	18	45	45
कच्ची सामग्री शोड	x		2	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	x	x

टिप्पण - अर्धनिर्मित आतिशबाजी के लिए अभिवहन भवन में दो कमरे होंगे। जिनमें प्रत्येक कमरे का आकार 2.5 मीटर 2.0 मीटर प्रत्येक एक पहिए, फ्लोवरपोटस आदि के समान मद्दे के भण्डार के लिए योग्य मद में भण्डार के लिए और दूसरा पटाखों, एटम बम्बस आदि के समान विस्फोट योग्य मद्दे के भण्डार के लिए।

सारणी-7

माइक्रो फ्यूज और/या तत्काल दियासलाई के भंडारण के लिए भवन में अनुकरण की जाने वाले सुरक्षा दूरी (मीटरों में)

किलोग्राम में क्षमता	प्रसंस्करण और प्लेटफार्म से सुरक्षा दूरी	संरक्षित कर्मराची या फेन्सी से सुरक्षा
100 किलोग्राम	21	45
150 किलोग्राम	24	45
200 किलोग्राम	26	45

[सं. 2(5)/2003-विस्फो.]

संजय कृ. थाडे, निदेशक